भा.क.नि.
C.C.I.

भारतीय कपास निगम लिमिटेड

एक मिनी रत्न कंपनी

(भारत सरकार का उपक्रम, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत)

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.

A Mini Ratna Company

(Govt. of India Undertaking, Ministry of Textile)



56th वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2025-26

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर



अनुक्रमणिका
INDEX

क्र. सं. S. No.		विवरण / Particulars	पृष्ठ सं. Page No.
01		निदेशक मंडल Board of Directors	2
02		वरिष्ठ प्रबंधन टीम Senior Management Team	4
03		सूचना Notice	6
04		अध्यक्ष का संदेश Chairman's Message	8
05		निदेशकों की रिपोर्ट Director's Report	18
06		निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक क Annexure A to Director's Report	51
07		निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक ख Annexure B to Director's Report	59
08		भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणी Comments of the C & AG of India	62
09		स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट Independent Auditor's Report	66
10		वित्तीय विवरण Financial Statements	102
11		बैंको की सूची List of banks	262
12		प्रॉक्सी फॉर्म Proxy Form	263

निदेशक मंडल

(दिनांक : 17-09-2026 को)

BOARD OF DIRECTORS

(As on 17-09-2026)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman-cum-Managing Director	**श्री ललित कुमार गुप्ता** **Shri Lalit Kumar Gupta**
संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय Joint Secretary, Ministry of Textiles	**श्रीमती पद्मिनी सिंगला, भा.प्र.से.** **Smt. Padmini Singla, IAS**
निदेशक (विपणन) Director (Marketing)	**श्री विजय कुरडगि** **Shri Vijay Kuradagi**
निदेशक (वित्त) Director (Finance)	**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता** **Shri Rajendra Kumar Gupta**

लेखा परीक्षक

जे. सी. भल्ला एंड कं.
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स, नई दिल्ली

ग्रैंडमार्क एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स, मुंबई

Auditors

J C Bhalla & Co.
Chartered Accountants, New Delhi

GRANDMARK & Associates
Chartered Accountants, Mumbai

पंजीकृत कार्यालय

भारतीय कपास निगम लिमिटेड
कपास भवन
प्लॉट नं. 3 ए, सेक्टर - 10, सी.बी.डी. बेलापुर,
नवी मुंबई - 400 614.
वेब साईट : www.cotcorp.org.in
www.texmin.gov.in
(सीआयएन : U51490MH1970GOI014733)

Registered Office

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED
Kapas Bhavan,
Plot No. 3A, Sector - 10, C.B.D. Belapur,
Navi Mumbai - 400 614.
Website : www.cotcorp.org.in
www.texmin.gov.in
(CIN : U51490MH1970GOI014733)



श्री ललित कुमार गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Shri Lalit Kumar Gupta
Chairman-cum-Managing Director



श्रीमती पद्मिनी सिंगला, भा.प्र.से.
संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय
Smt. Padmini Singla, IAS
Joint Secretary, Ministry of Textiles



श्री विजय कुरडगि
निदेशक (विपणन)
Shri Vijay Kuradagi
Director (Marketing)



श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता
निदेशक (वित्त)
Shri Rajendra Kumar Gupta
Director (Finance)

वरिष्ठ प्रबंधन
SENIOR MANAGEMENT

मुख्य सतर्कता अधिकारी Chief Vigilance Officer	श्रीमती निधि एस जैन (आईए एंड एएस) Ms. Nidhi S Jain (IA&AS)
मुख्य महा प्रबंधक (विधी) Chief General Manager (Legal)	श्री मनोज बजाज Shri Manoj Bajaj
मुख्य महा प्रबंधक (वित्त) Chief General Manager (Finance)	श्री तिलक राज तनेजा Shri Tilak Raj Taneja
मुख्य महा प्रबंधक (विपणन) Chief General Manager (Marketing)	श्री प्रांजल पी. जोशी Shri Pranjal P. Joshi
मुख्य महा प्रबंधक (सूचना प्रोद्योगिकी) Chief General Manager (IT)	श्री अजय कुमार Shri Ajay Kumar
कंपनी सचिव Company Secretary	श्री राहुल ठक्कर Shri Rahul Thakkar

महा प्रबंधक
General Managers

(1) श्री विशाल सिन्हा Shri Vishal Sinha	(2) श्री राजेंद्र शाह Shri Rajendra Shah	(3) श्री मोहित शर्मा Shri Mohit Sharma	(4) श्री पी. अमरनाथ रेड्डी Shri P. Amarnath Reddy	(5) श्रीमती भावना बिसेन Smt Bhavna Bisen
(6) श्री विनोद कुमार Shri Vinod Kumar	(7) श्री कमल कांत Shri Kamal Kant	(8) श्रीमती जी सरोजा Smt G. Saroja	(9) श्री अर्जुनसिंह एस. दवे Shri Arjunsingh S.Dave	(10) श्री आर. जयाकुमार Shri R. Jeyakumar

उप महा प्रबंधक
Deputy General Managers

(1) श्री. टी. के. दास Shri T.K. das	(2) श्री के महेश्वरा रेड्डी Shri K. Maheshwara Reddy	(3) श्री सज्जन कुमार बंसल Shri Sajjan Kumar Bansal	(4) श्री ब्रिजेश कसाना Shri Brijesh Kasana
(5) श्री स्वप्नील वी. दडमल Shri Swapnil V. Dadmal	(6) श्री आद्य प्रसाद मिश्रा Shri Adya Prasad Mishra	(7) श्री राजबीर सिंह भुल्लर Shri Rajbeer Singh Bhuller	(8) श्री अभिषेक कुमार जैन Shri Abhishek Kumar Jain
(9) श्री अभिजीत शर्मा Shri Abhijeet Sharma	(10) श्री नीरज कुमार भट्ट Shri Neeraj Kumar Bhatt	(11) श्रीमती शिखा झांब Smt Shikha Jhamb	(12) श्री नीरज कुमार Shri Neeraj Kumar
(13) श्री प्रदीप के. माहरा Shri Pradeep K. Mahara	(14) श्री अनूप अब्राहम Shri Anoop Abraham		



श्रीमती निधि एस जैन (आईए एंड एएस)
मुख्य सतर्कता अधिकारी
Ms. Nidhi S Jain (IA&AS)
Chief Vigilance Officer



श्री मनोज बजाज
मुख्य महा प्रबंधक (विधी)
Shri Manoj Bajaj
Chief General Manager (Legal)



श्री तिलक राज तनेजा
मुख्य महा प्रबंधक (वित्त)
Shri Tilak Raj Taneja
Chief General Manager (Finance)



श्री प्रांजल पी. जोशी
मुख्य महा प्रबंधक (विपणन)
Shri Pranjal P. Joshi
Chief General Manager (Marketing)



श्री अजय कुमार
मुख्य महा प्रबंधक (सूचना प्रोद्योगिकी)
Shri Ajay Kumar
Chief General Manager (IT)



श्री राहुल ठक्कर
कंपनी सचिव
Shri Rahul Thakkar
Company Secretary

सूचना
NOTICE

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय कपास निगम लिमिटेड के सदस्यों की 56वीं वार्षिक सामान्य बैठक नीचे दिए अनुसार आयोजित की जाएगी :

तारीख : 17 सितंबर, 2026
दिवस : गुरुवार
समय : दोपहर 12.00 बजे
स्थल : **बोर्ड रुम, 5वी मंजिल, ``कपास भवन'', प्लॉट नं. 3ए, सेक्टर–10, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई – 400 614.**

निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए:

सामान्य व्यवसाय :

1. 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणी और इस दिनांक का तुलन-पत्र तथा निदेशकों की रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ साथ अन्य संबंधित विवरणियां तथा उन पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के अनुसार और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्राप्त और स्वीकार करना ।

2. 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लाभांश घोषित करना।

3. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कंपनी के संयुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक (Joint Statutory Auditors) के रूप में M/s. ग्रैंडमार्क एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मुंबई और M/s. एस के मित्तल एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली की नियुक्ति को नोट करना।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते भारतीय कपास निगम लिमिटेड

हस्ता/-
(राहुल ठक्कर)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. F14107

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक : 25.08.2026

NOTICE is hereby given that the 56th Annual General Meeting of the members of THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED will be held as scheduled below:

DATE : 17th SEPTEMBER, 2026
DAY : THURSDAY
TIME : 12.00 NOON
VENUE : **BOARD ROOM, 5TH FLOOR, "KAPAS BHAVAN", PLOT NO. 3A, SECTOR-10, CBD BELAPUR, NAVI MUMBAI - 400 614.**

To transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Corporation for the year ended 31st March, 2026, the Balance Sheet as at that date and Directors' Report and Auditor's Report along with other related documents and comments of Comptroller & Auditor General of India thereon in terms of Section 143(6) of the Companies Act, 2013.

2. To declare dividend for the year ended 31st March, 2026.

3. To note the appointment of M/s. GRANDMARK & Associates, Chartered Accountants, Mumbai and M/s. S K Mittal & Co., Chartered Accountants, New Delhi as Joint Statutory Auditors of the Company for the Financial Year 2026-27.

By order of the Board of Directors,
For THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED.

Sd/-
(Rahul Thakkar)
Company Secretary
M. No. F14107

Place : Navi Mumbai
Date : 25.08.2026

नोट्स : -

1. बैठक में उपस्थित रहने तथा मतदान के हकदार अधिकारी सदस्य अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को उपस्थित रहने और अपने स्थान पर मतदान करने का अधिकार प्रदान कर सकते हैं तथा ऐसे प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

2. प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी पत्र बैठक के प्रारंभ होने से 48 घंटे पूर्व कंपनी के पास प्राप्त हो जाना चाहिए। प्रॉक्सी प्रपत्र वार्षिक सामान्य बैठक के नोटिस के अंत में दिया गया है।

3. यह सूचित किया जाता है कि जो सदस्य व्यक्तिगत रूप से बैठक में शामिल नहीं हो सकते, वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें शामिल हो सकते हैं। बैठक का लिंक अलग से साझा किया जाएगा। हालाँकि, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे व्यक्तिगत रूप से बैठक में शामिल हों।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते भारतीय कपास निगम लिमिटेड

हस्ता/-
(राहुल ठक्कर)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. F14107

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक : 25.08.2026

NOTES:

1. A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE ON POLL INSTEAD OF HIMSELF. SUCH PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY.

2. PROXIES IN ORDER TO BE EFFECTIVE MUST BE RECEIVED BY THE COMPANY NOT LESS THAN 48 HOURS BEFORE THE COMMENCEMENT OF THE MEETING. THE PROXY FORM IS ENCLOSED AT THE END OF NOTICE TO AGM.

3. IT IS TO INFORM THAT MEMBERS WHO MAY NOT BE ABLE TO ATTEND THE MEETING IN PERSON MAY ATTEND THE SAME THROUGH VIDEO CONFERENCE. THE MEETING LINK SHALL BE SHARED SEPARATELY. HOWEVER, SHAREHOLDERS ARE REQUESTED TO ATTEND THE MEETING IN PERSON.

By order of the Board of Directors,
For THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED.

Sd/-
(Rahul Thakkar)
Company Secretary
M. No. F14107

Place : Navi Mumbai
Date : 25.08.2026

56वीं वार्षिक सामान्य बैठक
अध्यक्ष का संदेश
56th ANNUAL GENERAL MEETING
CHAIRMAN'S MESSAGE

प्रिय शेयरधारकों,

भाकनि टीम की ओर से आपको अभिवादन

निगम की 56वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। निदेशक मंडल और सीसीआई टीम की ओर से, आपके निरंतर विश्वास और समर्थन के लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ, जिसने निगम को कपास क्षेत्र में एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने में सक्षम बनाया है। इस बैठक को बुलाने की सूचना, निदेशक रिपोर्ट तथा 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा वित्तीय विवरण, पहले ही सदस्यों को परिचालित किया जा चुका हैं।

आपका निगम अपनी विवेकपूर्ण नीतियों और अपने अनुभवी कार्यबल के समर्पित प्रयासों से कपास सीजन 2025-26 की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया, अपने कार्यों को मजबूत किया और संगठन के लिए मूल्य का सृजन किया। निगम सतत दीर्घकालिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। मैं अब 2025-26 के दौरान आपके निगम के प्रदर्शन को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कपास बाजारों में मुख्य विकास के साथ संक्षेप में बताना चाहूंगा।

कपास परिदृश्य:

घरेलू स्थिति:

कपास सीजन 2025-26 के दौरान, भारत में कपास की खेती का रकबा 115.25 लाख हेक्टेयर रहने का अनुमान था, जो पिछले सीज़न के 114.84 लाख हेक्टेयर से थोड़ा अधिक है। हालाँकि, उत्पादन 290.24 लाख गांठ रहने का अनुमान था, जो 2024-25 के 297.24 लाख गांठ से लगभग 2% कम है; इसका मुख्य कारण कम पैदावार थी। औसत पैदावार 428 किलोग्राम लिंट प्रति हेक्टेयर रहने का अनुमान था, जबकि पिछले सीज़न में यह 440 किलोग्राम लिंट प्रति हेक्टेयर थी। 45.50 लाख गांठ के कैरी-फ़ॉरवर्ड स्टॉक और 55.00 लाख

Dear Shareholders,

Greetings to you on behalf of the CCI team.

It gives me an immense pleasure to welcome each one of you to the 56th Annual General Meeting of your Corporation. On behalf of the Board of Directors and the CCI team, I sincerely thank you for your continued trust and support, which have enabled the Corporation to strengthen its position as a leading public sector organisation in the cotton sector. The Notice convening this Meeting, the Directors' Report and the Audited Financial Statements for the year ended 31st March 2026 have already been circulated to the members.

Your Corporation, with its prudent policies and the dedicated efforts of its experienced workforce, successfully navigated the challenges of the cotton season 2025-26, strengthened its operations and created value for the organisation. The Corporation continues to pursue the path of sustainable long-term growth. I would now like to briefly highlight the performance of your Corporation during 2025-26, along with the key developments in the domestic and international cotton markets.

COTTON SCENARIO:

Domestic Situation:

During cotton season 2025-26, area under cotton cultivation in India was estimated at 115.25 lakh hectares, marginally higher than 114.84 lakh hectares in the previous season. However, production was estimated at 290.24 lakh bales, about 2% lower than 297.24 lakh bales in 2024-25, primarily due to lower yield. The average yield was estimated at 428 kg lint per hectare, compared to 440 kg lint per hectare in the previous season. With carry-forward stocks of 45.50 lakh bales and

गांठ के अनुमानित आयात के साथ, सीज़न के दौरान कुल कपास की उपलब्धता 390.74 लाख गांठ रहने का अनुमान था। (स्रोतः 28.07.2026 को हुई सीओसीपीसी की बैठक)

2025-26 सीज़न के दौरान कपास की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना रहा। कपास की मुख्य किस्मों की शुरुआती कीमतें पिछले सीज़न की तुलना में लगभग 7% कम थीं। एस-6 कपास किस्म की कीमत अक्टूबर 2025 में ₹52,500-₹54,500 प्रति कैंडी से घटकर नवंबर 2025 में सीज़न के सबसे निचले स्तर ₹51,800 पर आ गई, और फिर फरवरी 2026 तक सुधरकर लगभग ₹54,400 हो गई। इसके बाद कीमतों में तेज़ी से उछाल आया और मई के मध्य में ये ₹67,500 प्रति कैंडी तक पहुँच गईं, जिसके बाद इनमें कुछ नरमी आई और जुलाई 2026 के दौरान ये ₹63,400-₹66,800 प्रति कैंडी के दायरे में रहीं।

estimated imports of 55.00 lakh bales, total cotton availability during the season was estimated at 390.74 lakh bales. (Source: COCPC meeting held on 28.07.2026)

Cotton prices during the 2025-26 season remained volatile. The opening prices of major cotton varieties were around 7% lower than the previous season. The price of S-6 cotton variety, declined from ₹52,500-₹54,500 per candy in October 2025 to the season's lowest level of ₹51,800 in November, 2025 before recovering to around ₹54,400 by February 2026. Prices subsequently strengthened sharply, reaching ₹67,500 per candy in mid-May, before moderating and moving in the range of ₹63,400-₹66,800 per candy during July 2026.

Domestic Situation: Cotton Season 2025-26
Key Trends and Price Movement
घरेलू स्थितिः कपास सीजन 2025-26 – प्रमुख रुझान और मूल्य गति

Particulars विवरण	2024-25	2025-26	Change परिवर्तन
Area under cultivation कपास का रकबा	114.84 lakh ha (लाख हैक्टेयर)	115.25 lakh ha (लाख हैक्टेयर)	↑ 0.4%
Production उत्पादन	297.24 lakh bales (लाख गांठ)	290.24 lakh bales (लाख गांठ)	↓ 2.4%
Average Yield औसत उपज	440 kg lint/ha (किग्रा लिन्ट/हैक्टेयर)	428 kg lint/ha (किग्रा लिन्ट/हैक्टेयर)	↓ 2.7%
Carry-forward stocks अवशिष्ट स्टॉक (आगले सीजन के लिए)	–	45.50 lakh bales (लाख गांठ)	–
Imports आयात	–	55.00 lakh bales (लाख गांठ)	–
Total Availability कुल उपलब्धता	–	390.74 lakh bales (लाख गांठ)	–

During cotton season 2025-26, the area under cotton cultivation in India was estimated at 115.25 lakh hectares, marginally higher than 114.84 lakh hectares in the previous season.

However, production was estimated at 290.24 lakh bales, about 2% lower than 297.24 lakh bales in 2024-25, primarily due to lower yield.

कपास सीजन 2025-26 के दौरान, भारत में कपास के अधीन रकबा 115.25 लाख हैक्टेयर अनुमानित किया गया, जो पिछले सीजन के 114.84 लाख हैक्टेयर की तुलना में थोड़ा अधिक है।

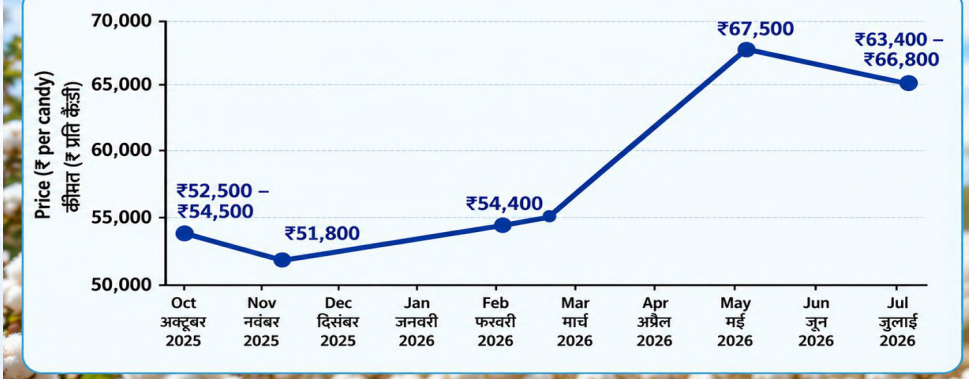
हालांकि, उत्पादन 290.24 लाख गांठ अनुमानित किया गया, जो 2024-25 के 297.24 लाख गांठ की तुलना में लगभग 2% कम है, मुख्यतः औसत उपज में कमी के कारण।

(Source: COCPC meeting held on 28.07.2026.)
(स्रोतः COCPC की बैठक दिनांक 28.07.2026 को आयोजित)

Cotton Price Movement (S-6 Variety)
कपास की कीमतों में बदलाव (S-6 वैरायटी)

Prices were volatile during the 2025-26 season
वर्ष 2025-26 के सीज़न के दौरान कीमतों में अधिक उतार-चढ़ाव देखा गया।

The opening prices of major cotton varieties were around 7% lower than the previous season.
प्रमुख कपास वैरायटियों की शुरुआती कीमतें पिछले सीज़न की तुलना में लगभग 7% कम रहीं।



Price Trend – S-6 Cotton
कीमतों की प्रवृत्ति – S-6 कपास

- Prices were in the range of ₹52,500 – ₹54,500 per candy in October 2025.
  अक्टूबर 2025 में कीमतें ₹52,500 – ₹54,500 प्रति कैंडी के आसपास रहीं।
- Declined to ₹51,800 in November 2025 (the season's lowest level).
  नवंबर 2025 में घटकर ₹51,800 पर आ गई (सीज़न का सबसे निचला स्तर)।
- Recovered to around ₹54,400 by February 2026.
  फरवरी 2026 तक कीमतें फिर बढ़कर लगभग ₹54,400 पर पहुँच गईं।
- Strengthened sharply to ₹67,500 per candy in May 2026.
  मई 2026 में तेज़ी से बढ़कर ₹67,500 प्रति कैंडी तक पहुँच गई (सीज़न का सबसे उच्च स्तर)।
- Later moderated, moving in the range of ₹63,400 – ₹66,800 per candy during July 2026.
  बाद में नरमी आई और जुलाई 2026 के दौरान कीमतें ₹63,400 – ₹66,800 प्रति कैंडी की सीमा में रहीं।

अंतरराष्ट्रीय स्थिति:

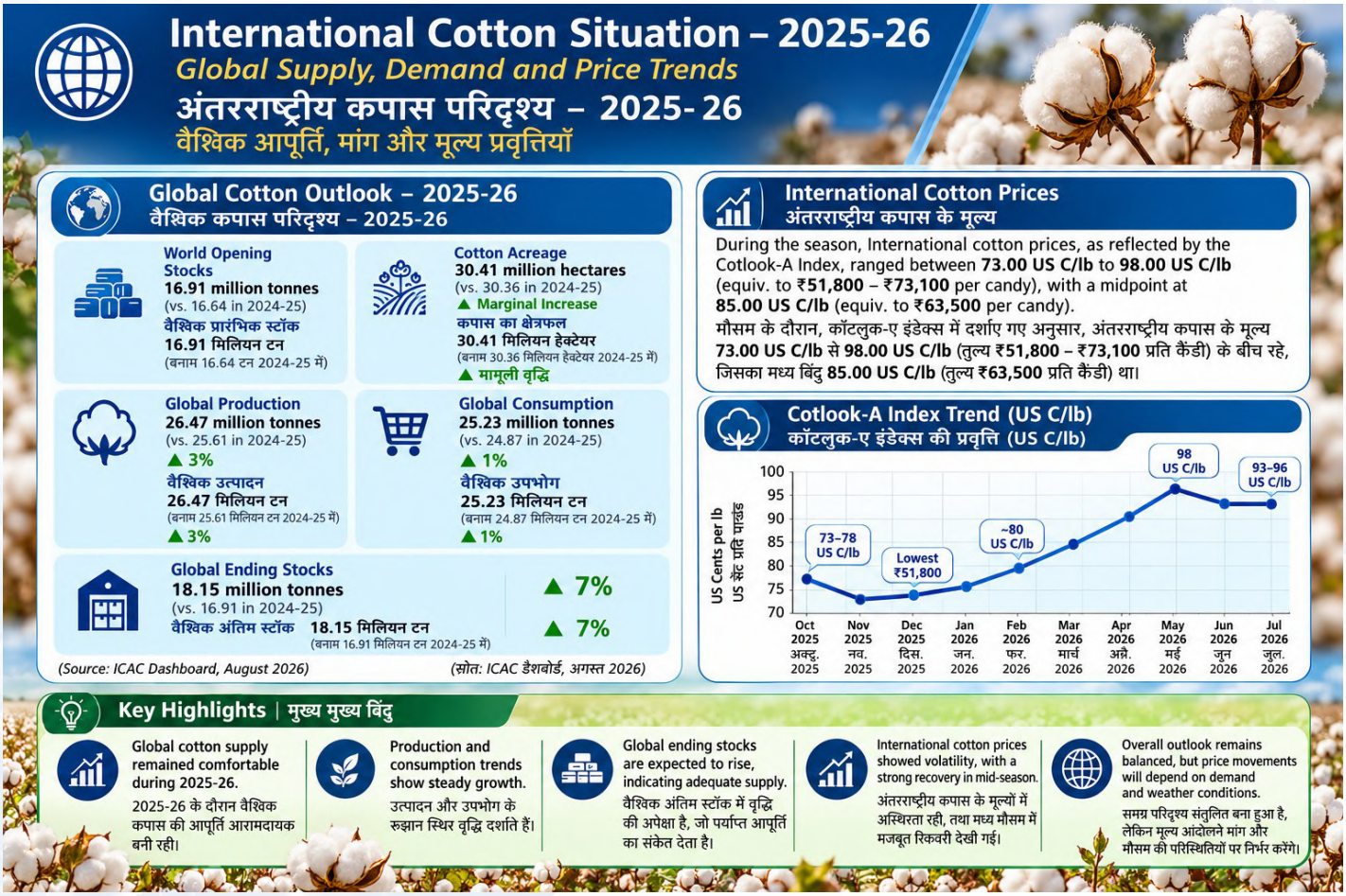
वैश्विक स्तर पर 2025-26 के दौरान कपास की सप्लाई सुविधापूर्ण रही। विश्व के शुरुआती स्टॉक में 2% वृद्धि हुई और यह 16.91 मिलियन टन हो गई, जो 2024-25 में 16.64 मिलियन टन थी, जबकि कपास का रकबा मामूली रूप से बढ़कर 30.41 मिलियन हेक्टेयर हो गया, जो पहले 30.36 मिलियन हेक्टेयर था। वैश्विक कपास उत्पादन 26.47 मिलियन टन अनुमानित है, यानी यह 25.61 मिलियन टन से 3% अधिक है, जबकि खपत 25.23 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो 2024-25 के 24.87 मिलियन टन से 1% अधिक है। परिणामतः वैश्विक समापन स्टॉक 7% बढ़कर 16.91 मिलियन टन से 18.15 मिलियन टन होने की उम्मीद है। (स्रोतः आईसीएसी डैशबोर्ड, अगस्त 2026)।

सीज़न के दौरान, कॉटलुक-ए इंडेक्स द्वारा परिलक्षित अंतर्राष्ट्रीय कपास की कीमतें, 73.00 यूएस सी/एलबी से 98.00 यूएस सी/एलबी (रू. 51,800 - रु. 73,100 प्रति कैंडी के बराबर) के बीच थीं, जिसका मध्यबिंदु 85.00 यूएस सी/एलबी (रू. 63,500 प्रति कैंडी के बराबर) था।

International Situation:

Globally, cotton supply remained comfortable during 2025-26. World opening stocks increased by 2% to 16.91 million tonnes, compared with 16.64 million tonnes in 2024-25, while cotton acreage marginally increased to 30.41 million hectares from 30.36 million hectares. Global cotton production is estimated at 26.47 million tonnes i.e. higher by 3% from 25.61 million tonnes, while consumption is projected at 25.23 million tonnes, up 1% from 24.87 million tonnes in 2024-25. Consequently, global ending stocks are expected to rise by 7% to 18.15 million tonnes from 16.91 million tonnes. (Source: ICAC Dashboard, August 2026.).

During the season, International cotton prices, as reflected by the Cotlook-A Index, ranged between 73.00 US C/lb to 98.00 US C/lb (equiv.to Rs.51,800 – Rs. 73,100 per candy), with a midpoint at 85.00 US C/lb (equiv. to Rs.63,500 per candy).



कार्य निष्पादन के मुख्य बिंदु :

खरीदी परिचालन:

कपास सीजन 2025-26 के लिए, भारत सरकार ने पिछले सीजन की तुलना में मध्यम स्टेपल के लिए बिनौला(कपास) के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 8.27% और लंबे स्टेपल कपास के लिए 7.83% की वृद्धि की। एमएसपी संचालन करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में, सीसीआई किसानों से एमएसपी पर कपास की खरीद के लिए पूरी तरह से तैयार रहा जब भी बाजार मूल्य निर्धारित एमएसपी स्तर से नीचे गिर गया। निगम ने समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए 11 प्रमुख कपास उगाने वाले राज्यों को कवर करते हुए 152 जिलों में 570 से अधिक खरीद केंद्रों में जनशक्ति तैनात की, आवक और बाजार मूल्यों की बारीकी से निगरानी की।

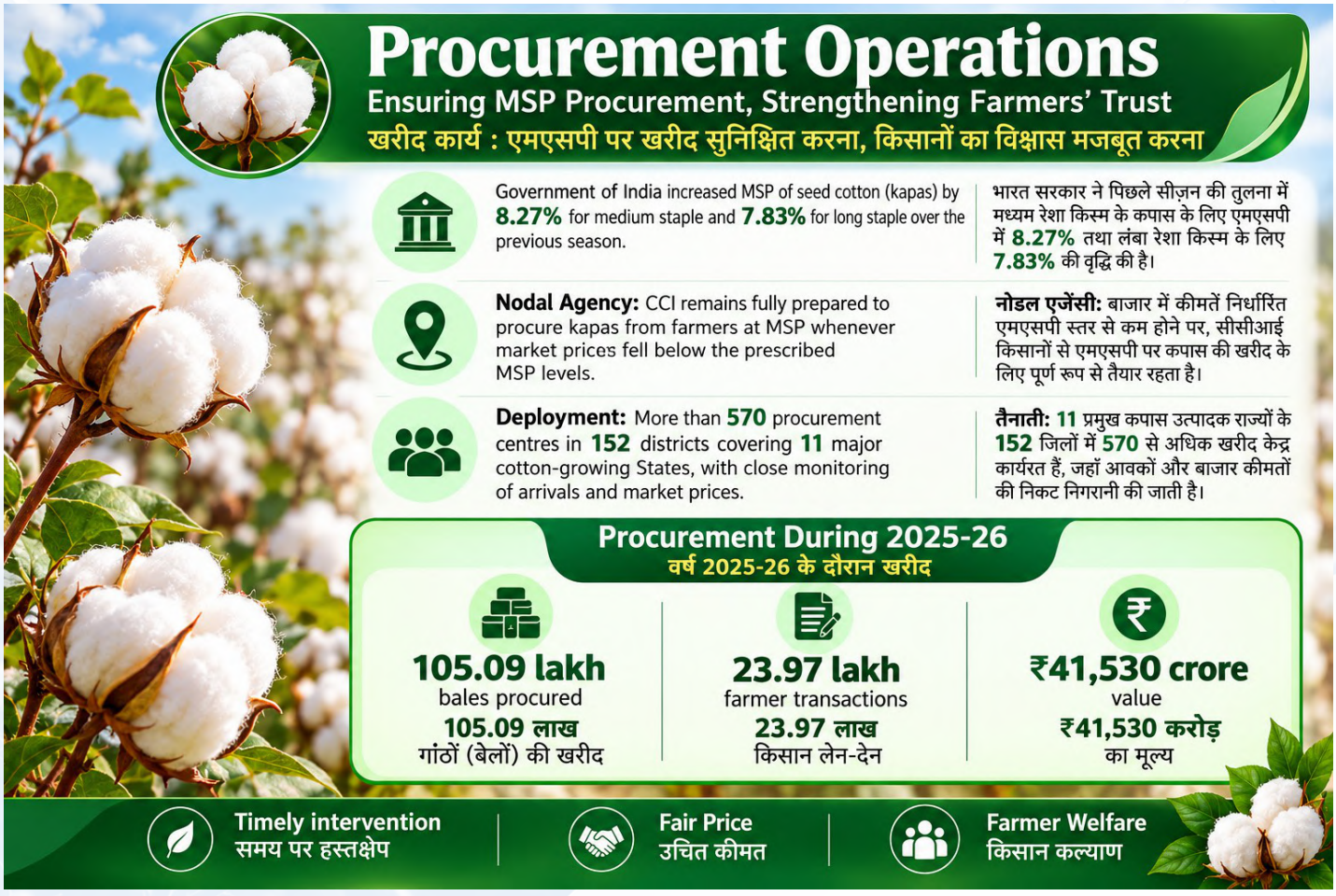
सीसीआई ने पूरे कपास उत्पादक राज्यों में एमएसपी के संचालन के तहत लगभग 41,530 करोड़ रुपये मूल्य के 105.09 लाख गांठों की खरीद की।

PERFORMANCE HIGHLIGHTS:

Procurement Operations:

For cotton season 2025-26, Govt. of India increased the Minimum Support Price (MSP) of seed cotton (kapas) by 8.27% for medium staple and 7.83% for long staple cotton over the previous season. As the Nodal Agency for undertaking MSP operations, CCI remained fully prepared to procure kapas from farmers at MSP whenever market prices fell below the prescribed MSP levels. The Corporation deployed manpower across more than 570 procurement centres in 152 districts covering 11 major cotton-growing States, closely monitoring arrivals and market prices to ensure timely intervention.

During the season, CCI procured 105.09 lakh bales through 23.97 lakh farmer transactions, valued at approx. ₹41,530 crore, under MSP operations across all cotton-growing States.



घरेलू बिक्री:

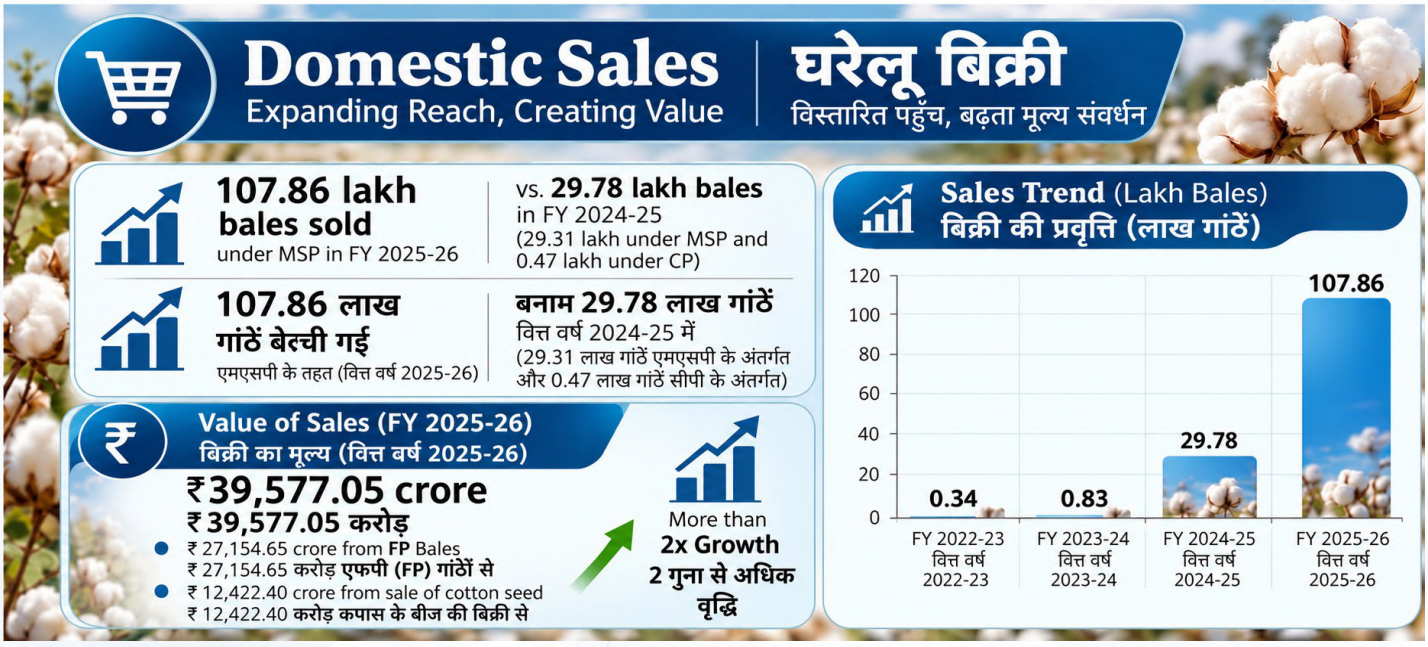
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, निगम ने एमएसपी के तहत 107.86 लाख गांठें बेची हैं, जबकि पिछले वर्ष यह बिक्री 29.78 लाख गांठें (एमएसपी के तहत 29.31 लाख गांठें और सीपी के तहत 0.47 लाख गांठें) थी।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बिक्री का मूल्य ₹39,577.05 करोड़ रुपये है (एफपी गाँठ से ₹27,154.65 करोड़ और बिनौला की बिक्री से ₹12,422.40 करोड़ रुपये है), जबकि पिछले साल बिक्री ₹17,713.67 करोड़ थी (एफपी गाँठ से ₹7,872.70 करोड़ और बिनौला की बिक्री से ₹9,840.97 करोड़ रुपये थी)।

Domestic Sales:

During the financial year 2025-26, the Corporation has sold 107.86 lakh bales under MSP, as against previous year's sales of 29.78 lakh bales (29.31 lakh bales under MSP and 0.47 lakh bales under CP).

The value of sales during the F.Y. 2025-26 is Rs. 39,577.05 crore (Rs.27,154.65 crore from FP Bales and Rs.12,422.40 crore from sale of cotton seed), as against previous year's sales of Rs.17,713.67 crore (Rs.7,872.70 crore from FP Bales and Rs.9,840.97 crore from sale of cotton seed)



वित्तीय परिणाम:

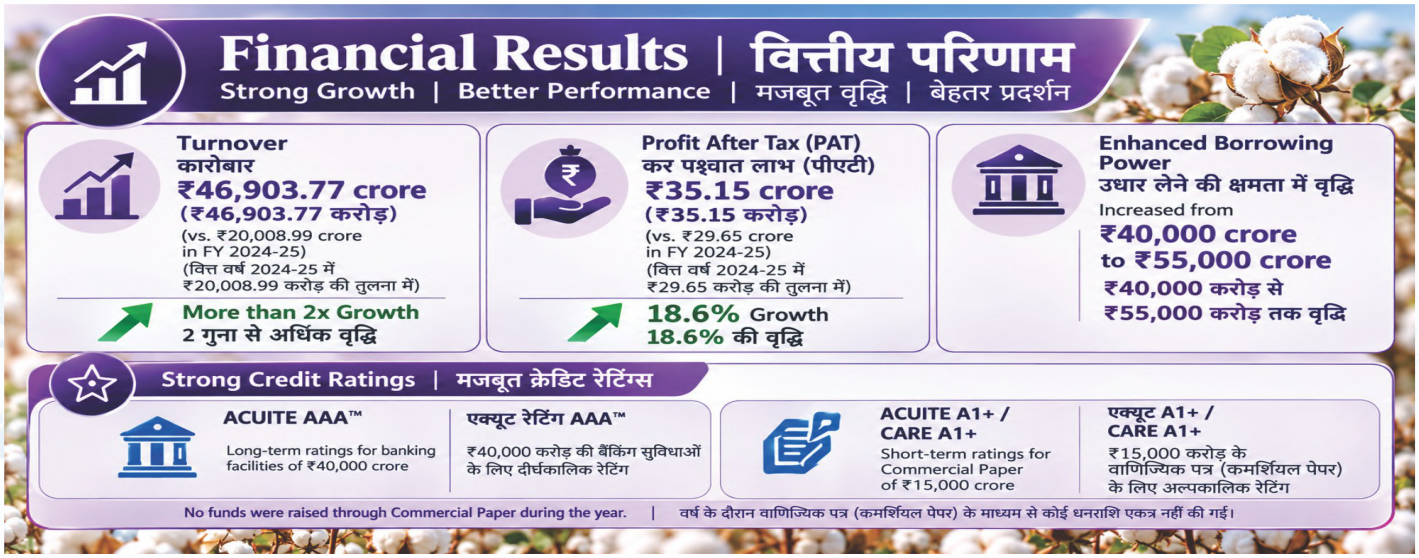
वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आपके निगम ने ₹46,903.77 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया, जो पिछले वर्ष के ₹20,008.99 करोड़ से दुगुने से भी अधिक है। पिछले वर्ष के ₹29.65 करोड़ की तुलना में, टैक्स के बाद का मुनाफ़ा (पीएटी) बढ़कर ₹35.15 करोड़ हो गया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगम की उधार लेने की क्षमता को ₹40,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹55,000 करोड़ कर दिया गया। निगम ने ₹40,000 करोड़ की बैंकिंग सुविधाओं के लिए 'एसीयूआईटीई एएए' (एसीयूआईटीई ट्रिपल ए के रूप में पढ़ें) दीर्घकालिक रेटिंग और ₹15,000 करोड़ की वाणिज्यिक पेपर सुविधाओं के लिए 'एसीयूआईटीई ए1+' /'केयर ए1+' अल्पकालिक रेटिंग के साथ मजबूत ऋण साख बनाए रखी। वर्ष के दौरान वाणिज्यिक पेपर के माध्यम से कोई धनराशि जुटाई नहीं गई।

Financial Results:

During FY 2025-26, your Corporation recorded a turnover of ₹46,903.77 crore, more than twice the previous year's ₹20,008.99 crore. Profit After Tax (PAT) increased to ₹35.15 crore, compared with ₹29.65 crore in the previous year.

During the year under review, the Corporation's borrowing power was enhanced from ₹40,000 crore to ₹55,000 crore. The Corporation maintained strong credit credentials with an 'ACUITE AAA' (read as ACUITE triple A) long-term rating for banking facilities of ₹40,000 crore and 'ACUITE A1+' / 'CARE A1+' short-term ratings for Commercial Paper facilities of ₹15,000 crore. No funds were raised through Commercial Paper during the year.



राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग:

निगम राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के तहत निर्धारित सभी लक्ष्यों को 2025-26 तक प्राप्त किया।

वर्ष के दौरान, सीसीआई को राजभाषा पहलों के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए, जिसमें मुख्यालय, शाखा कार्यालय छत्रपति संभाजीनगर और हुबली के लिए राजभाषा शील्ड और मुख्यालय के ई-गृह पत्रिका राजभाषा रश्मि के लिए नवी मुंबई, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) से प्राप्त द्वितीय पुरस्कार शामिल हैं। निगम को भारत सरकार की राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए विज्ञान भवन, नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में भी सम्मानित किया गया।

इसके अलावा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को "आशीर्वाद रत्न पुरस्कार" मिला, जबकि निगम की ई-गृह पत्रिका को मुंबई के एक प्रसिद्ध साहित्यिक-सांस्कृतिक-सामाजिक संगठन "आशीर्वाद" से 22वां सर्वश्रेष्ठ गृह पत्रिका पुरस्कार प्राप्त हुआ।

Progressive Use of Hindi:

The Corporation continued its efforts towards the progressive use of Official Language Hindi and achieved all targets prescribed under the annual programme of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Govt. of India, for 2025-26.

During the year, CCI received several recognitions for its Rajbhasha initiatives, including Rajbhasha Shields for the Head Office and Branch Offices at Chhatrapati Sambhajinagar and Hubli, and the 2nd prize from Navi Mumbai Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) for its e-home magazine Rajbhasha Rashmi. The Corporation was also honoured at the International Hindi Conference at Vigyan Bhawan, New Delhi, for the Best Implementation of the Official Language Policy of the Government of India.

Further, the Chairman-cum-Managing Director received the "Ashirwad Ratna Award", while the Corporation's in-house magazine received the 22nd Best Home Magazine Award from "Ashirwad," a well-known literary-cultural-social organisation of Mumbai.



प्रौद्योगिकी एवं मानकीकरण:

प्रौद्योगिकी, निगम की पारदर्शिता, दक्षता और सतत विकास के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक बनी हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, सीसीआई ने एमईआईटीवाई-अनुमोदित क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ईआरपी और ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म, कैशलेस लेनदेन और प्रौद्योगिकी-सक्षम खरीद प्रणालियों के ज़रिए अपने डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को और मज़बूत किया।

वर्ष की मुख्य उपलब्धियों में शामिल हैं:

- **कपास किसान ऐप:** मोबाइल एप्लिकेशन पर 40 लाख से अधिक कपास किसान पंजीकृत हैं, जो डिजिटल पंजीकरण, भूमि और फसल सत्यापन, सुविधाजनक स्लॉट बुकिंग, स्थिति ट्रैकिंग और प्रत्यक्ष भुगतान को सक्षम बनाता है, जिससे मैनुअल हस्तक्षेप और खरीद केंद्रों पर प्रतीक्षा समय कम हो जाता है। इस पहल को उद्यम गतिशीलता श्रेणी में डिजिटल चैंपियंस - पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ।

- **वेबसाइट का नयारूप:** निगम ने भारत सरकारी की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश (जीआईजीडब्ल्यू) और वेब सामग्री पहुंच दिशानिर्देश (डब्ल्यूसीएजी) मानकों के अनुरूप अपनी वेबसाइट को नया रूप दिया है, जिससे सूचना और सेवाओं तक पहुंच में सुगमता, सुरक्षा, जवाबदेही और पहुंच में आसानी बढ़ गई है।

- **कॉटबिज़:** बिनौला और गांठ बिलिंग सिस्टम ऑनलाइन क्रेता पंजीकरण, डिजिटल अनुबंध, भुगतान, डिलीवरी ऑर्डर और चालान को सक्षम बनाता है, जिससे सुविधाजनक और पेपरलेस 24×7 प्रक्रिया होती है।

- **बिट्स:** गांठ पहचान और ट्रेसेबिल्टी प्रणाली, प्रत्येक गांठ को एक विशिष्ट पहचान संख्या और क्यूआर कोड प्रदान करती है, जिससे कपास के स्त्रोत और प्रसंस्करण की एंड-टू-एंड पता लगाने में सक्षम होती है। यह प्रणाली पारदर्शिता और हितधारकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए ब्लॉक-चेन तकनीक का लाभ उठाती है।

- **मुख्य व्यावसायिक अनुप्रयोग:** ईआरपी, किसान पंजीकरण और बिलिंग सिस्टम ने बड़े पैमाने पर एमएसपी संचालन का सफलतापूर्वक समर्थन किया है। स्वचालन और वास्तविक समय डैशबोर्ड ने बिक्री, विपणन, वित्त और मानव संसाधन कार्यों में निगरानी, रिपोर्टिंग और निर्धारण को ओर मजबूत किया है।

Technology & Standardization:

Technology continues to be a key enabler for transparency, efficiency and sustainable growth of the Corporation. During FY 2025-26, CCI further strengthened its digital ecosystem through ERP and e-Office on MeitY-approved cloud infrastructure, e-Auction platforms, cashless transactions and technology-enabled procurement systems.

Key achievements during the year include:

- **Kapas Kisan App:** More than 40 lakh cotton farmers are registered on the mobile application, which enables digital registration, land and crop verification, convenient slot booking, status tracking and direct payments, thereby reducing manual intervention and waiting time at procurement centres. The initiative received the Digital Champions – PSE Excellence Awards 2026 in the Enterprise Mobility category.

- **Website Revamp:** The Corporation revamped its website in line with Guidelines for Indian Government Websites (GIGW) and Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) standards, enhancing accessibility, security, responsiveness & ease of access to information and services.

- **COTBIZ:** The Cotton Seed & Bale Billing System enables online buyer registration, digital contracts, payments, delivery orders and invoices, facilitating a convenient and paperless 24×7 process.

- **BITS:** The Bale Identification and Traceability System provides each bale with a unique identification number and QR code, enabling end-to-end traceability of cotton origin and processing. The system leverages block-chain technology to enhance transparency and stakeholder confidence.

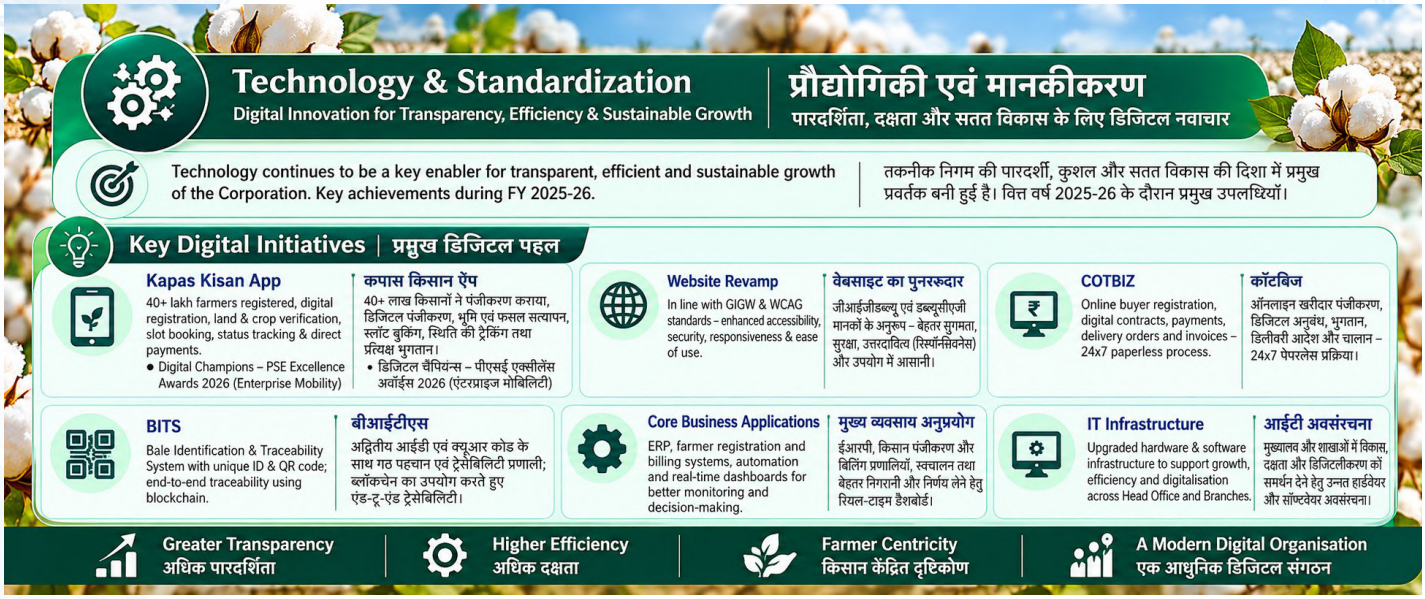
- **Core Business Applications:** ERP, farmer registration and billing systems successfully supported large-scale MSP operations. Automation and real-time dashboards have further strengthened monitoring, reporting and decision-making across sales, marketing, finance and HR functions.

- **आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर:** निगम ने अपने मुख्यालय और शाखाओं में बढ़ते व्यवसाय की मात्रा, परिचालन दक्षता और डिजिटलीकरण का समर्थन देने के लिए अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अवसंरचना को उन्नत करना जारी रखा।

ये पहल सीसीआई की आधुनिक, पारदर्शी, तकनीक आधारित और किसान-केंद्रित संगठन बनाने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

- **IT Infrastructure:** The Corporation continued to upgrade its hardware and software infrastructure to support growing business volumes, operational efficiency and digitalisation across Head Office and Branches.

These initiatives reflect CCI's continued commitment to building a modern, transparent, technology-driven and farmer-centric organisation.



कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

सीसीआई स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण स्थिरता और कपास किसानों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, निगम ने महाराष्ट्र के कपास उगाने वाले और महत्वाकांक्षी जिलों में कॉटन पीकिंग किट के साथ चार कपास श्रेडर मशीनें वितरित कीं, जिनका मूल्य ₹10.61 लाख था। इस प्रकार, निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए ₹10.61 लाख खर्च किए।

मानव संसाधन प्रबंधन:

हमारे कर्मचारी निगम की सबसे मूल्यवान संपत्ति बने हुए हैं। सीसीआई ने औद्योगिक अशांति के कारण मानव-दिवसों के नुकसान के बिना, सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बनाए रखते हुए, एक प्रेरित, सशक्त और प्रदर्शन-उन्मुख कार्यबल को बढ़ावा देना जारी रखा।

दिनांक 31 मार्च 2026 तक, निगम में कुल 983 कार्मिक थे, जिनमें 170 अधिकारी और 813 यूनियन वाले कर्मचारी शामिल थे; जबकि पिछले साल यह संख्या 896 थी। महिला कर्मचारियों की

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

CCI remains committed to fulfilling its social responsibilities, with focus on healthcare, environmental sustainability and the welfare of cotton farmers. During FY 2025-26, the Corporation distributed four cotton shredder machines along with cotton-picking kits, valued at ₹10.61 lakh, in cotton-growing and aspirational districts of Maharashtra. Thus, the Corporation incurred ₹10.61 lakh towards CSR activities during FY 2025-26.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT:

Our employees remain the Corporation's most valuable asset. CCI continued to foster a motivated, empowered and performance-oriented workforce, while maintaining cordial industrial relations, with no loss of man-days due to industrial unrest.

As on 31st March 2026, the Corporation had 983 employees, comprising 170 officers and 813 unionised staff, compared with 896 employees in the

संख्या 150 थी, जिनमें 36 अधिकारी और 114 यूनियन वाले कर्मचारी शामिल थे। निगम ने भर्ती और पदोन्नति, दोनों में एससी/एसटी/ओबीसी/पीएच श्रेणियों के लिए भारत सरकार की दिशानिर्देशों का अनुपालन करना जारी रखा और समय-समय पर फील्ड कर्मचारियों और अधिकारियों का रोटेशनल स्थानांतरण भी किया।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

सीसीआई अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। निगम अपने गवर्नेंस प्रथाओं को मजबूत करना जारी रखता है और उन्हें उद्योग में सर्वोत्तम प्रथाओं के विरुद्ध बेंचमार्क करता है।

भविष्य के लिए द्रष्टिकोण

भविष्य में, सीसीआई अपनी मूल दक्षताओं, परिचालन दक्षता और बाजार उपस्थिति को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, साथ ही बढ़ती प्रतिस्पर्धा और कपास अर्थव्यवस्था की विकसित गतिशीलता के लिए प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देगी। विवेकपूर्ण व्यावसायिक रणनीतियों, नवाचार और प्रतिबद्ध कार्यबल के साथ, निगम सतत विकास हासिल करने और किसानों, कपड़ा उद्योग तथा सभी हितधारकों के लिए अधिक मूल्य सृजित करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

आभार

मैं इस अवसर पर बोर्ड के सदस्यों द्वारा समय-समय पर दिए गए बहुमूल्य सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं माननीय वस्त्र मंत्री, माननीय वस्त्र राज्य मंत्री, नीति आयोग के सदस्य, सचिव (वस्त्र), अपर सचिव, संयुक्त सचिव तथा वस्त्र मंत्रालय के अन्य अधिकारियों, वित्त मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और सहयोग के लिए भी आभारी हूँ।

मैं समीक्षाधीन वर्ष के लिए निगम की लेखापरीक्षा के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों, सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड, मुंबई और सरकारी लेखापरीक्षा के अधिकारियों द्वारा दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए भी आभारी हूं।

राज्य वस्त्र निगम, सहकारी कताई मिलों और निजी क्षेत्र की विभिन्न मिलों को भी हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने कपास सीजन 2025-26 में निगम से अपनी कपास की आवश्यकताओं को पूरा किया है, इस

previous year. The strength of women employees stood at 150, comprising 36 officers and 114 unionised staff. The Corporation continued to adhere to Government of India guidelines on reservation of SC/ST/OBC/PH categories both in recruitment as well as promotion and periodically undertook rotational transfers of field personnel and officers.

CORPORATE GOVERNANCE

CCI remains firmly committed to the highest standards of corporate governance, transparency, accountability and ethical conduct. The Corporation continues to strengthen its governance practices and benchmark them against best practices in the industry.

VISION FOR FUTURE

Going forward, CCI will remain focused on strengthening its core competencies, operational efficiency and market presence, while responding effectively to increasing competition and evolving dynamics of the cotton economy. With prudent business strategies, innovation and a committed workforce, the Corporation is well positioned to achieve sustainable growth and create greater value for farmers, the textile industry and all stakeholders.

ACKNOWLEDGEMENTS

I take this opportunity to express my deep appreciation for the valuable support given by the members of the Board from time to time.

I also wish to place on record my sincere gratitude for the guidance and cooperation extended by Hon'ble Minister of Textiles, Hon'ble State Minister of Textiles, Member NITI Aayog, Secretary (Textiles), Additional Secretary, Joint Secretaries and other Officials of the Ministry of Textiles, Ministry of Finance, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare and the various State Governments.

I am also grateful for the valuable guidance by the Statutory Auditors, Member Audit Board, Mumbai and officials of Government Audit in the course of audit of the Corporation for the year under review.

Sincere thanks are also due to State Textile Corporation, Cooperative Spinning Mills and various mills in the private sector, who have covered their

प्रकार निगम द्वारा प्रदान की जा रही गुणवत्ता, मूल्य प्रतिस्पर्धा और सेवाओं में अपना विश्वास जताया है। निगम को सहयोग देने के लिए कॉनफेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (सीआईटीआई), कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई), टेक्सप्रोसिल, एसआईएमए, आईसीएएल, एनआईटीएमए, आईसीएफ, एसआईएसपीए, सीएमएआई, एईपीसी, टीएएसएमए, सीडब्ल्यूसी और एसडब्ल्यूसी को भी हमारा हार्दिक धन्यवाद।

इस अवधि के दौरान निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों ने जिस समर्पण, निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, उसके लिए अपनी हार्दिक और गहरी सराहना भी व्यक्त करना चाहूँगा और मैं उनका आभारी हूँ।

सधन्यवाद,

हस्ता/-
(ललित कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 08740593)

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक : 26/08/2026

cotton requirements from the Corporation in cotton season 2025-26, thus, placing their faith in the quality, price competitiveness and services being rendered by the Corporation. Our sincere thanks are also due to the Confederation of Indian Textile Industry (CITI), Cotton Association of India (CAI), TEXPROCIL, SIMA, ICAL, NITMA, ICF, SISPA, CMAI, AEPC, TASMA, CWC and SWCs for the co-operation extended by these organizations to the Corporation.

I would also like to express my sincere and deep appreciation for the dedication, devotion and commitment with which the staff and officers of the Corporation have worked during the period.

Thanking you,

Sd/-
(Lalit Kumar Gupta)
Chairman-cum-Managing Director
(DIN: 08740593)

Place: Navi Mumbai
Date: 26/08/2026

वर्ष 2025–26 के लिए निदेशक की रिपोर्ट

DIRECTOR'S REPORT FOR THE YEAR 2025-26

प्रिय
सदस्यगण,
भारतीय कपास निगम लिमिटेड

आपके निदेशकगण 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों के साथ आपके निगम के कार्य-संचालन पर 56वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते हैं, जो निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है तथा लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट के साथ प्रमाणित है।

1. व्यापार अवलोकन और निगम के कार्य–कलाप

1.1 भाकनि की भूमिका :

- जब कभी कपास के मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे चला जाए, तो बिना किसी मात्रात्मक सीमा के समर्थन मूल्य पर कार्य करना।

- वाणिज्यिक परिचालन करना।

1.2 जब कभी उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) ग्रेड के प्रचलित कपास की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) स्तर से नीचे आती हैं, तो आपका निगम भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार एमएसपी संचालन करता है और विभिन्न कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) यार्डों और अन्य अधिसूचित क्षेत्रों में कपास किसानों द्वारा पेश किए गए एफएक्यू ग्रेड के कपास की पूरी मात्रा को एमएसपी दरों पर खरीदता है।

1.3 कपास सीजन 2025-26 के दौरान, आपके निगम ने कपास की आवक, बाजार भाव पर कड़ी नज़र रखने और आवश्यकतानुसार एमएसपी संचालन करने हेतु किसी भी स्थिति से निपटने के लिए 570 से अधिक खरीद केंद्रों पर

To,
Dear Members,
The Cotton Corporation of India Limited

Your Directors have immense pleasure in presenting 56th Annual Report on the business and operations of your Corporation along with the Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2026 and Auditors' Report thereon on behalf of Board of Directors.

1. BUSINESS OVERVIEW AND OPERATIONS OF THE CORPORATION.

1.1 Role assigned to CCI:

- To undertake price support operations, whenever the market prices of kapas falls below the minimum support prices (MSP) announced by Govt. of India, without any quantitative limit.

- To undertake commercial operations.

1.2 As and when the prevailing kapas prices of Fair Average Quality (FAQ) grade falls below the Minimum Support Price (MSP) level, your Corporation undertakes MSP operations as per the guidelines of Government of India and procures entire quantity of FAQ grade kapas offered by the cotton farmers in various Agricultural Produce Market Committee (APMC) yards and other notified areas at MSP rates.

1.3 During the cotton season 2025-26, your Corporation deployed adequate manpower at more than 570 procurement centres to keep a close watch on kapas arrivals, market rates and to meet any eventuality to

पर्याप्त जनशक्ति तैनात की। इस प्रकार, सीसीआई ने कपास सीजन 2025-26 में 105.09 लाख गांठें खरीदीं।

1.4 वर्तमान कपास सीजन के अंत तक बाजार की स्थिति के अनुसार उपरोक्त स्टॉक को समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

2. वित्तीय विशेषताएँ

2.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपके निगम ने पिछले वर्ष के 20008.99 करोड़ रुपये के तुलना में 46904.55 करोड़ रुपये का कारोबार हासिल किया है।

2.2 समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय परिणामों की मुख्य बातें इस प्रकार थीं:-

(रु. करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
टर्नओवर	46,903.77	20,008.99
कर से पूर्व लाभ/ (हानि)	45.92	38.37
कर के पश्चात लाभ/ (हानि)	35.15	29.65
आरक्षित और अधिशेष	340.78	311.01
निवल मूल्य	365.78	336.01

2.3 समीक्षाधीन वर्ष केदौरान, मैसर्स एक्यूइट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड ने बैंकिंग सुविधाओं के लिए ₹40,000 करोड़ की दीर्घकालिक रेटिंग 'एक्यूइट एएए' (जिसे एक्यूटट्रिपल ए के रूप में पढ़े) की दीर्घकालिक रेटिंग की पुनः पुष्टि की है और मेसर्स एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड और मेसर्स केयर रेटिंग लिमिटेड ने वाणिज्यिक पत्रों के माध्यम से क्रमशः 15000 करोड़ रुपये के अल्पकालिक ऋणों के लिए "एक्यूइट ए1+ (एक्यूइट -ए वन प्लस)" और "केयर ए1+ (केयर ए वन प्लस)" की रेटिंग प्रदान की है ।

undertake MSP operations wherever required. Thus CCI procured 105.09 lakh bales in cotton season 2025-26.

1.4 Efforts are being made to liquidate the above stocks as per market situation by the end of current cotton season.

2. FINANCIAL HIGHLIGHTS

2.1 During the year under review, your Corporation has achieved a turnover of Rs. 46904.55 crores as against the previous year's turnover of Rs. 20008.99 crores.

2.2 The highlights of the financial results during the financial year under review were as follows:-

(Rs. In Crore)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Turnover	46,903.77	20,008.99
Profit/(Loss) Before Tax	45.92	38.37
Profit/(Loss) after tax	35.15	29.65
Reserve & Surplus	340.78	311.01
Net Worth	365.78	336.01

2.3 During the year under review, M/s. Acuite Rating & Research Ltd has reaffirmed long-term rating of 'ACUITE AAA' (read as ACUITE triple A) of Rs.40000 crore for banking facilities and M/s. Acuite Rating & Research Ltd and M/s. CARE Rating Limited has assigned "ACUITE A1+ (ACUITE-A One plus)" and "CARE A1+ (CARE A One plus) respectively for Rs.15000 crore for short-term borrowings through Commercial Papers.

3. कंपनी के मामलों की स्थिति, अर्थव्यवस्था, उद्योग अवलोकन, भविष्य का दृष्टिकोण, आदि।

3.1 कपास की स्थिति

कपास सीजन 2025-26 (यानी अक्टूबर से सितंबर) की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- कपास सीजन 2025-26 की शुरुआत 45.50 लाख गांठों के शुरुआती स्टॉक के साथ हुई, जो लगभग 50 दिनों की मिल खपत को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी।

- कपास मौसम 2025-26 के दौरान कपास की खेती के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र 114.82 लाख हेक्टेयर रहने का अनुमान हैं, जो विगत वर्ष अर्थात 2024-25 के 114.84 लाख हेक्टेयर के लगभग बराबर हैं। हालांकि, कपास का उत्पादन लगभग 2% कम होने का अनुमान है। वर्ष 2024-25 में 297.24 लाख गांठों की तुलना में वर्ष 2025-26में उत्पादन 290.91 लाख गांठ रहने का अनुमान है। औसत उपज भी पिछले वर्ष के 440 किलोग्राम रूई प्रति हेक्टेयर से घटकर 431 किलोग्राम रूई प्रति हेक्टेयर रहने का अनुमान है।

- कपास सीजन 2025-26 के लिए, भारत सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 8.27% तक की वृद्धि की है। मध्यम स्टेपल समूह (24.5 एमएम से 25.5 एमएम स्टेपल लंबाई, 4.3 से 5.1 एमआईसी के साथ) के लिए, एमएसपी को 7121/- रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 7710/- रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है और लंबे स्टेपल समूह (29.5 एमएम से 30.5 एमएम स्टेपल लंबाई, 3.5 से 4.3 एमआईसी के साथ) के लिए, इसे पिछले वर्ष के 7521/- रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 8110/- रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

3.2 2025–26 के दौरान कपास उत्पादन और खपत

290.91 लाख गांठ के अनुमानित कपास उत्पादन, 45.50 लाख गांठ के कैरी-फ़ॉरवर्ड स्टॉक और 47.00 लाख गांठ के अनुमानित आयात के साथ, कपास सीज़न 2025-26 के

3. STATE OF COMPANY'S AFFAIRS, ECONOMY, INDUSTRY OVERVIEW, FUTURE OUTLOOK, ETC.

3.1 COTTON SITUATION

The highlights of the cotton season 2025-26 (i.e. Oct to Sept) are as under:

- Cotton season 2025-26 commenced with an opening stock of 45.50 lakh bales, which was adequate to meet about 50 day's mill consumption.

- The area under cotton cultivation during cotton season 2025–26 is estimated at 114.82 lakh hectares, which is almost at par with 114.84 lakh hectares of last year i.e. 2024–25. However, cotton production is projected to decline by about 2%, from 297.24 lakh bales in 2024–25 to 290.91 lakh bales in 2025–26, the average yield estimated at 431 kg lint/hectare compared to 440 kg lint/ hectare of last year.

- For cotton season 2025-26, the Government of India increased the Minimum Support Price (MSP) upto 8.27% in comparison to previous year. In medium staple group (24.5mm to 25.5mm staple length with mic 4.3 to 5.1), the MSP has been increased to Rs.7,710/- per quintal from Rs. 7,121/- per quintal and in the case of long staple group (29.5mm to 30.5mm with mic. 3.5 to 4.3), the same has been increased to Rs.8,110/- per quintal as against Rs.7,521/- per quintal during previous year.

3.2 COTTON PRODUCTION AND CONSUMPTION DURING 2025-26

With an estimated cotton production of 290.91 lakh bales, a carry-forward stock of 45.50 lakh bales, and projected imports of 47.00 lakh bales, total availability of cotton

दौरान कपास की कुल उपलब्धता 383.41 लाख गांठ होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 में यह 386.11 लाख गांठ थी। (स्रोतः 16.04.2026 को आयोजित सीओसीपीसी बैठक)।

मांग की दृष्टि से, देश में कुल कपास की खपत अनुमानित 328.00 लाख गांठ है, जिसमें गैर-एमएसएमई, एमएसएमई क्षेत्र तथा नॉन-टेक्सटाइल उद्योगों द्वारा की जाने वाली खपत शामिल है। वर्ष 2025-26 के दौरान, 12.00 लाख गांठों के अनुमानित निर्यात को शामिल करने पर कपास की कुल मांग अनुमानतः 340.00 लाख गांठ की गई है, जो विगत वर्ष 2024-25 में दर्ज 340.61 लाख गांठ की मांग के लगभग बराबर है।

परिणाम स्वरूप, कपास सीजन 2025-26 के अंत में, अर्थात 30 सितंबर 2026 तक, कपास का अवशिष्ट (कैरी-ओवर) स्टॉक 43.41 लाख गांठ रहने का अनुमान है, जबकि विगत कपास सीजन 2024-25 के अंत में यह 45.50 लाख गांठ थी।

सीओसीपीसी द्वारा तैयार की गई कपास बैलेंस शीट इस प्रकार हैः

मात्रा लाख गाँठों में 170 कि.ग्रा.प्रति गाँठ

विवरण	फसल वर्ष (अक्तू. से सितंबर)	
	2024-25	2025-26 (प्रो.)
आपूर्ति		
आरंभिक स्टॉक	47.47	45.50
फसल (उत्पादन)	297.24	290.91
आयात	41.40	47.00
कुल आपूर्ति	**386.11**	**383.41**
मांग		
गैर-एमएसएमई और एमएसएमई और नॉन-टेक्सटाइल उपभोग	322.54	328.00
निर्यात	18.07	12.00
कुल मांग	**340.61**	**340.00**
आगे लाया गया	**45.50**	**43.41**

स्रोतः 16.04.2026 को आयोजित सीओसीपीसी की बैठक

during cotton season 2025–26 is estimated at 383.41 lakh bales, as compared to 386.11 lakh bales of 2024-25 (Source: COCPC Meeting dated 16.04.2026).

On the demand side, total cotton consumption in the country, including consumption by Non-MSME, MSME sector, and Non-Textile industries, is estimated at 328.00 lakh bales. Combined with projected exports of 12.00 lakh bales, the total demand for cotton during 2025–26 is estimated at 340.00 lakh bales, which is broadly at par with the demand of 340.61 lakh bales recorded in the previous season, 2024-25.

Consequently, the carry-over stock at the end of the cotton season 2025–26, i.e., as on 30th September 2026, is estimated at 43.41 lakh bales, compared to 45.50 lakh bales at the end of previous season 2024-25.

The cotton balance sheet as drawn by COCPC is as follows:

Quantity in lakh bales of 170 kgs.

PARTICULARS	CROP YEAR (Oct. to Sept.)	
	2024-25	2025-26 (P)
SUPPLY		
Opening stock	47.47	45.50
Crop (Production)	297.24	290.91
Imports	41.40	47.00
TOTAL SUPPLY	**386.11**	**383.41**
DEMAND		
Non-MSME and MSME and Non Textile consumption	322.54	328.00
Exports	18.07	12.00
TOTAL DEMAND	**340.61**	**340.00**
CARRY FORWARD	**45.50**	**43.41**

Source: COCPC meeting held on 16.04.2026

3.3 घरेलू मूल्य प्रवृत्ति

कपास एक औद्योगिक कच्चा माल है, इसलिए इसकी कीमतें मुख्यतः घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, प्रतिस्पर्धी फाइबर यानी एमएमएफ की कीमत, आयातक देशों की मांग और कपास एक्सचेंजों में प्रचलित भावी कीमत पर निर्भर करती हैं।

कपास सीजन 2025-26 के दौरान लिंट कॉटन (प्रमुख कपास किस्मों) की शुरुआती कीमतें पिछले सीजन की शुरुआती कीमतों से लगभग 7% कम थीं। एस-6 कपास किस्म की कीमत, जो अक्टूबर 2025 में 54,200 रुपये और 54,500 रुपये प्रति कैंडी के बीच थी, मध्य-नवंबर 2025 में सीजन के सबसे निचले स्तर लगभग 51,800 रुपये प्रति कैंडी तक गिर गई। इसके बाद, कपास की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई और मई 2026 के मध्य में यह बढ़कर ₹67,500 प्रति कैंडी के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई। इसके पश्चात, कपास की कीमतों में गिरावट आई और जून 2026 के मध्य तक वे ₹61,000 से ₹61,800 प्रति कैंडी के बीच रहीं।

महत्वपूर्ण किस्मों के लिए कॉटन लिंट की कीमतों में उतार-चढ़ाव (मासिक औसत) इस प्रकार है:

3.3 DOMESTIC PRICE TREND

Cotton being an industrial raw material, prices of cotton largely depend on domestic and international demand & supply situation, price of competing fibre i.e. MMF, demand from importing countries and prevailing future price at Cotton Exchanges.

The opening prices of lint cotton (major cotton varieties) during cotton season 2025–26 were approximately 7% lower than the opening prices of previous season. The price of S-6 cotton variety, which ranged between Rs.54,200 and Rs.54,500 per candy in October 2025, declined to the season's lowest level of about Rs.51,800 per candy in mid-November 2025. Thereafter, cotton prices exhibited a firm upward trend and reached a peak of Rs.67,500 per candy in mid-May 2026. Subsequently, prices moderated and were ruling in the range of Rs.61,000 to Rs.61,800 per candy by mid-June 2026.

The movements of cotton lint prices (monthly average) for important varieties are as follows:

मासिक औसत लिंट मूल्य (मूल्य-रू.प्रति कैंडी स्पॉट)

माह	जे–34	एच–4	एस–6	बन्नी ब्रह्मा
अक्टूबर, 2025	49938	50705	53481	52476
नवंबर, 2025	48213	49487	52252	51622
दिसंबर, 2025	49113	50208	52908	53221
जनवरी, 2026	51838	52683	55113	55588
फरवरी, 2026	50062	51557	54300	54819
मार्च, 2026	50890	52667	55248	55462
अप्रैल, 2026	55935	57813	60348	60283
मई, 2026	61352	63657	65517	66978

स्रोत: कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मुंबई

Monthly Average Lint Prices in Rs. per candy spot

Month	J-34	H-4	S-6	Bunny Brahma
October, 2025	49938	50705	53481	52476
November, 2025	48213	49487	52252	51622
December, 2025	49113	50208	52908	53221
January, 2026	51838	52683	55113	55588
February, 2026	50062	51557	54300	54819
March, 2026	50890	52667	55248	55462
April, 2026	55935	57813	60348	60283
May, 2026	61352	63657	65517	66978

Source: Cotton Association of India, Mumbai

3.4 अंतर्राष्ट्रीय कपास स्थिति 2024-25:

- अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति (आईसीएसी) के अनुसार, 2025-26 के दौरान दुनिया भर में कपास की खेती का क्षेत्र 2024-25 के 30.36 मिलियन हेक्टेयर की तुलना में सीमांत रूप से बढ़कर 30.41 मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान है। ब्राज़ील (12%), उज्बेकिस्तान (10%), और चीन (5%) में कपास की खेती के क्षेत्रफल में काफी बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि तुर्की (16%), ऑस्ट्रेलिया (14%) और पाकिस्तान (5%) में कपास की खेती के क्षेत्रफल में कमी आने की संभावना है।
- 2025-26 के दौरान विश्व कपास उत्पादन में लगभग 3% की वृद्धि होने का अनुमान है, जिससे उत्पादन बढ़कर 26.37 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगा, जबकि 2024-25 में यह 25.61 मिलियन मीट्रिक टन था। यह वृद्धि मुख्य रूप से वैश्विक स्तर पर कपास की औसत उत्पादकता में हुए सुधार के कारण है। जो विगत वर्ष के 844 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की तुलना में बढ़कर 867 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहने का अनुमान है। वैश्विक कपास खपत में भी लगभग 2% की बढ़ोतरी का अनुमान है, जिससे यह 2024-25 में 24.87 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 2025-26 में 25.33 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगी।
- विश्व भर में कपास निर्यात, वर्ष 2024-25 की 9.21 मिलियन मीट्रिक टन की तुलना में लगभग 5% बढ़कर 9.68 मिलियन मीट्रिक टन होने का अनुमान है। ब्राजील 3.20 मिलियन मीट्रिक टन के अनुमानित निर्यात के साथ विश्व भर में अग्रणी कपास निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखा है, जो कुल वैश्विक कपास निर्यात का 33% है।
- विश्व कपास आयात में लगभग 11% की वृद्धि होने का अनुमान है, जो 2024-25 में 8.74 मिलियन मीट्रिक टन की तुलना में 9.68 मिलियन मीट्रिक टन है। चीन के सबसे बड़ा कपास आयातक देश बने रहने की उम्मीद है, जिसका आयात 1.70 मिलियन मीट्रिक टन रहने का अनुमान है, जो कुल वैश्विक कपास आयात का लगभग 18% है।
- वैश्विक समापन स्टॉक में लगभग 6% की वृद्धि होने का संभावना है जो 2024-25 में 16.91 मिलियन मीट्रिक टन की तुलना में 17.95 मिलियन मीट्रिक टन है। चीन का कपास भंडार 9.84 मिलियन मीट्रिक टन (पिछले वर्ष: 9.25 मिलियन मीट्रिक टन) तक बढ़ने की उम्मीद है, जबकि शेष

3.4 INTERNATIONAL COTTON SITUATION 2024-25

- As per International Cotton Advisory Committee (ICAC), World area under cotton cultivation during 2025–26 is projected to increase marginally to 30.41 million hectares from 30.36 million hectares in 2024–25. Significant increases in cotton acreage are expected in Brazil (12%), Uzbekistan (10%), and China (5%). However, acreage is projected to decline in Turkey (16%), Australia (14%), and Pakistan (5%).
- World cotton production during 2025–26 is projected to increase by about 3% to 26.37 million metric tonnes (MMT), compared to 25.61 MMT in 2024–25. The increase is primarily attributed to an improvement in average global cotton productivity, which is expected to rise to 867 kg per hectare from 844 kg per hectare in the previous year. World cotton consumption is also projected to grow by about 2%, reaching 25.33 MMT during 2025–26, up from 24.87 MMT in 2024–25.
- World cotton exports are projected to increase by around 5% to 9.68 MMT as compared to 9.21 MMT in 2024–25. Brazil is expected to retain its position as the world's leading cotton exporter, with projected exports of 3.20 MMT, accounting for 33% of total global cotton exports.
- World cotton imports are projected to increase by around 11% to 9.68 MMT as compared to 8.74 MMT in 2024-25. China is expected to remain the largest cotton-importing country, with imports estimated at 1.70 MMT, representing about 18% of total global cotton imports.
- Global ending stocks are projected to increase by about 6% to 17.95 MMT, compared to 16.91 MMT in 2024–25. China's cotton stocks are expected to rise to 9.84 MMT (last year: 9.25 MMT), while

विश्व में भंडार 8.12 मिलियन मीट्रिक टन (पिछले वर्ष: 7.66 मिलियन मीट्रिक टन) तक बढ़ने का अनुमान है।

पिछले पाँच वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कपास बैलेंस शीट निम्नानुसार है:

(मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25*	2025-26*
विश्व का प्रारंभिक स्टॉक	17.90	17.20	17.15	16.64	16.91
विश्व उत्पादन	24.66	24.50	24.28	25.61	26.37
विश्व उपभोग	25.51	24.37	24.30	24.87	25.33
निर्यात	9.18	8.32	9.85	9.21	9.70
आयात	9.33	8.14	9.35	8.74	9.70
विश्व का अंतिम स्टॉक	17.19	17.15	16.64	16.91	17.95

स्रोत: आईसीएसी डैशबोर्ड- जून, 2025. * प्रोविजनल

3.5 अंतरराष्ट्रीय मूल्य प्रवृत्ति :–

- अंतर्राष्ट्रीय कपास मौसम 1 अगस्त से शुरू होकर 31 जुलाई को समाप्त होता है।
- अंतर्राष्ट्रीय कपास मूल्य (कॉटलुक ए इंडेक्स) 1 अगस्त, 2025 को लगभग 78.50 अमेरिकी सेंट/पाउंड (53,700 रुपये प्रति कैंडी) पर खुला। अक्टूबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच, यह 74.00 से 77.00 अमेरिकी सेंट/पाउंड (51,400 रुपये से 53,700 रुपये प्रति कैंडी) तक था, और 09 फरवरी 2026 को अपने सीज़न के सबसे निचले स्तर 72.55 अमेरिकी सेंट/पाउंड (51,504 रुपये प्रति कैंडी) तक गिर गया। इसके बाद, अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में तेजी से सुधार हुआ और 12 मई 2026 को 97.65 अमेरिकी सेंट/पाउंड (73,090 रुपये प्रति कैंडी) के सीजन के उच्च स्तर तक चला गया। जून 2026 में, कॉटलुक ए सूचकांक 85.00 और 87.00 अमेरिकी सेंट/पाउंड (63,600 रुपये से 64,000 रुपये प्रति कैंडी) के बीच था।

stocks in the rest of the world are projected to increase to 8.12 MMT (last year: 7.66 MMT).

- International Cotton balance sheet for the last five years are as under:

(Quantity in Million MT)

Particulars	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25*	2025-26*
World beginning stock	17.90	17.20	17.15	16.64	16.91
World production	24.66	24.50	24.28	25.61	26.37
World consumption	25.51	24.37	24.30	24.87	25.33
Exports	9.18	8.32	9.85	9.21	9.70
Imports	9.33	8.14	9.35	8.74	9.70
World ending stocks	17.19	17.15	16.64	16.91	17.95

Source: ICAC Dashboard - June, 2025. * Provisional

3.5 INTERNATIONAL PRICE TREND:-

- International cotton season starts from 1st August and ends on 31st July.
- The international cotton price (Cotlook A Index) opened at around 78.50 US cents/lb (Rs.53,700 per candy) on 1st August, 2025. Between October 2025 and January 2026, it ranged from 74.00 to 77.00 US cents/lb (Rs.51,400 to Rs.53,700 per candy), and further declined to its season's lowest level of 72.55 US cents/lb (Rs.51,504 per candy) on 09th February 2026. Thereafter, international prices recovered sharply and touched a season's high of 97.65 US cents/lb (Rs.73,090 per candy) on 12th May 2026. In June 2026, the Cotlook A Index was ruling between 85.00 and 87.00 US cents/lb (Rs.63,600 to Rs.64,000 per candy).

- आईसीएसी ने सीजन के औसत कॉटलुक ए इंडेक्स का पूर्वानुमान 56.00 से 95.00 सेंट/एलबी (41,500-70,300 रुपये प्रति कैंडी) के बीच लगाया है, जिसका मध्य बिंदु 73.00 सेंट/एलबी (54,000 रुपये प्रति कैंडी) है।
- पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के लिए माह वार, वर्ष वार औसत कॉटलुक ए निम्नानुसार दिया गया है :

कॉटलुक ए में अमेरिकी सेंट प्रति पाउण्ड में

माह	2023-24	2024-25	2025-26
अगस्त	95.93	79.89	78.60
सितंबर	97.95	82.57	77.90
अक्टूबर	95.55	83.63	75.98
नवंबर	90.46	81.52	75.16
दिसंबर	90.51	79.94	74.05
जनवरी	92.15	78.18	74.48
फरवरी	99.61	78.03	74.06
मार्च	99.74	77.74	77.18
अप्रैल	87.52	78.34	86.40
मई	86.52	78.01	92.03
जून	83.18	78.28	86.70
जुलाई	81.32	78.81	--
वार्षिक औसत	**91.70**	**79.58**	**79.32**

स्रोत: "कॉटलुक ए" 23 जून, 2026 तक

- ICAC forecasts the season's average Cotlook A Index to range from 56.00 to 95.00 cents/lb (Rs.41,500-Rs.70,300 per candy), with a midpoint of 73.00 cents/lb (Rs.54,000 per candy).
- Month-wise, year-wise average Cotlook A (in US Cents/lb) for last two years and current year is given as follows:

Cotlook A in US Cents per lb

Month	2023-24	2024-25	2025-26
August	95.93	79.89	78.60
September	97.95	82.57	77.90
October	95.55	83.63	75.98
November	90.46	81.52	75.16
December	90.51	79.94	74.05
January	92.15	78.18	74.48
February	99.61	78.03	74.06
March	99.74	77.74	77.18
April	87.52	78.34	86.40
May	86.52	78.01	92.03
June	83.18	78.28	86.70
July	81.32	78.81	--
Yearly Avg.	**91.70**	**79.58**	**79.32**

Source: "Cotlook A" up to 23rd June, 2026

4. भंडारणगृह परिसर :

आपके निगम का कलंबोली में एक गोदाम परिसर है। निगम की आय बढ़ाने के लिए, गोदामों को किराए पर दिया जा रहा है और संचालन एवं रखरखाव के आधार पर भी संचालित किया जा रहा है। निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान कुल 1307.07 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया है।

4. WAREHOUSING COMPLEX:

Your Corporation is having warehousing complex at Kalamboli. To augment the revenue of the Corporation and godowns are being let out and also on operation as well as maintenance basis. The Corporation has generated total revenue of Rs. 1307.07 lakhs during the financial year 2025-2026.

5. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

1. भाकनि की सीएसआर नीति की रूपरेखा निम्नानुसार है:

क) सीएसआर विजन स्टेटमेंट:

- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

5. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

1. The outline of CCI's CSR policy is as under:

a) CSR Vision Statement:

- The Corporate Social Responsibility

सीसीआई के लिए गतिविधियों का एक नियोजित समूह है, जिसका लक्ष्य निगम की क्षमताओं, इसके संचालन के क्षेत्रों में और इसके आसपास रहने वाले समुदायों की अपेक्षाओं और साथ ही जहां इसकी उपस्थिति है, को ध्यान में रखते हुए दीर्घावधि में महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डालना है।

- इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में सतत सामाजिक-आर्थिक विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाना है, जहां यह स्थित है या जहां इसके हित निहित हैं, तथा सीसीआई के लिए सक्षम कार्य वातावरण बनाने के साथ-साथ सतत क्षेत्रीय विकास का प्रयास करना है।

ख) सीएसआर मिशनः

- निगम की गतिविधियों के सभी पहलुओं में शेयरधारकों और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की जिम्मेदारी लेते हुए समाज के हितों की सेवा करना।
- अपने हितधारकों के हितों को मान्यता देते हुए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से संचालन करने की प्रतिबद्धता करना।
- सतत विकास के अभ्यास के साथ निकटता से जुड़ना तथा परोपकारी गतिविधियों से आगे बढ़ना तथा सतत प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त करने के लिए सामाजिक-आर्थिक और व्यावसायिक लक्ष्यों के एकीकरण तक पहुंचना।
- निगम के संचालन और संसाधन क्षमता के आधार पर सबसे छोटी इकाई अर्थात गांव, पंचायत, ब्लॉक या जिले को लाभ सुनिश्चित करना।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के तहत निर्धारित कंपनी के औसत शुद्ध लाभ के 2% की व्यय सीमा के साथ दीर्घकालिक, सतत सामाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्य से सीएसआर गतिविधियों को शुरू करना, जिसकी गणना तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के आधार पर की गई है।

(CSR) is a planned set of activities for CCI, which is targeted to have a significant positive impact in the long term taking into consideration the Corporation's capabilities, expectations of the communities living in and around the areas of its operation as well as where it has its presence.

- The aim is to play a catalytic role in the sustainable socio-economic development in the regions, where it is located or where its interests lie, attempting to create an enabling working environment for CCI as well as sustained regional development.

b) CSR Mission:

- To serve the interests of society by taking responsibility for the impact of Corporation's activities on shareholders and environment in all aspects of its operations.
- Commitment to operate in an economically, socially and environmentally sustainable manner, while recognizing the interests of its stakeholders.
- To closely linked with the practice of sustainable development and extends beyond philanthropic activities and reaches out to the integration of socio-economic and business goals to secure sustainable competitive advantage.
- Ensure benefits to the smallest unit i.e. village, panchayat, block or district depending upon operations and resource capability of the Corporation.
- To undertake CSR activities aimed at long-term, sustainable socio-economic development, with an expenditure limit of 2% of the average net profits of the company, as prescribed under Section 135(5) of the Companies Act, 2013, calculated on the basis of the three immediately preceding financial years.

ग) स्थानीय क्षेत्रः

- भाकनि सभी कपास उत्पादक राज्यों (अर्थात पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) में अखिल भारतीय स्तर पर कपास किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करके उनकी सहायता के लिए कार्यरत है। इसलिए, भाकनि की संपूर्ण सीएसआर गतिविधियाँ इसके संचालन क्षेत्र और इसके आसपास रहने वाले कपास किसान समुदाय के साथ-साथ जहाँ इसकी उपस्थिति है, के लाभ के लिए संरेखित हैं। इस प्रकार, भाकनि की सीएसआर गतिविधि का स्थानीय क्षेत्र केवल कपास किसानों के क्षेत्र तक ही सीमित है।

2. बोर्ड द्वारा सीएसआर समिति की संरचनाः

नाम	पदनाम	वर्ग
श्री ललित कुमार गुप्ता	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भाकनि	अध्यक्ष
श्रीमती पद्मिनी सिंगला, आईएएस	संयुक्त सचिव (फाइबर), वस्त्र मंत्रालय	सदस्य
श्री विजय कुरडगि	निदेशक (विपणन), भाकनि	सदस्य
श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता	निदेशक (वित्त), भाकनि	सदस्य
डॉ. प्रशांत वी. पाटील	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

श्री प्रांजल पी. जोशी, मुख्य महाप्रबंधक (विपणन) / सीएसआर समिति के नोडल अधिकारी तथा जो निगम के सीएसआर और संधारणीयता पहलों को सुविधाजनक बनाते हैं।

समिति के विचारार्थ विषय नीचे दिए गए हैं:

➢ अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष सीएसआर नीति तैयार करना।

c) Local Area:

- CCI is operating on PAN India basis in all cotton growing states (viz, Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Odisha, Tamil Nadu and West Bengal) to help the cotton farmers by ensuring them remunerative price for their produce. Therefore, the whole CSR activities of CCI are aligned for the benefits of the cotton farmers' community living in and around of its operation as well as where it has its presence. Thus, the local area for CSR activity of CCI is confined to the cotton farmer's area only.

2. Composition of the CSR Committee by Board:

Name	Designation	Category
Shri Lalit Kumar Gupta	CMD- CCI	Chairman
Smt. Padmini Singla, IAS	Joint Secretary (Fibre), MoT	Member
Shri Vijay Kuradagi	Director (Marketing), CCI	Member
Shri Rajendra Kumar Gupta	Director (Finance), CCI	Member
Dr. Prashant V. Patil	Independent Director	Member

Shri Pranjal P. Joshi, CGM (Mktg.)/ Nodal Officer of CSR Committee and who facilitates the CSR and sustainability initiatives of the Corporation.

The terms of reference of the Committee is given below:

➢ Formulate CSR policy to the Board for approval.

➢ बोर्ड की सीएसआर नीति के अनुसरण में एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना, जिसमें निम्नलिखित शामिल हों:-

- सीसीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों की सूची जो अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में शुरू करने के लिए अनुमोदित किया गया हैं।
- नियम 4 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका।
- परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए निधियों के उपयोग की पद्धतियां और कार्यान्वयन कार्यक्रम।
- शुरू की गई परियोजनाओं के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र।
- कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के लिए आवश्यकता और प्रभाव मूल्यांकन का विवरण, यदि कोई हो।

3. सीएसआर नीति के लिए वेब लिंक: सीएसआर गतिविधियों और नीतियों पर वार्षिक रिपोर्ट अनुलग्नक-ए पर दी गई है और निगम की वेबसाइट www.cotcorp.org.in पर भी उपलब्ध है।

4. पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2022-23 से 2024-25 तक धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ (इंड-एएस): 528.24 लाख रुपये।

(क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2%: 10.56 लाख रुपये

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित की जाने वाली आवश्यक राशि: शून्य

(घ) कोविड-19 के कारण पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अव्ययित सीएसआर राशि: शून्य

➢ Formulate and recommend to the Board, an annual action plan in pursuance of its CSR Policy including the following:-

- List of CSR projects or programmes that are approved to be undertaken in areas or subjects specified in Schedule VII of the Act.
- The manner of execution of such projects or programmes as specified in sub-rule (1) of rule 4.
- The modalities of utilization of funds and implementation schedules for the projects or programmes.
- Monitoring and reporting mechanism for the projects undertaken.
- Details of need and impact assessment, if any for the projects undertaken by the company.

3. Web link to CSR Policy: Annual Report on CSR activities and Policies are placed at Annexure-A and is also available at the website of the Corporation at www.cotcorp.org.in.

4. Average net profit (Ind-AS) of the company as per section 135(5) for last three financial Year i.e. from 2022-23 to 2024-25: Rs. 528.24 Lakhs

a) 2% of the average net profit of the company as per section 135 (5): Rs. 10.56 lakhs

b) Surplus arising out of the CSR activities of the previous financial years: Nil

c) Amount required to be set off for the financial year: Nil

d) CSR amount unspent during previous financial year due to Covid-19: Nil

(ङ) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7अ+7ब+7क+7ड): 10.56 लाख रुपये

(च) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल स्वीकृत बजट: 10.60 लाख रुपये

5. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आपके निगम ने निम्नलिखित सीएसआर गतिविधियां शुरू की हैं:

- महाराष्ट्र के कपास उत्पादक और महत्वाकांक्षी जिलों में 10.61 लाख रुपये मूल्य की कपास पिकिंग किट के साथ 4 कपास श्रेडर मशीनों के वितरण के माध्यम से पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देते हुए कपास किसानों को उचित प्रौद्योगिकी और निवारक स्वास्थ्य उपकरणों के साथ सशक्त बनाना।

- इस प्रकार, आपके निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सीएसआर के तहत 10.61 लाख रुपये खर्च किए हैं।

6. शेयर पूंजी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 75 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

31 मार्च, 2026 तक कंपनी की जारी, अभिदत्त और चुकता पूँजी 25 करोड़ रुपये थी। 100 रुपये प्रति शेयर के इक्विटी शेयर निम्नानुसार थे:

क्र. सं	शेयरधारक के नाम	शेयरों की संख्या	प्रतिशत (%)
1.	भारत के राष्ट्रपति	25 लाख	100

7. लाभांश

आपके निदेशक वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए रु. 10.55 करोड़ के लाभांश की अनुशंसा करते हैं। लाभांश का भुगतान निगम की 56वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों की स्वीकृति के बाद किया जाएगा।

e) Total CSR obligation for the financial year 2025-26(7a+7b+7c+7d): Rs.10.56 lakhs

f) Total approved budget for the financial year 2025-26: Rs. 10.60 lakhs

5. During F.Y. 2025-26, your Corporation has undertaken following CSR activities:

- To empower cotton farmers with appropriate technology and preventive health tools, while promoting environmental sustainability, through the distribution of 4 cotton shredder machines along with cotton picking kits valuing Rs. 10.61 lakhs in cotton-growing and aspirational districts of Maharashtra.

- Thus, your Corporation, has spent Rs.10.61 lakh under CSR during F.Y.2025-26.

6. SHARE CAPITAL

During the year under review there has been no change in the authorized share capital of Rs. 75 crores.

The issued, subscribed and paid-up capital of the Company as on 31st March, 2026, stood at Rs. 25 crores. The Equity Shares of Rs. 100 each, were held as under:

Sr. No.	Name of Shareholders	Number of Shares	Percentage (%)
1.	President of India	25 lakhs	100

7. DIVIDEND

Your directors recommend dividend of Rs.10.55 crores, for the financial year 2025 - 26. The dividend shall be paid after seeking approval of the shareholder at the 56th Annual General Meeting (AGM) of the Corporation.

8. आरक्षित निधि में अंतरण

कंपनी विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि में से किसी भी राशि को सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव नहीं रखती है।

9. निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की आठ (8) बैठकें हुईं, अर्थात 23 मई 2025, 30 मई 2025, 29 जुलाई 2025, 13 अगस्त 2025, 29 सितंबर 2025, 14 नवंबर 2025, 5 जनवरी 2026 और 10 फरवरी 2026 को आयोजित की गई थी।

दो लगातार बैठकों के बीच का अंतराल 120 दिनों से अधिक नहीं था तथा प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक आयोजित की जाती थी।

निगम की 55वीं वार्षिक आम बैठक 29 सितम्बर, 2025 को आयोजित की गई।

10. लेखापरीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति का गठन भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु किया गया था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की आठ (8) बैठकें अर्थात् 23 मई 2025, 30 मई 2025, 29 जुलाई 2025, 13 अगस्त 2025, 29 सितम्बर 2025, 14 नवंबर 2025, 5 जनवरी 2026 और 10 फरवरी 2026 को आयोजित की गई थी।

11. निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, वस्त्र मंत्रालय ने 22.04.2025 को संयुक्त सचिव, IAS सुश्री पद्मिनी सिंगला को सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया। इसके परिणामस्वरूप, IAS अधिकारी सुश्री प्राजक्ता एल. वर्मा को वस्त्र मंत्रालय में उनके दायित्वों से मुक्त कर दिया गया। इसके अलावा, डॉ. प्रशांत वसंतराव पाटिल को 25.04.2025 को एक (1) वर्ष की अवधि के लिए निगम के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया था, जो 24.04.2026 को समाप्त हुई।

8. TRANSFER TO RESERVES

The Company does not propose to transfer any amount to the General Reserves out of the amount available for appropriation.

9. NUMBER OF MEETINGS OF BOARD OF DIRECTORS

During the year under review the Board of Directors of the Company met Eight (8) times i.e., on 23rd May, 2025, 30th May, 2025, 29th July, 2025, 13th August, 2025, 29th September, 2025, 14th November, 2025,5th January, 2026 and 10th February, 2026.

The intervening gap between two consecutive meetings was not more than 120 days with atleast one meeting being held in every quarter.

The 55th Annual general Meeting of the Corporation was held on 29th September, 2025.

10. AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee was constituted in terms of compliance of Corporate Governance Guidelines issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Government of India. During the year under review, Eight (8) meetings of Audit Committee were held i.e., on 23rd May, 2025, 30th May, 2025, 29th July, 2025, 13th August, 2025, 29th September, 2025,14th November,2025,5th January, 2026 and 10th February, 2026.

11. DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

During the year under review, the Ministry of Textiles appointed Ms. Padmini Singla, IAS, Joint Secretary, as Government Nominee Director on 22.04.2025. Consequently, Ms. Prajakta L. Verma, IAS, was relieved of her duties in the Ministry of Textiles. Further, Dr. Prashant Vasantrao Patil was appointed as Independent Director on 25.04.2025 to the Board of the Corporation for a period of One (1) year, which concluded on 24.04.2026.

12. सार्वजनिक जमा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपके निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और 74 के साथ पठित कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 (किसी भी वैधानिक संशोधन सहित) या वर्तमान में लागू पुनः अधिनियमन के तहत कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

13. वाणिज्यिक पेपर जारी करना

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगम ने वाणिज्यिक पेपर जारी करने के माध्यम से कोई फंड नहीं जुटाया है।

14. प्रबंधकीय पारिश्रमिक

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

15. मानव संसाधन विकास

31 मार्च 2026 तक निगम की कुल संख्या 983 थी, जिसमें 170 अधिकारी और 813 यूनियनबद्ध कर्मचारी शामिल थे, जबकि पिछले वर्ष कुल 896 कर्मचारी थे। 983 कर्मचारियों में से, महिला कर्मचारियों की संख्या 150 (36 अधिकारी और 114 यूनियनबद्ध कर्मचारी) है। आपके निगम ने भर्ती और पदोन्नति दोनों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ दिव्यांग वर्ग के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के नीतिगत दिशानिर्देशों का पालन जारी रखा है। इसके अतिरिक्त, आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या 529 है: अनुसूचित जाति-181 (18.41%), अनुसूचित जनजाति-59 (6.00%), अन्य पिछड़ा वर्ग-248 (25.22%), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-41 (4.17%) और दिव्यांग-22 (2.23%)। आपके निगम के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ दिव्यांग कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांग वर्ग के संपर्क अधिकारी कार्यरत हैं। आपके निगम ने समय-समय पर क्षेत्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों का चक्रानुक्रमिक स्थानांतरण किया है।

12. PUBLIC DEPOSIT

During the year under review, your Corporation has not accepted any deposit within the meaning of Section 73 and 74 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014 (including any statutory modification (s)) or re- enactment for the time being in force.

13. ISSUANCE OF COMMERCIAL PAPER

During the year under review, the Corporation has not raised any funds through the issuance of Commercial Papers.

14. MANAGERIAL REMUNERATION

As per notification No. GSR 463(E) dated 5th June, 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, Section 197 of the Act is not applicable to the Government Companies. Accordingly, reporting in accordance with requirement of provisions of section 197(16) of the Act is not applicable to the Company.

15. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

The total strength of the Corporation was 983 as on 31st March 2026 consisting of 170 officers and 813 unionized staff as compared to the total strength of 896 employees during the last year. Out of the 983 employees, the strength of women employees is 150 (36 officers and 114 unionized staff). Your Corporation continued to follow the policy guidelines of the Govt. of India in respect of the reservation of SC/ST/OBC/EWS/PwD categories both in recruitment as well as promotion. Further, the strength of reserved category employees is 529 i.e SC-181 (18.41 %), ST-59 (6.00 %), OBC-248 (25.22 %), EWS-41 (4.17%) and PwD-22 (2.23 %). The liaison officer for SC/ST/OBC/EWS/PwD continues to function to safeguard the interest of SC/ST/OBC/EWS/PwD employees of your Corporation. Your Corporation effected rotational transfer of field staff and officers periodically.

आपका निगम दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन के प्रावधानों, विशेष रूप से दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए रिक्तियों के आरक्षण की धारा 34 के कार्यान्वयन का पालन कर रहा है। चूंकि आपके निगम का कार्य क्षेत्रीय परिचालन से संबंधित है - जिसके लिए बहुत अधिक शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता होती है - इसलिए विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए रोजगार की संभावना अत्यंत सीमित है। इस सीमा के बावजूद आपके निगम में वर्तमान में 22 दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) का स्ट्रेन्थ हैं।

आपके निगम द्वारा 1975-76 से शुरू की गई प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की योजना, कॉर्पोरेट स्तर पर और शाखाओं दोनों पर, सुचारू रूप से कार्य कर रही है। आपके निगम में औद्योगिक संबंध अत्यंत सौहार्दपूर्ण बने रहे और रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में श्रम-दिवसों की कोई हानि नहीं हुई थी।

16. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, आपके निगम ने मैनुअल के संकलन/प्रकाशन, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ), केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारियों (सीएआईओ), अपीलीय प्राधिकरण की नियुक्ति, अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए नियम तैयार करने और प्रत्येक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त अनुरोधों से निपटने के लिए चैनल को कारगर बनाने के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं के संबंध में कार्रवाई की है।

वर्ष के दौरान, आपके निगम को 389 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 378 का 31 मार्च 2026 तक निपटारा कर दिया गया और शेष 11 आवेदनों को अगले वित्तीय वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया और 30 दिनों की निर्धारित समयावधि के भीतर निपटा दिया गया। कुल 389 आवेदनों में से 53 आवेदकों ने प्रथम अपील दायर की और 53 आवेदकों में से 49 का विधिवत निपटारा भी कर दिया गया तथा शेष 4 आवेदनों को अगले वित्तीय वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया।

वस्त्र मंत्रालय के दिनांक 8 जून, 2011 के पत्र के अनुसार,

Your Corporation is observing the provisions of implementation of the Persons with Disabilities Act 2016, especially on implementation of Section 34 of reservation of vacancies for Persons with Disabilities (PwD). As the work of your Corporation involves a field operations –which requires a lot of physical exertion –the scope for employment of Person with Disabilities (PwD) is extremely limited. Despite such limitation your Corporation has presently strength of 22 Person with disabilities (PwD).

The Scheme for workers participation in the Management introduced by your Corporation since 1975-76 continues to function smoothly, both at the corporate level and at the branches. The industrial relation in your Corporation continued to remain very cordial and there was no loss of man-days in the reporting Financial Year.

16. RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

In accordance with the instructions received from the Ministry of Textiles, Government of India, New Delhi, based on the guidelines issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, your Corporation has taken action regarding compilation/ publishing of manuals, appointment of Central Public Information Officers (CPIOs), Central Assistant Public Information Officers (CAIOs), Appellate Authority, framing the rules for giving effect to the provisions of the Act and internal procedures to streamline the channel for dealing with requests received by each Central Public Information Officer.

During the year your Corporation has received 389 RTI applications out of which 378 were disposed of till 31st March 2026 & remaining 11 applications were carried forward to next financial year & disposed of within the stipulated time period of 30 days. Out of total 389 applications 53 applicants preferred first appeal & out of 53 applicants 49 were also duly disposed of & remaining 4 applications were carried forward to next financial year.

The Quarterly Report of RTI is uploaded

आरटीआई की त्रैमासिक रिपोर्ट निगम की वेबसाइट तथा केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की वेबसाइट पर नियमित रूप से अपलोड की जाती है।

17. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटन

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार, यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक नीति बनाई है। यौन उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदा, अस्थायी, प्रशिक्षु) इस नीति के अंतर्गत आते हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

18. कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत और रिपोर्ट की तारीख के बीच घटित हुई हों, जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं।

कंपनी के वित्तीय वर्ष, जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं, की समाप्ति और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं।

19. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम के व्यवसाय की प्रकृति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ।

20. कंपनी अधिनियम की धारा 186 के तहत किए गए ऋण, गारंटी या निवेश के विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कोई ऋण नहीं दिया, कोई गारंटी नहीं दी और न ही कोई निवेश किया।

regularly on the website of the Corporation and also on the website of Central Information Commission (CIC) as instructed by the Ministry of Textiles vide its letter dated 8th June, 2011.

17. DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORK-PLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

The company has in place a policy for prevention of sexual harassment in accordance with the requirements of the Sexual Harassment of women at workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013. Internal Complaints Committee has been set up to redress complaints received regarding sexual harassment. All employees (permanent, contractual, temporary, trainees) are covered under this policy. The Company has not received any complaint during the year 2025-26.

18. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY WHICH HAVE OCCURRED BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR OF THE COMPANY TO WHICH THE FINANCIAL STATEMENTS RELATE AND THE DATE OF THE REPORT.

There have been no material changes and commitments affecting the financial position of the Company between the end of the financial year of the Company to which the financial statements relate and the date of this report.

19. CHANGE(S) IN THE NATURE OF BUSINESS

There were no material changes in the nature of the business of the Corporation during the year under review.

20. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS MADE UNDER SECTION 186 OF THE COMPANIES ACT

During the year under review, the Corporation has not given any loans, provided any guarantees nor made any investments under section 186 of Companies Act, 2013.

21. मार्च, 2026 तक दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत न तो कोई आवेदन किया गया है और न ही कोई कार्यवाही लंबित है।

22. ऐसा कोई मामला या अवसर नहीं था जहां एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर हो।

23. संबंधित पक्षों के साथ किए गए अनुबंध या व्यवस्था के विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अंतर्गत परिभाषित संबंधित पक्षों के साथ कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं की गई है।

24. सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगम के पास कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं है, इसलिए किसी विवरण की आवश्यकता नहीं है।

25. ऊर्जा प्रौद्योगिकी अवशोषण के संरक्षण का विवरण

आपका निगम ऊर्जा संरक्षण के सकारात्मक प्रभावों के प्रति सचेत है और इस संबंध में यह हमेशा ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न उपायों के प्रति ग्रहणशील रहा है। वर्तमान में, निगम ऊर्जा कुशल आईटी उपकरण खरीद रहा है और अपने सभी कार्यालयों में एलईडी लाइटों का उपयोग करता है। आपके निगम के कार्यालयों में सभी विद्युत उपकरण कार्य समय के बाद अनिवार्य रूप से बंद कर दिए जाते हैं। कार्यालय उपयोग के लिए विद्युत उपकरणों का चयन करते समय, उनकी ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित की जाती है। आपका निगम, सभी कार्यालयों में बिजली की खपत कम करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। आपका निगम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी "अनुशंसित इष्टतम तापमान सेटिंग के माध्यम से भवन स्थान शीतलन में ऊर्जा संरक्षण" के संबंध में दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करता है।

21. No application is made nor is any proceeding pending under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 as on March, 2026.

22. There was no case or occasion where difference between the amount of the valuation done at the time of one-time settlement and the valuation done while taking a loan from the Banks or Financial Institutions.

23. PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS MADE WITH RELATED PARTIES

There have been no contract or arrangements are made with related parties as defined under Section 188 of the Companies Act, 2013 during the year under review.

24. STATEMENTS ON SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATES COMPANIES:

During the year under review, the Corporation does not have any subsidiaries, joint ventures or associate companies, hence no statement is required.

25. PARTICULARS OF CONSERVATION OF ENERGY TECHNOLOGY ABSORPTION

Your Corporation is conscious of the positive effects for conservation of energy and in this regard it has always been receptive to various measure of energy conservation. Presently, the Corporation is procuring energy efficient IT equipment and it uses LED lights in all its offices. All electrical equipment in offices of your Corporation are compulsorily shut down after working hours. While choosing electrical equipment for office use, their energy efficiency is ensured. Your Corporation conducts awareness programs for reducing power consumption across all offices. Your Corporation religiously adheres to the guidelines regarding "Energy Conservation in Building Space Cooling through recommended optimum temperature setting" issued by Bureau of Energy Efficiency (BEE), Ministry of Power.

निगम ने कॉर्पोरेट कार्यालय में लगभग 15 किलोवाट क्षमता वाला रूफटॉप ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र पहले ही स्थापित कर लिया है। सौर ऊर्जा उत्पादन का उपयोग कार्यालय द्वारा ही किया जा रहा है। इससे प्रति वर्ष 3.05 लाख रुपये की बचत हुई है (पिछले वर्ष 3.06 लाख रुपये)।

26. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति (पीपीपी)

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, निगम ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के अनुरूप सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) से 1121 करोड़ रुपये की वार्षिक खरीद हासिल की। यह समावेशी विकास को बढ़ावा देने और एमएसई क्षेत्र के विकास में सहयोग देने की हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

27. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा आय 233.56 लाख रुपये है तथा व्यय 10.68 लाख रुपये है।

28. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

आपके निगम के पास एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण और जोखिम-शमन प्रणाली है, जिसका निरंतर मूल्यांकन किया जाता है और नई/संशोधित मानक संचालन प्रक्रियाओं के साथ उसे सुदृढ़ बनाया जाता है। कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उसके आकार, पैमाने और उसके संचालन की जटिलताओं के अनुरूप है। आंतरिक लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य नियंत्रणों का परीक्षण और समीक्षा, जोखिमों और व्यावसायिक प्रक्रियाओं का मूल्यांकन, और साथ ही उद्योग जगत की सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ नियंत्रणों का मानकीकरण करना है। लेखापरीक्षा समिति निगम की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की सक्रिय रूप से समीक्षा करती है।

29. सतर्कता संरचना और गतिविधियां 2025-26

29.1 निगम के सतर्कता सेल का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी करती हैं, जिनकी सहायता के लिए मुख्यालय में उप महाप्रबंधक (सतर्कता), प्रबंधक (सतर्कता) और उप प्रबंधक (सतर्कता) कार्यरत हैं। शाखा कार्यालय में,

The Corporation has already installed Roof Top Grid Connected Solar Power Plant with capacity of around 15 KW at Corporate office. The solar generation is being utilized by the office itself. This has resulted into saving of Rs. 3.05 lakhs per annum (Last year Rs. 3.06 lakh).

26. PUBLIC PROCUREMENT POLICY (PPP) FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES (MSEs)

During the Financial Year 2025-26, the Corporation achieved an annual procurement of Rs. 1121 Crores from Micro and Small Enterprises (MSEs) in alignment with the Public Procurement Policy for PSUs. This underscores our sustained commitment to fostering inclusive growth and supporting the development of the MSE Sector.

28. FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

During the year under review, the Foreign Exchange Earning is Rs.233.56 lakhs and outgo is Rs.10.68 lakhs.

28. INTERNAL CONTROL SYSTEMS AND THEIR ADEQUACY

Your Corporation has an effective internal control and risk-mitigation system, which are constantly assessed and strengthened with new/revised standard operating procedures. The Company's internal control system is commensurate with its size, scale and complexities of its operations. The main thrust of internal audit is to test and review controls, appraisal of risks and business processes, besides benchmarking controls with best practices in the industry. The Audit Committee actively reviews the adequacy and effectiveness of the Internal Control System of the Corporation.

29. VIGILANCE SET-UP AND ACTIVITIES 2025-26

29.1 The Vigilance Cell of the Corporation is headed by Chief Vigilance Officer assisted by Deputy General Manager (Vigilance), Manager (Vigilance) and Deputy Manager (Vigilance) at the Head Office. At Branch

सतर्कता सेल में 3 वरिष्ठ प्रबंधक (सतर्कता), 1 प्रबंधक (सतर्कता), 1 उप प्रबंधक (सतर्कता), 1 सहायक प्रबंधक (सतर्कता), और 8 प्रबंधन प्रशिक्षु कार्यरत हैं।

29.2 सीसीआई में सतर्कता विभाग न केवल दंडात्मक कार्रवाई के लिए एक जांच एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, बल्कि एक निवारक/सक्रिय एजेंसी के रूप में भी कार्य कर रहा है, जो पारदर्शी प्रणालियों/प्रक्रियाओं पर जोर देते हुए "संगठन के विकास के लिए सतर्कता" की अवधारणा को बढ़ावा देता है और कंपनी के कामकाज में गुणात्मक सुधार लाने का प्रयास करता है। सीसीआई में सतर्कता विभाग का मुख्य उद्देश्य कंपनी को पारदर्शी तरीके से कार्य करने में सक्षम बनाना है ताकि कंपनी अपने मिशन और विज़न को प्राप्त कर सके। सतर्कता विभाग का मुख्य कार्य संकटग्रस्त किसानों/विक्रेताओं, व्यक्तियों, वस्त्र मंत्रालय और सीवीसी से प्राप्त शिकायतों के साथ-साथ कर्मचारियों के विरुद्ध निजी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त शिकायतों का निपटान और जाँच करना है।

29.3 प्रबंधन के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखते हुए, नियमित एवं निवारक सतर्कता गतिविधियाँ जैसे कि आकस्मिक जाँच, प्रशासनिक निर्णयों हेतु सतर्कता मंजूरी, स्थानांतरण नीति का प्रवर्तन और संवेदनशील पदों पर अधिकारियों का रोटेशन आदि क्रियान्वित किए गए। साथ ही, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की जाँच और पूर्व में जाँचे गए मामलों पर लंबित विभागीय कार्रवाई का भी पूरी तत्परता से पालन किया गया।

29.4 शिकायतें:

पिछले वर्ष से लाया गया	11
1.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान प्राप्त	50
कुल:	61
01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान निपटान	55
लंबित:	6

Office, Vigilance Cell is manned by 3 Senior Managers (Vigilance), 1 Manager (Vigilance), 1 Deputy Manager (Vigilance), 1 Assistant Manager (Vigilance) and 8 Management trainees.

29.2 The Vigilance department in CCI is functioning not just as an investigating agency for punitive action but even as a preventive / proactive agency that promotes the concept of "Vigilance for organization's growth" with emphasis on transparent systems / procedures and endeavors to bring about qualitative improvement in the functioning of the Company. The main objective of vigilance department in CCI is to enable the company to work in a transparent manner to achieve company's mission and vision. The major functions of vigilance department relates to handling and investigation of complaints received from distressed farmers/vendors, individuals, Ministry of Textiles and CVC and also complaints by private individuals against employees.

29.3 Regular and preventive vigilance activities such as surprise checks, vigilance clearance for administrative decisions, enforcement of transfer policy and rotation of officers on sensitive posts were carried out by maintaining close coordination with the management. At the same time, investigation of complaints received from various sources and follow up of pending departmental action on previous investigated cases was also done with due diligence.

29.4 Complaints:

Brought forward from last year	11
Received during the period from 01.04.2025 to 31.03.2026	50
Total :	61
Disposal During the period from 01.04.2025 to 31.03.2026	55
PENDING :	6

पिछले वर्ष की ग्यारह शिकायतें आगे लाई गईं। सतर्कता सेल को वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न स्रोतों से कुल पचास शिकायतें प्राप्त हुईं। इकसठ शिकायतों में से पचपन मामलों को जाँच के बाद बंद कर दिया गया। 31.03.2026 तक, छह मामले लंबित हैं।

29.5 विभागीय जाँच:

(i) बड़े दंड की कार्यवाहियाँ:

पिछले वर्ष से लाया गया	1
1.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान स्थापित	3
कुल:	4
निपटान	3
लंबित:	1

पिछले वर्ष से एक बड़ी दंडात्मक कार्यवाही आगे बढ़ाई गई। वर्ष के दौरान, सतर्कता सेल द्वारा तीन मामले दर्ज किए गए और उनका निपटारा किया। इनमें से तीन मामलों का निपटारा कर दिया गया और 31.03.2026 तक बड़ी दंडात्मक कार्यवाही का एक मामला लंबित है।

(ii) छोटे दंड की कार्यवाहियाँ:

पिछले वर्ष से लाया गया	2
1.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान स्थापित	5
कुल:	7
निपटान 01.04.2024 से 31.03.2025 तक	7
लंबित:	0

पिछले वर्ष से दो लघु दंड कार्यवाही आगे बढ़ाई गई। वर्ष के दौरान, सभी पांच मामले सतर्कता सेल द्वारा संस्थित और निपटाए गए। इनमें से सात मामलों का निपटारा कर दिया गया, और 31.03.2026 तक कोई भी मामले लंबित नहीं हैं।

ELEVEN complaints were brought forward from the previous year. The vigilance cell received FIFTY complaints during the year 2025-26 from various sources. Out of SIXTY ONE total complaints, FIFTY FIVE cases were closed after investigation. As on 31.03.2026, SIX cases remain pending.

29.5 Departmental Enquiries:

(i) Major Penalty Proceedings:

Brought forward from last year	1
Instituted during the period from 01.04.2025 to 31.03.2026	3
Total :	4
Disposal	3
PENDING :	1

ONE case of major penalty proceeding was carried forward from the previous year. During the year, THREE cases were instituted and dealt by the vigilance cell. Out of these, THREE cases were disposed off and there are ONE case of major penalty proceeding remain pending as on 31.03.2026.

(ii) Minor Penalty Proceedings:

Brought forward from last year	2
Instituted during the period from 01.04.2025 to 31.03.2026	5
Total :	7
Disposal 01.04.2024 to 31.03.3025	7
PENDING :	0

TWO cases of minor penalty proceeding was carried forward from the previous year. During the year, FIVE cases were instituted during the year and dealt by vigilance cell. Out of these, SEVEN cases were disposed off leading to NO case of minor penalty proceeding pending as on 31.03.2026.

30.3 निलंबन:

पिछले वर्ष से लाया गया	0
1.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान स्थापित	3
कुल:	3
निपटान 01.04.2024 से 31.03.2025 तक	1
लंबित:	2

30.4 सीबीआई द्वारा जाँचे गए मामले:

पिछले वर्ष से सीबीआई के दो मामले आगे बढ़ाए गए। इस वर्ष के दौरान, दो मामलों में सीबीआई को मुकदमा चलाने की मंज़ूरी दी गई। इस वर्ष किसी भी मामले का निपटान नहीं हुआ है ।

<u>पिछले एक वर्ष में सूचना प्रौद्योगिकी को निवारक सतर्कता उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए नई पहल की गई</u>

भारतीय कपास निगम अपने परिचालन को अधिक पारदर्शी, कुशल तथा हितधारकों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए निरंतर डिजिटल उपकरणों और प्लेटफॉर्मों को अपनाता रहा है। ये पहल सतर्कता एवं अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक हैं तथा संगठन में जवाबदेही, पारदर्शिता और जानकारी साझा करने की संस्कृति को भी बढ़ावा देती हैं।

1) सतर्कता जागरूकता सप्ताह और विस्तारित अभियान का आयोजन

भारतीय कपास निगम लिमिटेड की सतर्कता शाखा ने 27 अक्टूबर 2025 से 2 नवंबर 2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह और 18 अगस्त 2025 से 17 नवंबर 2025 तक विस्तारित सतर्कता जागरूकता अभियान सक्रिय रूप से मनाया। "सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी" / *"Vigilance: Our Shared Responsibility"* की थीम को अपनाते हुए, निगम ने ईमानदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया। इनमें स्कूलों, कॉलेजों और ग्राम सभाओं में आउटरीच कार्यक्रम, और स्लोगन लेखन, रंगोली, चित्रकला और प्रश्नोत्तरी जैसी रचनात्मक प्रतियोगिताएँ शामिल थीं। परिचालन दक्षता एवं पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से अधिकारियों /

30.3 Suspension:

Brought forward from last year	0
Instituted during the period from 01.04.2025 to 31.03.2026	3
Total :	3
Disposal 01.04.2024 to 31.03.3025	1
PENDING :	2

30.4 Cases detected by CBI:

TWO CBI cases was carried forward from the previous year. During the year for TWO cases Prosecution sanction to CBI has been granted. No cases has been disposed during the year.

<u>New initiatives taken in last one year for using IT as preventive vigilance tool</u>

The Cotton Corporation of India has been steadily adopting digital tools and platforms to make its operations more transparent, efficient, and responsive to stakeholder needs. These initiatives support vigilance and compliance requirements while also promoting a culture of accountability, transparency, and knowledge sharing across the organization.

1) Observance of Vigilance Awareness Week and Extended Campaign

The Vigilance Wing of the Cotton Corporation of India Limited observed Vigilance Awareness Week actively from 27th October 2025 to 2nd November 2025, and an Extended Vigilance Awareness Campaign from 18th August 2025 to 17th November 2025. Adopting the theme "सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी" / *"Vigilance: Our Shared Responsibility"*, the Corporation organized various activities to promote integrity and transparency. These included outreach programs in schools, colleges, and gram sabhas, and creative competitions such as slogan writing, rangoli, painting, and

कर्मचारियों अन्वेषण एवं प्रतिवेदन तैयार करने, आरोप-पत्र का प्रारूपण तथा सीटीई प्रकार के गहन निरीक्षण के संचालन संबंधी क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कर्मचारियों को सुधार सुझाने और कदाचारों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसमें प्रणालीगत कमियों की पहचान करने और जवाबदेही को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

2. कपास किसान – किसानों के लिए एक समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन

किसानों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उनके लिए एक समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया। इस ऐप के माध्यम से किसान अग्रिम रूप से पंजीकरण कर क्रय केन्द्रों पर अपनी उपज बेचने के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। इस से प्रतीक्षा समय कम होता है, भीड़भाड़ घटती है और खरीद प्रक्रिया सुचारु एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न होती है। सतर्कता विभाग, कपास किसान ऐप साथ-साथ कॉटबिज और बीआईटीएस जैसे अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों के संचालन की लगातार निगरानी कर रहा है, जिससे पारदर्शिता, परिचालन दक्षता और खरीद प्रक्रियाओं का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। इन प्लेटफॉर्मों की नियमित निगरानी और समीक्षा से परिचालन संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान करने तथा खरीद कार्यों में जवाबदेही को सुदृढ़ करने में मदद मिलती है ।

3. ईआरपी–आधारित दंड रजिस्टर

एक अहम पहल के रूप में ईआरपी प्रणाली में दंड रजिस्टर को अपग्रेड किया गया है, ताकि उसमें अपरिवर्तनीय अभिलेखों की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। यह छेड़छाड़-रहित प्रविष्टियों को सुनिश्चित करता है और सतर्कता अनापत्ति प्रक्रिया को काफी सुव्यवस्थित कर देता है। इसके अलावा, अनुशासनात्मक कार्यवाही और सीबीआई मामलों का विवरण अब डिजिटल रूप से रखा जाता है, जिससे उन्हें जल्दी देखा जा सकता है, रियल-टाइम मॉनिटरिंग हो सकती है और बेहतर निगरानी संभव होती है। इसके अतिरिक्त, विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाहियों तथा सीबीआई मामलों का विवरण अब डिजिटल रूप से संधारित किया जा रहा है, जिससे त्वरित अभिगम, वास्तविक समय में निगरानी तथा बेहतर पर्यवेक्षण संभव हुआ है।

quizzes. Capacity-building programs on Investigation & Reports, Framing of Charge sheet Conducting CTE Type Intensive Examination were also held for officers/officials to enhance operational efficiency and transparency. Employees were encouraged to suggest improvements and report malpractices, focusing on identifying systemic gaps and strengthening accountability.

2. Kapas Kisan-a dedicated mobile application for farmers

A major step towards farmer facilitation has been the launch of a dedicated mobile application for farmers. Through this app, farmers can register in advance and book slots for selling their produce at procurement centres, thereby reducing waiting time, minimizing crowding, and ensuring a smooth and systematic procurement process. The Vigilance Department is continuously monitoring the functioning of the Kapas Kisan App along with other digital platforms such as CotBiz and BITS to ensure transparency, operational efficiency, and proper implementation of procurement procedures. Regular monitoring and review of these platforms are helping in timely identification of operational issues and strengthening accountability in procurement operations.

3. ERP-based Penalty Register

A key initiative has been the upgradation of the penalty register in the ERP system with immutable records. This ensures tamper-proof entries and has significantly streamlined the vigilance clearance process. In addition, details of disciplinary proceedings and CBI cases are now maintained digitally, enabling quick access, real-time monitoring, and better oversight.

4. वार्षिक संपत्ति रिटर्न (एपीआर) पोर्टल

चल और अचल संपत्ति के वार्षिक रिटर्न और स्टेटमेंट को समय पर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को आसान बनाने और बेहतर सुविधाओं के साथ वार्षिक संपत्ति रिटर्न प्रस्तुत करने वाले पोर्टल को नया रूप देना।

यह पोर्टल कर्मचारियों को लेन-देन की सूचना देते समय उनसे जुड़े सहायक दस्तावेज़ ऑनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध कराता है।

नए पोर्टल में एपीआर और सूचनाओं की जांच के लिए एक पेपरलेस प्रणाली शुरू किया है, जिससे एपीआर, सूचनाओं और सहायक दस्तावेजों को सतर्कता सेल को अपने-आप भेजा जा सकता है।

5. डिजिटल लाइब्रेरी और ज्ञान प्रबंधन प्रणाली

ज्ञान के आदान-प्रदान को सशक्त बनाने के लिए, डिजिटल लाइब्रेरी को दिशानिर्देश, प्रशिक्षण सामग्री और संदर्भित दस्तावेजों के केंद्रीय भंडार के रूप में आधुनिक बनाया गया है। कर्मचारी अब एक ही प्लेटफॉर्म से अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में सभी की समान एवं स्पष्ट समझ सुनिश्चित होती है।

इसे ई-ऑफिस के ज्ञान प्रबंधन प्रणाली से और भी मदद मिलती है, जहाँ परिपत्रों और दिशानिर्देशों को व्यवस्थित तरीके से अपलोड किया जाता है। अनुभाग प्रधान को प्रत्येक महीने यह प्रमाणित करना होता है कि उनके परिपत्र अपलोड कर दिए गए हैं, ताकि समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

6. लोक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस)

शिकायत निवारण के मामले में, वेब-आधारित शिकायत पोर्टल को सुदृढ़ बनाया गया है। ओटीपी-आधारित सत्यापन जैसी विशेषताओं ने पारदर्शिता, प्रामाणिकता और निपटान की गति को बढ़ाया है। शिकायतों के निस्तारण में विलंब होने की स्थिति में,

4. Portal for Annual Property Return (APR)

Revamp of Annual Property return submission portal with enhanced features and ease of submission annual returns and statements for movable and immovable returns in timely manner

The portal is facilitating employees to submit supporting documents in respect of transactions through online at the time of intimation of transactions.

The new portal has introduced a paperless system for scrutiny of APRs and intimations by enabling automatic forwarding of APRs, intimations, and supporting documents to the Vigilance Cell.

5. Digital Library and Knowledge Management System

To strengthen knowledge sharing, the Digital Library has been modernized as a central repository of guidelines, training materials, and reference documents. Employees can now access updated information from a single platform, ensuring uniform understanding of policies and procedures.

This is further supported by the Knowledge Management System (KMS) in e-office, where circulars and guidelines are uploaded in a structured manner. Section Heads are required to certify every month that their circulars have been uploaded, ensuring timeliness and accountability.

6. Public Grievance Redressal System (PGRS)

On the grievance redressal front, the web-based complaint portal has been strengthened. Features such as OTP-based verification have enhanced transparency, authenticity, and speed of disposal. The portal is equipped with an

पोर्टल में रिपोर्टिंग अधिकारी हेतु उच्च स्तर पर प्रेषण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे शिकायतों की समयबद्ध निगरानी एवं निस्तारण सुनिश्चित होता है। सतर्कता सेल नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है और सभी शिकायतों पर नज़र रखता है ताकि उनका समय पर और प्रभावी तरीके से समाधान हो सके।

30. राजभाषा के प्रगतिशील प्रयोग

राजभाषा के प्रगतिशील प्रयोग की दिशा में आपके निगम ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया है ।

वर्ष 2025-2026 में संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) द्वारा मुख्यालय को तृतीय पुरस्कार और शाखा कार्यालय अकोला को द्वितीय पुरस्कार, शाखा कार्यालय छत्रपति संभाजीनगर एवं हुबली को प्रथम पुरस्कार राजभाषा शील्ड के रूप में प्रदान किया गया। इसके साथ ही, वर्ष 2025-2026 में सर्वश्रेष्ठ ई- गृह पत्रिका "राजभाषा रश्मि" के प्रकाशन हेतु मुख्यालय को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) द्वारा द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है ।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2025-2026 में आपके निगम को विश्व हिन्दी परिषद द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित अंतराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में "भारत सरकार की राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु सम्मान" पुरस्कार की श्रेणी में राजभाषा सम्मान के रूप में स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया ।

वर्ष 2025-2026 में मुंबई की सुप्रसिद्ध साहित्यिक-सांस्कृतिक-सामाजिक संस्था "आर्शीवाद" द्वारा निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय को "आर्शीवाद रत्नपुरस्कार" और निगम की गृह पत्रिका को 22वां श्रेष्ठ गृह पत्रिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया ।

मुख्यालय तथा क, ख एवं ग क्षेत्र में स्थित सभी शाखा कार्यालयों में हिंदी पत्राचार का प्रतिशत गृह मंत्रालय के

escalation feature for the reporting officer in cases where complaint handling is delayed, thereby enabling timely monitoring and disposal of complaints. The Vigilance Cell acts as the nodal agency and monitors all complaints to ensure timely and effective resolution.

30. PROGRESSIVE USE OF HINDI

In the direction of progressive use of the Official language, your Corporation has achieved all the targets laid down in the annual programme issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India for the year 2025-26.

In the year 2025-2026, the concerned Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) awarded the 3rd prize to the Head office and 1st prize to the branch office Chhatrapati Sambhajinagar and Hubli in the form of Rajbhasha Shield. Along with this, the Head office has been awarded the 2nd prize by the Navi Mumbai Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) for publishing the best E-home magazine "Rajbhasha Rashmi" in the year 2025-2026.

In addition, in the year 2025-2026 the Corporation was honoured with the memento for the Rajbhasha samman in the category of "The Best Implementation of Official Language Policy of Government of India" "in the International Hindi Conference organized by Vishwa Hindi Parishad at Vigyan Bhawan, New Delhi.

Further, in the year 2025-2026, the Chairman and Managing Director of the Corporation was honoured with the "Ashirwad Ratna Award" and the Corporation's home magazine was honoured with the 22nd Best Home Magazine Award by "Ashirwad," a well-known literary-cultural-social organisation of Mumbai.

The percentage of Hindi corresponding in the head office and all branch offices situated in A, B and C regions is more than

राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक है।

राजभाषा विभाग के आदेशानुसार, मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालय संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के तत्वावधान में आयोजित होने वाली छमाही बैठकों एवं विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते है। इसके अतिरिक्त, निगम के शाखा कार्यालय छत्रपति संभाजीनगर एवं अदिलाबाद शाखा कार्यालय भी संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता करते हैं ।

31. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, निगम ने सूचना प्रौद्धोगिकी के क्षेत्र में ये उपलब्धियां हासिल की हैं:

31.1 "कपास किसान" मोबाइल एप्लीकेशन को लागू करना

निगम ने किसानों के लिए "कपास किसान" मोबाइल ऐप को सफलता पूर्वक लागू किया है, जिसमें 40 लाख से ज़्यादा कपास किसान रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा, किसानों की सुविधा के लिए "कपास किसान" मोबाइल ऐप को क्षेत्रीय भाषाओं में भी बनाया गया और एप्पेल यूज़र्स के लिए एप स्टोर और एंड्रॉइड यूज़र्स के लिए प्ले स्टोर पर उपलब्ध कराया गया।

स्लॉट बुकिंग पर आधारित सिस्टम खरीद केंद्रों पर भीड़ और इंतज़ार के समय को कम करने में मदद करता है, जबकि किसानों के बैंक खातों में सीधे पेमेंट से सुरक्षित और समय पर ट्रांज़ैक्शन सुनिश्चित होता है। इस एप्लीकेशन ने खरीद गतिविधियों को डिजिटल और आसान बनाकर, कागज़ी काम कम करके, तुरंत नोटिफ़िकेशन और अलर्ट के ज़रिए बातचीत को बेहतर बनाकर और खरीद एजेंसियों के लिए बेहतर डेटा मैनेजमेंट को सक्षम करके देश भर के 40 लाख से ज़्यादा कपास किसानों को सशक्त बनाया है।

"कपास किसान" ऐप ने कपास खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुविधा लाकर कपास किसानों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचाया है। इस एप्लीकेशन के ज़रिए, किसान ये कर सकते हैं:

the target laid down in the annual programme issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs.

As per the orders of department of official Language, Head Office and its subordinate offices are actively participate in the six monthly meetings and various activities respective under the aegis of the respective Town Official Language Implementation Committee. Apart from this the branch Offices Chhatrapati Sambhajinagar and Adilabad are also presiding over the Town Official Language Implementation Committee (TOLIC).

31. Progress in the field of Information Technology

During the Financial Year 2025-26, the Corporation has achieved the following in the field of Information Technology:

31.1 Implementation of "Kapas Kisan" Mobile Application

The Corporation has successfully implemented "Kapas Kisan" Mobile App for farmers, wherein more than 40 lakhs cotton farmers are registered in the Mobile Application. Further, to facilitate farmers, "Kapas Kisan" mobile app was also developed in regional languages and hosted on App Store for Apple Users & Play Store for Android Users.

Slot booking based system helps reduce overcrowding and waiting time at procurement centres, while direct payment into farmers' bank accounts ensures secure and timely transactions. The application has empowered more than 40 lakh cotton farmers across the country by digitizing and simplifying procurement activities, reducing paperwork, improving communication through instant notifications and alerts, and enabling better data management for procurement agencies.

The Kapas Kisan app has significantly benefited cotton farmers by bringing transparency, efficiency, and convenience to the cotton procurement process. Through this application, farmers can:

- मोबाइल-आधारित ओटीपी ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करके डिजिटल रूप से रजिस्टर करना
- सहायक दस्तावेज़ों के साथ व्यक्तिगत, ज़मीन और फ़सल की जानकारी जमा करना
- व्यवस्थित राज्य और सीपीओ वेरिफिकेशन वर्कफ़्लो के ज़रिए मंज़ूरी की स्थिति को ट्रैक करना
- बाज़ार, मिल, तारीख और मात्रा चुनकर खरीद स्लॉट बुक करना
- कई प्रोफ़ाइल और ज़मीन के रिकॉर्ड मैनेज करना
- बुक किए गए स्लॉट देखना, रद्द करना या उनमें बदलाव करना

प्रशासनिक स्तर पर, यह सिस्टम ये सुविधाएँ देता है:

- प्रामाणिकता और नियंत्रण के लिए मल्टी-लेवल वेरिफिकेशन (राज्य लॉगिन और सीपीओ लॉगिन)
- दस्तावेज़ सत्यापन के साथ डिजिटल मंज़ूरी / अस्वीकृति कार्यप्रवाहों
- स्लॉट बुकिंग और खरीद की स्थिति की निगरानी करना

कुल मिलाकर, इस एप्लीकेशन को किसान पंजीकरण और खरीद प्रक्रिया को डिजिटल और मानकीकृत करने, मैन्युअल हस्तक्षेप को कम करने, पारदर्शिता बढ़ाने और कपास खरीद कार्यों की बेहतर योजना और निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे किसानों और सीसीआई दोनों को फ़ायदा होता है।

निगम ने "कपास किसान" मोबाइल एप्लीकेशन के लिए "एंटरप्राइज़ मोबिलिटी" कैटेगरी में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए "डिजिटल चैंपियंस एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026" जीता। यह अवार्ड इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा टेक्नोलॉजी के ज़रिए भारत के विकास इंजन को सशक्त बनाने की पहल के लिए शुरू किया गया था। "कपास किसान" मोबाइल ऐप किसानों को सरकारी सहायता तंत्र तक आसान, पारदर्शी और कुशल पहुँच प्रदान करके डिजिटल इंडिया के विज़न के अनुरूप है।

- Register digitally using mobile-based OTP authentication
- Submit personal, land, and crop details along with supporting documents
- Track approval status through a structured State and CPO verification workflow
- Book procurement slots by selecting market, mill, date, and quantity
- Manage multiple profiles and land records
- View, cancel, or modify booked slots

On the administrative side, the system enables:

- Multi-level verification (State Login and CPO Login) for authenticity and control
- Digital approval/rejection workflows with document validation
- Monitor Slot Booking & Procurement status

Overall, the application is designed to digitize and standardize the entire farmer registration and procurement process, reduce manual intervention, improve transparency, and ensure better planning and execution of cotton procurement operations, thereby benefiting both farmers and CCI.

The Corporation won Digital Champions –PSE Excellence Awards 2026 on Technology and Innovation in the "Enterprise Mobility" Category for "Kapas Kisan" Mobile Application instituted by Indian Express Group for the initiatives in Empowering India's Growth Engine Through Technology. "Kapas Kisan" Mobile App aligns with the vision of Digital India by providing farmers with easy, transparent, and efficient access to Government support mechanisms.

31.2 वेबसाइट का कायाकल्प

निगम ने नागरिकों और हितधारक के लिए जानकारी पूर्ण, पारदर्शी और इस्तेमाल में आसान डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध कराने के मकसद से, नवीनतम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी आधिकारिक वेबसाइट को नए सिरे से तैयार किया है। इस नई वेबसाइट को भारतीय सरकारी वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देशों (जीआईजीडब्ल्यू) और वेब सामग्री अभिगम्यता दिशानिर्देश (डब्लुसीएजी) के नियमों के अनुसार बनाया गया है, ताकि दिव्यांग लोगों समेत सभी यूज़र्स के लिए इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सके और यह सबके लिए सुलभ हो। वेबसाइट में बेहतर नेविगेशन, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, मज़बूत सिक्योरिटी फ़ीचर्स और ज़रूरी जानकारी व सेवाओं तक आसान पहुँच की सुविधा दी गई है।

31.3 गांठों की पहचान और ट्रैश करने की प्रणाली (बीआईटीएस) को लागू करना

निगम ने सफलतापूर्वक गांठों की पहचान और ट्रेस करने की प्रणाली (बीआईटीएस) को फिर से डिजाइन और कार्यान्वित किया है जो प्रत्येक गांठ को एक अच्छे गांठ पहचान संख्या (यूबीआईएन) के साथ एक क्यूआर कोड के साथ डिजिटल रूप से पहचानती है। कोई भी उपयोगकर्ता प्रत्येक गांठ पर चिपके अद्वितीय क्यूआर कोड को स्कैन करके या यूबीआईएन दर्ज करके कपास की उत्पत्ति, बेल प्रसंस्करण और अन्य मापदंडों का पता लगा सकता है। इससे कपड़ा उद्योग के लिए एक विश्वसनीय कच्चे माल प्रदाता के रूप में सीसीआई कपास ब्रांड की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है।

यह एप्लिकेशन वेब और मोबाइल एप्लिकेशन के साथ नवीनतम अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके विकसित किया गया है और टेम्पर प्रूफ रिकॉर्ड के साथ उपभोक्ता विश्वास को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉकचेन नेटवर्क द्वारा गांठ ट्रेसेबिलिटी संचालित है। एप्लिकेशन MeiTY अनुमोदित क्लाउड डेटा सेंटर पर होस्ट किया गया है। इसके अलावा, उद्योग को सुविधाजनक बनाने के लिए, बिट्स मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया था और ऐप स्टोर, एंड्रॉइड स्टोर और मोबाइल सेवा स्टोर पर प्रकाशित किया गया था।

31.4 कपास गांठ और बिनौला बिल बनाने की प्रणाली (कोटबिज) का कार्यान्वयन

निगम ने कपास गांठ और बिनौला बिल बनाने की प्रणाली (कोटबिज) को सफलतापूर्वक लागू किया है। यह एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जिसे खरीदारों के लिए बिलिंग और

31.2 Website Revamp

The Corporation has successfully revamped the official website using the latest technologies to provide an informative, transparent, and user-friendly digital platform for citizens and stakeholders. The redesigned website has been developed in compliance with the Guidelines for Indian Government Websites (GIGW) and Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) to ensure accessibility, usability, and inclusiveness for all users, including persons with disabilities. The website offers improved navigation, responsive design, enhanced security features, and easy access to important information and services.

31.3 Implementation of Bale Identification and Traceability System (BITS)

The Corporation has successfully re-designed and implemented Bale Identification and Traceability System (BITS) which digitally identify each and every bale with a Unique Bale Identification Number (UBIN) along with a QR Code. Any user can trace the cotton origin, bale processing and other parameters by just scanning the unique QR code pasted on each bale or by entering UBIN. This has increased CCI cotton brand reputation as a reliable raw material provider to textile industry.

The application has been developed using latest state of art of technologies with web and mobile applications and bale traceability is powered by Blockchain Network to foster the consumer trust with temper proof records. The application hosted on MeiTY Approved Cloud Data Center. Further, to facilitate industry, BITS mobile app was also developed and published on App Store, Android Store and Mobile Seva Store.

31.4 Implementation of Cotton Bales and Seed Billing System (CotBiz)

The Corporation has successfully implemented the Cotton Seed & Bale Billing System (COTBIZ), a digital platform

अनुबंध प्रबंधन प्रक्रिया को आसान और सुव्यवस्थित बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस सिस्टम के ज़रिए, खरीदार आसानी से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, डिजिटल रूप से पंजीकरण कर सकते हैं, एकाधिक भुगतान तरीकों से भुगतान कर सकते हैं और डिलीवरी ऑर्डर व इनवॉइस ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।

पोर्टल एक व्यापक डैशबोर्ड भी प्रदान करता है जो खरीदारों को सीसीआई कार्यालय परिसर में जाने की आवश्यकता के बिना अपने गांठ और गांठ अनुबंधों को ट्रैक और प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है। 24×7 उपलब्ध, सिस्टम को लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल उपकरणों के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, जिससे अधिक सुविधा, पारदर्शिता और परिचालन दक्षता सुनिश्चित होती है।

यह पहल सीसीआई की आधुनिकीकरण और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो पूरी तरह से डिजिटल, पेपरलेस प्रक्रिया को बढ़ावा देने और बिलिंग प्रणाली की समग्र दक्षता को बढ़ाने के लिए है।

31.5 मुख्य व्यावसायिक अनुप्रयोगों का प्रदर्शन

- निगम के ईआरपी, किसान पंजीकरण और बिलिंग प्रणाली ने अन्य संबंधित अनुप्रयोगों के साथ हितधारकों के लिए बिना किसी गड़बड़ी और डाउनटाइम के सफलतापूर्वक एमएसपी संचालन किया है।

- भारी व्यापार मात्रा को संभालने के लिए, निगम ने निगम के परिसर में जाए बिना अधिकारियों और विभिन्न ग्राहकों को ऑटो ईमेल के माध्यम से वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न ईआरपी प्रक्रियाओं और व्यावसायिक चक्रों को स्वचालित किया है।

- निगम ने बेहतर निर्णय लेने और कार्य की दक्षता बढ़ाने के लिए विक्रय , विपणन, वित्त, मानव संसाधन आदि के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न अनुकूलित रिपोर्ट तैयार की हैं ।

31.6 हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उन्नयन:

- निगम ने व्यावसायिकआवश्यकताओं के साथ-साथ दैनिक कार्य एवं डिजिटलीकरण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक हार्डवेयर की

designed to simplify and streamline the complete billing and contract management process for buyers. Through this system, buyers can conveniently register online, execute contracts digitally, make payments through multiple payment modes, and obtain delivery orders and invoices online.

The portal also provides a comprehensive dashboard that enables buyers to track and manage their seed and bale contracts without the need to visit CCI office premises. Available 24×7, the system can be accessed through laptops, desktops, and mobile devices, ensuring greater convenience, transparency, and operational efficiency.

This initiative reflects CCI's commitment to modernization and sustainability by promoting a fully digital, paperless process and enhancing the overall efficiency of the billing system.

31.5 Performance of Core Business Applications

- Corporation's ERP, Farmer Registration & Billing System alongwith other associated applications has successfully conducted MSP operation without any glitches and downtime to stakeholders.

- For handling huge business volume, Corporation has automated various ERP processes and business cycles for getting real time information through auto emails to officials and various customers without visiting Corporation's premise.

- Corporation has developed various customized reports to get real-time insights about sales, marketing, finance, HR etc. for making better decision and increasing the efficiency of work.

31.6 Hardware & Software Upgradation

- Corporation has procured state of art hardware as per the business requirement and also for day to day

खरीद की है।

➢ उपरोक्त के अतिरिक्त, जहाँ भी आवश्यक समझा गया, मुख्यालय और शाखाओं में मौजूदा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अत्याधुनिक उपकरणों के साथ उन्नत किया गया।

32. निगमित शासन

आपका निगम मानता है कि किसी भी निगम की सफलता के लिए, उसे अपने सभी हितधारकों के प्रति कॉर्पोरेट आचरण के वैश्विक मानकों को बनाए रखना होगा। आपका निगम मानता है कि निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांत सुशासन की आधारशिला हैं। निगम का प्रयास है कि वह शासन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करता रहे और समान उद्योग में सर्वश्रेष्ठ शासित निगमों के साथ अपनी स्थिति को मानक बनाए।

33. निदेशकों के दायित्वों का विवरण

निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सी) के तहत आवश्यकता के अनुसार, निदेशकों ने पुष्टि की।

33.1 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखे तैयार करते समय, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था तथा महत्वपूर्ण विचलनों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिया गया था;

33.2 निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया था और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

33.3 निदेशकों ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव, कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती थी।

working and digitization requirement.

- In addition to above, wherever found necessary on need basis, the existing hardware & software were upgraded with state of art devices at H.O. and Branches.

32. CORPORATE GOVERNANCE

Your Corporation believes that for a corporation to be successful, it must maintain global standards of corporate conduct towards all its stakeholders. Your Corporation believes that the principles of fairness, transparency and accountability are the cornerstones for good governance. It is Corporation's endeavor to continue to achieve the highest levels of governance and to benchmark itself with the best governed corporations in the similar trade.

33. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to the requirement under Section 134(3) (c) of the Companies Act, 2013 with respect to Directors' Responsibilities Statement, the directors confirmed.

33.1 That in the preparation of the annual accounts for the financial year ended 31st March, 2026 the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

33.2 That the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

33.3 That the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act, for safe-guarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

33.4 निदेशकों ने वार्षिक लेखे चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किये थे; और

33.5 निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थीं।

34. सांविधिक लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) ने पत्र संख्या सीए.वी/सीओवाई/केंद्र सरकार, कॉटन. (2)/215 दिनांक 10 सितंबर, 2025 के माध्यम से मेसर्स ग्रैंडमार्क एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मुंबई और मेसर्स जे सी भल्ला एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के संयुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

35. सचिवीय लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडलने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम का सचिवीय लेखा-परीक्षण करने हेतु पेशेवर कंपनी सचिव श्री राजीव शर्मा को सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। सचिवीय लेखा-परीक्षण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-ए में दी गई है। सचिवीय लेखा-परीक्षण रिपोर्ट में कोई भी शर्त, आपत्ति, प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है।

36. लेखा परीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण पर स्पष्टीकरण या टिप्पणियाँ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षकों) ने अपनी रिपोर्ट में कोई अर्हता, आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण नहीं किया है।

37. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (12) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों या बोर्ड द्वारा कोई धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई।

33.4 That the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

33.5 That the directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

34. STATUTORY AUDITORS

The Comptroller and Auditor General of India (C&AG) vide letter no. CA.V/COY/ Central Government, Cotton. (2)/215 dated 10th September, 2025 has appointed M/s. GRANDMARK & Associates, Chartered Accountants, Mumbai and M/s. J C Bhalla & Co, Chartered Accountants, New Delhi, as Joint Statutory Auditors of the Company for the year 2025-26.

35. SECRETARIAL STANDARDS

In terms of provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013, the Board of Directors has appointed Shri Rajiv Sharma, Practicing Company Secretaries as Secretarial Auditor to conduct the Secretarial Audit of the Corporation for financial year ended on 31st March, 2026. Secretarial Audit report is placed at Annexure – B to this report. The Secretarial Audit report does not contained any qualification, reservation, adverse remarks or disclaimer.

36. EXPLANATIONS OR COMMENTS ON THE QUALIFICATION, RESERVATION OR ADVERSE REMARK OR DISCLAIMER MADE BY THE AUDITOR IN HIS REPORT

During the year under review, the Statutory Auditor (s) has not made any qualification, reservation or adverse remarks or disclaimer in their report.

37. REPORTING OF FRAUD BY STATUTORY AUDITORS.

During the year under review, there were no frauds reported by the Statutory Auditor(s) or Board under Section 143 (12) of the Companies Act, 2013.

38. कर्मचारियों का विवरण

आपका निगम एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) की दिनांक 05/06/2015 की अधिसूचना के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के तहत सूचना प्रस्तुत करने से छूट प्राप्त है।

39. वार्षिक रिटर्न

धारा 134 (3) (ए) के अनुसरण में, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 के तहत धारा 92 की उपधारा (3) के तहत प्रदान की गई वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट पर डाल दी गई है और वेब पता / लिंक cotcorp.org.in/annualreport.aspx है।

40. जोखिम प्रबंधन नीति

आपके निगम ने एक जोखिम प्रबंधन नीति विकसित और अपनाई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जोखिम के तत्वों की पहचान भी शामिल है।

कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की एक जोखिम प्रबंधन समिति भी गठित की गई है। जोखिम प्रबंधन समिति को निम्नलिखित कार्यों में बोर्ड की सहायता करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है:

(क) कंपनी के उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन ढांचे की देखरेख और अनुमोदन करना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि संगठन के समक्ष आने वाले सभी जोखिम जैसे कपास खरीद परिचालन में शामिल जोखिम, बाजार/मूल्य में उतार-चढ़ाव जोखिम, लॉजिस्टिक्स जोखिम, रणनीतिक, वित्तीय, तरलता, विदेशी मुद्रा, कॉर्पोरेट लेखा धोखाधड़ी, आईटी/सिस्टम जोखिम, कानूनी, मानव संसाधन और अन्य जोखिमों की पहचान की गई है और उनका मूल्यांकन किया गया है।

एक पर्याप्त जोखिम प्रबंधन तंत्र मौजूद है जो निगम के किसी भी व्यावसायिक संचालन में निहित जोखिमों की पहचान करता है और पहचाने गए जोखिमों को परिभाषित करने, मापने, रिपोर्ट करने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है। क्रय प्रक्रियाएँ प्राप्त की गई और सीवीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप क्रय नियमावली को अद्यतन किया गया।

38. PARTICULARS OF EMPLOYEES

Your Corporation being a Government Company is exempted to furnish information under section 197 of the Companies Act, 2013 vide Ministry of Corporate Affairs (MCA) Notification dated 05/06/2015.

39. ANNUAL RETURN

In pursuant of Section 134 (3) (a),the annual return as provide under sub section (3) of Section 92 under the Companies (Amendment) Act, 2017 has been placed on the website of the Company and the web address / link is cotcorp.org.in/annualreport.aspx

40. RISK MANAGEMENT POLICY

Your Corporation has developed and adopted a Risk Management Policy, which inter alia covers identification of elements of risks.

Risk Management Committee has also been constituted comprising of senior officials of the Company. Risk Management Committee has been entrusted with the responsibility to assist the Board in:

(a) Overseeing and approving the Company's enterprise wide risk management framework;

(b) Overseeing that all risks that the organization faces such as risks involved in cotton purchase operations, market/price fluctuation risks, logistics risks, strategic, financial, liquidity, foreign exchange, corporate accounting fraud, IT/systems risks, legal, human resource and other risks have been identified and assessed.

There is an adequate risk management mechanism in place which identifies the risks inherent in any business operations of the Corporation and provided guidelines to define, measure, report, control and mitigate the identified risks. Received the purchase procedures and updated the procurement manual in line with the guidance issued by CVC.

41. औद्योगिक संबंध

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम के अपने कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रहे। आपके निगम ने सदैव अपने कर्मचारियों और उनके कौशल को अपनी मूल्यवान संपत्ति माना है और बदलती व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने पर बल देते हुए निरंतर प्रयास करता रहा है। समय-समय पर प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, वेतन वृद्धि और अन्य कल्याणकारी उपाय स्वस्थ औद्योगिक संबंधों को सुनिश्चित करते हैं।

42. आभार

43.1 आपके निदेशकगण माननीय वस्त्र मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभारी है। माननीय वस्त्र राज्य मंत्री, भारत सरकार को भी धन्यवाद। निदेशकगण, वस्त्र मंत्रालय के सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव और अन्य अधिकारियों, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों, कृषि मंत्रालय के अधिकारियों, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों, नीति आयोग और वस्त्र आयुक्त तथा उनके अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं।

43.2 निगम को समय पर सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा और कंसोर्टियम के अन्य सदस्य बैंकों का भी धन्यवाद। निदेशकगण, प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (शिपिंग) को उनके सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं।

43.3 आपके निदेशकगण, समीक्षाधीन वर्ष के लिए निगम के लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों मेसर्स केकेसी एंड एसोसिएट्स एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मुंबई और मेसर्स जे सी भल्ला एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझावों और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करते हैं।

43.4 हम राष्ट्रीय वस्त्र निगम और उसकी सहायक कम्पनियों, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, राज्य वस्त्र निगमों, सहकारी स्पिनिंग मिलों और विभिन्न एमएसएमई निजी क्षेत्र की मिलों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने आपके निगम से अपनी कपास आवश्यकताओं की पूर्ति की और इस

41. INDUSTRIAL RELATION

The Corporation enjoyed cordial relations with its employees during the year under review. Your Corporation has always considered its workforce and their skills as its valuable asset and continues to enhance their performance with emphasis on aligning it with changing business requirements. The periodical trainings, incentives, increments and other welfare measures ensure healthy industrial relations.

42. ACKNOWLEDGEMENT

43.1 The Directors wish to place on record their grateful thanks for the guidance and cooperation extended by the Hon'ble Minister of Textiles, Government of India. Thanks are also placed on record to Hon'ble Minister of State for Textiles, Government of India. The Directors also wish to thank the Secretary, Additional Secretary, Joint Secretaries and other officials of the Ministry of Textiles, officials of Ministry of Finance, officials of Ministry of Agriculture, officials of Ministry of Commerce & Industries, NITI Aayog and Textile Commissioner and his/her officials.

43.2 Thanks are also due to Bank of Baroda and other member banks of the Consortium for extending timely help and support to the Corporation. The Directors further desire to place on record their sincere thanks to the Principal Director of Audit (Shipping) for their co-operation.

43.3 Your Directors gratefully acknowledge valuable suggestions and guidance given by the Statutory Auditors M/s. KKC & Associates LLP, Chartered Accountants, Mumbai and M/s. J C Bhalla & Co, Chartered Accountants, New Delhi during the course of their audit of the accounts of the Corporation for the year under review.

43.4 Our grateful thanks are also due to the National Textile Corporation and its subsidiaries, Khadi & Village Industries Commission, the State Textile Corporations, Co-operative Spinning Mills and various MSME Private Sector Mills who covered

प्रकार निगम द्वारा प्रदान की जा रही गुणवत्ता, मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता और सेवा में अपना विश्वास बनाये रखा।

हम भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (सीआईटीआई), भारतीय कपास संघ (सीएआई), टेक्सप्रोसिल, सिमा, आईसीएएल, एनआईटीएमए, आईसीएफ, एसआईएसपीए, सीएमएआई, एईपीसी, टीएएसएमए, एसडब्ल्यूसी और सीडब्ल्यूसी के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने निगम को सहयोग प्रदान किया।

43.5 आपके निदेशकगण निगम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के आभारी हैं जिन्होंने सभी स्तरों पर अपना सहयोग, सघन प्रयत्न और कर्तव्यनिष्ठा बनाये रखा।

their cotton requirements from your Corporation, thus placing their faith in the quality, price competitiveness and service being rendered by the Corporation.

Our sincere thanks are also due to the Confederation of Indian Textile Industry (CITI), Cotton Association of India (CAI), TEXPROCIL, SIMA, ICAL, NITMA, ICF, SISPA, CMAI, AEPC, TASMA, SWCs and CWC for the co-operation extended by these organizations to the Corporation.

43.5 Your Directors thank all the officials and staff of the Corporation for their co-operation, concerted efforts and dedication at all levels.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
(ललित कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएनः 08740593)

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक : 09/07/2026

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
(Lalit Kumar Gupta)
Chairman-cum-Managing Director
(DIN: 08740593)

Place: Navi Mumbai
Date: 09/07/2026

निदेशक रिपोर्ट का अनुलग्नक क

ANNEXURE A TO DIRECTOR'S REPORT

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों (सीएसआर) पर वार्षिक रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) के अनुसरण में कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 के नियम 8(1) के साथ पढ़ा जाये)

प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रम का अवलोकन और सीएसआर नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रम के वेब लिंक में संदर्भ सहित कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त परिचय

1) **सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा:**

- भारतीय कपास निगम लिमिटेड (सीसीआई) भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। जब कपास की कीमत, भारत सरकार द्वारा घोषित एमएसपी स्तर से नीचे गिर जाती हैं तो यह भारत सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संचालन करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है । निगम का मिशन कपास किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करके, उनकी मदद करना है और इस प्रकार उनके आर्थिक हितों की रक्षा करना है। सीसीआई पूरे भारत में 570 से अधिक खरीद केंद्रों के साथ अखिल भारतीय आधार पर काम कर रहा है। इस प्रकार, किसान सीसीआई के प्रमुख हितधारक हैं और सीसीआई की संपूर्ण सीएसआर गतिविधियाँ कपास किसानों के समुदाय के लाभ के लिए संरेखित हैं।

- सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने अपने पत्र एफ क्र. 15(3)/2007-डीपीई(जीएम) दिनांक 9 अप्रैल 2010 के माध्यम से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की शुरुआत की है। सीएसआर को वर्ष 2010-11 से एमओयू में शामिल किया गया था। सीएसआर के दिशानिर्देशों में परिकल्पित, कॉर्पोरेट प्रदर्शन को आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव और पर्यावरणीय प्रभाव के संदर्भ में मिलान करने की आवश्यकता है; जिसे आमतौर पर `ट्रिपल बॉटम लाइन" कहा जाता है।

ANNUAL REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) ACTIVITIES

(Pursuant to Section 134 (3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(1) of the Companies (Corporate Social Responsibility) Rules, 2014

Brief outline of the company's CSR Policy including overview of projects or program proposed to be undertaken and reference in web link to the CSR policy and projects or programme

1) **Brief outline of CSR Policy :**

- The Cotton Corporation of India Limited (CCI) is a Public Sector Undertaking under the administrative control of Ministry of Textiles, Govt. of India. It is a Nodal Agency of Govt. of India to undertake Minimum Support Price (MSP) operations of cotton when the prices of seed cotton fall below the MSP level announced by Govt. of India. The mission of the Corporation is to help the cotton farmers by ensuring them remunerative price for their produce and thereby protect their economic interest. CCI is operating on PAN India basis with its more than 570 procurement centres in all cotton growing states. Thus, farmers are the prime stakeholders of CCI and the whole CSR activities of CCI are aligned for the benefits of the cotton farmers' community.

- The Department of Public Enterprises (DPE), vide their letter F.No.15(3)/2007-DPE(GM) dated 9th April 2010 has introduced Corporate Social Responsibility for Central Public Sector Enterprises. The CSR was included in MOU from the year 2010-11 onwards. As envisaged in the guidelines of CSR, the corporate performance needs to be matched in terms of economic impact, social impact and environmental impact; commonly called the "Triple Bottom Line".

- इसके बाद, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए ने 27 फरवरी, 2014 की अपनी अधिसूचना के ज़रिए, कंपनीज़ एक्ट, 2013 की धारा 135 और शेड्यूल VII, साथ ही कंपनीज़ (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 और बाद के संशोधनों (जिनमें 22 जनवरी, 2021 को अधिसूचित कंपनीज़ (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 और 7 जुलाई, 2025 को अधिसूचित कंपनीज़ (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2025 शामिल हैं) को अधिसूचित किया; जिसके तहत कंपनियों को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) गतिविधियों पर व्यय करना आवश्यक है।

- उपर्युक्त सीएसआर दिशानिर्देशों और समय-समय पर घोषित डीपीई वार्षिक सीएसआर विषय को ध्यान में रखते हुए, सीसीआई सामुदायिक सद्भावना बढ़ाने, सामाजिक प्रभाव और पहचान बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के सीएसआर गतिविधियों में शामिल रहा है।

- निगम की सीएसआर नीति की रुपरेखा निम्नानुसार है :

  क) <u>सीएसआर विजन स्टेटमेंट :</u>

  - निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व भाकनि के लिए एक योजनाबद्ध गतिविधि है जो निगम के परिचालन के क्षेत्र तथा आसपास आवासीय समुदाय की अपेक्षाओं को लंबे समय तक अपने क्षमतानुसार सकारात्मक प्रभाव डालने के लक्ष्य पर विचार करता है ।

  - भाकनि जहां स्थित है अथवा जहां उनके हित लक्षित है उन स्थानों पर सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में प्रेरणादायी भूमिका निभाना ताकि भाकनि क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने व कार्य करने का वातावरण निर्मित कर सके ।

  ख) <u>सीएसआर मिशन :</u>

  - शेयरधारकों और पर्यावरण पर निगम की गतिविधियों के प्रभाव की सभी पहलुओं में जिम्मेदारी लेकर समाज के हितों की सेवा करना है।

- Thereafter, the Ministry of Corporate Affairs (MCA), vide its notification dated February 27, 2014, notified Section 135 and Schedule VII of the Companies Act, 2013, along with the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, and subsequent amendments, including the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2021 notified on January 22, 2021, and Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2025 notified on July 7, 2025, pursuant to which companies are required to undertake expenditure on Corporate Social Responsibility (CSR) activities.

- Taking into consideration of aforesaid CSR guidelines and DPE annual CSR theme declared from time to time, CCI has been involved in various CSR activities to generate community goodwill, create social impact and visibility.

- The outline of CCI's CSR policy is as under:

  a) <u>CSR Vision Statement:</u>

  - The Corporate Social Responsibility (CSR) is a planned set of activities for CCI, which is targeted to have a significant positive impact in the long term taking into consideration the Corporation's capabilities, expectations of the communities living in and around the areas of its operation as well as where it has its presence.

  - The aim is to play a catalytic role in the sustainable socio-economic development in the regions, where it is located or where its interests lie, attempting to create an enabling working environment for CCI as well as sustained regional development.

  b) <u>CSR Mission:</u>

  - To serve the interests of society by taking responsibility for the impact of Corporation's activities on shareholders and environment in all aspects of its operations.

- अपने स्टेकहोल्डर्स (हितधारकों) के हितों का ध्यान रखते हुए, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से मजबूत तरीके से काम करने की प्रतिबद्धता।

- सतत विकास की प्रथा के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है और परोपकारी गतिविधियों से परे है और सतत प्रतिस्पर्धी लाभ को सुरक्षित करने के लिए सामाजिक-आर्थिक और व्यावसायिक लक्ष्यों को आपस में जोड़ता है एकीकरण तक पहुंचता है।

- निगम के संचालन और संसाधन क्षमता के आधार पर सबसे छोटी इकाई, यानी गांव, पंचायत, ब्लॉक या जिले को लाभ सुनिश्चित करना।

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के तहत निर्धारित कंपनी के औसत शुद्ध लाभ के 2% की व्यय सीमा के साथ दीर्घकालिक, सतत सामाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्य से सीएसआर गतिविधियों को चलाना, जिसकी गणना तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के आधार पर की जाती है।

ग) <u>स्थानीय क्षेत्र</u>

- सीसीआई कपास उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करके कपास उत्पादकों की मदद करने के लिए सभी कपास उत्पादक राज्यों (जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) में अखिल भारतीय आधार पर काम कर रहा है। इसलिए, सीसीआई की संपूर्ण सीएसआर गतिविधियां इसके संचालन के आसपास और जहां इसकी उपस्थिति है, वहां रहने वाले कपास किसान समुदाय के लाभ के लिए संरेखित हैं। इस प्रकार, सीसीआई की सीएसआर गतिविधि के लिए स्थानीय क्षेत्र केवल कपास किसान के क्षेत्र तक ही सीमित है।

- Commitment to operate in an economically, socially and environmentally sustainable manner, while recognizing the interests of its stakeholders.

- To closely linked with the practice of sustainable development and extends beyond philanthropic activities and reaches out to the integration of socio-economic and business goals to secure sustainable competitive advantage.

- Ensure benefits to the smallest unit i.e. village, panchayat, block or district depending upon operations and resource capability of the Corporation.

- To undertake CSR activities aimed at long-term, sustainable socio-economic development, with an expenditure limit of 2% of the average net profits of the company, as prescribed under Section 135(5) of the Companies Act, 2013, calculated on the basis of the three immediately preceding financial years.

c) <u>Local Area:</u>

- CCI is operating on PAN India basis in all cotton growing states (viz, Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Abdhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Odisha, Tamil Nadu and West Bengal) to help the cotton farmers by ensuring them remunerative price for their produce. Therefore, the whole CSR activities of CCI are aligned for the benefits of the cotton farmers' community living in and around of its operation as well as where it has its presence. Thus, the local area for CSR activity of CCI is confined to the cotton farmer's area only.

2) बोर्ड द्वारा सीएसआर समिति का गठन / Composition of the CSR Committee by Board:

क्र. सं Sl. No.	नाम Name	पदनाम Designation	वर्ग Category
1	श्री एल.के. गुप्ता Shri L.K. Gupta	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सीसीआई Chairman-cum-Managing Director, CCI	अध्यक्ष Chairman
2	श्रीमती पद्मिनी सिंगला, आईएएस Smt. Padmini Singla, IAS	संयुक्त सचिव (फाइबर), एमओटी, जीओआई Joint Secretary (Fibre), MoT, GoI	सदस्य Member
3	श्री विजय कुरडगि Shri Vijay Kuradagi	निदेशक (विपणन), सीसीआई Director (Marketing), CCI	सदस्य Member
4	श्री आर.के. गुप्ता Shri R.K.Gupta	निदेशक (वित्त), सीसीआई Director (Finance), CCI	सदस्य Member
5	डॉ. प्रशांत वी. पाटिल Dr. Prashant V. Patil	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	सदस्य Member

श्री प्रांजल पी. जोशी, मुख्य महाप्रबंधक (विपणन)/नोडल अधिकारी, निगम की सीएसआर और संधारणीय पहलों को सुविधाजनक बनाएंगे और बोर्ड स्तरीय समिति के समक्ष प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

समिति के विचारार्थ विषय नीचे दिए गए हैं :

- बोर्ड की मंजूरी के लिए सीएसआर नीति तैयार करना।
- बोर्ड को अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करना और सिफारिश करना जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों की सूची जिन्हें अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में शुरू करने के लिए अनुमोदित किया जाना है ।
  - नियम 4 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका,
  - परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए धन के उपयोग और कार्यान्वयन कार्यक्रम की तौर-तरीका ,
  - किए गए परियोजनाओं के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग का तरीका,
  - कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के लिए आवश्यकता और प्रभाव मूल्यांकन का विवरण, यदि कोई हो।

Shri Pranjal P. Joshi, CGM (Mktg.)/Nodal Officer will facilitate the CSR and sustainability initiatives of the Corporation and report the progress before Board Level Committee.

The terms of reference of the Committee is given below:

- Formulate CSR policy to the Board for approval.
- Formulate and recommend to the Board, an annual action plan in pursuance of its CSR Policy including the following:
  - List of CSR projects or programmes that are approved to be undertaken in areas or subjects specified in Schedule VII of the Act.
  - The manner of execution of such projects or programmes as specified in sub-rule (1) of rule 4,
  - The modalities of utilization of funds and implementation schedules for the projects or programmes
  - Monitoring and reporting mechanism for the projects undertaken.
  - Details of need and impact assessment, if any for the projects undertaken by the company.

3) सीएसआर नीति के लिए वेब लिंक : सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट निगम की वेबसाइट www.cotcorp.org.in पर भी उपलब्ध है ।

4) कंपनी का औसत शुद्ध लाभ ( ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए धारा 135(5) के अनुसार 2022-23 से 2024-25 तक: रु. 528.24 लाख

(क) धारा 135 (5) के अनुसार, कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2%: रु. 10.56 लाख

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन करने के लिए आवश्यक राशि: शून्य

(घ) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कोविड-19 के कारण खर्च न की गई सीएसआर राशि: शून्य

(ड़) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख+7ग+7घ): रु. 10.56 लाख

(च) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल स्वीकृत बजट : रु. 10.60 लाख

5) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सीएसआर योजना:

➢ परियोजना के लिए प्रस्ताव: महाराष्ट्र के कपास उगाने वाले और आकांक्षी जिलों में कपास चुनने की किट के साथ कपास श्रेडर मशीनों के वितरण के माध्यम से पर्यावरण संधारणीयता को बढ़ावा देते हुए कपास किसानों को उपयुक्त प्रौद्योगिकी और निवारक स्वास्थ्य उपकरणों के साथ सशक्त बनाना।

➢ लक्षित लाभार्थी और उनकी प्रमुख आवश्यकताएं: इस सीएसआर पहल के प्राथमिक लाभार्थी सीमांत और छोटे कपास किसान हैं। परियोजना का उद्देश्य सक्षम बनाकर महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करना है:

- कपास की कटाई के दौरान निवारक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं को अपनाना।

3) Web link to CSR Policy: Annual Report on CSR activities is also available at the website of the Corporation at www.cotcorp.org.in.

4) Average net profit (Ind-AS) of the company as per section 135(5) for last three financial Year i.e. from 2022-23 to 2024-25: Rs. 528.24 Lakhs

(a) 2% of the average net profit of the company as per section 135 (5): Rs. 10.56 Lakhs

(b) Surplus arising out of the CSR activities of the previous financial years: Nil

(c) Amount required to be set off for the financial year: Nil

(d) CSR amount unspent during previous financial year due to Covid-19: Nil

(e) Total CSR obligation for the financial year 2025-26(7a+7b+7c+7d): Rs.10.56 lakhs

(f) Total approved budget for the financial year 2025-26: Rs. 10.60 lakhs

5) CSR Plan for F.Y. 2025-26:

➢ Proposal for Project: To empower cotton farmers with appropriate technology and preventive health tools, while promoting environmental sustainability, through the distribution of cotton shredder machines along with cotton picking kits in cotton-growing and aspirational districts of Maharashtra.

➢ Targeted Beneficiaries and their key needs: The primary beneficiaries of this CSR initiative are marginal and small cotton farmers. The project aims to address critical on-ground challenges by enabling:

- Adoption of preventive health and safety practices during cotton harvesting.

- सुरक्षात्मक किट प्रदान करके सुरक्षित और कुशल चयन करना।
- कपास श्रेडर मशीनों का उपयोग करके फसल अवशेष प्रबंधन में सुधार करना।
- श्रम लागत और श्रम में कमी करना।
- खेत स्तर पर संदूषण को कम करना, जिससे कपास की गुणवत्ता में सुधार होता हो।
- कृषि उत्पादकता में वृद्धि और किसानों के लिए बेहतर वित्तीय रिटर्न।

➢ तालिका VII के साथ संरेखण: यह गतिविधि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के सामग्री (i) और सामग्री (iv) के अनुरूप है, जो क्रमशः "निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने" और "पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने" से संबंधित है। परियोजना नवीनतम उपलब्ध सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) वार्षिक विषय अर्थात स्वास्थ्य देखभाल और पोषण के अनुरूप भी है।

➢ परियोजना के लक्ष्य और मील के पत्थर: कपास की कटाई में निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, फसल अवशेष प्रबंधन, उत्पादन की लागत में कमी, कृषि स्तर पर संदूषण में कमी, कपास की गुणवत्ता में सुधार और . इस प्रकार उच्च वित्तीय रिटर्न।

➢ अपेक्षित समापन तिथियों सहित गतिविधियों की समय-सीमा: यह सीएसआर गतिविधि 31 मार्च 2026 से पहले पूरी की जा सकती है।

➢ अनुमानों के साथ सीएसआर बजट: 10.60 लाख रुपये

➢ निगरानी तंत्र: समय-समय पर अनुवर्ती कार्रवाई

➢ प्रगति रिपोर्टिंग और रिपोर्ट की आवृत्ति: बोर्ड स्तर की सीएसआर की प्रत्येक आवधिक बैठकों की समिति।

- Safe and efficient picking through provision of protective kits
- Improved crop residue management using cotton shredder machines
- Reduction in labour cost and drudgery
- Minimization of contamination at farm level, leading to improved cotton quality
- Enhanced farm productivity and better financial returns for farmers

➢ Alignment with Schedule VII:This activity is aligned with Item (i) and Item (iv) of Schedule VII of the Companies Act, 2013, which pertain to "promoting health care including preventive health care" and "ensuring environmental sustainability", respectively. The project is also in conformity with the latest available Department of Public Enterprises (DPE) annual theme i.e. healthcare and nutrition for focused intervention.

➢ Project Goals and milestones: To promote health care including preventive health care in harvesting of cotton, efficient crop residue management, reduction in cost of production, reduction in contamination at farm level, improvement in quality of cotton and .thereby higher financial returns.

➢ Activities Timelines including expected closure dates: This CSR activity may be completed before 31st March 2026.

➢ CSR Budget with projections: Rs. 10.60 lakhs.

➢ Monitoring mechanism: Periodical follow-up.

➢ Progress reporting and frequency of reports: In every periodic meetings of Board level CSR Committee.

➢ जोखिम और उनसे निपटने के उपाय: किसी बड़े जोखिम की आशंका नहीं है। मुख्यालय स्तर पर उचित निविदा प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए जेम पोर्टल के ज़रिए कॉटन श्रेडर मशीनें खरीदी गईं। तय खरीद नियमों के अनुसार, लागू करने वाली शाखा के स्तर पर कॉटन पिकिंग किट खरीदी गईं। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए राज्य सरकार/एपीएमसी के साथ मिलकर लाभार्थी किसानों /एफपीओ की पहचान की गई।

➢ Risks and mitigation strategies: No major risks are anticipated. Cotton shredder machines procured through the GeM portal following due tendering procedures at the Head Office level. Cotton picking kits procured at the implementing branch level as per prescribed procurement norms. Beneficiary farmers/FPOs identified in coordination with State Government /APMCs, ensuring transparency and accountability.

6) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि / CSR amount spent for the financial year:

क्र. सं. Sl. No.	परियोजना का नाम Name of the project	अधिनियम के अनुसूची VII की गतिविधियों की सूची से मदें Item from the list of activities to Schedule VII in the Act	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं) Local Area (Yes/ No)	परियोजना का स्थान Location of the project		परियोजना अवधि Project duration	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये लाख में) Amount allocated for the project (in Lakh Rs.)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये लाख में) Amount spent in the current financial year (Rs. in Lakhs)	परियोजना के अप्रयुक्त सीएसआर खाते में अंतरित राशि Amount transferred to unspent CST Account of the project as section 135 (6)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका Mode of Implementation through Implementing agency	
				राज्य State	जिला District					नाम Name	सीएसआर पंजीकरण संख्या CSR registration number
1	महाराष्ट्र के कपास उगाने वाले और आकांक्षी जिलों में कपास पीकिंग किट के साथ कपास श्रेडर मशीनों के वितरण के माध्यम से पर्यावरण संधारणीयता को बढ़ावा देते हुए कपास किसानों को उचित प्रौद्योगिकी और निवारक स्वास्थ्य उपकरणों के साथ सशक्त बनाना To empower cotton farmers with appropriate technology and preventive health tools, while promoting environmental sustainability, through the distribution of cotton shredder machines along with cotton picking kits in aspirational districts of cotton-growing and aspirational districts of Maharashtra	अनुसूची-VII की मद संख्या (i) Item no. (i) of Schedule-VII	हाँ yes	महाराष्ट्र Maha-rashtra		1 साल 1 Year	10.60	10.61	-	प्रत्यक्ष Direct	-
		कुल / Total					10.60	10.61			

➢ सीएसआर समिति का उत्तरदायित्व विवरण: सीसीआई के कार्यान्वयन और निगरानी सीएसआर नीति कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है।

➢ Responsibility statement of the CSR Committee: The implementation and monitoring of CCI's CSR Policy is in compliance with CSR objectives and Policy of the Company.

हस्ता/-

(प्रांजल पी. जोशी)
मुख्य महाप्रबंधक (विपणन)/
नोडल अधिकारी- सीएसआर

Sd/-

(Pranjal P. Joshi)
CGM (Marketing)/
Nodal Officer- CSR

निदेशक रिपोर्ट का अनुलग्नक ख
ANNEXURE B TO DIRECTOR'S REPORT

फॉर्म एमआर-3

साचिकीय ऑडिट रिपोर्ट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

FORM MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी अधिनियम 2014 के नियम संख्या 9(नियुक्ति तथा पारिश्रमिक कर्मियों) का अनुसरण करती है ।)

प्रति
सदस्यों ,
भारतीय कपास निगम लिमिटेड
(U51490MH1970GOI014733)
कपास भवन प्लाट नं 3ए,
सेक्टर 10 सीबीडी- बेलापुर
नवी मुंबई -400614
महाराष्ट्र

मैंने/हमने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और भारतीय कपास निगम लिमिटेड (जिसे इसके बाद कंपनी कहा गया है) द्वारा उत्तम कॉर्पोरेट प्रथाओं के अनुपालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट इस तरह से किया गया था जिससे मुझे/हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी के खातों, कागजात, मिनट बही, फॉर्म और दाखिल किए गए रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड और साथ ही कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान प्रदान की गई जानकारी मेरे/हमारे सत्यापन के आधार पर, मैं/हम यहां रिपोर्ट करते हैं कि मेरी/हमारी राय में, 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के ऑडिट के दौरान कंपनी ने नीचे बताए गए कानूनी प्रावधानों का अनुपालन किया है। साथ ही, कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं, जो इस रिपोर्ट में बताए गए तरीके और शर्तों के अनुसार हैं।

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED
(U51490MH1970GOI014733)
Kapas Bhavan Plot No 3A,
Sector 10 CBD-Belapur
Navi Mumbai - 400614
Maharashtra

I/We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by The Cotton Corporation of India Limited (hereinafter called the company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me/us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on my/our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, I/We hereby report that in my/our opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March 2026 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

मैंने/हमने 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई किताबों, कागज़ातों, मिनट बुक्स, फ़ॉर्म और रिटर्न और अन्य रिकॉर्ड्स की जाँच की है, जो इन प्रावधानों के अनुसार हैं:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत तैयार किए गए विनियम और उप-नियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीस प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित किए गए विनियम और दिशानिर्देश इस प्रकार है:-

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर का पर्याप्त अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 1992;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करना और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009;

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999

(ड) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीकरण) विनियम, 2008;

I/we have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31st March 2026 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

(a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

(b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992;

(c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;

(d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999;

(e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जारी करने के लिए रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट) कंपनी अधिनियम के संबंध में विनियम, 1993 और ग्राहक से संबंधित;

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का डीलिस्टिंग) विनियम, 2009; और

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998;

मेने/हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

(ii) राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के साथ कंपनी द्वारा किए गए लिस्टिंग समझौते, यदि लागू हो;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

में/हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन उचित रूप से कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड मीटिंग तय करने के लिए सभी डायरेक्टरों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है; एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं; और मीटिंग से पहले एजेंडा के विषयों पर और जानकारी व स्पष्टीकरण मांगने और पाने, तथा मीटिंग में सार्थक भागीदारी के लिए एक सिस्टम मौजूद है।

(f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;

(g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; and

(h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998;

I/we have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.

(ii) The Listing Agreements entered into by the Company with National Stock Exchange, if applicable;

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above.

I/we further report that

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

बहुमत का निर्णय लिया जाता है जबकि असहमति वाले सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त के हिस्से के रूप में दर्ज किया जाता है।

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

में/हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र और समय-समय पर निदेशक मंडल को प्रस्तुत अनुपालन प्रमाणपत्रों के आधार पर, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं।

I/we further report that, based on the compliance mechanism established by the Company and compliance certificates presented to the Board of Directors from time to time, there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

में/हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने 16 जनवरी 2025 को निदेशक मंडल की बैठक में 7,500 करोड़ रुपये की राशि के लिए वाणिज्यिक पत्र जारी करके धन जुटाने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कुल 3,750 करोड़ रुपये के वाणिज्यिक पत्र जारी किए गए और उन्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध किया गया था। उपरोक्त वाणिज्यिक पत्र मई-जून 2025 की अवधि के दौरान परिपक्व हुए।

I/we further report that the Company had passed a resolution in meeting of the Board of Directors dated 16th January, 2025 for raising funds through issuing Commercial Papers for an amount of Rs. 7,500 Crore. During the financial year 2024-25, Commercial Papers aggregating to Rs. 3,750 Crore were issued and the same were listed on The National Stock Exchange of India Limited. The aforesaid Commercial Papers matured during the period May- June 2025.

कृते एन एस पी एंड एसोसिएट्स
कंपनी संचिव

हस्ता/-
राजीव शर्मा
एफसीएस: 2660
सीपी नं. 24154
(यूडीआईएन नं. F00266H000708310)

स्थान : टोरंटो, कनाडा
दिनांक : 29 जून 2026

For NSP & Associates
Company Secretaries

Sd/-
Rajiv Sharma
FCS: F2660
CP No. 24154
(UDIN No. F002660H000708310)

Place: Toronto, Canada
Date: 29th June, 2026

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य
ऑडिट भवन, आई.पी.एस्टेट
नई दिल्ली–110002

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
AUDIT BHAWAN, I.P. ESTATE
NEW DELHI-110002

दिनांक / Date.....
08 SEP 2026

संख्याः एएमजी-I/11(24)वार्षिक लेखा/सी.सी.आई.एल/2025-26/2026-27/281-82

सेवा में

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,
भारतीय कपास निगम लिमिटेड,
कपास भवन, प्लाट न. 3A,
सेक्टर 10, सीबीडी बेलापुर,
नवी मुंबई, महाराष्ट्र- 400 614

विषय: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के अंतर्गत 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय कपास निगम लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के अंतर्गत 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय कपास निगम लिमिटेड (Cotton Corporation of India Limited) के वार्षिक वित्तीय लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलगन पत्र अग्रेषित है ।

भवदीय,

पवन
8/9/26

(डॉ पवन कुमार कोंडा)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

Ph. : +91-11-23702357 Fax : +91-11-23702359 Email : pdaica@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE COTTON CORPORATION OF INDIA (CCI) LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026

The preparation of financial statements of the Cotton Corporation of India (CCI) Limited for the year ended 31 March 2026 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the Company. The Statutory Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 09 July 2026.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of CCI Limited for the year ended 31 March 2026 under section 143(6) (a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor and is limited primarily to inquiries of the statutory auditor and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

8/9/26

(Dr. Pawan Kumar Konda)
Principal Director of Audit
(Industry and Corporate Affairs)
New Delhi

Place: New Delhi
Date: 08 SEP 2026

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अधीन 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय कपास निगम लिमिटेड, नवी मुंबई के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अधीन निर्धारित वित्तीय मानदंडों के अनुसार 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय कपास निगम लिमिटेड की वित्तीय विवरणी तैयार करना कंपनी की प्रबंधन व्यवस्था का उत्तरदायित्व है । अधिनियम की धारा 139 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम की धारा 143 के अधीन इन वित्तीय विवरणियों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है, जो लेखा परीक्षा के अनुसरण में स्वतंत्र लेखा परीक्षा और अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित आश्वासन मानदंड पर आधारित बताया गया है । यह उनके द्वारा अपनी ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 09 जूलाई 2026 को किया गया था ।

मैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय कपास निगम लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों की धारा 143 (6) (अ) के अधीन अनुपूरक लेखा परीक्षा की है । यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के वर्किंग कागजात के बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों के जांच और कंपनी कार्मिक एवं कुछ लेखा रिकॉर्ड की चयनात्मक जांच तक मुख्यतः सीमित है ।

मेरे अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी महत्त्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणी और पूरक को उत्पन्न करता हो ।

कृते और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा
परीक्षक की ओर से

हस्ता/-
(डॉ. पवन कुमार कोंडा)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(उद्योग एवं कोर्पोरेट कार्य)
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08/09/2026

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

प्रिय,
सदस्यगण
भारतीय कपास निगम लिमिटेड

To,
The Members of
The Cotton Corporation of India Limited

वित्तीय विवरणियों के लेखा परीक्षा के आधार पर रिपोर्ट

Report on the Audit of the Financial Statements

राय

1. हमने भारतीय कपास निगम लिमिटेड (`कंपनी') के संलग्न वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2026 तक का बैलेंस शीट, तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण, तथा वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स, जिनमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना और अन्य व्याख्यात्मक सूचना का सारांश ('वित्तीय विवरण') शामिल हैं।

2. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (`अधिनियम') द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी प्रदान करते हैं तथा कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित, (`इंड एएस') तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप, 31 मार्च, 2025 तक कंपनी की स्थिति, तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ और अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन तथा उसके नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

Opinion

1. We have audited the accompanying financial statements of The Cotton Corporation of India Limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2026, the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of material accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the financial statements").

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Financial Statements give the information required by the Companies Act, 2013 ('Act') in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, ('Ind AS') and other accounting principles generally accepted in India, of the State of Affairs of the Company as at March 31, 2026, and its Profit and Other Comprehensive Income, Changes in Equity and its Cash Flows for the year ended on that date.

राय का आधार

3. हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों ('एसए') के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया। इन मानकों के अंतर्गत हमारी ज़िम्मेदारियाँ हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व" अनुभाग

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing ('SAs') specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those SAs are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We

में विस्तार से वर्णित हैं। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी आचार संहिता और अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं तथा आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी की हैं। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI') together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Financial Statements under the provisions of the Act, and the rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the Financial Statements.

महत्वपूर्ण विषय पर जोर देना

4. हम वित्तीय विवरणों के नोटों में निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

क) लिंट इन्वेंट्री के मूल्यांकन के संबंध में वित्तीय विवरणों के नोट 12 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें 8,09,856.40 लाख रुपये की इन्वेंट्री का मूल्यांकन 'नेट रियलाइज़ेबल वैल्यू' पर किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, वित्तीय विवरणों के नोट 1.4 में बताई गई लेखांकन नीति के अनुसार, 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरणी में रु. 1,13,584.99 लाख का नुकसान दर्ज किया गया है।

ख) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संचालन के तहत हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति के संबंध में वित्तीय विवरणों के नोट 45 पर ध्यान दिया जाए, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 7,18,189.46 लाख रुपये का नुकसान भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय से प्रतिपूर्ति योग्य के रूप में उपार्जन आधार पर मान्यता प्राप्त किया गया है और कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित परिचालन राजस्व के रूप में प्रकट किया गया है। वर्ष के दौरान, कंपनी को 31 मार्च, 2025 तक प्राप्य एमएसपी नुकसान के एवज में भारत सरकार से 1,71,856.00 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई है। परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2026 तक एमएसपी नुकसान के प्रति भारत सरकार से प्राप्य राशि 8,04,108.14 लाख रुपये है।

Emphasis of Matter

4. We draw attention to the following matters in the notes to the financial statements:

a) Attention is invited to Note 12 to the financial statements regarding valuation of lint inventory, wherein inventories amounting to Rs. 8,09,856.40 lakh have been valued at Net Realisable Value (NRV). Consequently, a loss of Rs. 1,13,584.99 lakh has been recognised in the Statement of Profit and Loss for the year ended March 31, 2026, in accordance with the accounting policy specified in Note 1.4 to the financial statements.

b) Attention is invited to Note 45 to the financial statements regarding reimbursement of losses incurred under Minimum Support Price (MSP) operations, wherein losses amounting to Rs. 7,18,189.46 lakh for the financial year 2025-26 have been recognised on accrual basis as reimbursable from the Government of India, Ministry of Textiles, and disclosed as operating revenue, being related to the core business activities of the Company. During the year, the Company has received reimbursement of Rs. 1,71,856.00 lakh from the Government of India against MSP losses receivable up to March 31, 2025. Consequently, the amount receivable from the Government of India towards MSP losses as at March 31, 2026 stands at Rs. 8,04,108.14 lakh.

ग) वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 13 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जो संबंधित पक्षकार, राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड ('एनटीसी') से प्राप्त व्यापार प्राप्तियों से संबंधित है। रु.3,787.66 लाख (पिछले वर्ष रु.3,926.66 लाख) और नोट संख्या 17, जो एनटीसी से बकाया राशि पर ब्याज से संबंधित है, रु.4,444.91 लाख (पिछले वर्ष रु.3,599.88 लाख)। ये सभी 5 मार्च 2018 को कंपनी और एनटीसी के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार हैं। उक्त राशियों को उसमें वर्णित कारणों से प्राप्य माना जाता है।

इस मामले में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

c) Attention is drawn to Note No 13 to the financial statements pertaining to trade receivables from a related party namely National Textile Corporation Limited ("NTC") Rs. 3,787.66 lakh (previous year Rs. 3,926.66 lakh) as also Note No 17 relating to interest on overdue amount from NTC amounting to Rs. 4,444.91 lakh (previous year Rs. 3,599.88 lakh) are in accordance with the Memorandum of Understanding dated March 05, 2018, executed between the Company and NTC. The said amounts are considered receivables for the reasons stated therein.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले:

5 प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो, हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार, चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से कोई राय नहीं देते हैं।

Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले Key Audit Matter	हमारे लेखापरीक्षा में प्रमुख लेखापरीक्षा मामले को कैसे संबोधित किया गया था। How the Key Audit Matters were addressed in our audit
i. **इन्वेंटरी का मूल्यांकन (कॉटन / लिंट / कॉटन सीड)** कंपनी के पास 31 मार्च, 2026 को लिंट, बिनौला, कपास तथा अन्य कपास संबंधित उत्पादों का रु. 29,12,997.07 लाख का महत्वपूर्ण भंडार उपलब्ध था, जो बैलेंस शीट में प्रदर्शित सबसे महत्वपूर्ण मद है। सूची के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय शामिल हैं, विशेष रूप से निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) के निर्धारण में। नोट 1.4 (लेखांकन नीति) और वित्तीय विवरणों के नोट 12 देखें। **i. Valuation of Inventories (Cotton / Lint / Cotton Seed)** The Company holds significant inventories of Lint, Cotton Seed, Kapas and other cotton-related products	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे: • इन्वेंट्री वैल्यूएशन से जुड़े मुख्य कंट्रोल के डिज़ाइन और उनके लागू होने की प्रक्रिया का मूल्यांकन किया, जिसमें एनआरवी तय करने की मैनेजमेंट की प्रक्रिया भी शामिल है। • अनुमानित बिक्री कीमतों की तुलना उपलब्ध मार्केट डेटा और हाल के बिक्री लेन-देन से करके मैनेजमेंट के एनआरवी असेसमेंट की समीक्षा की। • शाखा और गोदामों में रखे स्टॉक के एक सैंपल की फिज़िकली जांच की और उनका स्टॉक रिकॉर्ड से मिलान किया। • आग या चोरी के कारण इन्वेंट्री को बट्टे खाते में डालने की उचितता और उस पर बीमा कवर की पर्याप्तता का आकलन किया।

aggregating to Rs. 29,12,997.07 lakh as at March 31, 2026, which is the most significant item on the Balance Sheet. The valuation of inventory involves significant management judgement, particularly in the determination of Net Realisable Value (NRV). Refer Note 1.4 (Accounting Policy) and Note 12 to the financial statements.	• इंड एएस 2 की आवश्यकताओं के अनुसार इन्वेंट्री मूल्यांकन के लिए अपनाई गई लेखांकन नीतियों की सुसंगतता की समीक्षा की। Our audit procedures included the following: • Evaluated the design and implementation of key controls over inventory valuation, including management's process for determining NRV. • Reviewed management's NRV assessment by comparing estimated selling prices to available market data and recent sales transactions. • Physically verified a sample of stocks held at branches and godowns and reconciled them with the stock records. • Assessed the appropriateness of inventory write-offs on account of fire/theft and the adequacy of insurance cover thereon. • Reviewed the consistency of accounting policies adopted for inventory valuation against the requirements of Ind AS 2.
ii. अल्पकालिक उधार और वित्त लागत कंपनी ने अपने एमएसपी और वाणिज्यिक कपास खरीद कार्यों के वित्तपोषण के लिए 9 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एक कंसोर्टियम से महत्वपूर्ण अल्पकालिक उधार का लाभ उठाया है। 31 मार्च, 2026 तक कुल बकाया कर्ज 33,96,751.65 लाख रुपये है और वर्ष भर का वित्तीय व्यय 1,49,706.03 लाख रुपये है। नकद ऋण सुविधाओं, कार्यशील पूंजी मांग ऋण और वाणिज्यिक पत्रों सहित इन उधारों के पैमाने और जटिलता को देखते हुए, और एमएसपी और वाणिज्यिक संचालन के बीच संबंधित आवंटन को देखते हुए, इसे एक प्रमुख ऑडिट मामला माना गया था। वित्तीय विवरणों के नोट 26 और 37 देखें। **ii. Short-Term Borrowings and Finance Costs** The Company has availed significant short-term borrowings from a consortium of 9 Public Sector Banks to finance its MSP and commercial cotton procurement operations. The outstanding borrowings as at March 31, 2026 aggregate to Rs. 33,96,751.65 lakh and Finance Costs for the year amount to Rs. 1,49,706.03 lakh. Given the scale and complexity of these borrowings including Cash Credit facilities, working capital demand loans and Commercial Papers, and the associated allocation between MSP and commercial operations, this was considered a key audit matter. Refer Notes 26 and 37 to the financial statements.	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे: • बैंक की पुष्टि प्राप्त की और बकाया उधार शेष राशि को लेखा बहियों के साथ मिलान किया। • शर्तों की सटीकता की जांच करने के लिए ऋण मंज़ूरी पत्रों, कंसोर्टियम समझौतों और सुरक्षा दस्तावेजों की समीक्षा की। • लागू दरों और उधार की अवधि के आधार पर नमूना आधार पर ब्याज उपार्जन और प्रभारों की गणना की पुष्टि की। • वाणिज्यिक पत्रों के संबंध में सेबी के नियमों का पालन करने सहित, उधार के वर्गीकरण और खुलासों की उपयुक्तता का आकलन किया। Our audit procedures included the following: • Obtained bank confirmations and reconciled the outstanding borrowing balances with the books of accounts. • Reviewed loan sanction letters, consortium agreements and security documents to assess accuracy of terms. • Verified the computation of interest accruals and charges on a sample basis against applicable rates and period of borrowing. • Assessed the appropriateness of classification and disclosures of borrowings, including compliance with SEBI regulations in respect of Commercial Papers.

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

6. कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए ज़िम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

7. वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

8. वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है तथा ऐसा करते समय यह विचार करना है कि क्या वह अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ किसी महत्वपूर्ण रूप से असंगत है, या लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान के अनुरूप नहीं है, अथवा किसी अन्य कारण से उसमें कोई महत्वपूर्ण अशुद्धि प्रतीत होती है।

9. जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें इस मामले को शासन के प्रभारी अधिकारियों को बताना होगा तथा संबंधित कानूनों और विनियमों के तहत लागू उचित कार्रवाई करनी होगी।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और निदेशक मंडल की जिम्मेदारियां

10. कंपनी का प्रबंधन तथा निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित विषयों के संबंध में उत्तरदायी हैं। वे ऐसे वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए जिम्मेदार हैं, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन (जिसमें अन्य समग्र आय भी शामिल है), इक्विटी में हुए परिवर्तनों तथा नकद प्रवाहों का सही एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं। ये वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए भी शामिल है; लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने

Information Other than the Financial Statements and Auditors' Report Thereon

6. The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Company's annual report, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon.

7. Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

8. In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

9. When we read the annual report, If, we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate action as applicable under the relevant law and regulations.

Responsibilities of Management and Board of Directors for the Financial Statements

10. The Company's Management and Board of Directors are responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance including other comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the Ind AS specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection of the appropriate accounting software for ensuring compliance with applicable laws and regulations including

के लिए उपयुक्त लेखांकन सॉफ्टवेयर का चयन, जिसमें लेखापरीक्षा लॉग के प्रतिधारण से संबंधित कानून भी शामिल हैं; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे जो एक सत्य और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं।

11. वित्तीय विवरण तैयार करते समय, निदेशक मंडल कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।

12. निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ

13. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी प्रकार की भौतिक ग़लतबयानी से मुक्त हैं, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा किसी भौतिक ग़लतबयानी का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। ग़लतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इनसे उपयोगकर्ताओं द्वारा इनके वित्तीय विवरण के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

14. एसएएस के अनुसार ऑडिट के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

those related to retention of audit logs; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

11. In preparing the financial statements, Management and Board of Directors are responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

12. The Company's Management and Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

13. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

14. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

14.1 वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करें, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और कार्यान्वित करें, और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न लगने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलतबयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

14.2 लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार की जा सकें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी ज़िम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

14.3 प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।

14.4 प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा, या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय संशोधित करनी होगी। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

14.5 वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, तथा यह भी कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका

14.1 Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

14.2 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls with reference to financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.

14.3 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Management and Board of Directors.

14.4 Conclude on the appropriateness of Management's and Board of Director's use of the going concern basis of accounting and, based on the evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

14.5 Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that

निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।

15. हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

16. हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह बयान भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

17. गवर्नेंस की ज़िम्मेदारी संभालने वालों के साथ संप्रेषित मामलों में से, हम उन मामलों को चुनते हैं जो वर्तमान अवधि की वित्तीय विवरणों के लेखापरिक्षा में सबसे अहम थे और इसलिए वे 'मुख्य ऑडिट मामले' हैं।हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित नहीं करता है या फिर बहुत ही दुर्लभ मामलों में, जब हमें लगता कि किसी मामले को रिपोर्ट में नहीं बताना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से होने वाले नुकसान, ऐसी जानकारी देने से जनता को मिलने वाले लाभों से ज़्यादा हो सकते हैं।

18. हमारा मानना है कि हमें जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वह हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

अन्य मामले

19. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का ऑडिट संयुक्त लेखा परीक्षकों जेसी भल्ला एंड कंपनी और केकेसी एंड एसोसिएट्स एलएलपी द्वारा किया गया था, जिनकी 29 जुलाई, 2025 की रिपोर्ट ने एक अपरिवर्तित राय व्यक्त की थी। इस मामले से संबंधित हमारी राय में कोई बदलाव नहीं है।

achieves fair presentation.

15. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

16. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

17. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

18. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Other Matters

19. The financial statements of the Company for the year ended March 31, 2025, were audited by Joint Auditors, J C Bhalla & Co. and KKC & Associates LLP, whose report dated July 29, 2025 had expressed an unmodified opinion. Our opinion is not modified in respect of this matter.

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

20. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') की आवश्यकता के अनुसार, हम 'अनुलग्नक-क' में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं, जहां तक लागू हो।

21. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

21.1 हमने वह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

21.2 हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।

21.3 इस रिपोर्ट में प्रस्तुत बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण, लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

21.4 हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट इंड एएस का अनुपालन करती हैं।

21.5 भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के मद्देनजर निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

21.6 कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, इस रिपोर्ट के 'अनुलग्नक-ख' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें और हमारी रिपोर्ट वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

20. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the "Annexure A" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.

21. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

21.1 We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

21.2 In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

21.3 The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss including other comprehensive income, Statement of Changes in Equity and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

21.4 In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Ind AS specified under Section 133 of the Act, read with the Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

21.5 The provisions of Section 164 (2) of the Act regarding disqualification of directors are not applicable to the Company in view of Notification No. G.S.R. 463 (E) dated June 5, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

21.6 With respect to the adequacy of internal financial controls with reference to financial statements of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure B", to this report and our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating

की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।

21.7 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान जो निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित हैं, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एमसीए अधिसूचना संख्या जी एस आर 463(ई) दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी है

22. कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

22.1 कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2026 तक लंबित मुकदमों के अपने वित्तीय स्थिति पर प्रभाव का खुलासा किया है - वित्तीय विवरणों के लिए नोट 43 देखें;

22.2 कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके कारण कोई भी भौतिक पूर्वानुमानित हानि हुई हो।

22.3 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में कोई राशि हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता नहीं थी।

22.4 (i) प्रबंधन ने, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, यह दर्शाया है कि कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं ('मध्यस्थ') भी शामिल हैं, कोई धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेशित (चाहे उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की धनराशि से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ('अंतिम लाभार्थियों') को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करेगा।

effectiveness of the Company's Internal financial controls with reference to the financial statements.

21.7 The provisions of Section 197 of the Companies Act, 2013 relating to the remuneration of directors are not applicable to the Company as it is a Government Company, pursuant to MCA Notification No. GSR 463(E) dated June 05, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India;

22. With respect to the other matters to be included in the Auditors' Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

22.1 The Company has disclosed the impact of pending litigations as at March 31, 2026 on its financial position in its financial statements as stated in Note 43 to the financial statements.

22.2 The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

22.3 There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company during the year ended March 31, 2026.

22.4 (i) The Management has represented, to best of their knowledge and belief, that no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ('Intermediaries'), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ('Ultimate Beneficiaries') or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

(ii) प्रबंधन ने, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, यह दर्शाया है कि कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं ('वित्तपोषण पक्ष') भी शामिल हैं, कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करेगी।

ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उपरोक्त पैरा (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन में कोई भौतिक गलत विवरण है।

22.5 (i) पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, जिसे कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किया गया, 889.53 लाख रुपये अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है।

(ii) बोर्ड ने अपनी 9 जुलाई, 2026 की बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1055.00 लाख रुपये का लाभांश प्रस्तावित किया है, जो वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के अधीन है। हमारी राय में, यह अधिनियम की धारा 123 के अनुरूप है। वित्तीय विवरणों के लिए नोट 60 देखें।

22.6 कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) की शर्त के अनुसार, लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके लेखा बही (बुक्स ऑफ़ अकाउंट) बनाए रखना, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा हो। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, और हमारी जांच (जिसमें टेस्ट चेक भी शामिल थे) के आधार पर, कंपनी ने अपने लेखा बही बनाए रखने के लिए ऐसे लेखांकन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है। साथ ही, सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी संबंधित ट्रांज़ैक्शन के लिए पूरे वर्ष इस सुविधा का उपयोग किया गया है। इसके अलावा,

(ii) The Management has represented, to best of their knowledge and belief, that no funds have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ('Funding Parties'), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ('Ultimate Beneficiaries') or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

Based on such audit procedures, that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representation under para (i) and (ii) above contain any material misstatement.

22.5 (i) The final dividend proposed in the previous year, declared and paid by the Company during the year for Rs. 889.53 lakh is in accordance with provisions of Section 123 of the Act.

(ii) The Board at their meeting dated July 9, 2026 has proposed a dividend for FY 2025-26 of Rs.1,055.00 lakh, subject to its approval in the Annual General Meeting. In our opinion, the same is in compliance with provisions of Section 123 of the Act. Refer Note 60 to the Financial Statements.

22.6 Proviso to Rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 for maintaining books of account using accounting software with a feature of recording audit trail (edit log) facility. As per the information and explanations given to us and based on our examination which included test checks, the Company has used accounting software for maintaining its books of account which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has been operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software. Further, the audit trail feature has not been tampered with and the audit trail has been

ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और कंपनी ने रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की कानूनी ज़रूरतों के अनुसार ऑडिट ट्रेल को संभालकर रखा है।

preserved by the Company as per the statutory requirements for record retention.

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट

23. कंपनी के अभिलेखों के सत्यापन तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर अपनी टिप्पणी 'अनुलग्नक-ग' में देते हैं।

Report on Directions Issued by the Comptroller and Auditor General of India (CAG)

23. Based on the verification of records of the Company and as per information and explanations given to us, we give our comments on the Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India in terms of Sec 143(5) of the Act in 'Annexure C'.

कृते जे. सी. भल्ला एंड कं.
For J C Bhalla & Co.

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 001111एन)
(Firm Registration No: 001111N)
हस्ता/- Sd/-
(अंशुमन मलिक)
(Anshuman Mallick)
भागीदार / Partner
सदस्यता क्र. : 547705
Membership No. : 547705
यू डी आई एन / UDIN : 26547705NHEBFN3723

स्थान / Place : नई दिल्ली / New Delhi
दिनांक / Date: 09/07/2026

कृते ग्रैंडमार्क एंड एसोसिएट्स
For GRANDMARK & Associates

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर: 011317N)
(Firm Registration No.: 011317N)
हस्ता/- Sd/-
(सुशील कुमार शर्मा)
(Sushil Kumar Sharma)
भागीदार / Partner
सदस्यता क्र.: 074380
Membership No.: 074380
यू डी आई एन / UDIN : 26074380SROYMJ8268

स्थान / Place : नई दिल्ली / New Delhi
दिनांक / Date: 09/07/2026

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए 'अनुलग्नक क'

31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के पैरा 3 एवं 4 में निर्दिष्ट विषयों पर विवरण

(भारतीय कपास निगम लिमिटेड 'कंपनी' के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत पैराग्राफ 20 में संदर्भित)

हमारे द्वारा मांगी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और कंपनी द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और लेखा परीक्षा के सामान्य पाठ्यक्रम में हमारे द्वारा जांच की गई लेखा पुस्तकों और अभिलेखों के संदर्भ में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम निम्नलिखित की रिपोर्ट करते हैं:

i. **संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (उपयोग अधिकार परिसंपत्तियों तथा निवेश संपत्ति सहित) एवं अमूर्त परिसंपत्तियाँ।**

(क) (क)कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण ('पीपीई') की स्थिति, उपयोग के अधिकार ('आरओयू') परिसंपत्तियों और निवेश संपत्ति के प्रासंगिक विवरण सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख)कंपनी अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा ब्यौरा दर्शाने वाले समुचित रिकार्ड का रखरखाव कर रही है।

(ख) कंपनी के पास भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है, जिसके द्वारा हर साल सभी पीपीई, आरओयू परिसंपत्तियाँ और निवेश संपत्ति का सत्यापन किया जाता है। हमारी राय में, भौतिक सत्यापन की यह आवधिकता कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में उचित है। कार्यक्रम के अनुसरण में, पीपीई को वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया था। हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं।

'Annexure A' to the Independent Auditor's Report

Statement on Matters Specified in Paragraphs 3 and 4 of the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 for the year ended March 31, 2026

(Referred to in paragraph 20 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of The Cotton Corporation of India Limited 'the Company' of even date).

In terms of the information and explanation sought by us and given by the Company and the books of account and records examined by us in the normal course of audit and to the best of our knowledge and belief, we report the following:

(i) **Property, Plant & Equipment, (Including Right-of-Use Assets and Investment property) and Intangible assets.**

(a) (A) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation, of Property, Plant and Equipment ("PPE") relevant details of right-of-use ("ROU") assets and Investment Property.

(B) The Company is maintaining proper records showing full particulars of Intangible assets.

(b) The Company has a regular programme of physical verification, by which all PPE, ROU assets and Investment Property are verified every year. In our opinion, this periodicity of physical verification is reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its assets. Pursuant to the programme, PPE, ROU assets and investment property were physically verified by the Management during the year. In our opinion, and according to the information and explanations given to us, no material discrepancies were noticed on such verification.

(ग) वित्तीय विवरणों में प्रकट सभी अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है, और पट्टा समझौतों को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया जाता है) बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार कंपनी के नाम पर आयोजित किए जाते हैं।

(घ) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने पीपीई (आरओयू संपत्ति और निवेश संपत्ति सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii) मालसूची

(क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा वर्ष के अंत में माल-सूची का भौतिक सत्यापन किया गया है और, प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उपयुक्त है। हमारी राय में, आविष्कारों की मात्रा के संबंध में, सत्यापन की आवृत्ति / स्टाक के ऐसे सत्यापन में कोई वास्तविक विसंगतियां नहीं पाई गई हैं।

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को वर्ष के दौरान बैंकों से चालू परिसंपत्ति की सिक्योरिटी के आधार पर कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कार्यशील पुंजीगत सीमीत मंज़ूर की गई है। कंपनी ने इन बैंकों के पास चालू परिसंपत्ति के जो तिमाही रिटर्न या स्टेटमेंट जमा किए हैं, वे कंपनी के लेखा बहियों के अनुरुप होते हैं।

(iii) ऋण/ऋण के स्वरूप वाले अग्रिम

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों,

(c) The title deeds of all the immovable properties (other than properties where the Company is the lessee, and the lease agreements are duly executed in favour of the lessee) disclosed in the financial statements are held in the name of the Company as at the Balance Sheet date.

(d) In our opinion and according to the information and explanations given to us, The Company has not revalued its property, plant and equipment (including right-of-use assets and investment property) or intangible assets during the year.

(e) In our opinion and according to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, no proceedings have been initiated or are pending against the Company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder.

(ii) Inventories

(a) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the physical verification of inventories has been conducted at year end by the Management and, the coverage and procedure of such verification by the Management is appropriate. In our opinion, having regards to the volume of inventories, the frequency / intervals of verification are reasonable. No material discrepancies have been noticed on such verification of stocks.

(b) In our opinion and according to the information and explanations given to us, The Company has been sanctioned working capital limits in excess of Rs. 5 crore in aggregate from banks during the year on the basis of security of current assets. The quarterly returns or statements of current assets filed by the Company with such banks are in agreement with the books of account of the Company.

(iii) Loans / Advances in the Nature of Loans

In our opinion and according to the information and explanations given to us, the

सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण के रूप में कोई निवेश नहीं किया है, या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। इसे देखते हुए, आदेश के खंड 3 (iii) के उप खंड (ए) से (एफ) के संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(iv) धारा 185 और 186 का अनुपालन

कंपनी ने कोई ऋण, गारंटी और सुरक्षा नहीं दी है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के तहत निवेश नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3 (iv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(v) जमा

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों या धारा 73 से 76 के प्रावधानों या अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार वर्ष के दौरान जनता से जमा राशि स्वीकार नहीं की है। हालांकि, कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी राय के अनुसार, गैर-कॉर्पोरेट ग्राहकों से 365 दिनों से अधिक समय तक बकाया ग्राहकों से अग्रिम, जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट नंबर 30 में कहा गया है, जमा की प्रकृति में नहीं हैं क्योंकि यह कंपनी के नियमित ग्राहकों के साथ चल रहे चालू खाते को दर्शाता है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी लॉ बोर्ड या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी भी अदालत या किसी अन्य ट्रिब्यूनल द्वारा कंपनी के खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

(vi) लागत रिकॉर्ड

कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए, केंद्र सरकार ने एक्ट की धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड बनाए रखने के बारे में कोई निर्देश नहीं दिया है। इसलिए, इस आदेश का खंड 3(vi) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

Company has not made any investments in, or provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties during the year. In view of this, the related provision of sub clause (a) to (f) of clause 3(iii) of the order are not applicable to the Company.

(iv) Compliance with Sections 185 and 186

The Company has not given any loans, guarantees, and security and has not made investments covered under section 185 and 186 of the Companies Act, 2013. Accordingly, clause 3(iv) of the order is not applicable to the Company.

(v) Deposits

In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits or amounts which are deemed to be deposits from the public during the year in terms of directives issued by the Reserve Bank of India or the provisions of Sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Act and the rules framed thereunder. However, as per legal opinion obtained by the Company, Advances from Customers remaining outstanding for more than 365 days from non-corporate customers, as stated in Note no. 30 to the Financial Statements are not in the nature of deposit as the same reflects ongoing current account with the regular customers of the Company. According to the information and explanation given to us, no order has been passed by Company Law Board or National Company Law Tribunal or Reserve Bank of India or any court or any other tribunal, against the Company.

(vi) Cost Records

The maintenance of cost records has not been specified by the Central Government under section 148(1) of the Act for the business activities carried out by the Company. Accordingly, clause 3(vi) of the order is not applicable to the Company.

(vii) सांविधिक बकाया

(क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी आम तौर पर बिना किसी विवाद वाले कानूनी बकायों (जैसे वस्तु एवं सेवा कर, प्रोविडेंट फंड, इनकम टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, सेस और अन्य कोई भी कानूनी बकाया) को संबंधित अधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती रही है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक, ऐसे कानूनी बकायों के संबंध में कोई भी निर्विवाद देय राशि, उनके देय होने की तारीख से छः महीने से अधिक समय तक बकाया नहीं थी।

(vii) Statutory Dues

(a) In our opinion and according to the information and explanations given to us, The Company is generally regular in depositing undisputed statutory dues, including Goods and Services Tax, Provident Fund, Income Tax, duty of Customs, cess and any other statutory dues with the appropriate authorities.

According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of such statutory dues were outstanding for a period of more than six months from the date they became payable as at March 31, 2026.

ख) कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, 31 मार्च, 2026 की स्थिति में आयकर, बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, वस्तु एवं सेवा कर तथा अन्य वैधानिक देयों के संबंध में, सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष लंबित मामलों के कारण बकाया देयों का विवरण निम्नानुसार है:

b) According to the records of the Company, the dues outstanding in respect of Income Tax, Sales Tax / Value Added Tax, Goods and Services Tax and other statutory dues on account of matters pending before appropriate authorities as at March 31, 2026 are as under:

सांविधिक का नाम Name of the Statute	देय का प्रकार Nature of Dues	*शुद्ध राशि (लाख रूपये में) *Net Amount (Rs. In lakhs)	राशि से संबंधित अवधि Period to which the amount relates	फोरम जहाँ पर विवाद लंबित है Forum where dispute is pending
राज्य और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	खरीद कर के तहत मांग Demand under Purchase Tax.	53.59	वित्तीय वर्ष 1996-97 FY 1996-97	माननीय उच्च न्यायालय, अमरावती में अपील Appeal In Hon'ble High Court, Amravati
राज्य और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	लेट लिफ्टिंग और वहन शुल्क के अंतर्गत मांग Demand under Late Lifting and Carrying Charges	3.55	वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15	एडीसी(सीटी)-तिरुपति ADC(CT)-TIRUPATHI
राज्य और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	खरीद कर के तहत मांग Penalty proceedings	3.54	वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15	एडीसी(सीटी)-विजयवाड़ा ADC(CT)-VIJAYAWADA

सांविधिक का नाम Name of the Statute	देय का प्रकार Nature of Dues	*शुद्ध राशि (लाख रूपये में) *Net Amount (Rs. In lakhs)	राशि से संबंधित अवधि Period to which the amount relates	फोरम जहाँ पर विवाद लंबित है Forum where dispute is pending
सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम CGST / SGST Act	आईटीसी की गलत स्वीकार्यता के खिलाफ अपील Appeal against incorrect admissibility of ITC	28.84	वित्तीय वर्ष 2017-18 FY 2017-18	अतिरिक्त अपीलीय आयुक्त (एसटी), तिरुपति में दायर की गई Appeal filed at The Appellate Additional Commissioner (ST), Tirupathi
सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम CGST / SGST Act	सहायक आयुक्त (एसटी) के आदेश के खिलाफ अपील Appeal against the order of Asstt. Commissioner (ST)	3.63	वित्तीय वर्ष 2018-19 FY 2018-19	अपील अतिरिक्त आयुक्त (एसटी), तिरुपति में दायर की गई Appeal filed at The Appellate Additional Commissioner (ST), Tirupathi
सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम CGST / SGST Act	सहायक आयुक्त (एसटी) के आदेश के खिलाफ अपील Appeal against the order of Asstt. Commissioner (ST)	0.62	वित्तीय वर्ष 2019-20 FY 2019-20	अपील अतिरिक्त आयुक्त (एसटी), तिरुपति में दायर की गई Appeal filed at The Appellate Additional Commissioner (ST), Tirupathi
राज्य और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	एपी वैट अधिनियम के तहत मांग। Demand under AP VAT Act.	5.96	वित्तीय वर्ष 2011-12 FY 2011-12	उच्च न्यायालय, हैदराबाद में अपील Appeal in High Court, Hyderabad
राज्य और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	एपी वैट अधिनियम के तहत मांग। Demand under AP VAT Act.	15.58	वित्तीय वर्ष 2013-14 FY 2013-14	उच्च न्यायालय, हैदराबाद में अपील Appeal in High Court, Hyderabad
सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम CGST / SGST Act	जीएसटी आईटीसी दावे के विरुद्ध मांग Demand against GST ITC claim	3.34	वित्तीय वर्ष 2019-20 FY 2019-20	राज्य कर के अतिरिक्त आयुक्त, हैदराबाद के समक्ष अपील Appeal before Additional Commissioner of State Tax, Hyderabad

सांविधिक का नाम Name of the Statute	देय का प्रकार Nature of Dues	*शुद्ध राशि (लाख रूपये में) *Net Amount (Rs. In lakhs)	राशि से संबंधित अवधि Period to which the amount relates	फोरम जहाँ पर विवाद लंबित है Forum where dispute is pending
राज्य और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	बिक्री कर के अंतर्गत मांग. Demand under Sales Tax.	5.19	वित्तीय वर्ष 2012-13 FY 2012-13	वैट ट्रिब्यूनल, गुजरात के समक्ष अपील Appeal Before VAT Tribunal, Gujarat
राज्य और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम State & Central Sales Tax Act	बिक्री कर के अंतर्गत मांग. Demand under Sales Tax.	23.03	वित्तीय वर्ष 2014-15 FY 2014-15	वैट ट्रिब्यूनल, गुजरात के समक्ष अपील Appeal Before VAT Tribunal, Gujarat
बिक्री और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम Sales & Central Sales Tax Act	न्यू मिनेरेवा मिल्स (एसईजेड) को अस्वीकृत बिक्री के संबंध में टर्नओवर Turnover with respect to Sales to New Minereva Mills (sez) Disallowed	3.92271	वित्तीय वर्ष 2017-18 (अप्रैल-17 से जून-17) FY – 2017-18 (Apr-17 to Jun-17)	माननीय तेलंगाना वैट अपीलीय न्यायाधिकरण- हैदराबाद के समक्ष अपील Appeal before H'ble Telangana Vat Appellate Tribunal-Hyderabad
बिक्री और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम Sales & Central Sales Tax Act	न्यू मिनेरेवा मिल्स (एसईजेड) को अस्वीकृत बिक्री के संबंध में टर्नओवर Turnover with respect to Sales to New Minereva Mills (sez) Disallowed	1.27	वित्तीय वर्ष 2011-12 से वित्तीय वर्ष 2016-17 FY 2011-12 to FY 2016-17	तेलंगाना वेट ट्रिब्यूनल- हैदराबाद Telangana Vat Appellate Tribunal-Hyderabad
सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम CGST / SGST Act	वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी ऑडिट की मांग - आंशिक रूप से अस्वीकृत भाग GST Audit demand for the FY 2017-18 to FY 2019-20 - Partially disallowed portion	36.34	वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2019-20 FY 2017-18 to FY 2019-20	तेलंगाना जीएसटी न्यायाधिकरण, हैदराबाद Telangana GST Tribunal, Hyderabad
सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम CGST / SGST Act	जीएसटीआर 3बी की लेट फिलींग Late filling of GSTR 3B	10.56	वित्तीय वर्ष 2019-20 FY 2019-20	संयुक्त आयुक्त अमरावती के पास अपील दायर की गई Appeal filed with joint Commissioner Amravati

सांविधिक का नाम Name of the Statute	देय का प्रकार Nature of Dues	*शुद्ध राशि (लाख रूपये में) *Net Amount (Rs. In lakhs)	राशि से संबंधित अवधि Period to which the amount relates	फोरम जहाँ पर विवाद लंबित है Forum where dispute is pending
सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम CGST / SGST Act	जीएसटी आईटीसी दावा और आरसीएम भुगतान GST ITC Claim and RCM payment	253.15	वित्तीय वर्ष 2019-20 FY 2019-20	राज्य कर उपायुक्त (अपील), फरीदकोट डिवीजन Deputy Comissioner of State Tax (Appeal), Faridkot Divison.
सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम CGST / SGST Act	जीएसटी आईटीसी दावा और आरसीएम भुगतान GST ITC Claim and RCM payment	28.39	वित्तीय वर्ष 2021-22 FY 2021-22	राज्य कर उपायुक्त (अपील), फरीदकोट डिवीजन Dy. Commissioner of State Tax (Appeal), Faridkot Division.
महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम Maharashtra Municipal Corporation Act	कलंबोली वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स के लिए पनवेल नगर निगम द्वारा बढ़ाए गए नगरपालिका कर की मांग Municipal tax demand raised by Panvel Municipal Corporation for Kalamboli Warehousing Complex	2578.57	वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2025-26 FY 2016-17 to FY 2025-26	राज्य कर उपायुक्त (अपील), फरीदकोट डिवीजन Honourable Bombay High Court
सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम CGST / SGST Act	सीजीएसटी और एसजीएसटी के बजाय आईजीएसटी में भुगतान की गई राशि Amount paid in IGST Instead of CGST and SGST	26.96	वित्तीय वर्ष 2017-18 और वित्तीय वर्ष 2019-20 FY 2017-18 and FY 2019-20	अधीक्षक का कार्यालय, एसजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, रायगडा-I रेंज Office of the Superintendent, GST & Central Excise, Rayagada-I Range
सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम CGST / SGST Act	जीएसटीआर-2ए से अधिक एकीकृत कर शीर्ष के तहत दावा/उपयोग किया गया कुल आईटीसी Total ITC under Integrated Tax head availed / claimed / used exceeding GSTR-2A	20.77	वित्तीय वर्ष 2017-18 FY 2017-18	अधीक्षक का कार्यालय, एसजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, रायगडा-I रेंज Office of the Superintendent, GST & Central Excise, Rayagada-I Range

सांविधिक का नाम Name of the Statute	देय का प्रकार Nature of Dues	*शुद्ध राशि (लाख रूपये में) *Net Amount (Rs. In lakhs)	राशि से संबंधित अवधि Period to which the amount relates	फोरम जहाँ पर विवाद लंबित है Forum where dispute is pending
सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम CGST / SGST Act	वित्तीय वर्ष 2017-18 और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 6,06,454 रुपये और 3,94,580 रुपये का असमायोजित टर्नओवर Unreconciled turnover of Rs 6,06,454/- & Rs 3,94,580/- for FY 2017-18 & FY 2018-19	1.15	17-18 और 18-19 17-18 and 18-19	अधीक्षक का कार्यालय, जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, रायगडा-I रेंज Office of the Superintendent, GST & Central Excise, Rayagada-I Range
सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम CGST / SGST Act	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रु. 2,36,34,184 का असमायोजित टर्नओवर। Unreconciled turnover of Rs.2,36,34,184/- for FY 2021-22.	236.34	वित्तीय वर्ष 2021-22 FY 2021-22	अधीक्षक का कार्यालय, जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भुवनेश्वर Office of the Superintendent, GST & Central Excise, Bhubaneswar
सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम CGST / SGST Act	वेयरहाउसिंग सेवाओं पर आईटीसी की अस्वीकृति Disallowance of ITC on warehousing services	58.85	वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2021-22 FY 2018-19 to FY 2021-22	अधीक्षक का कार्यालय, जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भुवनेश्वर Office of the Superintendent, GST & Central Excise, Bhubaneswar
सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम CGST / SGST Act	ब्याज के लिए डिमांड आर्डर Demand order for interest	2.17	वित्तीय वर्ष 2020-21 FY 2020-21	अपीलीय उप-आयुक्त (जीएसटी) कोयंबटूर, तमिलनाडु Appellate Deputy Commissioner (GST) Coimbatore, Tamilnadu
सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम CGST / SGST Act	जीएसटी आईटीसी दावा GST ITC claim	33.51	वित्तीय वर्ष 2019-20 FY 2019-20	तेलंगाना जीएसटी ट्रिब्यूनल के सामने शाखा अपील दायर करेगी। Branch to file appeal before Telangana GST Tribunal

सांविधिक का नाम Name of the Statute	देय का प्रकार Nature of Dues	*शुद्ध राशि (लाख रूपये में) *Net Amount (Rs. In lakhs)	राशि से संबंधित अवधि Period to which the amount relates	फोरम जहाँ पर विवाद लंबित है Forum where dispute is pending
सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम CGST / SGST Act	जीएसटी आईटीसी दावा GST ITC claim	1.72	वित्तीय वर्ष 2022-23 FY 2022-23	अपीलीय उप-आयुक्त (जीएसटी) महबूबनगर, तेलंगाना Appellate Deputy Commissioner (GST) Mahabubnagar, Telangana
सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम CGST / SGST Act	जीएसटी आईटीसी दावा GST ITC claim	1.47	वित्तीय वर्ष 2021-22 FY 2021-22	अपीलीय उप-आयुक्त (जीएसटी) महबूबनगर, तेलंगाना Appellate Deputy Commissioner (GST) Mahabubnagar, Telangana
आयकर की मांग Income Tax Demand	वार्षिक वर्ष 2020-21 के लिए आयकर मांग के आदेश के खिलाफ सीआईटी (ए) के समक्ष अपील Appeal before CIT (A) against order of Income tax demand for AY 2020-21	1532.01	वार्षिक वर्ष 2020-21 AY 2020-21	सीआईटी (ए), मुंबई के समक्ष अपील Appeal before CIT (A), Mumbai.
पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर (विकास और विनियमन) अधिनियम 2002 Punjab Infrastructure (Development & Regulation) Act 2002	खरीद पर पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की मांग Demand for Punjab Infrastructure Development Cess on purchases	4292.79	वित्तीय वर्ष 2005-06 और उसके बाद FY 2005-06 & onwards	माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई। Special Leave Petition filed with Hon'ble Supreme Court.

* विरोध के तहत भुगतान की गई राशि, जहां भी लागू हो, का प्रतिनिधित्व करता है।
* Represents net of amount paid under protest wherever applicable

(viii) अघोषित आय

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, हम पुष्टि करते हैं कि हमें ऐसा कोई लेन देन नही मिला है जो लेखा बही में दर्ज न हो, जिसे आयकर अधिनियम1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या दिखाया गया है।

(ix) ऋण/उधार का पुनर्भुगतान

(क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता को अपने ऋणों या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान में या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई बकाया सावधि ऋण नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (ix) (c) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण, और हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं के अनुसार, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र परीक्षा पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि अल्पकालिक आधार पर उठाए गए धन का उपयोग कंपनी द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए वर्ष के दौरान नहीं किया गया है।

(ड) कंपनी का कोई सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है। इसलिए, आदेश का खंड 3(ix)(e) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

च) कंपनी का कोई सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है। इसलिए, आदेश का खंड 3(ix)((f) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(viii) Undisclosed Income

In our opinion and according to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, we confirm that we have not come across any transactions not recorded in the books of account which have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961.

(ix) Repayment of Loans / Borrowings

(a) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not defaulted in repayment of its loans or other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender during the year.

(b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our audit procedures, we report that the Company has not been declared a wilful defaulter by any bank or financial institution or government or any government authority or any other lender.

(c) The Company has not taken any term loan during the year and there are no outstanding term loans at the beginning of the year and hence, reporting under clause 3(ix)(c) of the Order is not applicable to the Company.

(d) According to the information and explanations given to us, and the procedures performed by us, and on an overall examination of the financial statements of the Company, we report that funds raised on short-term basis have not been used during the year for long-term purposes by the Company.

(e) The Company does not have any subsidiary, associate or joint venture. Hence, clause 3(ix)(e) of the Order is not applicable to the Company.

(f) The Company has no subsidiary, joint venture or associate Company, hence, clause 3 (ix)(f) of the Order is not applicable to the Company.

(x) सार्वजनिक प्रस्ताव/अधिमान्य आबंटन

(क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (×) (क) लागू नहीं होता है।

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण, आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई वरीयता आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (×) (ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xi) धोखाधड़ी

(क) भारत में सामान्य रूप से माने जाने वाले लेखा परीक्षा के तरीकों के अनुसार कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की जांच के दौरान, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हमें वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी के साथ किसी बड़े फ्रॉड (धोखाधड़ी) का कोई मामला नहीं मिला और न ही मैनेजमेंट ने हमें ऐसे किसी मामले की जानकारी दी है, सिवाय वित्तीय विवरण के नोट 49 में बताए गए लगभग 84.74 लाख रुपये मूल्य के 306 पूर्णबंधित कपास गांठों की संदिग्ध चोरी के मामले के, जिसकी जांच चल रही है और जिसका उल्लेख वित्तीय विवरण के नोट सं. 49 में किया गया है।

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा परीक्षा ने केंद्र सरकार के पास कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत बताए गए फॉर्म एडीटी-4 में कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की है।

(ग) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को व्हिसल-ब्लोअर की कोई शिकायत नहीं मिली है।

(xii) निधि कंपनी

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए, ऑर्डर के इस खंड 3(xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(x) Public Offer / Preferential Allotment

(a) The Company did not raise money by way of an initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year. Accordingly, paragraph 3(x)(a) of the Order is not applicable.

(b) The Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully, partially or optionally convertible) during the year and hence reporting under clause 3(x)(b) of the Order is not applicable.

(xi) Fraud

(a) During the course of our examination of the books and records of the Company, carried out in accordance with the generally accepted auditing practices in India, and according to the information and explanations given to us, we have neither come across any instance of material fraud by the Company or on the Company, noticed or reported during the year, nor have we been informed of any such case by the management, except for the suspected theft of 306 FP bales valued at approximately Rs. 84.74 lakh as disclosed in Note 49 to the financial statements, which is under investigation and mentioned at note no. 49 to the financial statements.

(b) In our opinion and according to the information and explanations given to us , no report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed by auditors in Form ADT-4 as prescribed under Rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government.

(c) As represented to us by the management, there are no whistle-blower complaints received by the Company during the year.

(xii) Nidhi Company

In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is not a Nidhi Company and hence, reporting under this clause 3(xii) of the order is not applicable.

(xiii) संबंधित पार्टी लेनदेन

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन लागू होने पर अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, और संबंधित पक्ष के लेनदेन का विवरण लागू लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

(xiv) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

(क) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है जिसे अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप बनाने के लिए मजबूत और उन्नत करने की आवश्यकता है।

(ख) हमने ऑडिट के तहत अवधि के लिए आज तक जारी कंपनी की आंतरिक ऑडिट रिपोर्टों पर विचार किया है।

(xv) निदेशकों के साथ गैर-नकदी लेनदेन

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(xv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xvi) आरबीआई पंजीकरण

(क) कंपनी को रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया एक्ट, 1934 की धारा 45-IA के तहत रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए, ऑर्डर का खंड 3(xvi)(क) लागू नहीं होता है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखो की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) के बिना कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां नहीं की हैं। तदनुसार, आदेश का यह खंड लागू नहीं है।

(xiii) Related Party Transactions

In our opinion and according to the information and explanations given to us, all transactions with related parties are in compliance with sections 177 and 188 of the Act, where applicable, and the details of related party transactions have been disclosed in the financial statements as required by the applicable Indian accounting standards.

(xiv) Internal Audit System

(a) In our opinion and based on our examination, the Company has an internal audit system which needs to be strengthened and enhanced to make it fully commensurate with the size and nature of its business.

(b) We have considered the internal audit reports of the Company issued till date, for the period under audit.

(xv) Non-Cash Transactions with Directors

According to the information and explanations given to us, in our opinion during the year the Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected with its directors. Accordingly, paragraph 3(xv) of the Order is not applicable to the Company.

(xvi) RBI Registration

(a) The Company is not required to be registered under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Accordingly, clause 3(xvi)(a) of the Order is not applicable.

(b) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the company has not conducted any Non-Banking Financial or Housing Finance activities without a valid Certificate of Registration (COR) from the Reserve Bank of India as per the Reserve Bank of India Act, 1934. Accordingly, this clause of the Order is not applicable.

(ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक कोर निवेश कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का यह खंड 3 (xv)(ग) लागू नहीं है।

(घ) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह के भीतर कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है) और तदनुसार आदेश के खंड 3(xvi) (डी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xvii) नकद नुकसान

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को इस वित्तीय वर्ष और इससे ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुआ है।

(xviii) वैधानिक लेखा परीक्षकों का इस्तीफ़ा

वर्ष के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। इसलिए, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xix) वित्तीय व्यवहार्यता

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारा ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले सबूतों की हमारी परीक्षा के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर बैलेंस शीट की तारीख में मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के रूप में आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि

(c) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is not a Core Investment Company. Accordingly, this clause 3 (xvi)(c) of the Order is not applicable.

(d) In our opinion and according to the information and explanations given to us, there is no core investment company within the Group (as defined in the Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016) and accordingly reporting under clause 3(xvi)(d) of the Order is not applicable.

(xvii) Cash Losses

In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not incurred any cash losses in the financial year and in the immediately preceding financial year.

(xviii) Resignation of Statutory Auditors

There has been no resignation of the statutory auditors during the year. Hence, reporting under this clause is not applicable.

(xix) Financial Viability

According to the information and explanations given to us and on the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realisation of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, our knowledge of the Board of Directors and management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report that the Company is not capable of meeting its financial liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any

बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा निर्वहन किया जाएगा और जब वे देय होने वाली हो।

(xx) सीएसआर व्यय

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई राशि खर्च नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xx) (ए) और (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xxi) समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी के पास कोई सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है और समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (xxi) कंपनी पर लागू नहीं होता है ।

assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.

(xx) CSR Expenditure

In our opinion and according to the information and explanations given to us, there is no unspent amounts towards Corporate Social Responsibility (CSR) under sub-section (5) & (6) of Section 135 of the Companies Act, 2013. Accordingly, reporting under clauses 3(xx)(a) & (b) of the Order are not applicable.

(xxi) Consolidated Financial Statements

The Company does not have any subsidiary, associate or joint venture company and is not required to prepare consolidated financial statements. Accordingly, paragraph 3(xxi) of the Order is not applicable to the Company.

कृते जे. सी. भल्ला एंड कं.
For J C Bhalla & Co.

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 001111एन)
(Firm Registration No: 001111N)

हस्ता/- Sd/-
(अंशुमन मलिक)
(Anshuman Mallick)
भागीदार / Partner
सदस्यता क्र. : 547705
Membership No. : 547705
यू डी आई एन / UDIN : 26547705NHEBFN3723

स्थान / Place : नई दिल्ली / New Delhi
दिनांक / Date: 09/07/2026

कृते ग्रैंडमार्क एंड एसोसिएट्स
For GRANDMARK & Associates

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर: 011317N)
(Firm Registration No.: 011317N)

हस्ता/- Sd/-
(सुशील कुमार शर्मा)
(Sushil Kumar Sharma)
भागीदार / Partner
सदस्यता क्र.: 074380
Membership No.: 074380
यू डी आई एन / UDIN : 26074380SROYMJ8268

स्थान / Place : नई दिल्ली / New Delhi
दिनांक / Date: 09/07/2026

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के लिए `अनुलग्नक ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 (`अधिनियम') की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत उपरोक्त वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

(भारतीय कपास निगम लिमिटेड के सदस्यों को हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के `अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के खंड के तहत पैराग्राफ 21.6 में देखे ।)

मत

1. हमने 31 मार्च, 2026 तक भारतीय कपास निगम लिमिटेड (`कंपनी') के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों एवं उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है ।

2. हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास, सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और ये नियंत्रण 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी रूप से कार्यरत थे। यह कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदंडों पर आधारित है, जिसमें भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट (`मार्गदर्शन नोट') में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखा गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

3. कंपनी का प्रबंधन तथा निदेशक मंडल, 'इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया' (ICAI) द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट' पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रणों के ज़रूरी हिस्सों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा तय किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार

'Annexure B' to the Independent Auditors' report

Report on the Internal Financial Controls with reference to aforesaid Financial Statements under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013

(Referred to in paragraph 21.6 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the members of The Cotton Corporation of India Limited 'the Company' of even date)

Opinion

1. We have audited the internal financial controls with reference to the Financial Statements of The Cotton Corporation of India Limited ('the Company ') as at March 31, 2026, in conjunction with our audit of the Financial Statements of the Company for the year ended on that date.

2. In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial control with reference to Financial Statements and such controls were operating effectively as at March 31, 2026, based on the internal financial control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('the Guidance Note').

Management's responsibility for Internal Financial Controls

3. The Company's management and the Board of Directors are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). These responsibilities include the design,

हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो कंपनी की नीतियों का पालन, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की निवारण और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

4. हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय दें। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट' (`गाइडेंस नोट") और अधिनियम की धारा 143(10) के तहत बताए गए लेखा परीक्षा मानक के अनुसार किया, जहाँ तक वे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं। उन मानकों और गाइडेंस नोट के अनुसार, हमें नैतिक ज़रूरतों का पालन करना होता है और लेखापरीक्षा की योजना बनाकर उसे इस तरह करना होता है कि हमें उचित भरोसा मिल सके कि वित्तीय विवरण के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए गए थे और क्या ऐसे नियंत्रण सभी आवश्यक मामलों में प्रभावी रूप से काम कर रहे थे।

5. हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रभावशाली संचालन के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादित प्रक्रिया शामिल है। हमारा आंतरिक लेखा परिक्षण वित्तीय विवरणों को नियंत्रित करता है जिसमें वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, किसी महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम का आकलन करना, और निर्धारित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता की जांच और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to respective company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditor's responsibility

4. Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls with reference to financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to financial statements were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

5. Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls with reference to financial statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to financial statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to financial statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

6. हमें विश्वास है कि वित्तीय नियंत्रणों पर जो साक्ष्य लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हुए है वें हमारी राय में लेखा परीक्षा के आधार पर हेतु वित्तीय विवरणी के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय विवरणी नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

7. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो-

(1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है जो उचित विवरण के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करते हैं;

(2) सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की उचित सुनिश्चितता प्रदान करने तथा प्रबंधक और कंपनी के निदेशक के प्राधिकरण के अनुसार प्राप्तियां और व्यय को तैयार करना तथा;

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित सुनिश्चितता प्रदान करना जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

8. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन सहित, त्रुटि

6. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls with reference to financial statements.

Meaning of Internal Financial Controls with reference to the Financial Statements

7. A company's internal financial controls with reference to the Financial Statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of Financial Statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial controls with reference to the Financial Statements include those policies and procedures that

(1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company;

(2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Financial Statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Company; and

(3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the Financial Statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls with reference to the Financial Statements

8. Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to the Financial Statements, including the possibility of collusion or improper management

या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण हो सकते हैं, का पता नहीं लगाना संभव नहीं है । इसके अतिरिक्त, भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन का प्रक्षेपण इस जोखिम पर होगा कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थतियों में हुए परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते है। अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर विकृत हो सकती है ।

override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to the Financial Statements to future periods are subject to the risk that the internal financial controls with reference to the Financial Statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

कृते जे. सी. भल्ला एंड कं.
For J C Bhalla & Co.

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 001111एन)
(Firm Registration No: 001111N)

हस्ता/- Sd/-
(अंशुमन मलिक)
(Anshuman Mallick)
भागीदार / Partner
सदस्यता क्र. : 547705
Membership No. : 547705
यू डी आई एन / UDIN : 26547705NHEBFN3723

स्थान / Place : नई दिल्ली / New Delhi
दिनांक / Date: 09/07/2026

कृते ग्रैंडमार्क एंड एसोसिएट्स
For GRANDMARK & Associates

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर: 011317N)
(Firm Registration No.: 011317N)

हस्ता/- Sd/-
(सुशील कुमार शर्मा)
(Sushil Kumar Sharma)
भागीदार / Partner
सदस्यता क्र.: 074380
Membership No.: 074380
यू डी आई एन / UDIN : 26074380SROYMJ8268

स्थान / Place : नई दिल्ली / New Delhi
दिनांक / Date: 09/07/2026

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का ''अनुलग्नक ग''

कंपनी अधिनियम, 2013 कि धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखाकार परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट

(भारतीय कपास निगम लिमिटेड `कंपनी' के सदस्यों को आज की तारीख में हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 23 में इसका उल्लेख है।

"Annexure C" to the Independent Auditor's Report

Report on the Directions Issued by the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(5) of the Companies Act, 2013

(Referred to in paragraph 23 of our report to the members of The Cotton Corporation of India Limited 'the Company' of even date)

निर्देश / Directions	लेखा परिक्षक के निष्कर्ष / Auditor's Findings
1 कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति-पश्चात लाभों के लिए कंपनी द्वारा सीधे या ट्रस्टों के माध्यम से किए गए सभी निवेशों, उद्धृत और अउद्धृत, दोनों, के उचित मूल्यांकन का आकलन करें। इसमें मूल्यांकन पद्धतियों का सत्यापन, भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के साथ सुसंगतता सुनिश्चित करना तथा सहायक दस्तावेजों की समीक्षा करना शामिल है। लेखा परीक्षक को मूल्यांकन दृष्टिकोण, उसकी तर्कसंगतता और लागू विनियमों के अनुपालन पर एक संक्षिप्त नोट प्रदान करना होगा, तथा किसी भी भौतिक विचलन या गलत विवरणी की रिपोर्ट देनी होगी।	हमने कंपनी द्वारा कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति-पश्चात लाभों के लिए सीधे और ट्रस्टों के माध्यम से किए गए निवेशों, जैसे कि सीसीआई कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट, सीसीआई ग्रेच्युटी ट्रस्ट और सीसीआई कर्मचारी अंशदायी सेवानिवृत्ति योजना, के मूल्यांकन की समीक्षा की है। कंपनी के प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सभी निवेश श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत निर्धारित निवेश पैटर्न के अनुसार किए जाते हैं। निवेश को लागत पर दर्शाया गया है, इक्विटी से संबंधित निवेश को छोड़कर, जिनका मूल्यांकन 31 मार्च, 2026 तक उचित मूल्य पर किया गया है। यद्यपि भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) की आवश्यकताएँ इन छूट प्राप्त ट्रस्टों पर अनिवार्य रूप से लागू नहीं होती हैं, फिर भी हमने परिभाषित लाभ योजनाओं की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्टों पर विचार किया है, जिनमें ट्रस्ट परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निर्धारण शामिल है। समीक्षित सहायक दस्तावेज़ों और एक्चुअरी द्वारा अपनाई गई मूल्यांकन पद्धति के आधार पर, हमारा मानना है कि मूल्यांकन पद्धति उचित है और लागू नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है। कोई भी महत्वपूर्ण विचलन या गलत बयान नहीं पाया गया है।
1 Assess the fair valuation of all the investments, both quoted and unquoted, made directly by the Company or through Trusts, for Post-retirement benefits of the employees. This includes verifying valuation methodologies, ensuring consistency with Ind AS and reviewing supporting documentation. The auditor shall provide a brief note on the valuation approach, its reasonability, and compliance with applicable regulations, reporting any material deviations or misstatements.	We have reviewed the valuation of investments made by the Company directly and through trusts for post-retirement benefits of the employees such as CCI Employees Provident Fund Trust, CCI Gratuity Trust, and CCI Employees Contributory Superannuation Scheme. As informed by the management of the Company, all investments are made in accordance with the investment pattern prescribed under the Ministry of Labour & Employment. Investments are stated at cost, except for equity-related investments, which are valued at fair value as on March 31, 2026. Although the requirements of Ind AS are not mandatorily applicable to these exempted trusts, we have considered the actuarial valuation reports of the defined benefit plans, which include fair value assessments of trust assets. Based on the supporting documentation reviewed and the valuation methodology adopted by the actuary, we are of the opinion that the valuation approach is reasonable and in line with applicable regulatory guidelines. No material deviations or misstatements have been observed.

निर्देश / Directions	उत्तर / Replies
2. क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को सू.प्रौ. प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने के लिए कोई प्रणाली है? यदि हां, तो क्या इस प्रणाली और कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण नियंत्रणों के साथ-साथ साइबर सुरक्षा की समीक्षा सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा संगठनों द्वारा की गई है, जो Cert-In द्वारा सूचीबद्ध हैं, जो वर्ष में कम से कम एक बार की आवृत्ति पर की जाती है और यदि कोई बड़ी गड़बड़ी पाई जाती हैं, तो उन्हें उचित रूप से रिपोर्ट किया गया है? लेखांकन लेनदेन को सू.प्रौ. प्रणाली के बाहर संसाधित करने के लेखा की अखंडता पर वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ निहितार्थों की भी रिपोर्ट की जा सकती है।	क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा लेखों और अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी ने ओरेकल ई- बिजनेस सूट आर12.2.10. के माध्यम से अपने मुख्यालय और शाखाओं में ईआरपी प्रणाली को लागू किया है। सभी वित्तीय लेनदेन लेखा देय, लेखा प्राप्य, इन्वेंट्री प्रबंधन, बिक्री और विपणन, फिक्स्ड एसेट्स मॉड्यूल, पेरोल, जनरल लेजर और कैश मैनेजमेंट मॉड्यूल के माध्यम से रिकॉर्ड किए जाते हैं। ख) वर्ष के दौरान, कंपनी के सू.प्रौ. प्रणाली, जिसमें वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण नियंत्रण शामिल हैं, की सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा संगठन द्वारा समीक्षा की गई थी, जो Cert-in के साथ सूचीबद्ध है। ऑडिट के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाली कोई भी बड़ी गड़बड़ी या कमी नहीं पाई गई। ग) हमारी लेखापरीक्षा के दौरान सू.प्रौ. प्रणाली के बाहर संसाधित किए गए लेखांकन लेनदेन के कोई महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे ध्यान में नहीं आए हैं। तदनुसार, लेखांकन रिकॉर्ड की ईमानदारी को बनाए रखा गया है। हालांकि, एक्सेल शीट के उपयोग के कुछ उदाहरण देखे गए, जो, हमारी राय में, लेखांकन रिकॉर्ड या अंतर्निहित लेखांकन लेनदेन की अखंडता को प्रभावित नहीं करते हैं।
2. Whether the Company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, whether review of this system and controls that are significant to the Companies' financial reporting process as well as cyber security has been done by Information Security Auditing Organisations empaneled by Cert-In at a minimum frequency of once in a year and material discrepancies found, if any, have been suitably reported? The implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications may also be reported.	a) As per the information and explanations given to us and based on our examination of the accounts and records, the Company has implemented ERP system at head office and its branches using Oracle e-Business Suite R12.2.10. All financial transactions are recorded through Account Payable, Accounts Receivables, Inventory Management, Sales and Marketing, Fixed Assets Module, Payroll, General Ledger and Cash Management modules. b) During the year, the Company's IT systems, including controls significant to the financial reporting process and cyber security, were reviewed by an Information Security Auditing Organisation empanelled with CERT-IN. No material discrepancies or weaknesses having an impact on the financial reporting process were observed during the course of the audit. c) No material instances of accounting transactions having been processed outside the IT system have come to our notice during the course of our audit. Accordingly, the integrity of the accounting

निर्देश / Directions	उत्तर / Replies
	records has been maintained. However, certain instances of use of Excel sheets were observed, which, in our opinion, do not affect the integrity of the accounting records or the underlying accounting transactions.
3. क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य होने वाली धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का लेखा-जोखा लागू लेखांकन मानकों या मानदंडों के अनुसार उचित रूप से किया गया था और क्या प्राप्त धनराशि का उपयोग उसकी शर्तों के अनुसार किया गया था ? क्या प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज का लेखा-जोखा अनुदान की शर्तों के अनुसार किया गया है। गलत मामलों की सूचीबद्ध करिये। 3. Whether funds (grants/subsidy etc.) received/ receivable for specific schemes from Central / State Government or its agencies were properly accounted for as per the applicable accounting standards or norms and whether the received funds were utilised as per its terms and conditions? Whether accounting of interest earned on grants received has been done as per terms and conditions of the Grant. List the cases of deviation.	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना के तहत प्राप्त धन को लेखा पुस्तकों में ठीक से दर्ज किया गया है। एमएसपी संचालन के लिए प्राप्त धन का उपयोग भारत सरकार द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार कपास खरीद कार्यों के लिए किया गया है। ऐसी योजनाओं के नियमों और शर्तों से कोई भौतिक विचलन नहीं देखा गया है। भारत सरकार से प्राप्त/प्राप्य होने वाली धनराशि का लेखांकन एमएसपी हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार में किया जा रहा है। Based on the information and explanations given to us, funds received from the Government of India, Ministry of Textiles, under the Minimum Support Price (MSP) scheme have been properly accounted for in the books of account. Funds received for MSP operations have been utilised for cotton procurement operations as per the mandate given by the Government of India. No material deviations from the terms and conditions of such schemes have been noticed. The Funds received/receivable from Govt. of India are being accounted as per prevailing guidelines for reimbursement of MSP losses.
4. क्या कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है ?यदि हाँ, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है ?यदि हां, तो (क) क्या जोखिम प्रबंधन नीति वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है ? (ख) क्या कंपनी ने अपनी डेटा परिसंपत्तियों की पहचान की है और क्या उनका उचित मूल्यांकन किया गया है ? 4. Whether the Company has identified the key Risk areas? If yes, whether the Company has formulated any Risk Management Policy to mitigate these risks? If yes, (a) whether the Risk Management Policy has been formulated considering global best practices? (b) whether the Company has identified its data assets and whether it has been valued appropriately?	कंपनी ने सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं के अनुरूप एक जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है। पहचान किए गए जोखिम क्षेत्रों में परिचालन, वाणिज्यिक और वित्तीय जोखिम शामिल हैं, जो देश के सभी प्रमुख कपास-उत्पादक क्षेत्रों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संचालन और वाणिज्यिक खरीद के माध्यम से कपास क्षेत्र में कंपनी की भूमिका को देखते हुए महत्वपूर्ण हैं। क) कंपनी इक्विटी सूचीबद्ध कंपनी नहीं है और इसलिए एसईबीआई (एलओडीआर) विनियम 21 के तहत जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करना अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है। हालांकि, कंपनी ने सुदृढ़ शासन प्रथाओं के अनुरूप स्वेच्छा से एक जोखिम प्रबंधन नीति को अपनाया है। यह नीति बोर्ड के समक्ष रखी गई है और कंपनी की राष्ट्रव्यापी खरीद और व्यापार गतिविधियों के लिए प्रासंगिक प्रमुख परिचालन, वित्तीय और रणनीतिक जोखिमों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। कंपनी न्यूनतम समर्थन मूल्य

निर्देश / Directions	उत्तर / Replies
	(एमएसपी) संचालन और खरीद केंद्रों के अपने व्यापक नेटवर्क के माध्यम से सभी प्रमुख कपास-उत्पादकों राज्यों में वाणिज्यिक खरीद करके कपास क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह नीति सुनिश्चित करती है कि जोखिम कम करने की रणनीतियाँ किसानों के हितों की रक्षा करने और वस्त्र उद्योग के लिए आपूर्ति श्रृंखला की अखंडता बनाए रखने के लिए कंपनी के मिशन के अनुरूप हैं। ख) कंपनी ने अपने विभिन्न सू.प्रौ. प्रणाली के माध्यम से उत्पन्न और बनाए रखा गया डेटा, जिसमें ईआरपी और अन्य परिचालन अनुप्रयोग शामिल हैं, को अपने सूचना संसाधनों के हिस्से के रूप में पहचाना है। इस तरह के डेटा में मुख्य रूप से आंतरिक रूप से उत्पन्न परिचालन, वित्तीय और लेनदेन संबंधी जानकारी शामिल होती है जिसका उपयोग व्यावसायिक कार्यों, वैधानिक अनुपालन, वित्तीय रिपोर्टिंग और निर्णय लेने के लिए किया जाता है। प्रबंधन के आकलन और हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, ऐसा डेटा कंपनी अधिनियम, 2013 और इंड एएस 38 - अमूर्त संपत्ति के लागू प्रावधानों के तहत एक अमूर्त संपत्ति के लिए मान्यता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, क्योंकि यह आंतरिक रूप से उत्पन्न होता है और इसकी लागत और भविष्य के आर्थिक लाभों को विश्वसनीय रूप से नहीं मापा जा सकता है। तदनुसार, ऐसे डेटा संपत्तियों का कोई अलग मूल्यांकन नहीं किया गया है। The Company has adopted a Risk Management Policy in alignment with sound corporate governance practices. The identified risk areas include operational, commercial, and financial risks, which are critical considering the Company's role in the cotton sector through Minimum Support Price (MSP) operations and commercial procurement across all major cotton-growing regions in the country. (a) The Company is not an equity listed Company and therefore not mandatorily required to constitute a Risk Management Committee under SEBI (LODR) Regulation 21. However, the Company has voluntarily adopted a Risk Management Policy in line with sound governance practices. This policy has been placed before the Board and outlines key operational, financial, and strategic risks relevant to Company's nationwide procurement and trading activities. The Company plays a pivotal role in the cotton sector by undertaking Minimum Support Price (MSP) operations and commercial procurement across all major cotton-growing states through its extensive network of procurement centres. The policy ensures that risk mitigation strategies are aligned with the Company's mission to safeguard farmers'

निर्देश / Directions	उत्तर / Replies
	interests and maintain supply chain integrity for the textile industry. (b) The Company has identified the data generated and maintained through its various IT systems, including ERP and other operational applications, as part of its information resources. Such data primarily comprises internally generated operational, financial and transactional information used for business operations, statutory compliance, financial reporting and decision-making. Based on the management's assessment and our audit procedures, such data does not meet the recognition criteria for an intangible asset under the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Ind AS 38 – Intangible Assets, as it is internally generated and its cost and future economic benefits cannot be measured reliably. Accordingly, no separate valuation of such data assets has been carried out.
5. क्या कंपनी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, और सेबी, निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सीईआरटी-इन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीपी) के अन्य लागू नियमों एवं विनियमों का अनुपालन कर रही है ? यदि नहीं, तो गलत मामलों को हाइलाइट किया जा सकता है 5. Whether the Company is complying with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable rules and regulations of SEBI; Department of Investment and Public Asset Management; Ministry of Corporate Affairs; Department of Public Enterprises; Reserve Bank of India; Telecom Regulatory Authority of India; CERT-IN; Ministry of Electronics and Information Technology; and National Payments Corporation of India? If not, the cases of deviation may be highlighted.	वाणिज्यिक पत्र जारी करने के कारण कंपनी डेट-लिस्टेड इकाई है, इसने सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों का अनुपालन किया। प्रबंधन के प्रतिनिधित्व, जांच किए गए रिकॉर्ड और हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी ने आम तौर पर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, CERT-In और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी लागू प्रावधानों, दिशानिर्देशों और निर्देशों का अनुपालन किया है, जहां तक इसके संचालन पर लागू होता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। वर्ष के दौरान नियमों के महत्वपूर्ण उल्लंघन का कोई मामला सामने नहीं आया। The Company is a debt-listed entity on account of issuance of Commercial Papers, it complied with the applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Based on the management's representation, records examined and our audit procedures, the Company has generally complied with the applicable provisions, guidelines and directions issued by the Ministry of Corporate Affairs, Department of Public Enterprises, Department of Investment and Public Asset Management, Reserve Bank of India, National Payments Corporation of India, CERT-In and the Ministry of Electronics and Information Technology, to the extent applicable to its operations. The provisions relating to the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) are not applicable to the Company. No instances of material non-compliance were observed during the year.

कृते जे. सी. भल्ला एंड कं.
For J C Bhalla & Co.

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 001111एन)
(Firm Registration No: 001111N)
हस्ता/- Sd/-
(अंशुमन मलिक)
(Anshuman Mallick)
भागीदार / Partner
सदस्यता क्र. : 547705
Membership No. : 547705
यू डी आई एन / UDIN : 26547705NHEBFN3723

स्थान / Place : नई दिल्ली / New Delhi
दिनांक / Date: 09/07/2026

कृते ग्रैंडमार्क एंड एसोसिएट्स
For GRANDMARK & Associates

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर: 011317N)
(Firm Registration No.: 011317N)
हस्ता/- Sd/-
(सुशील कुमार शर्मा)
(Sushil Kumar Sharma)
भागीदार / Partner
सदस्यता क्र.: 074380
Membership No.: 074380
यू डी आई एन / UDIN : 26074380SROYMJ8268

स्थान / Place : नई दिल्ली / New Delhi
दिनांक / Date: 09/07/2026

31 मार्च, 2026 का तुलन–पत्र
Balance Sheet as at 31st March, 2026

(रुपये लाख में) / (Rs. in lakh)

विवरण Particulars	नोट्स Notes	दि. 31 मार्च, 2026 को As at 31st March 2026	दि. 31 मार्च, 2025 को As at 31st March 2025
(I) **परिसंपत्तियाँ / Assets**			
1. गैर चालू परिसंपत्तियाँ / Non Current Assets			
(क) संपत्ति,प्लांट,तथा उपकरण (a) Property, Plant and Equipment	2	2,131.40	2,125.90
(ख) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य (b) Capital Work in Progress	3	32.16	-
(ग) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार (c) Right of Use Assets	4	500.58	318.40
(घ) निवेश संपत्ति (d) Investment Properties	5	2,399.67	2,463.61
(ड) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ (e) Other Intangible Assets	6A	79.41	54.30
(च) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ (f) Other Intangible Assets under Development	6B	-	35.00
(छ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ (g) Financial Assets			
(i) निवेश / Investments	7	0.01	0.01
(ii) ऋण / Loans	8	214.46	286.00
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ / Other Financial Assets	9	140.17	140.43
(ज) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध) / (h) Deferred Tax Assets (Net)	10	2,748.27	3,483.29
(ट) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ / (i) Other Non-current Assets	11	388.47	400.56
कुल गैर चालू परिसम्पत्तियाँ / Total Non Current Assets		**8,634.60**	**9,307.50**
2. चालू परिसंपत्तियाँ / Current Assets			
(क) मालसूचियाँ / (a) Inventories	12	29,12,997.07	29,92,890.87
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ / (b) Financial Assets			
(i) व्यापार प्राप्य / Trade Receivables	13	7,202.69	6,705.57
(ii) नकद व नकद समकक्ष / Cash and Cash Equivalents	14	2,344.79	16,675.54
(iii) बैंक शेष उपर्युक्त (ii) को छोड़कर (iii) Bank Balances other than (ii) above	15	72.03	67.47
(iv) ऋण / Loans	16	108.53	112.21
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ / Other Financial Assets	17	8,13,743.58	2,62,089.86
(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ / (c) Other Current Assets	18	1,45,525.25	1,61,740.63
(घ) चालू कर परिसंपत्तियाँ शुद्ध / (d) Current Tax Assets (Net)	19	5,222.32	3,016.69
कुल चालू परिसंपत्तियाँ / Total Current Assets		**38,87,216.26**	**34,43,298.84**
कुल परिसंपत्तियाँ / Total Assets		**38,95,850.86**	**34,52,606.34**

II.	**इक्विटी और देयता / Equity and Liabilities**			
1	**इक्विटी / Equity**			
	क) इक्विटी शेयर पूँजी / (a) Equity Share Capital	20	2,500.00	2,500.00
	ख) अन्य इक्विटी / (b) Other Equity	21	34,078.23	31,100.79
	कुल इक्विटी / Total Equity		**36,578.23**	**33,600.79**
2	**देयता / Liabilities**			
	(i) गैर चालू देयता / (i) Non Current liabilities			
	(क) वित्तीय देयता / (a) Financial Liabilities			
	(i) उधारी / कर्ज / Borrowings		-	-
	(ia) पट्टा देयता / Lease Liability	22	311.78	163.19
	(ii) अन्य वित्तीय देयता / Other Financial Liabilities	23	464.20	435.50
	(ख) प्रावधान / (b) Provisions	24	9,540.56	9,508.57
	(ग) अन्य गैर चालू देयताएँ (c) Other Non Current Liabilities	25	812.61	612.91
	कुल गैर चालू देयताएँ / Total Non Current Liabilities		**11,129.15**	**10,720.17**
	(ii) चालू देयताएँ / (ii) Current Liabilities			
	(क) वित्तीय देयताएँ / (a) Financial Liabilities			
	(i) उधारी / कर्ज / Borrowings	26	33,96,751.65	32,01,196.02
	(ia) पट्टा देयताएँ / Lease Liability	22	100.04	59.77
	(ii) व्यापार प्राप्य / Trade Payables	27		
	सूक्ष्म और लघु उद्यम का कुल बकाया Total Outstanding dues of Micro and Small Enterprises		16,773.36	24,142.50
	सूक्ष्म और लघु उद्यम के अलावा कुल बकाया Total Outstanding dues other than Micro and Small Enterprises		26,648.47	44,641.22
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ / Other Financial Liabilities	28	25,892.13	23,558.24
	(ख) प्रावधान / (b) Provisions	29	10,422.16	2,622.03
	(ग) अन्य चालू देयताएँ (c) Other Current Liabilities	30	3,71,555.67	1,12,065.60
	कुल चालू देयताएँ / Total Current Liabilities		**38,48,143.48**	**34,08,285.38**
	कुल देयताएँ / Total Liabilities		**38,59,272.63**	**34,19,005.55**
	कुल इक्विटी एवं देयताएँ / Total Equity and Liabilities		**38,95,850.86**	**34,52,606.34**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और वित्तीय विवरणियों का भाग बनने वाले अन्य नोट्स-1 से 62
Material Accounting Policies and Notes forming part of Financial Statements - 1 to 62

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on Behalf of Board of Directors

हस्ता/- Sd/-	हस्ता/- Sd/-	हस्ता/- Sd/-	हस्ता/- Sd/-
(ललित कुमार गुप्ता)	(विजय कुरडगि)	(राजेन्द्र कुमार गुप्ता)	(राहुल ठक्कर)
(Lalit Kumar Gupta)	(Vijay Kuradagi)	(Rajendra Kumar Gupta)	(Rahul Thakkar)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक (विपणन)	निदेशक (वित्त)	कंपनी सचिव
Chairman-cum-Managing Director	Director (Marketing)	Director (Finance)	Company Secretary
DIN: 08740593	DIN: 09719867	DIN: 10711691	M. No. F14107

दिनांक / Date: 09/07/2026
स्थान / Place : नई दिल्ली / New Delhi

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In terms of our Report of even date Annexed.

कृते जे. सी. भल्ला एंड कं.
For J C Bhalla & Co.

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 001111एन)
(Firm Registration No: 001111N)

हस्ता/- Sd/-
(अंशुमन मलिक)
(Anshuman Mallick)
भागीदार / Partner
सदस्यता क्र. : 547705
Membership No. : 547705
स्थान / Place : नई दिल्ली / New Delhi
दिनांक / Date: 09/07/2026

कृते ग्रैंडमार्क एंड एसोसिएट्स
For GRANDMARK & Associates

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर: 011317N)
(Firm Registration No.: 011317N)

हस्ता/- Sd/-
(सुशील कुमार शर्मा)
(Sushil Kumar Sharma)
भागीदार / Partner
सदस्यता क्र.: 074380
Membership No.: 074380
स्थान / Place : नई दिल्ली / New Delhi
दिनांक / Date: 09/07/2026

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष की लाभ और हानि विवरणी

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2026

(रुपये लाख में) / (Rs. in lakh)

विवरण Particulars	नोट्स Notes	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष Year Ended 31st March 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended 31st March 2025
(I) परिचालन से राजस्व / Revenue from operations	31	46,90,377.12	20,00,899.53
(II) अन्य आय / Other income	32	8,158.50	6,489.78
(III) कुल आय (I+II) / TOTAL INCOME (I + II)		**46,98,535.62**	**20,07,389.31**
(IV) व्यय / EXPENSES			
(क) उपभोग की गई सामग्री की लागत (a) Cost of Material Consumed	33	42,25,145.08	37,43,024.95
(ख) व्यापार के लिए माल की खरीद (b) Purchase of Stock in Trade	34	19.07	0.00
(ग) तैयार माल,व्यापारिक स्टॉक की मालसूचीयों में परिवर्तन (c) Changes in Inventories of Finished Goods, & Stock In Trade	35	46,878.39	(20,11,686.37)
(घ) कर्मचारी लाभ व्यय / (d) Employee Benefit Expenses	36	14,772.68	13,453.39
(ड) वित्त लागत / (e) Finance Cost	37	1,49,706.03	90,573.79
(च) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय (f) Depreciation and Amortization Expenses	38	633.14	516.22
(छ) अन्य व्यय / (e) Other Expenses	39	2,56,788.95	1,67,670.01
कुल व्यय (IV) / TOTAL EXPENSES (IV)		**46,93,943.34**	**20,03,551.99**
(V) अपवादात्मक मदों एवं कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV) Profit/ (Loss) Before Exceptional Items and Tax (III-IV)		**4,592.28**	**3,837.32**
(VI) अपवादात्मक मदें व्यय/(आय) Exceptional Items Expense/ (Income)		-	-
(VII) कर से पहले लाभ/(हानि) (V+VI) Profit/(Loss) Before Tax (V+ VI)		**4,592.28**	**3,837.32**
(VIII) कर व्यय / Tax Expense:-			
(क) वर्तमान कर / (a) Current Tax	19	460.00	363.00
(ख) आस्थगित कर / (b) Deferred Tax	10	616.80	561.76
(ग) पूर्व अवधि से संबंधित समायोजन (c) Adjustment relating to Prior period		-	(52.52)
कुल कर व्यय (VIII) / Total Tax Expense (VIII)		**1,076.80**	**872.24**
(IX) वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII) Profit/(Loss) for the year (VII - VIII)		**3,515.48**	**2,965.08**

(X) अन्य व्यापक आय(ओसीआई) / Other Comprehensive Income (OCI)			
(क) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनःवर्गीकृत नहीं किया जायेगा (a) Items that will not be reclassified to profit or loss:-			
(i) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मूल्यांकन Re-measurements of the Defined Benefit Plans	40	469.71	(1,160.38)
(ii) आयकर का प्रभाव / Income Tax Effect	10	(118.22)	292.05
कुल अन्य व्यापक आय (शुद्ध कर) (X) **Total Other Comprehensive Income (Net of Tax) (X)**		**351.49**	**(868.33)**
(XI) कुल व्यापक आय (IX + X) **Total Comprehensive Income (IX + X)**		**3,866.97**	**2,096.75**
(XII) प्रतिशेयर अर्जन / Earnings Per Share:-	56		
मूल (रूपए में) / Basic (in Rs.)		140.62	118.60
तनुकृत (रूपए में) / Diluted (in Rs.)		140.62	118.60

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का वित्तीय विवरणियों का भाग बनने वाले अन्य - नोट 1 से 62 तक

Material Accounting Policies and Notes forming part of Financial Statements - Note 1 to 62

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on Behalf of Board of Directors

हस्ता/- Sd/-	हस्ता/- Sd/-	हस्ता/- Sd/-	हस्ता/- Sd/-
(ललित कुमार गुप्ता)	(विजय कुरडगि)	(राजेन्द्र कुमार गुप्ता)	(राहुल ठक्कर)
(Lalit Kumar Gupta)	(Vijay Kuradagi)	(Rajendra Kumar Gupta)	(Rahul Thakkar)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक (विपणन)	निदेशक (वित्त)	कंपनी सचिव
Chairman-cum-Managing Director	Director (Marketing)	Director (Finance)	Company Secretary
DIN: 08740593	DIN: 09719867	DIN: 10711691	M. No. F14107

दिनांक / Date: 09/07/2026
स्थान / Place : नई दिल्ली / New Delhi

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In terms of our Report of even date Annexed.

कृते जे. सी. भल्ला एंड कं.
For J C Bhalla & Co.

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 001111एन)
(Firm Registration No: 001111N)

हस्ता/- Sd/-
(अंशुमन मलिक)
(Anshuman Mallick)
भागीदार / Partner
सदस्यता क्र. : 547705
Membership No. : 547705
स्थान / Place : नई दिल्ली / New Delhi
दिनांक / Date: 09/07/2026

कृते ग्रैंडमार्क एंड एसोसिएट्स
For GRANDMARK & Associates

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर: 011317N)
(Firm Registration No.: 011317N)

हस्ता/- Sd/-
(सुशील कुमार शर्मा)
(Sushil Kumar Sharma)
भागीदार / Partner
सदस्यता क्र.: 074380
Membership No.: 074380
स्थान / Place : नई दिल्ली / New Delhi
दिनांक / Date: 09/07/2026

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2026

(रुपये लाख में) / (Rs. in lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष Year Ended 31st March 2026		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended 31st March 2025	
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह **(A) Cash Flow from Operating Activities:**				
कर पूर्व शुद्ध लाभ / Net Profit Before Tax		4,592.28		3,837.32
समायोजन के लिए / Adjustment for :				
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय Depreciation & Amortization Expenses	633.14		516.22	
ब्याज आय Interest Income	(905.99)		(692.36)	
वित्त लागत / Finance costs	1,49,706.03		90,573.79	
संदिग्ध ऋण / अग्रिम के लिए प्रावधान Provision for Doubtful Debts/Advance	-		-	
प्रावधान जिनकी आवश्यकता नहीं है Provision no longer required	(92.22)		(45.30)	
संपत्ति, प्लांट और उपकरण के मान्यता समाप्त करने पर (लाभ)/हानि (Profit)/loss on de-recogination of Property, Plant & Equipments	(3.24)	1,49,337.72	(10.39)	90,341.96
कार्यशील पूँजी में परिवर्तन के पूर्व नकद परिचालन प्रवाह **Operating Cash Flows before Working Capital Changes**		**1,53,930.00**		**94,179.28**
परिसंपत्तियों व देयताओ के परिचालन में परिवर्तन **Changes in operating Assests and Liabilities**				
व्यापार प्राप्य योग्य में (वृद्धि)/घटौती (Increase) / Decrease in Trade Receivables	(497.14)		(2,200.29)	
मालसूची में (वृद्धि)/ घटौती (Increase) / Decrease in Inventories	79,893.80		(20,46,495.05)	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृध्दि)/घटौती (Increase) / Decrease in Other Financial Assests	(5,51,653.46)		(2,23,001.38)	
अन्य परिसंपत्तियां में (वृद्धि)/घटौती (Increase) / Decrease in Other Assests	16,227.47		(1,12,246.10)	
व्यापार देय में वृद्धि / (घटौती) Increase / (Decrease) in Trade Payables	(25,361.89)		52,317.23	
प्रावधानों में वृद्धि /(घटौती) Increase / (Decrease) in Provisions	8,359.80		1,356.84	
अन्य वित्तीय देयताओं में वृद्धि /(घटौती) Increase/ (Decrease) in Other Financial Liablities	2,362.59		9,484.69	
अन्य देयताओं में वृद्धि /(घटौती Increase/ (Decrease) in Other Liablities	2,59,724.02	(2,10,944.81)	84,009.85	(22,36,774.21)

परिचालन से निर्मित नकद प्रवाह Cash flow Generated from Operations		(57,014.81)		(21,42,594.93)
प्रदत्त आयकर (शुद्ध प्रतिदाय) Income Taxes Paid (Net of Refund)		(2,665.62)		(1,855.12)
परिचालन गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी (क) **Net Cash Used in Operating Activities (A)**		**(59,680.43)**		**(21,44,450.05)**
ख) निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह **(B) Cash Flow from Investing Activities**				
संपत्ति, प्लांट व उपकरण खरीदी अथवा निर्माण Purchase or construction of Property, Plant and Equipments	(508.08)		(1,060.45)	
संपत्ति, प्लांट व उपकरण की बिक्री से आगम Proceeds on sale of Property, Plant and equipment	11.19		14.09	
वित्तीय परिसंपत्तियाँ (ऋण) में शुद्ध (वृद्धि) / घटौती Net (Increase)/ Decrease in Financial Assets (Loans)	75.21		(33.64)	
अन्य बैंक डिपॉजिट्स में शुद्ध उतार- चढाव Net movement in other Bank Deposits	(4.56)		(4.06)	
ब्याज आय Interest Income	905.99	479.75	692.36	(391.70)
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी (ख) **Net Cash Used in Investing Activities (B)**		**479.75**		**(391.70)**
ग) वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह **(C) Cash Flow from Financing Activities:**				
अल्पावधिक उधार (शुद्ध) से प्राप्त राशि(की चुकौती) Proceed from/ (Repayment of) Short Term Borrowings (Net)	1,95,555.63		22,51,196.02	
पट्टा की बाध्यता का भुगतान Repayment of Lease Obligations	(110.86)		(87.79)	
लाभांश भुगतान Dividend Paid	(889.53)		(1,167.38)	
वित्तीय लागत का भुगतान / Finance cost paid	(1,49,685.31)	44,869.93	(90,560.58)	21,59,380.27
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ग) **Net Cash Flow From Financing Activities (C)**		**44,869.93**		**21,59,380.27**
(घ) नकद में शुद्ध परिवर्तन तथा नकद समतुल्य (क+ख+ग) (D) Net changes in Cash and Cash equivalents (A+B+C)		(14,330.75)		14,538.52
(ड) वर्ष के प्रारंभ पर नकद व नगद समतुल्य (नोट-14 देखें) (E) Cash and Cash equivalents at the beginning of the year (refer note 14)		16,675.54		2,137.02
(च) वर्ष के अंत में नकद व नगद समतुल्य (नोट-14 देखें) (F) Cash and Cash equivalents at the end of the year (refer note 14)		2,344.79		16,675.54

नोट : 1) उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण नकद प्रवाह विवरणी पर इंड एएस 7 में निर्धारित "अप्रत्यक्ष पद्धति" के अंतर्गत तैयार की गई हैं ।
2) नकद प्रवाह विवरणी के अनुसार नकद समाधान व नकद समतुल्य ।

Note: 1) The above cash flow statement has been prepared under the "Indirect method" as set out in Ind AS 7 on Statement of Cash Flow
2) Reconciliation of cash and cash equivalents as per cash flow statement :

उपर्युक्त के अनुसार निम्नलिखित रोकड़ समाहित करते हुए नकद व नकद समतुल्य Cash and Cash equivalents as per above comprise of the following	31 मार्च, 2026 को As at 31st March, 2026	31 मार्च, 2025 को As at 31st March, 2025
नकदी / Cash on hand	0.01	-
बैंक के साथ शेष / Balances with banks	-	-
- चालू खाते पर / On current accounts	2,344.78	5,861.07
- कैश क्रेडिट पर / On cash credit	-	10,814.47
वर्ष की समाप्ति पर नकद व नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the end of the year	2,344.79	16,675.54

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का वित्तीय विवरणियों का भाग बनाने वाले अन्य नोट -1 से 62
Material Accounting Policies and Notes forming part of Financial Statements - 1 to 62

वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न देयताएं के लिए बैलेंस शीट में शुरुआती और समापन शेष के बीच सामंजस्य।

Reconciliation between the opening and closing balances in the Balance Sheet for liabilities arising from financing activities.

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	उधार Borrowings	वाणिज्यिक पत्र Commercial Papers	गाँठ देयताएँ Lease Liabilities
1 अप्रैल 2024 तक As at 1st April 2024	9,50,000.00	-	266.82
(क) वर्ष के दौरान कैश फ्लो (a) Cash Flows during the year	18,81,500.00	3,68,101.48	(87.79)
(ख) के कारण गैर नकद परिवर्तन (b) Non Cash Changes due to			
पट्टे की देयताएं में वृद्धि Addition to Lease Liabilities	-	-	50.64
पट्टे की देयताएं का पुनर्मूल्यांकन और वापसी Re-measurements and withdrawals of Lease Liabilities	-	-	(19.92)
पट्टे की देयताएं पर ब्याज लागत Interest cost on Lease Liabilities	-	-	13.21
वाणिज्यिक पत्र छूट का परिशोधन/उपार्जन Amortisation/accrual of Commercial Paper discount	-	1,594.54	-

1 अप्रैल 2025 तक As at 31st March 2025	28,31,500.00	3,69,696.02	222.96
(क) वर्ष के दौरान कैश फ्लो (a) Cash Flows during the year	5,65,251.65	(3,75,000.00)	(110.86)
(ख) के कारण गैर नकद परिवर्तन (b) Non Cash Changes due to			
पट्टे की देयताएं में वृद्धि Addition to Lease Liabilities	-	-	279.49
पट्टे की देयताएं का पुनर्मूल्यांकन और वापसी Re-measurements and withdrawals of Lease Liabilities	-	-	(0.49)
पट्टे की देयताएं पर ब्याज लागत Interest cost on Lease Liabilities	-	-	20.72
वाणिज्यिक पत्र छूट का परिशोधन/उपार्जन Amortisation/accrual of Commercial Paper discount	-	5,303.98	-
1 अप्रैल 2025 तक As at 31st March 2026	33,96,751.65	-	411.82

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on Behalf of Board of Directors

हस्ता/- Sd/-	हस्ता/- Sd/-	हस्ता/- Sd/-	हस्ता/- Sd/-
(ललित कुमार गुप्ता)	(विजय कुरडगि)	(राजेन्द्र कुमार गुप्ता)	(राहुल ठक्कर)
(Lalit Kumar Gupta)	(Vijay Kuradagi)	(Rajendra Kumar Gupta)	(Rahul Thakkar)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक (विपणन)	निदेशक (वित्त)	कंपनी सचिव
Chairman-cum-Managing Director	Director (Marketing)	Director (Finance)	Company Secretary
DIN: 08740593	DIN: 09719867	DIN: 10711691	M. No. F14107

दिनांक / Date: 09/07/2026
स्थान / Place : नई दिल्ली / New Delhi

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In terms of our Report of even date Annexed.

कृते जे. सी. भल्ला एंड कं.
For J C Bhalla & Co.

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 001111एन)
(Firm Registration No: 001111N)
हस्ता/- Sd/-
(अंशुमन मलिक)
(Anshuman Mallick)
भागीदार / Partner
सदस्यता क्र. : 547705
Membership No. : 547705
स्थान / Place : नई दिल्ली / New Delhi
दिनांक / Date: 09/07/2026

कृते ग्रैंडमार्क एंड एसोसिएट्स
For GRANDMARK & Associates

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर: 011317N)
(Firm Registration No.: 011317N)
हस्ता/- Sd/-
(सुशील कुमार शर्मा)
(Sushil Kumar Sharma)
भागीदार / Partner
सदस्यता क्र.: 074380
Membership No.: 074380
स्थान / Place : नई दिल्ली / New Delhi
दिनांक / Date: 09/07/2026

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरणी

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY AS AT 31st MARCH 2026

क) इक्विटी शेयर पूँजी / A. Equity Share Capital

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च,2026 को As at 31st March, 2026		31 मार्च ,2025 को As at 31st March, 2025	
	शेयरों की संख्या No. of Shares	राशि Amount	शेयरों की संख्या No. of Shares	राशि Amount
1 अप्रैल 2025 को शेष Balance as at 1st April, 2025	2,500,000	2500.00	2,500,000	2500.00
वर्ष के दौरान शेयर पूँजी इक्विटी में परिवर्तन Changes in equity share capital during the year	-	-	-	-
31 मार्च 2026 को शेष Balance as at 31st March, 2026	2,500,000	2500.00	2,500,000	2500.00

ख)(i) 31 मार्च, 2026 को अन्य इक्विटी / B.(i) Other Equity as on 31st March, 2026

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	क) सामान्य आरक्षित निधि (a) General Reserve	ख) प्रतिधारित अर्जन (b) Retained Earnings	ग) अन्य व्यापक आय (c) Other Comprehensive Income	कुल Total
1 अप्रैल, 2025 को शेष Balance as at 1st April, 2025	2,798.86	29,742.49	(1,440.56)	31,100.79
लेखा नीति में परिवर्तन अथवा पूर्व अवधि से सम्बंधित परिवर्तन Changes in accounting policy or prior period changes	-	-	-	-
पट्टेवाली भूमि से स्वामित्व वाली भूमि में पुनःवर्गीकरण के कारण मूल्यह्रास हेतु समायोजन Adjustment for Depreciation due to reclassification from lease hold land to free hold land	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ पर पुनः वर्गीकृत शेष Restated balance at the beginning of the reporting period	2,798.86	29,742.49	(1,440.56)	31,100.79
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय Total Comprehensive Income for the year	-	3,515.48	351.49	3,866.97
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए देय लाभांश Dividend for FY 2024-25	-	(889.53)	-	(889.53)
31 मार्च, 2026 को शेष Balance as at 31st March, 2026	**2798.86**	**32368.44**	**(1,089.07)**	**34,078.23**

ख)(ii) 31 मार्च, 2025 को अन्य इक्विटी / B.(ii) Other Equity as on 31st March, 2025

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	क) सामान्य आरक्षित निधि (a) General Reserve	ख) प्रतिधारित अर्जन (b) Retained Earnings	ग) अन्य व्यापक आय (c) Other Comprehensive Income	कुल Total
1 अप्रैल, 2024 को शेष Balance as at 1st April, 2024	2,798.86	27,944.79	(572.23)	30,171.42
लेखा नीति में परिवर्तन अथवा पूर्व अवधि से सम्बंधित परिवर्तन Changes in accounting policy or prior period changes	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ पर पुनः वर्गीकृत शेष Restated balance at the beginning of the reporting period	2,798.86	27,944.79	(572.23)	30,171.42
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय Total Comprehensive Income for the year	-	2,965.08	(868.33)	2,096.75
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए देय लाभांश Dividend for FY 2023-24	-	(1,167.38)	-	(1,167.38)
31 मार्च, 2025 को शेष **Balance as at 31st March, 2025**	**2798.86**	**29742.49**	**(1,440.56)**	**31,100.79**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on Behalf of Board of Directors

हस्ता/- Sd/-	हस्ता/- Sd/-	हस्ता/- Sd/-	हस्ता/- Sd/-
(ललित कुमार गुप्ता)	(विजय कुरडगि)	(राजेन्द्र कुमार गुप्ता)	(राहुल ठक्कर)
(Lalit Kumar Gupta)	(Vijay Kuradagi)	(Rajendra Kumar Gupta)	(Rahul Thakkar)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक (विपणन)	निदेशक (वित्त)	कंपनी सचिव
Chairman-cum-Managing Director	Director (Marketing)	Director (Finance)	Company Secretary
DIN: 08740593	DIN: 09719867	DIN: 10711691	M. No. F14107

दिनांक / Date: 09/07/2026
स्थान / Place : नई दिल्ली / New Delhi

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In terms of our Report of even date Annexed.

कृते जे. सी. भल्ला एंड कं.
For J C Bhalla & Co.

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 001111एन)
(Firm Registration No: 001111N)

हस्ता/- Sd/-
(अंशुमन मलिक)
(Anshuman Mallick)
भागीदार / Partner
सदस्यता क्र. : 547705
Membership No. : 547705
स्थान / Place : नई दिल्ली / New Delhi
दिनांक / Date: 09/07/2026

कृते ग्रैंडमार्क एंड एसोसिएट्स
For GRANDMARK & Associates

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर: 011317N)
(Firm Registration No.: 011317N)

हस्ता/- Sd/-
(सुशील कुमार शर्मा)
(Sushil Kumar Sharma)
भागीदार / Partner
सदस्यता क्र.: 074380
Membership No.: 074380
स्थान / Place : नई दिल्ली / New Delhi
दिनांक / Date: 09/07/2026

वित्तीय विवरणियों के नोट्स

नोट 1 : कंपनी की जानकारी, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी

कंपनी की पृष्ठभूमि

भारतीय कपास निगम लिमिटेड (`कंपनी') शेयरों द्वारा सीमित एक कंपनी है, जिसे 31 जुलाई 1970 को निगमित किया गया था और भारत में अधिवासित (सीआईएन:U51490MH1970GOI14733) था। कंपनी वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारत सरकार का एक उपक्रम है और प्रसंस्करण के बाद कपास के व्यापार से जुड़ी हुई है। भारत सरकार द्वारा दिए गए अधिदेश के अनुसार, कंपनी भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) परिचालन करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है। बिनौला (कपास) मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर से ऊपर बने रहने की स्थिति में कंपनी वाणिज्यिक प्रचालन करती है।

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय `कपास भवन' प्लॉट 3 ए, सेक्टर 10, सीबीडी बेलापुर नवी मुंबई 400614 में स्थित है । कंपनी के सभी मुख्य कपास उत्पादक राज्यों में पंद्रह खरीद शाखाएं, दो बिक्री कार्यालयों, एक संपर्क कार्यालय और एक वेअर हाऊसिंग कॉम्पलेक्स हैं।

1.1 भारतीय लेखांकन मानक के अनुपालन का विवरण

ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (`अधिनियम') की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किए गए हैं, जो कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित हैं, जैसा कि संशोधित किया गया है और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधान। वित्तीय विवरण भी अधिनियम की प्रासंगिक प्रस्तुति आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं। लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया है, सिवाय इसके कि जहां एक नया जारी किया गया लेखा मानक शुरू में अपनाया जाता है या मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता होती है।

1.2 तैयार करने का आधार

सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार वर्तमान

Notes to the Financial Statements

Note 1: Company Information, Material Accounting Policies and Other Explanatory Information

Background of the Company

The Cotton Corporation of India Ltd. (the "Company") is a company limited by shares, incorporated on 31st July 1970 and domiciled in India (CIN: U51490MH1970GOI14733). The Company is a Government of India Undertaking under administrative control of Ministry of Textiles and engaged in the trading of cotton after processing. As per mandate given by the Government of India, the Company is the Central Nodal Agency to undertake Minimum Support Price (MSP) operations by the Government of India. In the event of Seed Cotton (Kapas) prices ruling above MSP level, Company undertakes commercial operations.

The registered office of the Company is situated at 'Kapas Bhavan'. Plot 3A, Sector 10, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614. The company has fifteen procurement branches locating in all major cotton growing states, two sales offices, one liaison office and one warehousing complex.

1.1 Statement of Compliance with Ind AS

These financial statements have been prepared and presented in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under section 133 of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended and other relevant provisions of the Act. The financial statements have also been prepared in accordance with the relevant presentation requirements of the Act. Accounting policies have been consistently applied except where a newly issued accounting standard is initially adopted or a revision to an existing accounting standard requires a change in the accounting policy hitherto in use.

1.2 Basis of Preparation

All assets and liabilities have been classified as current or non-current as per the Company's normal operating cycle and other criteria set out in Schedule III to the

या गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति और प्रसंस्करण के लिए उत्पादों के अधिग्रहण और नकद और नकद समकक्षों में उनकी प्राप्ति के बीच के समय के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 महीने के रूप में अपने परिचालन चक्र का निर्धारण किया है।

ऐतिहासिक लागत समझौता :

निम्नलिखित को छोड़कर वित्तीय विवरण पूर्ववृत्त लागत आधार पर तैयार किए गए है ।

क) कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है (वित्तीय साधनों पर लेखांकन नीति देखें)

ख) परिभाषित लाभ योजनाएंः योजना परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है।

कंपनी ने इस आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए हैं कि वह एक चालू संस्था के रूप में काम करना जारी रखेगां।

1.3 कार्यात्मक व प्रस्तुति मुद्रा

कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है और प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा है जिसमें कंपनी संचालन कार्य करती है। सभी राशियों को सन्निकट लाख रू. में पूर्णांकन किया गया है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो ।

1.4 मालसूची

लागत में खरीद की सभी लागतें, रूपांतरण की लागत और इन्वेंट्री को वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य लागतें शामिल हैं।

शुद्ध वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी) व्यवसाय के सामान्य क्रम में अनुमानित बिक्री मूल्य है, जिसमें से समापन की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत घटा दी जाती है।

क) व्यापार के लिए रखे गए स्टॉक (तैयार गांठें) का मूल्यांकन लागत या एनआरवी, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

Companies Act, 2013. Based on the nature of products and the time between the acquisition of products for processing and their realization in cash and cash equivalents, the Company has ascertained its operating cycle as 12 months for the purpose of current/ non-current classification of assets and liabilities.

Historical Cost Convention:

The Financial Statements have been prepared on a historical cost basis except for the following:

a) Certain financial assets and liabilities are measured at fair value (refer accounting policy on financial instruments)

b) Defined Benefit Plans: Plan assets are measured at fair value.

The Company has prepared the financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern.

1.3 Functional and Presentation currency

The Financial Statements are presented in Indian Rupees, which is the functional currency of the company and the currency of the primary economic environment in which the Company operates. All amounts are stated in Lakhs of Rupees, rounded off to two decimal places, unless otherwise stated.

1.4 Inventories

Cost comprises all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventory to the present location and condition.

Net Realizable Value (NRV) is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

(a) Stock held for trading (Ready Bales) is valued at cost or NRV whichever is lower.

ख) पूर्ण बंधित कपास गाठें (एफपी बेल्स) / लिंट का मूल्य-

i) बिक्री के लिए अनुबंधित न की गई वाणिज्यिक खरीद के संबंध में भारित औसत लागत अथवा एनआरवी, जो भी कम हो।

ii) समर्थन मूल्य परिचालनों के अंतर्गत बिक्री हेतु अनुबंधित न की गई पूर्ण बंधित कपास गांठे/लिंट के संबंध में भारित औसत लागत। समर्थन मूल्य प्रचालनों के अंतर्गत स्टाक के प्रयोजनार्थ एनआरवी में औसत लागत से कम पर बिक्री के कारण नुकसान, यदि कोई हों, को भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति को शामिल किया गया हैं।

iii) घरेलू बाजार में बिक्री के लिए वेटेज औसत लागत अथवा अनुबंधित दरें, जो भी कम हो अभिप्रेत मात्राओं के संबंध में (जब भी खरीददारों द्वारा अनुबंधित और अनुमोदित हो)।

iv) निर्यात के लिए मात्रा के संबंध में (जहां भी अनुबंध किया गया हो) वेटेज औसत लागत या अनुबंधित दरें, अनुबंधित मालभाड़ा और माल ढुलाई आदि द्वारा यथा घटाई गई, जो भी कम हो ।

v) निर्यात स्टॉक की लागत, स्टॉक के पड़े रहने तक के प्रत्यक्ष व्ययों को शामिल करने के बाद तय की जाती है। इसी प्रकार, वसूली योग्य मूल्य, बाजार मूल्य से उस बिंदु से उस चरण तक किए जाने वाले खर्चों को घटाकर प्राप्त किया जाता है जहां उन्हें बेचा जाता है।

(ग) बिक्री के लिए अनुबंधित बिनौला स्टॉक का मूल्यांकन अनुबंधित दरों पर किया जाता है तथा अन्य बिनौला के स्टॉक का मूल्यांकन रिपोर्टिंग अवधि के समाप्ति पर शुद्ध प्राप्य मूल्य पर किया जाता है, क्योंकि बिनौले की लागत अलग से निर्धारित नहीं की जा सकती।

(घ) कच्चे माल यानी कपास का मूल्यांकन औसत लागत की गणना गुणवत्ता वार, केंद्र वार और कपास वर्षवार किया जाता है। तथापि, जब तैयार माल की कीमत में गिरावट आती है और यह अनुमान लगाया जाता है कि तैयार माल अर्थात पूर्ण बंधित कपास गांठें की लागत शुद्ध प्राप्य मूल्य से अधिक होगी, तो कच्चे माल को शुद्ध प्राप्य मूल्य से कम लगाया जाता है।

(ड) न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन के अंतर्गत खरीदा गया कच्चा माल यानी कपास का मूल्यांकन औसत लागत पर

(b) Fully Proceed Bales (FP Bales)/Lint are valued at -

(i) Weighted Average cost or NRV whichever is lower in respect of commercial purchases not contracted for sale.

(ii) Weighted Average cost in respect of FP bale/Lint not contracted for sale under Support Price Operations. NRV for the purpose of stock under support price operations includes the losses reimbursed by Government of India on account of sale below average cost, if any.

(iii) Weighted Average cost or contracted rates whichever is lower in respect of quantities meant for sale in domestic market (whenever contracted for and approved by buyers).

(iv) Weighted Average cost or contracted rates as reduced by contracted freight and cartage etc. whichever is lower in case of quantities meant for export (Wherever contracted for).

(v) Cost of export stocks is arrived at after including direct expenses incurred up to the point at which the stocks are lying. Similarly the realizable value is derived by deducting from the market price the expenses to be incurred from that point to the stage where they are sold.

(c) Stocks of seeds contracted for sale are valued at contracted rates and other stocks of seeds are valued at the net realizable value at the end of reporting period since the cost of seeds cannot be ascertained separately.

(d) Raw Material i.e. Kapas is valued at average cost calculated quality wise, centre wise and cotton year wise. However, when there has been a decline in the price of the Finished goods and it is estimated that the cost of the finished goods i.e. FP Bales will exceed net realizable value, raw material is written down to net realizable value.

(e) Raw Material i.e. Kapas purchased under the Support Price Operations is valued at average

गुणवत्ता वार और कपास वर्ष वार लगायी जाती है, क्योंकि इस तरह के परिचालन के अंतर्गत हुई हानि, यदि कोई हो, तो इसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

(च) येलो पिकिंग, काउडी, नमूना गांठें और पानी/आग से प्रभावित गांठों का मूल्यांकन निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

(छ) अनिर्गमित हेसियन/ग्रे क्लाथ, बरदाना, गनी बैग्स, आयरन हुप्स और कीटनाशकों के स्टॉक को औसत लागत मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है।

(ज) तिरपाल को तीन वर्षों की अवधि में बट्टे खाते में डाल दिया गया है ।

1.5 नकदी प्रवाह की विवरणियाँ

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-7 'नकदी प्रवाह विवरण' के अनुसार, नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके तैयार किया जाता है, जहां गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन, पिछले या भविष्य के परिचालन नकदी प्राप्तियों या भुगतानों और नकदी प्रवाह के साथ निवेश या वित्तपोषण से जुड़े मदों के आय या व्यय के किसी भी आस्थगन या उपार्जन के लिए लाभ की अवधि का समायोजन किया जाता है । कंपनी की परिचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से होने वाले नकदी प्रवाह को अलग-अलग किया जाता है। निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न नकद प्रवाह को अलग-अलग सकल आधार पर रिपोर्ट किया जाता है, सिवाय उन मदों के जिनमें तेज़ी से टर्नओवर होता है, जिनकी रकम बड़ी होती है और जिनकी मैच्योरिटी अवधि कम होती है; उन्हें इंड एएस-7 के अनुसार नेट आधार पर रिपोर्ट किया जाता है।

1.6 पूर्वावधि मदें

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से प्रस्तुत की गई पूर्व अवधि के लिए तुलनात्मक मात्रा को पुनः स्थापित करके ठीक किया जाता है जिसमें त्रुटि हुई थी। यदि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले त्रुटि हुई है, तो प्रस्तुत की गई शुरुआती अवधि के लिए संपत्ति, देनदारियों और इक्विटी के शुरुआती शेष को फिर से स्थापित किया जाता है।

वर्ष के लिए कुल राजस्व के 0.25% से अधिक किसी भी मद को सामग्री पूर्व अवधि मद के रूप में माना जाएगा।

cost calculated quality wise and cotton year wise, since the loss suffered under such operations, if any, is reimbursable by Government of India.

(f) Yellow picking, Cowedy, Sample bales and water/fire affected bales are valued at net realizable value.

(g) Stock of un-issued hessian/grey cloth, bardanas, gunny bags, iron hoops and pesticides are valued at average cost price.

(h) Tarpaulins are being written off over a period of three years.

1.5 Cash Flow Statements

Cash Flow Statement, as per Indian Accounting Standard (Ind AS)-7 'Statement of Cash Flows', is prepared using the indirect method, whereby profit for the period is adjusted for the effects of transactions of a non-cash nature, any deferrals or accruals of past or future operating cash receipts or payments and items of income or expenses associated with investing or financing cash flows. The cash flows from operating, investing and financing activities of the company are segregated. Cash flows arising from investing and financing activities are reported separately on a gross basis, except for cash receipts and payments in respect of items having quick turnover, large amounts and short maturities, which are reported on a net basis in accordance with Ind AS 7.

1.6 Prior Period Items

Material prior period errors are corrected retrospectively by restating the comparative amounts for the prior periods presented in which the error occurred. If the error occurred before the earliest period presented, the opening balances of assets, liabilities and equity for the earliest period presented, are restated.

Any items exceeding 0.25% of total revenue for the year shall be considered as material prior period item.

1.7 रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ

रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं वे अनुकूल और प्रतिकूल घटनाएं हैं जो रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति और निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों को अनुमोदित किए जाने की तिथि के बीच घटित होती हैं।

घटनाएं, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूद स्थितियों का प्रमाण प्रदान करती हैं, उन्हें वित्तीय विवरणों और घटनाओं में पहचाना और समायोजित किया जाता है, जो रिपोर्टिंग अवधि के बाद उत्पन्न होने वाली स्थितियों का संकेत देते हैं, उन्हें गैर-समायोजन घटनाओं के रूप में माना जाता है और खातों में नोट्स में प्रदर्शित किया जाता है।

1.8 आयकर

वर्ष के लिए कर व्यय, जिसमें वर्तमान कर और आस्थगित कर शामिल हैं, को वर्ष के लिए शुद्ध लाभ या हानि के निर्धारण में शामिल किया जाता है।

वर्तमान कर

वर्तमान में देय कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। कर योग्य लाभ, लाभ और हानि विवरण और अन्य व्यापक आय ``कर पूर्व लाभ'' से भिन्न होता है क्योंकि आय या व्यय के कुछ मदें जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य होती हैं, तथा कुछ ऐसी मदें होती हैं जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं होती हैं। कंपनी के वर्तमान कर की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जो रिपोर्टिंग अवधि के समाप्ति तक लागू की गई हैं या मूल रूप से लागू की गई हैं। वर्तमान कर परिसंपत्तियों और कर देनदारियों को उस स्थिति में समायोजित किया जाता है, जब इकाई के पास समायोजन करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार होता है और वह या तो शुद्ध आधार पर निपटान करना चाहती है, या परिसंपत्ति की वसूली और देनदारियों का एक साथ निपटान करना चाहती है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता प्राप्त है, अप्रयुक्त कर नुकसान तथा अप्रयुक्त कर जमा को इस सीमा तक आगे ले जाने के लिए मान्यता दी जाती है, जहां यह संभावना है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे, जिसके विरुद्ध उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है।

1.7 Events after the reporting period

Events after the reporting period are those events, favorable and unfavorable, that occur between the end of the reporting period and the date when the financial statements are approved by the Board of Directors.

Events, those provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period are recognized and adjusted in the financial statements and events those are indicative of conditions that arose after the reporting period are treated as non-adjusting events and are disclosed in notes to accounts.

1.8 Income Taxes

Tax expense for the year, comprising current tax and deferred tax, are included in the determination of the net profit or loss for the year.

Current Tax

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from 'profit before tax' as reported in the statement of profit and loss and other comprehensive income because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable or deductible. The Company's current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. Current tax assets and tax liabilities are offset where the entity has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Deferred tax

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, the carry forward of unused tax losses and carry forward of unused tax credits to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized.

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है और इस हद तक कम कर दिया जाता है कि यह अब संभव नहीं है कि संपत्ति के सभी या हिस्से को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे। आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों को कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद की जाती है जिसमें देयता का निपटारा किया जाता है या संपत्ति का एहसास होता है, कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित किए गए हैं।

वर्ष के लिए वर्तमान कर और आस्थगित कर

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उन मदों के जो अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त हैं। सिवाय उन मदों के जो अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त हैं, ऐसी स्थिति में, वर्तमान और आस्थगित कर को भी क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

1.9 संपत्ति, प्लांट और उपकरण (पीपीई)

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) की एक वस्तु को परिसंपत्ति के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब यह संभावना हो कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

पीपीई की प्रारंभिक लागत में उसका क्रय मूल्य शामिल होता है, जिसमें आयात शुल्क और गैर-वापसी योग्य कर, तथा किसी परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति और स्थान पर लाने की कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लागत शामिल होती है।

पीपीई का उल्लेख अधिग्रहण या निर्माण की लागत पर संचित मूल्यह्रास और हानि हानि, यदि कोई हो, को कम किया जाता है।

अनुवर्ती लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है या एक अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जैसा कि उपयुक्त हो, केवल तभी जब यह संभावना हो कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है !

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered. Deferred tax liabilities and assets are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Current tax and Deferred tax for the year

Current and deferred tax are recognized in the statement of profit and loss, except when they relate to items that are recognized in Other Comprehensive Income or directly in equity, in which case, the current and deferred tax are also recognized in Other Comprehensive Income or directly in equity respectively.

1.9 Property, Plant and Equipments (PPE)

An item of Property, Plant and Equipment (PPE) is recognized as an asset if and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the company and the cost of the item can be measured reliably.

The initial cost of PPE comprises its purchase price, including import duties and non-refundable taxes and any directly attributable costs of bringing an asset to working condition and location for its intended use.

PPE are stated at cost of acquisition or construction less accumulated depreciation and impairment loss, if any.

Subsequent costs are included in the carrying amount of asset or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and maintenance expenses are charged to the Statement of Profit and Loss during the period in which they are incurred.

पीपीई के मामले में भुगतान की गई कोई भी राशि/किया गया व्यय जो रिपोर्टिंग अवधि के की समाप्ति पर वांछित उपयोग के लिए तैयार नहीं है, को 'पूंजीगत कार्य-प्रगति' के रूप में प्रकट किया जाता है।

पीपीई की किसी वस्तु को निपटान के समय या जब परिसंपत्तियों के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ होने की संभावना न हो तब उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। पीपीई के निपटान/निवृत्ति पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को शुद्ध बिक्री आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

मूल्यह्रास के तरीके, अनुमानित उपयोगी जीवन-काल और अवशिष्ट मूल्य:

पीपीई पर मूल्यह्रास तब शुरू होता है जब परिसंपत्तियाँ अपने वांछित उपयोग के लिए तैयार होती हैं। मूल्यह्रास को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन-काल पर परिसंपत्तियों की लागत, शुद्ध अवशिष्ट मूल्यों को आवंटित करने के लिए सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए मूल्यह्रास के बराबर है।

इंड एएस 101 (भारतीय लेखा मानक को पहली बार अपनाने से संबंधित) के तहत मिली छूट का लाभ उठाते हुए, कंपनी ने 1 अप्रैल 2016 (जो इंड एएस में बदलाव की तारीख है) को पिछली जीएएपी व्यवस्था के तहत दर्ज प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट (पीपीई) की वहन शुल्क को ही अपनी 'डीम्ड लागत' (मान ली गई लागत) के रूप में अपनाया है। इसलिए, 1 अप्रैल 2016 से पहले हासिल की गई परिसंपत्ति के मामले में, लागत का तात्पर्य यही 'डीम्ड लागत' है। कुछ मामलों में, लेन-देन की तारीख को परिसंपत्तियों के वहन मूल्य को पूरी तरह से मूल्यह्रास किया गया था और परिणामस्वरूप मानद लागत शून्य या रु.1 थी। तदनुसार, ऐसी परिसंपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य, जैसा भी लागू हो, शून्य या रु.1 माना गया है। 1 अप्रैल 2016 या उसके बाद खरीदी गई परिसंपत्तियों के लिए, उनका अवशिष्ट मूल्य उनकी मूल लागत का 5%माना गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार निम्नलिखित परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास उनके अनुमानित उपयोगी जीवन-काल पर उपलब्ध कराया गया है: -

Any amount paid/expenditure made in case of PPE which are not ready for intended use at the end of reporting period are disclosed as 'Capital work-in-progress'.

An item of PPE is de-recognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of assets. Any gain or loss arising on disposal/ retirement of PPE is determined as the difference between the net sales proceeds and the carrying amount of the asset and recognized in statement of profit and loss.

Depreciation methods, estimated useful lives and residual value:

Depreciation on PPE commences when the assets are ready for their intended use. Depreciation is provided on the straight-line method to allocate the cost of assets, net of their residual values, over their estimated useful lives which are equal to those provided under schedule II of the Companies Act, 2013.

In accordance with the exemption availed under Ind AS 101, First-time Adoption of Indian Accounting Standards, the Company has adopted the carrying value of Property, Plant and Equipment (PPE) recognized under the previous GAAP as at 1st April 2016, being the date of transition to Ind AS, as its deemed cost. Accordingly, for assets acquired prior to 1st April 2016, the cost represents such deemed cost. In certain cases, the carrying value of assets as on the transition date had been fully depreciated and consequently the deemed cost was Nil or Rs.1. Accordingly, the residual value of such assets has been considered as Nil or Rs.1, as the case may be. In respect of assets acquired on or after 1st April 2016, the residual value has been considered at 5% of the original cost of the respective assets.

Depreciation on the following assets is provided on their estimated useful life as per schedule II of the Companies Act, 2013:-

क्र.सं.	परिसंपत्तियाँ	उपयोगी जीवन
1.	भवन	60 वर्ष
2.	लैब उपकरण (मॉइश्चर मीटर्स तथा माइक्रोनेयर परीक्षकों को छोड़कर)	10 वर्ष
3.	कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
4.	फर्निचर एवं फिक्सचर्स	10 वर्ष
5.	वाहनों	8 वर्ष
6.	कंप्यूटर उपकरण क) सर्वर और नेटवर्क ख) अंतिम प्रयोक्ता उपकरण जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, प्रिंटर आदि।	 6 वर्ष 3 वर्ष
7.	विद्युत प्रतिष्ठान- लिफ्ट और एलीवेटर एलिवेटर	10 वर्ष
8.	वातानुकूलन संयंत्र	10 वर्ष
9.	रेलवे साइडिंग	15 वर्ष

फ्रीहोल्ड भूमि ऐतिहासिक लागत पर ली जाती है। ऐतिहासिक लागत में वह व्यय शामिल होता है जो सीधे तौर पर वस्तुओं के अधिग्रहण से संबंधित होता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर अनुमानित उपयोगी जीवन, अवशिष्ट मूल्य और मूल्यह्रास पद्धति की समीक्षा की जाती है और यदि आवश्यक हो, तो अनुमानों में उत्तरव्यापी प्रभाव सहित परिवर्तन का अनुमान लगाया जाता है ।

वर्ष के दौरान प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट (पीपीई) में की गई बढ़ोतरी और कटौती पर मूल्यह्रास, जोड़ने या घटाने की तारीख के आधार पर आनुपातिक तरीके से लगाया जाता है। हालांकि, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संचालन में उपयोग के लिए क्रय किये गए परीक्षण उपकरण, जैसे कि माइक्रोनियर टेस्टर और मॉइस्चर मीटर, को उनकी खास प्रकृति और खरीद के दौरान उनके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल को देखते हुए, उनकी उपयोगी अवधि या शामिल करने की तारीख की परवाह किए बिना, खरीदी वर्ष में ही पूरी तरह से मूल्यह्रास मान लिया जाता है और उन्हें 1 रुपये की मामूली कीमत पर दिखाया जाता है। ऐसे उपकरणों पर प्रभारित मूल्यह्रास को एमएसपी लागत के हिस्से के रूप में माना जाता है और एमएसपी हानि में शामिल किया जाता है, जो भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य है।

Sr. No.	Assets	Useful Life
1.	Buildings	60 Years
2.	Lab Equipments (excluding Moisture Meters and Micronaire Testers)	10 Years
3.	Office Equipment	5 Years
4.	Furniture & Fixtures	10 Years
5.	Vehicles	8 Years
6.	Computer Equipment (a) Servers and Networks (b) End User devices e.g. Desktop, Laptop, Printer etc.	 6 Years 3 Years
7.	Electrical installations- Lifts and Elevators	10 Years
8.	Air Condition Plant	10 Years
9	Railway Sidings	15 Years

Freehold land is carried at historical cost. Historical cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.

Estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at the end of each reporting period and if necessary, changes in estimates are accounted for prospectively.

Depreciation on additions and deletions to Property, Plant and Equipment (PPE) during the year is provided on a pro-rata basis with reference to the date of addition or deletion. However, Testing Equiptment such as Micronaire Testers and Moisture Meters procured for use in Minimum Support Price (MSP) operations are fully depreciated in the year of acquisition irrespective of its useful life and date of addition considering their specialized nature, intensive usage during procurement operations and shown at nominal value of Rs.1. The depreciation charged on such instruments is treated as part of MSP cost and factored into the MSP losses, which is reimbursable by the Government of India.

जहां किसी परिसंपत्ति का जीवन और/या दक्षता नवीकरण, आधुनिकीकरण और पूंजी सुधार या अन्य कारकों के कारण होने वाले व्यय के वजह से बढ़ जाती है, वहां उस पर होने वाले ऐसे व्यय के साथ-साथ उसकी अशोधित मूल्यह्रास राशि को परिसंपत्तियों के संशोधित/शेष उपयोगी जीवन पर भावी रूप से प्रभारित किया जाता है।

1.10 निवेश संपत्तियां

निवेश संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ होती हैं जो किराया अर्जित कराना और/या पूँजी वृद्धि (ऐसे उद्देश्यों के लिए निर्माणाधीन संपत्तियाँ भी शामिल हैं) के लिए होती है । निवेश संपत्तियों को आरंभ में लागत के आधार पर मापा जाता है, जिसमें लेन-देन लागत भी शामिल है। आरंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित हानि (यदि कोई हो) घटाकर प्रदर्शित किया जाता है।

कंपनी की सभी संपत्तियों से किराया अर्जित करने या पूंजी वृद्धि के प्रयोजनों के लिए निवेश संपत्तियों को लेखा में शामिल किया गया है।

हालांकि कंपनी लागत आधारित माप का उपयोग करके निवेश संपत्ति का आकलन करती है तथापि निवेश संपत्ति को उचित मूल्य नोटों में प्रदर्शित किया जाता है। उचित मूल्यों का निर्धारण, अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन मानक समिति द्वारा अनुशंसित मूल्यांकन मॉडल को लागू करते हुए, एक मान्यता प्राप्त बाह्य स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा किए गए वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

किसी निवेश संपत्ति की मान्यता तब समाप्त कर दी जाती है जब उसका निपटान हो जाता है या जब निवेश संपत्ति को स्थायी रूप से उपयोग से हटा लिया जाता है और निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता है। संपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर हाने वाला किसी भी लाभ या हानि (जिसकी गणना शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में की जाती है) को उस अवधि के लिए लाभ और हानि विवरण में शामिल की जाती है जिसमें संपत्ति की मान्यता रद्द की गई है।

निवेश संपत्तियों का मूल्यह्रास उस परिसंपत्ति के श्रेणी के अनुसार किया जाता है जिससे वह संबंधित है तथा परिसंपत्तियों की अवधि का अनुमान परिसंपत्ति को उसी श्रेणी के लिए लगाया जाता है ।

Where the life and/or efficiency of an asset is increased due to renovation, modernization and subsequent expenditure on account of capital improvement or other factors, such expenditure thereon along-with its unamortized depreciable amount is charged prospectively over the revised/remaining useful life of the assets.

1.10 Investment Properties

Investment properties are properties held to earn rentals and/or for capital appreciation (including property under construction for such purposes). Investment properties are measured initially at cost, including transaction costs. Subsequent to initial recognition, investment properties are stated at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment loss, if any.

All of the Company's property interests held under operating leases to earn rentals or for capital appreciation purposes are accounted for as Investment Properties.

Though the Company measures investment property using cost based measurement, the fair value of investment property is disclosed in the notes. Fair values are determined based on an annual evaluation performed by an accredited external independent valuer applying a valuation model recommended by the International Valuation Standards Committee.

An investment property is derecognized upon disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from the disposal. Any gain or loss arising on de-recognition of the property (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in Statement of profit and loss for the period in which the property is derecognized.

Investment properties are depreciated in accordance to the class of asset that it belongs and the life of the asset shall be conceived as for the same class of asset.

1.11 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत में से संचित परिशोधन और हानि (यदि कोई हो) घटाकर दर्शाया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों में एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) परियोजना लागत और ऐसे सॉफ़्टवेयर से संबंधित अन्य लागत शामिल है जो भविष्य में महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं। इन लागतों में लाइसेंस शुल्क और सिस्टम एकीकरण सेवाओं की लागत शामिल है।

उत्पाद के आर्थिक जीवनकाल पर परिशोधित किये जाने के लिए अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में योग्य विकास व्यय, यदि कोई हो को पूंजीकृत किया जाता है।

सीमित जीवनकाल वाली अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन सीधी रेखा विधि द्वारा उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल/लाइसेंस अवधि के दौरान किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति से होने वाले लाभों के स्वरूप का विश्वसनीय रूप से निर्धारण करना व्यावहारिक न हो। अनिश्चित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन नहीं किया जाता। ऐसी अमूर्त संपत्तियों का प्रतिवर्ष क्षति का या तो व्यक्तिगत रूप से या नकदी-उत्पादक इकाई स्तर पर जांच की जाती है । अनिश्चित जीवन के मूल्यांकन की वार्षिक समीक्षा की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या अनिश्चित जीवन अभी भी सहनीय है। यदि नहीं, तो उपयोगी जीवन में अनिश्चित से परिमित तक परिवर्तन भावी आधार पर किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन इस प्रकार है:

	अमूर्त संपत्ति	उपयोगी जीवन
1	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (ई-ऑफिस)	5 साल
2	कॉटन बेल्स एवं सीड बिलिंग सॉफ्टवेर (कॉटबीझ)	5 साल

सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त संपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य शून्य माना जाता है, जब तक कि किसी तीसरे पक्ष द्वारा उसकी उपयोगी जीवन के अंत में संपत्ति खरीदने की प्रतिबद्धता न हो या उस संपत्ति के लिए एक सक्रिय बाजार मौजूद न हो जिससे अवशिष्ट मूल्य निर्धारित किया जा सके। कंपनी ने आकलन किया है कि उसकी अमूर्त संपत्तियों के संबंध में ऐसी कोई शर्तें मौजूद नहीं हैं और तदनुसार, अमूर्त संपत्तियों के संबंध में अवशिष्ट मूल्य को शून्य माना गया है।

1.11 Intangible Assets

Intangible Assets are stated at cost less accumulated amortization and impairment loss, if any. Intangible Assets, including Enterprise Resource Planning (ERP) project cost and other cost relating to such software which provides significant future economic benefits. These costs comprise of license fees and cost of system integration services.

Development expenditure qualifying as an intangible asset, if any, is capitalized, to be amortized over the economic life of the product.

Intangible assets that have finite lives are amortized over their estimated useful lives/license period by the straight line method unless it is practical to reliably determine the pattern of benefits arising from the asset. An intangible asset with an indefinite useful life is not amortized. Such intangible assets are tested for impairment annually, either individually or at the cash-generating unit level. The assessment of indefinite life is reviewed annually to determine whether the indefinite life continues to be supportable. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.

The estimated useful lives of intangible assets are as follows:

	Intangible assets	Useful life
1	Computer software (E-Office)	5 years
2	Cotton Bales and Seed billing software (cotbiz)	5 years

The residual value of intangible assets with finite useful lives is assumed to be Nil, unless there is a commitment by a third party to purchase the asset at the end of its useful life or an active market exists for the asset from which the residual value can be determined. The Company has assessed that no such conditions exist in respect of its intangible assets and accordingly, the residual value in respect of Intangible Assets has been considered as Nil.

1.12 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या कोई संकेत है कि उन परिसंपत्तियों को आंतरिक / बाहरी कारकों के आधार पर हानि हुई है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो हानि की सीमा निर्धारित करने के लिए परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है।

ऐसे मूल्यांकन पर हानि की पहचान तब की जाती है जब किसी परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है । परिसंपत्तियों की वसूली राशि शुद्ध विक्रय मूल्य (उचित मूल्य में से निपटान लागत घटाकर) या उपयोग मूल्य, जो भी अधिक हो, है।

लाभ और हानि विवरण में इम्पेयरमेंट हानि को तुरंत मान्यता दी जाती है।

उपयोग में मूल्य निर्धारण करते समय, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को भारित औसत पूंजी लागत का उपयोग करके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है। पहले से मान्यता प्राप्त क्षति को आगे उपलब्ध और उत्क्रम किया जाएगा । यह परिस्थितियों पर आधारित है कि परिसंपत्तियों की वहन राशि उस वहन राशि से अधिक न हो जो उस स्थिति में निर्धारण किया जाएगा, यदि पिछली हानि को मान्यता न दी गई है ।

1.13 पट्टा (लीज) :

यदि अनुबंध किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है, तो अनुबंध पट्टा कहलाता है या उसमें पट्टा शामिल होता है।

ऐसे अनुबंध के लिए जिसमें एक पट्टा घटक और एक या अधिक अतिरिक्त पट्टा या गैर-पट्टा घटक शामिल हों, अनुबंध में प्रतिफल पट्टा घटक के सापेक्ष एकल मूल्य और गैर-पट्टा घटकों के कुल एकल मूल्य के आधार पर प्रत्येक पट्टा घटक को आवंटित किया जाता है।

पट्टेदार के रूप में कंपनी

मान्यता

प्रारंभ तिथि पर, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और पट्टा देयता को मान्यता दी जाती है।

1.12 Impairment of Non-Financial Assets

The carrying amount of assets is reviewed at the end of each reporting period to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss based on internal/external factors. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss.

An impairment loss on such assessment will be recognized wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount of the assets is net selling price (fair value less cost of disposal) or value in use, whichever is higher.

An impairment loss is recognized immediately in the Statement of Profit and Loss.

While assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to the present value by using weighted average cost of capital. A previously recognized impairment loss is further provided or reversed depending on changes in the circumstances and to the extent that carrying amount of the assets does not exceed the carrying amount that will be determined if no impairment loss had previously been recognized.

1.13 Leases:

A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

For a contract that contains a lease component and one or more additional lease or non-lease components, the consideration in the contract is allocated to each lease component on the basis of the relative stand-alone price of the lease component and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

Company as a Lessee

Recognition

At the commencement date, right-of-use asset and a lease liability are recognized.

मापन

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति

आरंभिक तिथि पर, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को लागत पर मापा जाता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की लागत में शामिल होंगे:

क) पट्टा देयता के प्रारंभिक माप की राशि।

ख) प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए सभी पट्टा भुगतान, प्राप्त किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को घटाकर;

ग) पट्टेदार द्वारा वहन की गई कोई भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत; और

घ) अंतर्निहित परिसंपत्ति को विघटित करने और हटाने, उस स्थान को पुनर्स्थापित करने, जहाँ वह स्थित है, या अंतर्निहित परिसंपत्ति को पट्टे की शर्तों के अनुसार अपेक्षित स्थिति में पुनर्स्थापित करने में पट्टेदार द्वारा वहन की जाने वाली लागतों का अनुमान, जब तक कि वे लागतें इन्वेंट्री तैयार करने के लिए वहन न की जाएँ। पट्टेदार इन लागतों के लिए या तो आरंभ तिथि पर या किसी विशेष अवधि के दौरान अंतर्निहित परिसंपत्ति का उपयोग करने के परिणामस्वरूप दायित्व वहन करता है।

पट्टा देयता

पट्टा देयता का मापन उन पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है जिनका भुगतान नहीं किया गया है। पट्टा भुगतानों को कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके छूट दी जाती है।

प्रारंभ तिथि पर, पट्टा देयता के मापन में शामिल पट्टा भुगतानों में पट्टा अवधि के दौरान अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार के लिए निम्नलिखित भुगतान शामिल होते हैं जिनका भुगतान प्रारंभ तिथि पर नहीं किया जाता है:

क) निश्चित भुगतान (अमूर्त निश्चित भुगतानों सहित), प्राप्त होने वाले किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को घटाकर;

ख) परिवर्तनशील पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर करते हैं, जिन्हें प्रारंभ में प्रारंभ तिथि पर सूचकांक या दर का उपयोग करके मापा जाता है।

Measurement

Right of Use Asset

At the commencement date, right-of-use asset is measured at cost. The cost of the right-of-use asset shall comprise:

a) the amount of the initial measurement of the lease liability.

b) any lease payments made at or before the commencement date, less any lease incentives received;

c) any initial direct costs incurred by the lessee; and

d) an estimate of costs to be incurred by the lessee in dismantling and removing the underlying asset, restoring the site on which it is located or restoring the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, unless those costs are incurred to produce inventories. The lessee incurs the obligation for those costs either at the commencement date or as a consequence of having used the underlying asset during a particular period.

Lease Liability

The lease liability is measured at the present value of the lease payments that are not paid. The lease payments are discounted using the incremental borrowing rate of the Company.

At the commencement date, the lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following payments for the right to use the underlying asset during the lease term that are not paid at the commencement date:

a) fixed payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives receivable;

b) variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date.

ग) अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत पट्टेदार द्वारा देय होने वाली अपेक्षित राशियाँ;

घ) क्रय विकल्प का प्रयोग मूल्य यदि पट्टेदार उस विकल्प का प्रयोग करने के लिए यथोचित रूप से निश्चित है; और

ड) पट्टा समाप्त करने के लिए दंड का भुगतान, यदि पट्टा अवधि पट्टेदार द्वारा पट्टा समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग करने को दर्शाती है।

अल्पकालिक पट्टा और कम मूल्य वाली संपत्तियों के पट्टे

कंपनी ने बारह महीने या उससे कम अवधि वाले अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य वाली संपत्तियों के पट्टों के लिए उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति और पट्टा देयता को मान्यता नहीं देने का निर्णय लिया है। कंपनी इन पट्टों से जुड़े पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता देती है।

अनुवर्ती मापन एवं मूल्यह्रास

पट्टेदार, ब्याज को दर्शाने के लिए पट्टा देयता में वृद्धि करते हैं और किए गए पट्टा भुगतानों को दर्शाने के लिए देयता को कम करते हैं।

भारतीय लेखा मानक 16, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, में मूल्यह्रास की आवश्यकताओं को, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के मूल्यह्रास में लागू किया जाता है, बशर्ते कि निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा किया जाएः यदि पट्टा, पट्टा अवधि के अंत तक अंतर्निहित परिसंपत्ति का स्वामित्व पट्टेदार को हस्तांतरित कर देता है या यदि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की लागत यह दर्शाती है कि पट्टेदार क्रय विकल्प का प्रयोग करेगा, तो पट्टेदार उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यह्रास प्रारंभ तिथि से अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक करेगा। अन्यथा, पट्टेदार उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यह्रास प्रारंभ तिथि से उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत या पट्टा अवधि के अंत में से जो भी पहले हो, तक करेगा।

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियाँ भारतीय लेखा मानक 36, परिसंपत्तियों की हानि के अंतर्गत हानि परीक्षण के अधीन हैं।

c) amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;

d) the exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise that option; and

e) payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the lessee exercising an option to terminate the lease.

Short term lease and leases of low-value assets

Company has elected not to recognize right-of-use asset and lease liability for short term leases that have a lease term of twelve months or less and leases of low value assets. The company recognizes the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Subsequent measurement & Depreciation

Lessees accrete lease liability to reflect interest and reduce the liability to reflect lease payments made.

The depreciation requirements in Ind AS 16, Property, Plant and Equipment is applied, in depreciating the right-of-use asset, subject to the requirements If the lease transfers ownership of the underlying asset to the lessee by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the lessee will exercise a purchase option, the lessee shall depreciate the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the lessee shall depreciate the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Right-to-use assets are subject to impairment testing under Ind AS 36 Impairment of Assets.

पट्टाकर्ता के रूप में कंपनी

पट्टाकर्ता अपने प्रत्येक पट्टे को परिचालन पट्टे या वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत करेगा।

यदि कोई पट्टा अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से जुड़े सभी जोखिमों और लाभों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित करता है, तो उसे वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यदि कोई पट्टा अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से जुड़े सभी जोखिमों और लाभों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित नहीं करता है, तो उसे परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

परिचालन पट्टा

मापन

जहाँ कंपनी पट्टाकर्ता है, वहाँ परिचालन पट्टों से प्राप्त पट्टा आय को पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब तक कि प्राप्तियों को अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत वृद्धि की भरपाई के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप वृद्धि के लिए संरचित नहीं किया जाता है। संबंधित पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को उनकी प्रकृति के आधार पर बैलेंस शीट में शामिल किया जाता है।

परिचालन पट्टा प्राप्त करने में होने वाली प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों को अंतर्निहित परिसंपत्ति की वहन राशि में जोड़ा जाता है और पट्टा अवधि के दौरान पट्टा आय के समान आधार पर व्यय किया जाता है।

परिचालन पट्टों के अधीन मूल्यह्रास योग्य अंतर्निहित परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास नीति, भारतीय लेखा मानक 16 के अनुसार समान परिसंपत्तियों के लिए पट्टादाता की सामान्य मूल्यह्रास नीति के अनुरूप होगी।

1.14 कर्मचारी लाभ:

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

सेवा के 12 महीनों के भीतर देय सभी कर्मचारी लाभ, जैसे वेतन, मजदूरी, बोनस, अनुग्रह राशि, चिकित्सा लाभ आदि, उस वर्ष में मान्यता प्राप्त होते हैं जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं और बैलेंस शीट में वर्तमान कर्मचारी लाभ दायित्वों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। समाप्ति लाभों को व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त होती है, जब भी वे व्यय होते हैं। कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा के

Company as a Lessor

A lessor shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an underlying asset. A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an underlying asset.

Operating Lease

Measurement

Lease income from operating leases where the company is a lessor is recognized as income on a straight-line basis over the lease term unless the receipts are structured to increase in line with expected general inflation to compensate for the expected inflationary cost increases. The respective leased assets are included in the Balance Sheet based on their nature.

Initial direct costs incurred in obtaining an operating lease is added to the carrying amount of the underlying asset and expensed over the lease term on the same basis as the lease income.

The depreciation policy for depreciable underlying assets subject to operating leases shall be consistent with the lessor's normal depreciation policy for similar assets as per Ind AS 16.

1.14 Employee Benefits:

Short term employee benefits

All employee benefits payable within 12 months of service such as salaries, wages, bonus, ex-gratia, medical benefits etc. are recognized in the year in which the employees render the related service and are presented as current employee benefit obligations within the Balance Sheet. Termination benefits are recognized as an expense as and when incurred. Short-term leave encashment is

आधार पर लेखा अवधि के दौरान अल्पकालिक अवकाश नकदीकरण बिना छूट वाली राशि पर प्रदान किया जाता है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अर्जित अवकाश और बीमारी अवकाश की देनदारियों का, कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवा प्रदान करने की अवधि की समाप्ति के बाद 12 महीनों के भीतर पूर्ण रूप से निपटान होने की उम्मीद नहीं है। इसलिए, इन्हें अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित भविष्य के भुगतानों के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाज़ार प्रतिफल का उपयोग करके लाभों की छूट दी जाती है, जिनकी शर्तें संबंधित दायित्व की शर्तों के लगभग बराबर होती हैं।

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजनाओं, जैसे कि सेवानिवृत्ति निधि में अंशदान, को कर्मचारियों द्वारा सेवाएँ प्रदान किए जाने पर किए जाने वाले आवश्यक अंशदान की राशि के आधार पर लाभ-हानि विवरण में एक व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। उपरोक्त लाभों को परिभाषित अंशदान योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि भारतीय कपास निगम लिमिटेड का मासिक अंशदान के अलावा कोई और परिभाषित दायित्व नहीं है।

परिभाषित लाभ योजना

भविष्य निधि:

कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य निधि-"भारतीय कपास निगम लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट" में अंशदान करती है, जो एक परिभाषित लाभ योजना है। इस सीमा तक कि कंपनी का दायित्व ट्रस्ट के निवेशों से प्राप्त प्रतिफल और अधिसूचित ब्याज दर के बीच किसी भी प्रकार की कमी को पूरा करना है। इस संबंध में कंपनी का दायित्व एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा निर्धारित किया जाता है और यदि परिस्थितियाँ यह दर्शाती हैं कि ट्रस्ट सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दरों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रतिफल उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो सकता है, तो इसके लिए प्रावधान किया जाता है।

provided at undiscounted amount during the accounting period based on service rendered by employees.

Other Long term employee benefits

The liabilities for earned leave and sick leave are not expected to be settled wholly within 12 months after the end of the period in which the employees render the related service. They are therefore measured as the present value of expected future payments to be made in respect of services provided by employees up to the end of the reporting period using the projected unit credit method. The benefits are discounted using the market yields at the end of the reporting period that have terms approximating to the terms of the related obligation.

Defined Contribution Plan

Contributions to defined contribution schemes such as contribution to Superannuation Fund are charged as an expense to the Statement of Profit and Loss based on the amount of contribution required to be made as and when services are rendered by the employees. The above benefits are classified as Defined Contribution Schemes as the Cotton Corporation of India Limited has no further defined obligations beyond the monthly contributions.

Defined Benefit Plan

Provident Fund:

The Company makes contribution to the recognized provident fund – "The Cotton Corporation of India Ltd Employees' Contributory Provident Fund Trust" for its employees, which is a defined benefit plan to the extent that the Company has an obligation to make good the shortfall, if any, between the returns from the investments of the trust and the notified interest rate. The Company's obligation in this regard is determined by an independent actuary and provided for if the circumstances indicate that the Trust may not be able to generate adequate returns to cover the interest rates notified by the Government.

ग्रेच्युटी:

कंपनी कर्मचारी ग्रेच्युटी योजना के अंतर्गत, ट्रस्टियों द्वारा प्रशासित एक निधि में वार्षिक अंशदान करती है, जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार सभी पात्र कर्मचारियों को कवर करती है। यह योजना उन कर्मचारियों को एकमुश्त भुगतान प्रदान करती है जिनका ग्रेच्युटी प्राप्त करने का अधिकार त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु या नौकरी की समाप्ति के समय निहित हो गया है। यह राशि सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या छह महीने से अधिक के उसके किसी भाग के लिए 15 दिनों के वेतन के बराबर होती है। मृत्यु की स्थिति को छोड़कर, यह अधिकार पाँच वर्ष की सेवा पूरी होने पर निहित होता है।

ग्रेच्युटी देयता एक परिभाषित लाभ दायित्व है और इसकी गणना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार इस उद्देश्य के लिए नियुक्त एक बीमांकिक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है। बीमांकिक हानि/लाभ उस वर्ष की अन्य व्यापक आय में शामिल किए जाते हैं जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में से योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को घटाकर प्राप्त होती है।

परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य, संबंधित दायित्व की शर्तों के लगभग समान अवधि वाले सरकारी बांडों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल के संदर्भ में अनुमानित भावी नकदी बहिर्वाह को छूट देकर निर्धारित किया जाता है।

शुद्ध ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व के शुद्ध शेष और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर लागू करके की जाती है। यह लागत लाभ-हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल की जाती है।

अनुभव समायोजनों और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तनों से उत्पन्न पुनर्मापन लाभ और हानि को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे अन्य व्यापक आय में सीधे तौर पर घटित होते हैं। इन्हें इक्विटी में परिवर्तन विवरण और बैलेंस शीट में प्रतिधारित आय में शामिल किया जाता है।योजना संशोधनों या कटौती के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में

Gratuity:

The company makes annual contributions under the Employees Gratuity scheme to a fund administered by trustees covering all eligible employees in accordance with the Payment of Gratuity Act, 1972. The plan provides for lumpsum payments to employees whose right to receive gratuity has vested at the time of resignation, retirement, death while in employment or on termination of employment of an amount equivalent to 15 days salary for each completed year of service or part thereof in excess of six months. Vesting occurs upon completion of five years of service except in case of death.

Gratuity liability is a defined benefit obligation and is computed on the basis of an actuarial valuation by an actuary appointed for the purpose as per projected unit credit method at the end of each financial year. Actuarial losses/gains are recognized in the other comprehensive income in the year in which they arise. The liability or asset recognized in the Balance Sheet in respect of defined benefit Gratuity plan is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows by reference to market yields at the end of the reporting period on Government bonds that have terms approximating to the terms of the related obligation.

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expense in the Statement of Profit and Loss.

Re-measurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized in the period in which they occur directly in Other Comprehensive Income. They are included in retained earnings in the Statement of changes in equity and in the Balance Sheet. Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or

होने वाले परिवर्तनों को लाभ या हानि में तुरंत पिछली सेवा लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ योजना

सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभों की पहचान परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के आधार पर की जाती है, जिसकी गणना भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की जाती है, और प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। किसी भी बीमांकिक हानि/लाभ को लाभ-हानि विवरण में आय या व्यय के रूप में तुरंत मान्यता दी जाती है।

अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न पुनर्मापन लाभ और हानि को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में घटित होते हैं। इन्हें इक्विटी में परिवर्तन विवरण और बैलेंस शीट में प्रतिधारित आय में शामिल किया जाता है।

मौद्रिक क्षतिपूर्ति योजना

सेवाकाल के दौरान मृत्यु के कारण किसी कर्मचारी के कंपनी की सेवाओं से अलग होने पर, मृतक कर्मचारी की सामान्य काल्पनिक सेवानिवृत्ति तिथि या दस वर्ष, जो भी पहले हो, तक मासिक आधार पर लाभार्थी को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। क्षतिपूर्ति राशि कर्मचारी के अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर होगी।

मौद्रिक क्षतिपूर्ति योजना के लिए देयताएँ परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, जिसकी गणना भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की जाती है, और प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। किसी भी बीमांकिक हानि/लाभ को लाभ-हानि विवरण में आय या व्यय के रूप में तुरंत मान्यता दी जाती है।

अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न पुनर्मापन लाभ और हानि को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में घटित होते हैं। इन्हें इक्विटी में परिवर्तन विवरण और बैलेंस शीट में प्रतिधारित आय में शामिल किया जाता है।

curtailments are recognized immediately in profit or loss as past service cost.

Post-Retirement Medical Benefit Scheme

Post-retirement medical benefits are recognized based on the present value of defined benefit obligation which is computed using the Projected Unit Credit method as per Ind AS 19, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Any actuarial losses/gains are recognized immediately in the statement of profit and loss account as an income or expense.

Re-measurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized in the period in which they occur directly in Other Comprehensive Income. They are included in retained earnings in the Statement of changes in equity and in the Balance Sheet.

Monetary Compensation Scheme

On separation of an employee from the services of the company on account of death during service period, the compensation will be paid to the beneficiary on monthly basis till the normal notional date of superannuation of the deceased employee or ten years whichever is earlier. The compensation amount will be equivalent to the employees last drawn Basic Pay plus DA.

Liability for Monetary Compensation Scheme are recognized based on the present value of defined benefit obligation which is computed using the Projected Unit Credit method as per Ind AS 19, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Any actuarial losses/gains are recognized immediately in the statement of profit and loss account as an income or expense.

Re-measurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized in the period in which they occur directly in Other Comprehensive Income. They are included in retained earnings in the Statement of changes in equity and in the Balance Sheet.

अन्य

(i) उत्पादकता-आधारित प्रोत्साहनः
उत्पादकता-आधारित प्रोत्साहन योजना समग्र प्रदर्शन, अर्थात् वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय प्रदर्शन और कपास वर्ष के लिए वास्तविक प्रदर्शन पर आधारित है। वित्तीय प्रदर्शन, वित्तीय वर्ष के वित्तीय परिणामों पर आधारित है और वास्तविक प्रदर्शन, कपास वर्ष के दौरान के प्रदर्शन पर आधारित है। वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है और कपास वर्ष, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीने बाद, 30 सितंबर को समाप्त होता है। चूँकि इसमें दो वित्तीय वर्ष शामिल हैं, इसलिए उत्पादकता-आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इष्टतम उत्पादकता सूचकांक, कपास वर्ष के अंत में, अर्थात् प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर के बाद ही निकाला जा सकता है। इसलिए, कंपनी कपास वर्ष के अंत में पीएलआई की पात्रता और मात्रा का निर्धारण करने और बोर्ड द्वारा अनुमोदित आगामी वित्तीय वर्ष में व्यय को डेबिट करने की प्रथा का निरंतर पालन करती है।

(ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर अनुग्रह राशि और नोटिस वेतन का भुगतान उस वर्ष के लाभ-हानि विवरण में शामिल किया जाता है जिसमें भुगतान किया जाता है।

(iii) कर्मचारियों को दिए गए ऋणों के भावी नकदी प्रवाह को भुनाने पर उत्पन्न होने वाली कर्मचारी लागत को खातों में शामिल किया जाता है, यदि रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में शुद्ध प्रभाव वित्तीय वर्ष के कुल राजस्व के 0.25% से अधिक हो और कर्मचारियों को दिए गए ऋणों को उचित मूल्य पर मापा जाता हो।

1.15 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान, किसी इकाई को उसकी परिचालन गतिविधियों से संबंधित कुछ शर्तों के पूर्व या भविष्य में अनुपालन के बदले में संसाधनों के हस्तांतरण के रूप में सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता है।

सरकारी अनुदानों को उनके उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, जहाँ यह उचित आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त

Others

(i) Productivity Linked Incentive:
The productivity linked incentive scheme is based on overall performance i.e. Financial Performance for the Financial Year and Physical Performance for the Cotton Year. The Financial performance is based on the Financial Results for the Financial Year and the Physical performance is based on the performance during the Cotton Year. The Financial Year ends on 31st March and the Cotton Year ends on 30th September i.e. after 6 months of close of the Financial Year. Since it involves two financial years, hence the Optimum Productivity Index under the Productivity Linked Incentive Scheme, can be worked out only at the end of the Cotton Year i.e. after 30th September each year. Therefore, the Company follows the practice consistently of working out the eligibility and quantum of PLI at the end of the Cotton Year and debiting the expenditure in the ensuing Financial Year in which the same is approved by the Board.

(ii) Payment of Ex-Gratia and notice pay on voluntary retirement are recognized in the Statement of Profit and Loss in the year in which payment is made.

(iii) Employees cost that would arise on discounting of future cash flows of loans given to employees are recognized in the accounts if the net impact in the reporting financial year exceeds 0.25% of total revenue of the financial year and loans given to employees are measured at fair value.

1.15 Government Grants

Government grants are assistance by government in the form of transfers of resources to an entity in return for past or future compliance with certain conditions relating to the operating activities of the entity.

Government grants are recognized at their fair value where there is a reasonable assurance that the grant will be received and the

होगा और कंपनी सभी संलग्न शर्तों का पालन करेगी।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में गैर-वर्तमान देनदारियों में शामिल किया जाता है और संबंधित परिसंपत्तियों के अपेक्षित जीवनकाल में मूल्यह्रास के अनुपात में लाभ-हानि विवरण में जमा किया जाता है और अन्य आय के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

आय से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित किया जाता है और उन्हें उन लागतों से मिलान करने के लिए आवश्यक अवधि के लिए लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जिनकी प्रतिपूर्ति के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है और अन्य आय के अंतर्गत अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

1.16 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय (ईपीएस) की गणना इक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के शुद्ध लाभ या हानि को उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। ईपीएस की गणना में, उस अवधि के लिए देय कर घटाने के बाद, उस अवधि का शुद्ध लाभ माना जाता है।

प्रति शेयर 'डाइल्यूटेड आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों के लिए शुद्ध लाभ या हानि और सभी 'डाइल्यूटेड संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को समायोजित करके की जाती है, यदि कोई हो।

1.17 प्रावधान और आकस्मिक देयताएं

क) प्रावधान तब माने जाते हैं जब कंपनी पर पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व हो, यह संभव है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। इनकी प्रत्येक वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है और ये सर्वोत्तम वर्तमान अनुमान को दर्शाते हैं।

ख) प्रावधानों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक व्यय के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता

company will comply with all attached conditions.

Government grants relating to purchase of property, plant and equipment are included in non-current liabilities as deferred income and are credited to Statement of profit and loss in proportion to depreciation over the expected lives of the related assets and presented within other income.

Government grants relating to income are deferred and recognized in the Statement of Profit and Loss over the period necessary to match them with the costs that they are intended to compensate and presented separately within other income.

1.16 Earnings per Share

Basic Earnings Per Share (EPS) are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to Equity Shareholders by the weighted average number of Equity shares outstanding during the period. Earnings considered in ascertaining the EPS is the net profit for the period after deducting attributable tax thereto for the period.

Diluted earnings per share is calculated by adjusting the net profit or loss attributable to equity shareholders and the weighted average number of equity shares outstanding for the effects of all dilutive potential equity shares, if any.

1.17 Provisions and Contingent Liabilities

a) Provisions are recognized when the Company has a present legal or constructive obligation as a result of past events, it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and the amount can be reliably estimated. These are reviewed at each year end and reflect the best current estimate.

b) Provisions are measured at the present value of best estimate of the Management of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the

है। वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त छूट दर एक कर-पूर्व दर है जो मुद्रा के सामयिक मूल्य और देयता से संबंधित जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती है। समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को ब्याज व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

ग) आकस्मिक देयताओं का खुलासा तब किया जाता है जब अतीत की घटनाओं से उत्पन्न कोई संभावित दायित्व हो, जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से ही होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, या कोई वर्तमान दायित्व जो अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होता है जहाँ या तो यह संभव नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

1.18 उधार लेने की लागत

किसी अर्हता प्राप्त संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे जुड़ी उधार लागत, एक ऐसी संपत्ति है जिसे अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय लगता है, ऐसी संपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत की जाती है जब तक कि संपत्ति अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए पर्याप्त रूप से तैयार न हो जाए।

अन्य सभी उधार लागतें, जिसमें खरीद और सामान्य व्यवसाय के दौरान इन्वेंट्री की खरीद और होल्डिंग के लिए उपयोग की जाने वाली उधार पर खर्च की गई लागतें शामिल हैं, को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च की जाती हैं।

उधार लागत में ब्याज और फंड उधार लेने के सिलसिले में कंपनी को होने वाली अन्य लागतें शामिल हैं।

1.19 विदेशी मुद्रा का रूपांतरण

विदेशी मुद्रा के लेन-देन को, लेन-देन की तारीखों पर लागू विनिमय दरों का उपयोग करके कार्यात्मक मुद्रा में बदला जाता है। ऐसे लेन-देन के निपटान और विदेशी मुद्रा में मौजूद मौद्रिक संपत्तियां और देनदारियों को वर्ष के अंत में विनिमय

reporting period. The discount rate used to determine the present value is a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability. The increase in the provision due to the passage of time is recognized as interest expense.

c) Contingent liabilities are disclosed when there is a possible obligation arising from past events, the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Company or a present obligation that arises from past events where it is either not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation or a reliable estimate of the amount cannot be made.

1.18 Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset, being an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale, are capitalised as part of the cost of such asset until the asset is substantially ready for its intended use or sale.

All other borrowing costs, including those incurred on borrowings utilized for procurement and holding of inventories in the ordinary course of business, are recognized as an expense in the Statement of Profit and Loss in the period in which they are incurred.

Borrowing costs include interest and other costs incurred by the Company in connection with the borrowing of funds.

1.19 Foreign currency translation

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates at the dates of the transactions. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at year end

दरों पर बदलने से होने वाले विदेशी मुद्रा के लाभ और हानि को आम तौर पर लाभ या हानि में दिखाया जाता है।

1.20 वित्तीय उपकरण

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

प्रारंभिक मान्यता और मापन

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, सिवाय उन व्यापारिक प्राप्य के जिनमें कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक नहीं होता है या जिनके लिए कंपनी ने व्यावहारिक उपाय लागू किया है। हालाँकि, लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित लेनदेन लागत को उचित मूल्य में जोड़ दिया जाता है।

वर्गीकरण और अनुवर्ती मापन

वर्गीकरण

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को कंपनी के वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के व्यावसायिक मॉडल और वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताओं के आधार पर, परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत करती है।

व्यावसायिक मॉडल मूल्यांकन

कंपनी उस व्यावसायिक मॉडल के उद्देश्य का मूल्यांकन करती है जिसमें परिसंपत्ति को पोर्टफोलियो स्तर पर रखा जाता है क्योंकि यह व्यवसाय के प्रबंधन और हमें प्रदान की जाने वाली जानकारी के तरीके को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

एक वित्तीय परिसंपत्ति को परिशोधित लागत पर तभी मापा जाता है जब निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

यह एक ऐसे व्यावसायिक मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्तियों को धारण करना है।

वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान हैं।

exchange rates are generally recognized in profit or loss.

1.20 Financial Instruments

Financial Assets

Initial recognition and measurement

All financial assets are recognized initially at fair value, with the exception of trade receivables that do not contain a significant financing component or for which the company has applied the practical expedient. However, in the case of financial assets not recorded at fair value through profit and loss, transaction cost that are attributable to the acquisition of the financial asset are added to the fair value

Classification and subsequent measurement

Classifications

The Company classify financial asset as subsequently measured at either amortized cost or fair value depending on the Company's business model for managing the financial assets and the contractual cash flow characteristics of the financial assets.

Business Model Assessment

The company makes an assessment of the objective of a business model in which an asset is held at a portfolio level because this best reflects the way business is managed and information is provided to us.

Financial Assets at amortized cost

A financial asset is measured at amortized cost only if both the following conditions are met:

It is held within a business model whose objective is to hold assets in order to collect contractual cash flows

The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है जो प्रभावी ब्याज दर का एक अभिन्न अंग हैं। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि में वित्त के रूप में शामिल किया जाता है। हानि से होने वाली हानियों को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है।

अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

अनुबंधित नकदी प्रवाह विशेषताओं वाली वित्तीय परिसंपत्तियाँ, जो केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान हैं और एक ऐसे व्यवसाय मॉडल में रखी जाती हैं जिसका उद्देश्य अनुबंधित नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने, दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है, उन्हें एफवीटीओसीआई पर मापे जाने के लिए वर्गीकृत किया जाता है।

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ (एफवीटीपीएल)

कोई भी वित्तीय परिसंपत्ति, जो परिशोधित लागत या एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अलावा, कंपनी किसी ऐसे ऋण लिखत को, जो अन्यथा परिशोधित लागत या एफवीटीसीओंआई मानदंडों को पूरा करता हो, एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत करने का विकल्प चुन सकती है। हालाँकि, ऐसा चयन केवल तभी अनुमत है जब ऐसा करने से माप या मान्यता संबंधी असंगति (जिसे `लेखा विसंगति' कहा जाता है) कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ और हानि में सभी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए उचित मूल्य पर मापा जाता है।

इक्विटी उपकरण

भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में आने वाले सभी इक्विटी उपकरणों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता पर, ट्रेडिंग के लिए रखे गए इक्विटी

After initial measurement, such financial assets are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or cost that are an integral part of the effective interest rate. The effective interest rate amortization is included as finance in the profit and loss. The losses arising from the impairment are recognized in profit and loss.

Financial Assets at fair value through Other Comprehensive Income (FVTOCI)

Financial Assets with contractual cash flow characteristics that are solely payments are principal and interest and held in a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets are classified to be measured at FVTOCI.

Financial Assets at fair value through profit and loss (FVTPL)

Any financial assets, which does not meet the criteria for categorization as at amortized cost or as FVTOCI, is classified as at FVTPL.

In addition, the company may elect to classify a debt inst rument, which otherwise meets amortized cost or FVTCOI criteria, as at FVTPL. However, such selection is allowed only if doing so reduces or eliminates a measurement or recognition inconsistency (referred to as 'accounting mismatch')

Financial assets included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in profit and loss.

Equity Instruments

All equity instruments in scope of Ind AS 109 are measured at fair value. On initial recognition Equity instruments which are held

उपकरणों को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और ट्रेडिंग के लिए नहीं रखे गए इक्विटी निवेशों को कंपनी अपरिवर्तनीय रूप से ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को प्रस्तुत करने का चुनाव कर सकती है। यह चुनाव निवेश-दर-निवेश के आधार पर किया जाता है। यह वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और अपरिवर्तनीय है।

जहाँ कंपनी इक्विटी उपकरणों को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत करती है, वहाँ लाभांश को छोड़कर, उपकरण के सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। निवेश की बिक्री पर भी, ओसीआई से लाभ या हानि की राशियों का लाभ और हानि विवरण में पुनर्चक्रण नहीं होता है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी उपकरणों को उचित मूल्य पर मापा जाता है और सभी परिवर्तनों को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

अन्य सभी वित्तीय उपकरणों को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहाँ लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक भाग या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का एक भाग) को मुख्यतः तब मान्यता रद्द कर दिया जाता है (अर्थात कंपनी की बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है) जबः

- परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया है, या
- कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया हो या 'पास-थ्रू' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को बिना किसी महत्वपूर्ण देरी के प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व ग्रहण कर लिया हो; और या तो (क) कंपनी ने परिसंपत्ति के लगभग सभी जोखिमों और पुरस्कारों को हस्तांतरित कर दिया हो, या (ख) कंपनी ने परिसंपत्ति के लगभग सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित किया हो और न ही उन्हें अपने पास रखा हो, बल्कि परिसंपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित कर दिया हो।

for trading are classified as at FVTPL and equity investment that which are not held for trading, the Company may irrevocably elect to present subsequent changes in fair value through OCI. This election is made on an investment-by-investment basis. The classification is made on initial recognition and is irrevocable.

Where the Company classifies equity instruments as at FVTOCI, then all fair value changes on the instrument, excluding dividends, are recognized in the OCI. There is no recycling of the amounts of profit or loss from OCI to Statement of Profit and Loss, even on sale of investment.

Equity instruments included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in the Statement of Profit and Loss.

All other financial instruments are classified as measured at FVTPL.

De-recognition of financial asset

A financial asset (or, where applicable, a part of financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e. removed from the Company's balance sheet) when:

- The right to receive cash flows from the asset have expired, or
- The Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed obligation to pay the received cash flows in the full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset

जब कंपनी किसी परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकार को हस्तांतरित कर देती है या 'पास-थ्रू' व्यवस्था में प्रवेश कर लेती है, तो वह मूल्यांकन करती है कि क्या और किस हद तक उसने स्वामित्व के जोखिम और पुरस्कार को बरकरार रखा है। जब कंपनी ने परिसंपत्ति के समस्त जोखिम और प्रतिफल को न तो हस्तांतरित किया है और न ही उसे पर्याप्त रूप से अपने पास रखा है, और न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित किया है, तो कंपनी अपनी निरंतर भागीदारी की सीमा तक हस्तांतरित परिसंपत्ति को मान्यता देती रहती है। ऐसी स्थिति में, कंपनी एक संबद्ध देयता को भी मान्यता देती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति और संबद्ध देयता को उस आधार पर मापा जाता है जो कंपनी द्वारा बनाए गए अधिकारों और दायित्वों को दर्शाता है।

हस्तांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी के रूप में निरंतर भागीदारी को परिसंपत्ति की मूल अग्रणीत राशि और कंपनी द्वारा चुकाई जाने वाली प्रतिफल की अधिकतम राशि में से जो भी कम हो, उस पर मापा जाता है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने पर, परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि (या परिसंपत्ति के अमान्यता प्राप्त भाग को आवंटित अग्रणीत राशि) और (i) प्राप्त प्रतिफल (प्राप्त की गई किसी भी नई परिसंपत्ति में से किसी भी नई देयता को घटाकर) और (ii) ओसीआई में मान्यता प्राप्त किसी भी संचयी लाभ या हानि के योग के बीच के अंतर को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

वित्तीय परिसंपत्तियों, जो एफवीटीपीएल पर हैं, के अलावा, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में क्षति संकेतकों के लिए मूल्यांकन की जाती हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, कंपनी हानि-हानि भत्ते की पहचान के लिए भारतीय लेखा मानक 109 - वित्तीय उपकरण - द्वारा अनुमत सरलीकृत दृष्टिकोण का पालन करती है। सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुप्रयोग के लिए कंपनी को व्यापार प्राप्य के ऋण जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) के आधार पर हानि भत्ते की पहचान की जाती है।

When the Company has transferred its right to receive cash flows from an asset or has entered into a 'pass-through' arrangement, it evaluates if and to what extent it has retained the risk and reward of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risk and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the company continues to recognize the transferred asset to the extent of the Company's continuing involvement. In that case, the Company also recognizes an associated liability. The transferred asset and associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligation that company has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the company could be required to repay.

On de-recognition of a financial asset, the difference between the carrying amount of the asset (or the carrying amount allocated to the portion of the asset derecognized) and the sum of (i) the consideration received (including any new asset obtained less any new liability assumed) and (ii) any cumulative gain or loss that had been recognized in OCI is recognized in Statement of profit and loss

Impairment of financial assets

Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting period.

In case of financial assets, the Company follows the simplified approach permitted by Ind AS 109 - Financial Instruments - for recognition of impairment loss allowance. The application of simplified approach does not require the Company to track changes in credit risk of trade receivable but instead recognises a loss allowance based on lifetime expected Credit Loss (ECL) at each reporting date.

वित्तीय देयताएँ

प्रारंभिक पहचान और मापन

वित्तीय देनदारियों को, प्रारंभिक पहचान के समय, लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों, परिशोधित लागत, जैसा भी उपयुक्त हो, के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

सभी वित्तीय देनदारियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर और परिशोधित लागत के मामले में, प्रत्यक्ष रूप से देय लेनदेन लागतों को घटाकर मान्यता दी जाती है।

अनुवर्ती मापन

वित्तीय देनदारियों का मापन उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

वित्तीय देनदारियों का परिशोधन लागत पर मापन

प्रारंभिक पहचान के बाद, ब्याज वाले ऋणों और उधारों को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि की पहचान लाभ और हानि विवरण में तब की जाती है जब देनदारियों की पहचान रद्द कर दी जाती है और साथ ही ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है।

परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है जो प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न अंग हैं। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

एफवीटीपीएल पर वित्तीय देनदारियाँ

एफवीटीपीएल पर वित्तीय देनदारियों में व्यापार के लिए धारित वित्तीय देनदारियाँ और एफवीटीपीएल के रूप में प्रारंभिक पहचान पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियाँ शामिल हैं। वित्तीय देनदारियों को व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट भविष्य में पुनर्खरीद के उद्देश्य से वहन की जाती हैं। व्यापार के लिए धारित देनदारियों पर लाभ और हानि को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियों को मान्यता की

Financial Liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at fair value through profit and loss (FVTPL), amortized cost, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and in the case of amortized cost, net of directly attributable transaction costs.

Subsequent measurement

The measurement of financial liabilities depends on their classification, as described below:

Financial liabilities measured at amortized cost

After initial recognition, interest bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. Gains and losses are recognized in the statement of profit and loss, when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or cost that are integral part of the effective interest rate. The effective interest rate amortization is included as finance costs in the statement of profit and loss.

Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at FVTPL. Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. Gains and losses on liabilities held for trading are recognized in the statement of profit and loss.

Financial liabilities designated upon initial recognition at fair value through profit or loss

प्रारंभिक तिथि पर उसी रूप में मान्यता दी जाती है, और केवल तभी जब भारतीय लेखा मानक 109 के मानदंड पूरे होते हैं। एफवीटीपीएल पर निर्दिष्ट देनदारियों के लिए, स्वयं के ऋण जोखिमों में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य लाभ/हानि को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। ये लाभ/हानि बाद में लाभ-हानि विवरण में स्थानांतरित नहीं की जाती हैं। हालाँकि, कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देनदारियों के उचित मूल्य में अन्य सभी परिवर्तनों को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय देनदारियों की मान्यता रद्द करना

कंपनी किसी वित्तीय देनदारी को तब मान्यता रद्द करती है जब उसके संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन, रद्द या समाप्ति हो जाती है। मान्यता-रहित वित्तीय दायित्व की अग्रणीत राशि और भुगतान किए गए एवं देय प्रतिफल के बीच के अंतर को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय साधनों का समायोजन :

यदि मान्यता प्राप्त राशियों का प्रतिसंतुलन करने का वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और शुद्ध आधार पर निपटान करने, परिसंपत्तियों की वसूली और देनदारियों का एक साथ निपटान करने का इरादा है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों का प्रतिसंतुलन किया जाता है और शुद्ध राशि को बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों का संशोधन

यदि किसी वित्तीय परिसंपत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाता है, तो कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि संशोधित परिसंपत्तियों के नकदी प्रवाह में बाद में कोई अंतर तो नहीं आया है। यदि नकदी प्रवाह में बाद में कोई अंतर आया है, तो मूल वित्तीय परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त माने जाते हैं। इस स्थिति में, मूल वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द कर दी जाती है और उचित मूल्य पर एक नई वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता दी जाती है।

यदि परिशोधित लागत पर संचालित संशोधित परिसंपत्ति के नकदी प्रवाह में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, तो संशोधन के परिणामस्वरूप वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द नहीं होती है।

are designated as such at the initial date of recognition, and only if the criteria in Ind AS 109 are satisfied. For liabilities designated at FVTPL, fair value gains/losses attributable to changes in own credit risks are recognized in OCI. These gains/loss are not subsequently transferred to statement of profit and loss. However, the company may transfer the cumulative gain or loss within equity. All other changes in fair value of such liability are recognized in the statement of profit and loss.

De-recognition of financial liabilities

The company derecognizes a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled or expired. The difference between the carrying amount of the financial liability de-recognised and the consideration paid and payable is recognised in Statement of Profit and Loss

Offsetting of Financial Instruments:

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the Balance Sheet, if there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realise the assets and settle the liabilities simultaneously.

Modification of financial assets and financial liabilities

If the terms of a financial asset are modified, the company evaluates whether the cash flows of the modified assets are subsequently different. If the cash flows are subsequently different, then the contractual rights to cash flows from the original financial assets are deemed to have expired. In this case, the original financial asset is derecognized and a new financial asset is recognized at fair value.

If the cash flows of the modified asset carried at amortized cost are not substantially different, then the modification does not result in de-recognition of the financial asset.

इस स्थिति में, कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की पुनर्गणना करती है और सकल वहन राशि के समायोजन से उत्पन्न राशि को लाभ-हानि विवरण में संशोधन लाभ या हानि के रूप में मान्यता देती है।

नकद और नकद समतुल्य

नकद और नकद समतुल्य में कैश ऑन हैंड, बैंकों में नकदी, बैंकों में तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली अन्य अल्पकालिक जमाएं और अत्यधिक तरल निवेश सम्मलित हैं, जिन्हें आसानी से ज्ञात नकदी राशि में परिवर्तित किया जा सकता है और जो मूल्य और बैंक ओवरड्राफ्ट में शुल्क के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

व्यापार प्राप्य

एक प्राप्य कंपनी के बिना शर्त प्रतिफल राशि पर अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है (अर्थात, प्रतिफल का भुगतान देय होने से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता होती है)। वे व्यापार प्राप्य जिनमें कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक नहीं होता है या जिनके लिए कंपनी ने व्यावहारिक उपाय लागू किए हैं, उन्हें प्रारंभ में भारतीय लेखा मानक 115 के तहत निर्धारित लेनदेन मूल्य पर मान्यता दी जाती है। 12 महीने से अधिक की अवधि की व्यापार प्राप्य राशियाँ गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों के अंतर्गत दर्शाई जाती हैं और प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके, हानि के लिए प्रावधान घटाकर, परिशोधित लागत पर रखी जाती हैं।

व्यापार और अन्य देय राशियाँ

ये राशियाँ वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले कंपनी को प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए देनदारियों को दर्शाती हैं जिनका भुगतान नहीं किया गया है। ये राशियाँ असुरक्षित होती हैं और आमतौर पर मान्यता के 365 दिनों के भीतर भुगतान कर दी जाती हैं। व्यापार और अन्य देय राशियों को चालू देनदारियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 महीनों के भीतर भुगतान देय न हो। इन्हें प्रारंभ में उनके उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

In this case, the company recalculates the gross carrying amount of the financial asset and recognizes the amount arising from adjusting the gross carrying amount as a modification gain or loss in Statement of profit and loss.

Cash and Cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash at banks, other short term deposits with banks with an original maturity of three months or less and highly liquid investments, that are readily convertible to known amount of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value and Bank overdrafts.

Trade Receivables

A receivable represents the company's right to an amount of consideration that is unconditional (i.e., only the passage of time is required before payment of the consideration is due). Trade receivables hat do not contain a significant financing component or for which the company has applied the practical expedient are initially recognized at transaction price determined under Ind AS 115. Trade receivables for more than 12 months are shown under non-current financial assets and are held at amortized cost, using the effective interest rate (EIR) method, less provision for impairment.

Trade and Other Payables

These amounts represent liabilities for goods and services provided to the Company prior to the end of financial year which are unpaid. The amounts are unsecured and are usually paid within 365 days of recognition Trade and other payables are presented as current liabilities unless payment is not due within 12 months after the reporting period. They are recognized initially at their fair value and subsequently measured at amortized cost using the EIR method.

1.21 ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व

वादा किए गए उत्पादों या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहकों को हस्तांतरित करने पर निष्पादन दायित्व की पूर्ति पर राजस्व की मान्यता उस राशि में दी जाती है जो कंपनी द्वारा उन उत्पादों या सेवाओं के बदले में प्राप्त होने वाली राशि को दर्शाती है।

परिचालन राजस्व

- लिंट, कपास की पूरी तरह से दबाई गई गांठों और कपास के बीजों की बिक्री की मान्यता कंपनी द्वारा डिलीवरी ऑर्डर जारी करते समय दी जाती है, बशर्ते डिलीवरी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में या उससे पहले हुई हो।

- वर्ष के दौरान दर्ज की गई बिक्री के संबंध में ब्याज, विलम्ब से उठाव शुल्क और वहन शुल्क (जहाँ भी लागू हो) के लिए क्रेडिट लिया गया है।

- निर्यात बिक्री का लेखा प्रासंगिक बिल ऑफ लैंडिंग के आधार पर किया जाता है।

यदि किसी अनुबंध में प्रतिफल में कोई परिवर्तनशील राशि शामिल है, तो कंपनी उस प्रतिफल की राशि का अनुमान लगाती है जिसकी वह ग्राहक को माल हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होगी। परिवर्तनशील प्रतिफल का अनुमान अनुबंध के आरंभ में लगाया जाता है और तब तक सीमित रखा जाता है जब तक कि यह अत्यधिक संभावित न हो जाए कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की राशि में कोई महत्वपूर्ण राजस्व प्रतिवर्तन तब नहीं होगा जब परिवर्तनशील प्रतिफल से संबंधित अनिश्चितता का बाद में समाधान हो जाए।

महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक - सामान्यतः, कंपनी अपने ग्राहकों से अल्पकालिक अग्रिम प्राप्त करती है। भारतीय लेखा मानक 115 में व्यावहारिक सुविधा का उपयोग करते हुए, कंपनी किसी महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए प्रतिफल की वादा की गई राशि को समायोजित नहीं करती है यदि वह अनुबंध के आरंभ में यह अपेक्षा करती है कि ग्राहक को वादा की गई वस्तु या सेवा के हस्तांतरण और ग्राहक द्वारा उस वस्तु या सेवा के लिए भुगतान करने के बीच की अवधि एक वर्ष या उससे कम होगी।

1.21 Revenue from contracts with customers

Revenue is recognized on satisfaction of performance obligation upon transfer of control of promised products or services to customers in an amount that reflects the consideration the Company expects to receive in exchange for those products or services.

Operating Revenue

- Sales of lint, fully pressed bales of cotton and cotton seeds are recognized at the time of issuance of delivery orders by the Company provided delivery has taken place on or before end of the reporting period.

- Credit towards interest, late lifting charges and carrying charges wherever applicable, has been taken in respect of sales booked during the year.

- Export sales are accounted on the basis of relevant Bills of Lading.

If the consideration in a contract includes a variable amount, the company estimates the amount of consideration to which it will be entitled in exchange for transferring the goods to the customer. The variable consideration is estimated at contract inception and constrained until it is highly probable that a significant revenue reversal in the amount of cumulative revenue recognised will not occur when the associated uncertainty with the variable consideration is subsequently resolved.

Significant financing component - Generally, the Company receives short-term advances from its customers. Using the practical expedient in Ind AS 115, the Company does not adjust the promised amount of consideration for the effects of a significant financing component if it expects, at contract inception, that the period between the transfer of the promised good or service to the customer and when the customer pays for that good or service will be one year or less.

अन्य परिचालन राजस्व

कंपनी की मुख्य गतिविधियों से संबंधित आय जो बिक्री/सेवाओं से प्राप्त राजस्व में शामिल नहीं है, उदाहरण के लिए। व्यापारिक लेन-देन पर होने वाले नुकसान, उधार बिक्री पर ब्याज और व्यापार संबंधी अग्रिम (अतिदेय को छोड़कर) आदि के विरुद्ध दावे, जो व्यावसायिक सहयोगियों के साथ संबंधित व्यापार समझौतों या संबंधित व्यापार योजनाओं की शर्तों के आधार पर प्राप्त होते हैं, 'अन्य परिचालन राजस्व' के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं।

दावे

लाभ-हानि विवरण (किसी भी देय राशि को घटाकर) में दावों को उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसमें मूल्य समर्थन, नकद प्रोत्साहन, हानि की प्रतिपूर्ति आदि के लिए सरकार से प्राप्तियां शामिल हैं, जब अंतिम वसूली की अपेक्षा करना अनुचित न हो। मान्यता प्राप्त लेकिन बाद में संदिग्ध हो जाने वाले दावों के लिए लाभ-हानि विवरण के माध्यम से प्रावधान किया जाता है।

ब्याज आय

जब मापनीयता या संग्रहणीयता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो, तो प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए, बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए, समय अनुपात के आधार पर ब्याज आय की मान्यता दी जाती है।

किराये की आय

किराये और परिचालन पट्टों से प्राप्त राजस्व को संबंधित समझौते के सार के अनुसार उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है।

मापनीयता और अंतिम संग्रह के बारे में महत्वपूर्ण अनिश्चितता के कारण, राजस्व मान्यता वास्तविक प्राप्ति तक स्थगित कर दी गई है:

क) बीमा दावे, जिनका लेखा बीमा कंपनी द्वारा प्रासंगिक हानि वाउचर जारी करने पर किया जाता है।

ख) संस्थागत खरीदारों से बकाया ऋणों के संबंध में ब्याज से आय, जो कंपनी को अपने बकाया का भुगतान नियमित रूप से नहीं करते हैं।

Other Operating Revenue

The income relating to the core activities of the company which are not included in revenue from sales/services for e.g. claims against losses on trade transactions, interest on credit sales and trade related advances (other than on overdue) etc., which are derived based on the terms of related trade agreements with business associates or schemes on related trade, are accounted for under 'Other Operating Revenue'.

Claims

Claims are recognized in the Statement of Profit and Loss (Net of any payable) on accrual basis including receivables from Government towards Price Support, cash incentives, reimbursement of losses etc, when it is not unreasonable to expect ultimate collection. Claims recognized but subsequently becoming doubtful are provided for through Statement of Profit and Loss.

Interest income

Interest income is recognized, when no significant uncertainty as to measurability or collectability exist, on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the applicable interest rate, using the effective interest rate method.

Rental Income

Revenue from rentals and operating leases is recognized on an accrual basis in accordance with the substance of the relevant agreement.

Revenue recognition is deferred till actual realization, owing to significant uncertainty about measurability and ultimate collection in respect of:

(a) Insurance claims, which are accounted upon issuance of relevant loss vouchers by the insurance company.

(b) Income towards interest in regard to debts outstanding from institutional buyers, which are not regular in clearing their dues to the Company.

ग) शुद्ध दावे (जमा, अग्रिम वहन शुल्क और ऋण शेष को समायोजित करने के बाद) और उन पर ब्याज, जो चूककर्ता खरीदारों को शुरू में बेची गई मात्रा के पुनर्विक्रय से होने वाले नुकसान के लिए हैं;

1.20 निर्णयों और अनुमानों का प्रयोग

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय, प्रबंधन ने ऐसे निर्णय, अनुमान और धारणाएँ बनाई हैं जो कंपनी की लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करती हैं। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन, यदि कोई हो, उस वर्ष में मान्य किए जाते हैं जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और भविष्य के किसी भी प्रभावित वर्ष में।

क) निर्णय

लेखांकन नीतियों को लागू करने में लिए गए निर्णयों की जानकारी, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, नीचे दी गई है:

- पट्टे: क्या किसी व्यवस्था में पट्टा शामिल है।

- पट्टों का वर्गीकरण: वित्तीय पट्टे या परिचालन पट्टे के अंतर्गत पट्टों के वर्गीकरण के लिए परिसंपत्ति के अनुमानित आर्थिक जीवन और अनुमानित लागत के संबंध में निर्णय की आवश्यकता होती है। कंपनी ने व्यवस्था को परिचालन या वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत करने के लिए, व्यवस्था के नियमों और शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर, ऐसे पट्टा अनुबंधों का मामला-दर-मामला विश्लेषण किया है, जैसे कि पट्टे की अवधि वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक जीवन और परिसंपत्ति के उचित मूल्य का एक बड़ा हिस्सा नहीं है।

ख) मान्यताएँ और अनुमान संबंधी अनिश्चितताएँ

- उन मान्यताओं और अनुमान संबंधी अनिश्चितताओं के बारे में जानकारी, जिनके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण समायोजन होने का महत्वपूर्ण जोखिम है, नीचे दी गई है:

(c) Net claims (after adjusting deposits, advance carrying charges and credit balances) lodged and interest thereon on the defaulting buyers for losses arising out of resale of quantities initially sold to them;

1.20 Use of judgments and estimates

In preparing these financial statements, management has made judgments, estimates and assumptions that affect the application of the company's accounting policies and the reported amounts of assets , liabilities, income and expenses. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results may differ from these estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on a periodic basis. Revisions to accounting estimates, if any, are recognized in the year in which the estimates are revised and in any future years affected.

a) Judgments

Information about the judgments made in applying accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements have been given below:

- Leases: Whether an arrangement contains a lease.

- Classification of Leases: Classification of leases under finance lease or operating lease requires judgment with regard to the estimated economic life and estimated cost of the asset. The Company has analyzed such lease contracts on case to case basis to classify the arrangement as operating or finance lease, based on an evaluation of the terms and conditions of the arrangements, such as the lease term not constituting a major part of the economic life of the commercial property and the fair value of the asset.

b) Assumptions and estimation uncertainties

- Information about assumptions and estimation uncertainties that have a significant risk of resulting in a material adjustment is included below:

- परिभाषित लाभ दायित्वों का मापनः प्रमुख बीमांकिक धारणाएं;
- आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचानः भविष्य के कर योग्य लाभ की उपलब्धता जिसके विरुद्ध आगे ले जाने वाले कर घाटे का उपयोग किया जा सकता है;
- हानि परीक्षणः विकास लागत की वसूली योग्यता सहित वसूली योग्य राशियों के अंतर्निहित प्रमुख मान्यताएँ;
- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन;
- वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मापन
- अग्रिम/प्राप्य राशियों की वसूली योग्यता
- कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध सर्वाधिक विश्वसनीय साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, इन्वेंट्री के शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्यों का अनुमान लगाती है।
- प्रावधान और आकस्मिकताओं की पहचान और मापनः संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना और परिमाण के बारे में प्रमुख धारणा।
- वास्तविक परिणाम इन धारणाओं और अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

- Measurement of defined benefit obligations: Key actuarial assumptions;
- Recognition of deferred tax assets: availability of future taxable profit against which carry forward tax losses can be used;
- Impairment test: Key assumption underlying recoverable amounts, including the recoverability of development cost;
- Useful life of property, plant and equipment and intangible assets;
- Fair value measurement of Financial Instruments
- Recoverability of Advances / Receivables
- The Company estimates net realisable values of inventories, taking into account the most reliable evidence available at each reporting date.
- Recognition and measurement of provision and contingencies: Key assumption about the likelihood and magnitude of an outflow of resources.
- The actual results may defer from these assumptions and estimations.

नोट 2 – संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण / NOTE 2 - PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENTS

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

शुद्ध वहन मूल्य Net Carrying Value	31 मार्च 2026 को As at 31st March, 2026	31 मार्च 2025 को As at 31st March, 2025
फ्रीहोल्ड भूमि / Land Freehold	143.19	143.19
भवन / Building	949.41	973.15
विद्युत प्रतिष्ठान और उपकरण Electrical Installations and Equipments	152.70	76.52
प्रयोगशाला उपकरण / Laboratory Equipment	77.70	94.73
नमी मीटर और माइक्रोननेयर टेस्टर्स Moisture Meter and Micronnair Testers	20.43	0.07
कंप्यूटर उपकरण / Computer Equipments	486.99	526.80
फर्नीचर एंव फिक्स्चर्स / Furniture and Fixtures	115.57	106.09
वाहन / Vehicles	106.00	126.23
कार्यालय उपकरण / Office Equipments	79.41	79.12
कुल / Total	2,131.40	2,125.90

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

वहन लागत Carrying Cost	फ्रीहोल्ड भूमि Land Freehold	भवन * Building*	विद्युत प्रतिष्ठान और उपकरण Electrical Installation and Equipments	प्रयोगशाला उपकरण Laboratory Equipment	नमी मीटर और माइक्रोनेयर टेस्टर्स Moisture Meter and Micronnair Testers	कंप्यूटर उपकरण Computer Equipments	फर्नीचर एंव फिक्स्चर्स Furniture and Fixtures	वाहन Vehicles	कार्यालय उपकरण Office Equipments	कुल Total
01.04.2024 तक सकल वहन मूल्य Gross Carring value as at 01.04.2024	146.05	1,218.30	184.67	157.94	320.40	814.95	176.08	218.15	172.85	3,409.39
जोडे-वृद्धि / Add-Additions	-	51.17	5.25	37.74	225.47	479.47	52.81	102.90	53.42	1,008.23
घटाये - निपटान/ समायोजन Less-Disposal/ Adjustment	2.86	102.20	21.64	9.78	12.35	6.84	5.99	77.87	6.19	245.72
31.03.2025 तक सकल वहन मूल्य Gross Carring value as at 31.03.2025	143.19	1,167.27	168.28	185.90	533.52	1,287.58	222.90	243.18	220.08	4,171.90
जोडे-वृद्धि / Add-Additions	-	-	83.58	0.35	179.44	149.24	25.52	-	22.55	460.68
घटाये - निपटान/ समायोजन Less-Disposal/ Adjustment	-	-	2.25	0.14	23.04	13.15	2.75	1.11	17.49	59.93
31.03.2026 को सकल वहन मूल्य Gross Carring value as at 31.03.2026	143.19	1,167.27	249.61	186.11	689.92	1,423.67	245.67	242.07	225.14	4,572.65

नोट : * इंदौर और नवी मुंबई स्थित शाखा कार्यालयों में, कुछ हिस्से, जिन्हें पहले निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, को किराए पर देने के उनके इच्छित उपयोग को बंद कर दिए जाने के कारण 'भवन' शीर्षक के अंतर्गत पुनर्वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, भीलवाड़ा स्थित उप-शाखा कार्यालय में निर्मित भूमि और भवन के एक हिस्से को किराए पर देने के लिए नामित किया गया है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में निवेश संपत्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

"Note: * At the Branch Offices in Indore and Navi Mumbai, certain portions that were previously classified as Investment Properties have been reclassified under the heading 'Building' due to the discontinuation of their intended use for letting out. Further, a portion of land and building constructed at the Sub-Branch Office in Bhilwara has been designated for letting out and reclassified as an Investment Property in the financial year 2024–25.

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

संचित मुल्यह्रास Accumilated Depreciation	फ्रीहोल्ड भूमि Land Freehold	भवन Building	विद्युत प्रतिष्ठान और उपकरण Electrical Installation and Equipments	प्रयोगशाला उपकरण Laboratory Equipment	नमी मीटर और माइक्रोनेयर टेस्टर्स Moisture Meter and Micronnair Testers	कंप्यूटर उपकरण Computer Equipments	फर्नीचर एंव फिक्स्चर्स Furniture and Fixtures	वाहन Vehicles	कार्यालय उपकरण Ofice Equipments	कुल Total
01.04.2024 तक संचित मूल्यह्रास Accumulated Depreciation as at 01.04.2024	-	165.66	87.40	85.54	320.36	706.64	109.03	176.46	131.70	1,782.79
जोडे - वर्ष के लिए मूल्यह्रास Add:Depreciation for the Year	-	24.87	6.27	13.90	225.44	59.87	12.17	13.71	14.16	370.39
घटाये : निपटान/समायोजन Less : Disposal/ Adjustment	-	(3.59)	1.91	8.27	12.35	5.73	4.39	73.22	4.90	107.18
31.03.2025 को संचित मूल्यह्रास Accumulated Depreciation as at 31.03.2025	-	194.12	91.76	91.17	533.45	760.78	116.81	116.95	140.96	2,046.00
जोडे : वर्ष के लिए मूल्यह्रास Add:Depreciation for the Year	-	23.74	5.15	16.59	159.94	187.79	15.63	20.00	19.51	448.35
घटाये : निपटान/ समायोजन Less : Disposal/ Adjustment	-	-	-	(0.65)	23.90	11.89	2.34	0.88	14.74	53.10
31.03.2026 को संचित मूल्यह्रास Accumulated Depreciation as at 31.03.2026	-	217.86	96.91	108.41	669.49	936.68	130.10	136.07	145.73	2,441.25

नोट : इंड एएस में परिवर्तन: इंड एएस में परिवर्तन के समय, कंपनी ने 1 अप्रैल, 2016 को मान्यता प्राप्त अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के पिछले यूँइ-के अनुसार मापे गए वहन मूल्य को जारी रखने का निर्णय लिया है और उस वहन मूल्य को संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की अनुमानित लागत के रूप में उपयोग किया है।

"Note: Transition to Ind AS: On transition to Ind AS, the Company has elected to continue with the carrying value of all of its Property, Plant and Equipment recognized as at 1st April, 2016 measured as per the previous GAAP and used that carrying value as the deemed cost of the Property, Plant and Equipment."

नोट 3 – पूंजीगत कार्य प्रगति पर / NOTE 3 - CAPITAL WORK IN PROGRESS

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	01 अप्रैल 2025 तक शेष Balance as at April 01, 2025	वर्ष के दौरान वृद्धि / समायोजन Additions/ Adjustments during the year	वर्ष के दौरान पूंजीकृत Capitalized during the year	31 मार्च 2026 तक शेष Balance as at March 31,2026	01 अप्रैल 2024 तक शेष Balance as at April 01, 2024	वर्ष के दौरान वृद्धि / समायोजन Additions/ Adjustments during the year	वर्ष के दौरान पूंजीकृत Capitalized during the year	31 मार्च 2025 तक शेष Balance as at March 31,2025
परियोजना प्रगति पर Project in Progress	-	32.16	-	32.16	2.46	-	2.46	-
कुल / TOTAL	-	32.16	-	32.16	2.46	-	2.46	-

प्रगतिशील कार्य की अवधि अनुसूचि / Capital Work in Progress ageing schedule

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

पूंजीगत कार्य प्रगति पर Capital Work in Progress	अवधि के लिए प्रगति पर पूंजीगत कार्य की राशि Amount in Capital Work in Progress for a period of				31 मार्च 2026 तक As at 31st March 2026
	एक वर्ष से कम Less than 1 year	1-2 वर्ष 1-2 years	2-3 वर्ष 2-3 years	3 से अधिक वर्ष* More than 3 years*	
परियोजना प्रगति पर Projects in progress	32.16	-	-	-	32.16
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

पूंजीगत कार्य प्रगति पर Capital Work in Progress	अवधि के लिए प्रगति पर पूंजीगत कार्य की राशि Amount in Capital Work in Progress for a period of				31 मार्च 2025 तक As at 31st March 2025
	एक वर्ष से कम Less than 1 year	1-2 वर्ष 1-2 years	2-3 वर्ष 2-3 years	3 से अधिक वर्ष* More than 3 years*	
परियोजना प्रगति पर Projects in progress	-	-	-	-	-
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-

नोट : 4 परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार / NOTE 4 : RIGHT OF USE ASSETS

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

शुद्ध वहन मूल्य Net Carrying Value	31 मार्च,2026 तक As at 31st March, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at 31st March, 2025
लीज होल्ड भूमि / Land Leasehold	40.37	41.04
लीजहोल्ड भवन / Building Leasehold	76.44	77.60
कार्यालय परिसर / Office Premises	383.77	199.76
कुल / Total	**500.58**	**318.40**

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

कैरिंग मूल्य Carrying Cost	लीजहोल्ड भूमि Land Leasehold*	लीजहोल्ड भवन Building Leasehold	कार्यालय परिसर Office Premises	कुल Total
01.04.2024 तक सकल वहन मूल्य Gross Carring value as at 01.04.2024	47.11	88.03	501.30	636.44
जोडे : वृद्धि / - Add : Additions	-	-	50.64	50.64
घटायें :- निपटान/समायोजन Less : Disposal/ Adjustment*	-	-	71.33	71.33
31.03.2025 तक सकल वहन मूल्य Gross Carring value as at 31.03.2025	47.11	88.03	480.61	615.75
जोडे : वृद्धि / - Add : Additions	-	-	279.49	279.49
घटायें :- निपटान/समायोजन Less : Disposal/ Adjustment	-	-	158.49	158.49
31.03.2026 तक सकल वहन मूल्य Gross Carring value as at 31.03.2026	47.11	88.03	601.61	736.75

नोट : * (क) कंपनी ने सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई और श्रीगंगानगर में वित्तीय पट्टे पर भूमि ली है, जिसमें पट्टा अवधि के आरंभ में ही पट्टा भुगतान का भुगतान कर दिया गया है, इसलिए पुस्तकों में कोई संगत पट्टा देयता मान्यता प्राप्त नहीं है।

"Note:
* (a) The Company has taken land on finance lease at CBD Belapur, Navi Mumbai and Sriganganagar wherein the lease payment has been discharged at the beginning of the lease period, hence there is no corresponding lease liability recognized in the books.

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

संचित मूल्यह्रास Accumulate Depreciation	लीजहोल्ड भूमि Land Leasehold	लीजहोल्ड भवन Building Leasehold	कार्यालय परिसर Office Premises	कुल Total
01.04.2024 तक संचित मूल्यह्रास Accumulated depreciation as at 01.04.2024	5.40	9.27	265.86	280.53
जोड़ें: वर्ष के लिए मूल्यह्रास / Add: Depreciation for the year	0.67	1.16	72.86	74.69
घटायें - निपटान/समायोजन Less -Disposal/ Adjustment	-	-	57.87	57.87
31.03.2025 तक संचित मूल्यह्रास Accumulated depreciation as at 31.03.2025	6.07	10.43	280.85	297.35
जोड़ें: वर्ष के लिए मूल्यह्रास / Add: Depreciation for the year	0.67	1.16	95.13	96.96
घटायें - निपटान/समायोजन Less -Disposal/ Adjustment	-	-	158.14	158.14
31.03.2026 तक संचित मूल्यह्रास Accumulated Depreciation as at 31.03.2026	6.74	11.59	217.84	236.17

नोट 5 – निवेश / Note 5 - Investment

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

शुद्ध वहन मूल्य Net Carrying Value	31 मार्च,2026 तक As at 31st March, 2026	31 मार्च,2025 तक As at 31st March, 2025
लीज होल्ड भूमि / Land Leasehold	143.16	145.86
फ्रीहोल्ड भवन / Building Freehold	2,157.43	2,217.47
लीजहोल्ड भवन* / Building Leasehold*	80.06	81.26
रेलवे साइडिंग / Railway Sidings	19.02	19.02
कुल / Total	**2,399.67**	**2,463.61**

* नोट: कंपनी ने कोलकाता में भवन परिसर को वित्तीय पट्टे पर लिया है (नोट संख्या 55.4.1 देखें) जिसमें से कुछ भाग को किराये पर देने का इरादा है और तदनुसार इसे निवेश संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

* Note: The Company has taken Building premises at Kolkata on finance lease (refer to note no 55.4.1) out of which some portion is intended for let out and accordingly classified as Investment Properties.

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

लागत तथा मानित लागत Cost and Deemed Cost	लीजहोल्ड भूमि Land Leasehold	फ्रीहोल्ड भवन* Building Freehold*	लीजहोल्ड भवन Building Leasehold	रेलवे साइडिंग Railway Sidings	कुल Total
01.04.2024 तक सकल वहन मूल्य Gross Carring value as at 01.04.2024	170.16	2,631.17	92.12	19.02	2,912.47
जोडे : वृद्धि / Add : Additions	-	126.71	-	-	126.71
घटायें :- निपटान/समायोजन Less : Disposal/ Adjustment	-	29.33	-	-	29.33

31.03.2025 तक सकल वहन मूल्य Gross Carring value as at 31.03.2025	170.16	2,728.55	92.12	19.02	3,009.85
जोडे : वृद्धि / Add : Additions	-	-	-	-	-
घटायें :- निपटान/समायोजन Less : Disposal/ Adjustment	-	-	-	-	-
31.03.2026 तक सकल वहन मूल्य Gross Carring value as at 31.03.2026	170.16	2,728.55	92.12	19.02	3,009.85

नोट:

* इंदौर और नवी मुंबई स्थित शाखा कार्यालयों में, कुछ हिस्से, जिन्हें पहले निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, को किराए पर देने के उनके इच्छित उपयोग को बंद कर दिए जाने के कारण 'भवन' शीर्षक के अंतर्गत पुनर्वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, भीलवाड़ा स्थित उप-शाखा कार्यालय में निर्मित भूमि और भवन के एक हिस्से को किराए पर देने के लिए नामित किया गया है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में निवेश संपत्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

Note:

* At the Branch Offices in Indore and Navi Mumbai, certain portions that were previously classified as Investment Properties have been reclassified under the heading 'Building' due to the discontinuation of their intended use for letting out. Further, a portion of land and building constructed at the Sub-Branch Office in Bhilwara has been designated for letting out and reclassified as an Investment Property in the financial year 2024–25.

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

संचित मूल्यह्रास Accumulate Depreciation	लीजहोल्ड भूमि Land Leasehold	फ्रीहोल्ड भवन Building Freehold	लीजहोल्ड भवन Building Leasehold	रेलवे साइडिंग Railway Sidings	कुल Total
01.04.2024 तक संचित मूल्यह्रास Accumulated depreciation as at 01.04.2024	21.60	456.01	9.66	-	487.27
जोड़ें: वर्ष के लिए मूल्यह्रास / Add: Depreciation for the year	2.70	56.75	1.20	-	60.65
घटायें - निपटान/समायोजन Less -Disposal/ Adjustment	-	1.68	-	-	1.68
31.03.2025 तक संचित मूल्यह्रास Accumulated depreciation as at 31.03.2025	24.30	511.08	10.86	-	546.24
जोड़ें: वर्ष के लिए मूल्यह्रास / Add: Depreciation for the year	2.70	60.04	1.20	-	63.94
घटायें - निपटान/समायोजन Less -Disposal/ Adjustment	-	-	-	-	-
31.03.2026 तक संचित मूल्यह्रास Accumulated Depreciation as at 31.03.2026	27.00	571.12	12.06	-	610.18

निवेश संपत्तियो के लिए लाभ और हानि में मान्य की गई राशि

Amounts recognized in Profit and Loss for Investment properties

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च,2026 तक As at 31st March, 2026	31 मार्च,2025 तक As at 31st March, 2025
किराये से आय / Rental Income	2,141.08	2,060.00
जोडे : संपत्ति पर प्रत्यक्ष परिचालन व्यय, जो किराये की आय को उत्पन्न करता हैं Add : Direct Operating expenses on properties that generated rental income	66.10	70.49
संपत्ति पर प्रत्यक्ष परिचालन व्यय, जो किराये की आय को उत्पन्न नहीं करता हैं Direct Operating expenses on properties that did not generate rental income	-	-
मूल्यह्रास से पहले निवेश संपत्तियों से लाभ Profit from Investment Properties before Depreciation	2,074.98	1,989.51
मूल्यह्रास / Depreciation	63.94	60.65
अप्रत्यक्ष व्यय से पहले निवेश संपत्तियों से लाभ Profit from Investment Properties before Indirect Expenses	2,011.04	1,928.86

नोट: कंपनी ने अपने निवेश संपत्तियों को परिचालन पट्टे के अंतर्गत अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए मुख्य कार्यालय, इंदौर तथा कलंबोली शाखा में लीज पर दिया है। सिरसा, कोलकाता और इंदौर में कार्यालय परिसर का कुछ भाग तथा कलंबोली में गोदाम का कुछ भाग, जिसे किराये पर देने का इरादा है, उसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी पर अपनी निवेश संपत्तियों की प्राप्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है तथा इन संपत्तियों की खरीद, निर्माण, विकास, मरम्मत, रखरखाव या सुधार से संबंधित कोई संविदात्मक दायित्व नहीं हैं।

Note: The Company has leased out its investment properties under operating lease for periods ranging upto 5 years at Head Office, Indore and Kalamboli branch. At Sirsa, Kolkata and Indore some portion of office premises and some portion of Godown at Kalamboli which is intended for let out has been classified as Investment Property. The company has no restrictions on the realisability of its investment properties and no contractual obligations to purchase, construct or develop investment properties or for repairs, maintenance and enhancements.

निवेश संपत्ति का उचित मूल्य प्रकटीकरण / Fair Value Disclosure of Investment Property

निवेश संपत्तियों का मूल्यांकन लागत मॉडल के अनुसार किया गया है। कंपनी ने अपनी निवेश संपत्तियों के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन प्राप्त किए हैं और उचित मूल्य स्वतंत्र अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। उचित मूल्य का निर्धारण तुलनीय बाजार दृष्टिकोण का उपयोग करके किया गया है। स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा निर्धारित निवेश संपत्तियों के उचित मूल्य इस प्रकार हैं:

The investment properties have been measured following cost model. The company has obtained independent valuations for its investment properties and fair values have been arrived on the basis of valuation carried out by independent approved valuers. The fair value has been determined using the comparable market approach. Fair value of investment properties determined by independent valuers are as follows:

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

निवेश संपत्ति Investment Property at	संपत्तियों का वर्गीकरण Classification of Property	31 मार्च, 2026 तक As at 31st March, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at 31st March, 2025
कोलकाता Kolkata	कार्यालय परिसर Office Premises	488.99	455.17
इंदौर Indore	कार्यालय परिसर Office Premises	576.00	547.00

सिरसा Sirsa	कार्यालय परिसर Office Premises	48.01	48.58
भिलवाड़ा Bhilwara	कार्यालय परिसर Office Premises	258.25	249.90
सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई CBD Belapur, Navi Mumbai	कार्यालय परिसर Office Premises	13,530.70	13,269.00
कलंबोली Kalamboli	गोदाम Warehouse	28,938.61	28,232.52

नोट –6क अन्य अमूर्त परिसंपत्ति / Note 6A - Other Intangible Assets

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर / Computer Software

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	राशि Amount	विवरण Particulars	राशि Amount
01.04.2025 तक सकल वहन राशि Gross Carrying amount as at 01.04.2025	83.10	01.04.2024 तक सकल राशि Gross Carrying amount as at 01.04.2024	34.10
वृद्धि / Additions	49.00	वृद्धि / Additions	49.00
निपटान / Disposals	-	निपटान / Disposals	-
31.03.2026 तक सकल वहन मूल्य Gross Carrying value as on 31.03.2025	132.10	31.03.2025 को सकल वहन मूल्य Gross Carrying value as on 31.03.2025	83.10
01.04.2025 तक संचित परिशोधन Accumulated Amortization as at 01.04.2025	28.80	01.04..2024 तक संचित परिशोधन Accumulated Amortization as at 01.04.2024	18.31
वृद्धि / Additions	23.89	वृद्धि / Additions	10.49
निपटान /समयोजन / Disposals / Adjustment	-	निपटान / समयोजन / Disposals / Adjustment	-
31.03.2026 तक संचित परिशोधन Accumulated Amortization as at 31.03.2026	52.69	31.03.2025 तक संचित परिशोधन Accumulated Amortization as at 31.03.2025	28.80
31.03.2026 तक शुद्ध वहन मूल्य Net Carrying value as on 31.03.2026	79.41	31.03.2025 तक शुद्ध वहन मूल्य Net Carrying value as on 31.03.2025	54.30

नोट 6ख – विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां
NOTE 6B - INTANGIBLE ASSETS UNDER DEVELOPMENT

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	01 अप्रैल 2025 तक शेष Balance as at April 01, 2025	वर्ष के दौरान वृद्धि / समायोजन Additions/ Adjustments during the year	वर्ष के दौरान पूंजीकृत Capitalized during the year	31 मार्च 2026 तक शेष Balance as at March 31,2026	01 अप्रैल 2024 तक शेष Balance as at April 01, 2024	वर्ष के दौरान वृद्धि / समायोजन Additions/ Adjustments during the year	वर्ष के दौरान पूंजीकृत Capitalized during the year	31 मार्च 2025 तक शेष Balance as at March 31,2025
परियोजना प्रगति पर Project in Progress	35.00	-	35.00	-	-	35.00	-	35.00
कुल / TOTAL	35.00	-	35.00	-	-	35.00	-	35.00

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ / Intangible Assets Under Development

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ Intangible Assets Under Development	एक निश्चित अवधि के लिए विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की राशि Amount in Intangible Assets Under Development for a period of				31 मार्च 2026 तक As at 31st March 2026
	एक वर्ष से कम Less than 1 year	1-2 वर्ष 1-2 years	2-3 वर्ष 2-3 years	3 से अधिक वर्ष* More than 3 years*	
परियोजनाएं प्रगति पर Projects in progress	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ Intangible Assets Under Development	एक निश्चित अवधि के लिए विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की राशि Amount in Intangible Assets Under Development for a period of				31 मार्च 2025 तक As at 31st March 2025
	एक वर्ष से कम Less than 1 year	1-2 वर्ष 1-2 years	2-3 वर्ष 2-3 years	3 से अधिक वर्ष More than 3 years	
पूंजीगत कार्य प्रगति पर Projects in progress	35.00	-	-	-	35.00
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-

नोट 7 – गैर-चालू निवेश (परिशोधित लागत पर)

Note 7 - Non-Current Investments (at Amortized Cost)

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च,2026 तक As at 31st March, 2026	31 मार्च,2025 तक As at 31st March, 2025
इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश (गैर-उद्धृत) Investment in Equity Instrument (Unquoted)	5.00	5.00
राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग और जिनिंग मिल्स फेडरेशन लिमिटेड के प्रत्येक 1000 रुपये के 500 इक्विटी शेयर का पूर्ण भुगतान 500 Fully Paid Equity Share of Rs.1000 each of Rajasthan Rajya Sahkari Spinning & Ginning Mills Federation Ltd.		
घटायें : निवेश मूल्य में हानि Less: Impairment in value of investment	(4.99)	(4.99)
गैर-उद्धृत निवेश की कुल राशि Aggregate amount of unquoted Investment	0.01	0.01

निवेश के मूल्य में इंपेयरमेंट में परिवर्तन / Movement in impairment in value of investment

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at 31st March, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at 31st March, 2025
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि Balance at the beginning of the year	4.99	4.99
मान्यता प्राप्त वर्ष के दौरान इंपेयरमेंट हानि/प्रावधान Impairment losses/ provision during the year recognized	-	-
वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि Amount written off during the year	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि Balance at the end of the year	4.99	4.99

नोट 8 – ऋण – गैर चालू / Note 8 - Loans - Non Current

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च,2026 तक As at 31st March, 2026	31 मार्च,2025 तक As at 31st March, 2025
क) जमानती (शोध्य माने गये) a) Secured (considered Good)	-	-
कर्मचारियों को दिए गए ऋण / Loans to Employees	131.00	174.49
उप-कुल (क) / Sub-Total (a)	131.00	174.49
ख) असुरक्षित (शोध्य माने गए) a) Unsecured (considered Good)	-	-
कर्मचारियों को ऋण / Loans to Employees	83.46	111.51
उप-कुल (ख) / Sub-Total (b)	83.46	111.51
ग) असुरक्षित (क्षीण क्रेडिट) c) Unsecured (credit impaired)		
कर्मचारियों को दिए गए ऋण / Loans to Employees	-	-
अन्य को दिए गए ऋण एवं अग्रिम / Others Loans and Advance	5.60	5.60
घटाएँ: क्षति हानि भत्ते Less: Impairment Loss Allowances	(5.60)	(5.60)
उप-कुल (ग) / Sub-Total (c)	-	-
कुल (क+ख+ग) / Total (a+b+c)	**214.46**	**286.00**

नोट: कर्मचारियों को दिए गए सुरक्षित ऋण और अग्रिम बाजार ब्याज दर पर हैं, इसलिए ऐसे ऋणों और अग्रिमों की वहन राशि उनके उचित मूल्य के बराबर है।

अन्य कर्मचारियों को दिए गए असुरक्षित ऋण वहन मूल्य पर ही जारी रहेंगे क्योंकि मापन प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

प्रमुख प्रबंधन कर्मियों से प्राप्त ऋण/ अग्रिमों का खुलासा नोट संख्या 51.2.4 में किया गया है।

Note: Secured loans and advances given to employees are at market rate of interest, therefore the carrying amount of such loans and advances are equal to their fair value.
Unsecured loans to other employees continue to be carried at carrying value as measurement impact is not material.
Loans/advances receivable from key management personnel are disclosed at note no. 51.2.4

संदिग्ध ऋणों के लिए भत्तों में संचलन / Movement in impairment loss allowances:

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at 31st March, 2026	31 मार्च,2025 तक As at 31st March, 2025
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि Balance at the beginning of the year	5.60	5.60
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त हानियाँ Impairment losses during the year recognized	-	-
वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि Amount written off during the year	-	-
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि Amounts recovered during the year	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि Balance at the end of the year	5.60	5.60

नोट 9 – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ – गैर–चालू / Note 9 - Other Financial Assets - Non-Current

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च,2026 तक As at 31st March, 2026	31 मार्च,2025 तक As at 31st March, 2025
12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली बैंक जमा राशियाँ* Bank Deposits with more than 12 months maturity*	6.16	5.77
अर्जित ब्याज : / Interest accrued on :		
सावधी जमा / Term Deposits	-	-
कर्मचारियों को ऋण: / Loans to Employees	134.01	134.66
कुल / Total	**140.17**	**140.43**
* ग्रहणाधिकार के अंतर्गत / * Under Lien	6.13	5.75

नोट 10 : आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध) / Note 10 - Deferred Tax Assets (Net)

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च,2026 तक 31st March, 2026	31 मार्च,2025 तक 31st March, 2025
विलम्बित टैक्स देयता / Deferred Tax Liability		
i) संयंत्र, संपत्ति और उपकरण, निवेश संपत्ति और अमूर्त परिसंपत्ति i) Plant, Property and Equipment, Investment Property & Intangible Assets	523.31	532.79
ii) आयकर रिफंड पर ब्याज ii) Interest on Income tax refund	-	23.27
उप-कुल / Sub-Total	523.31	556.06
आस्थगित कर परिसंपत्तियां / Deferred Tax Assets		
I) अग्रेषित हानि और मूल्यह्रास i) Carried Forwarded Losses and Depreciation	-	541.91
ii) भुगतान के आधार पर स्वीकार्य व्यय ii) Expenses Allowable on Payment Basis	2,912.28	3,130.41
iii) संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान iii) Provision for Doubtful Debts and Advances	358.04	365.77
iv) निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान iv) Provision for Diminution in Value of Investment	1.26	1.26
उप-कुल / Sub-Total	3,271.58	4,039.35
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध) / Deferred Tax Assets (Net)	2,748.27	3,483.29

आस्थगित कर व्यय की मान्यता / Recognition of Deferred Tax Expenses

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at 31st March, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at 31st March, 2025
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त आस्थगित कर व्यय Deferred Tax Expenses recognised in Statement of Profit & Loss	616.80	561.76
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त आस्थगित कर व्यय Deferred Tax Expenses recognised in Other Comprehensive Income (OCI)	118.22	(292.05)
आस्थगित कर व्यय (शुद्ध) / Deferred Tax Expenses (Net)	735.02	269.71

वर्ष के दौरान आस्थगित कर शेष में परिवर्तन

Movement in deferred tax balances during the year

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	1 अप्रैल, 2025 तक शेष राशि Balance as at 1st April, 2025	लाभ और हानि विवरण और ओसीआई में मान्यता प्राप्त Recognized in Statement of Profit & Loss & OCI	समायोजन Adjustments	31 मार्च, 2026 तक शेष राशि Balance as at 31st March, 2026
विलम्बित टैक्स देयता / Deferred Tax Liability				
i) संयंत्र, संपत्ति और उपकरण, निवेश संपत्ति और अमूर्त परिसंपत्ति i) Plant, Property and Equipment, Investment Property & Intangible Assets	532.79	(9.48)	-	523.31
ii) आयकर रिफंड पर ब्याज ii) Interest on Income tax refund	23.27	(23.27)	-	-
उप-योग / Sub-Total	556.06	(32.75)	-	523.31
आस्थगित कर परिसंपत्तियां / Deferred Tax Assets				
i) अग्रेषित हानि और मूल्यह्रास i) Carried Forwarded Losses and Depreciation	541.91	(541.91)	-	-
ii) भुगतान के आधार पर स्वीकार्य व्यय ii) Expenses Allowable on Payment Basis	3,130.41	(218.13)		2,912.28
iii) संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान iii) Provision for Doubtful Debts and Advances	365.77	(7.73)	-	358.04
iv) निवेश मूल्य में कमी के लिए प्रावधान iv) Provision for Diminution in Value of Investment	1.26	-	-	1.26
उप-योग / Sub-Total	4,039.35	(767.77)	-	3,271.58
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध) Deferred Tax Assets (Net)	3,483.29	(735.02)	-	2,748.27

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	1 अप्रैल, 2024 तक शेष राशि Balance as at 1st April, 2024	लाभ और हानि विवरण और ओसीआई में मान्यता प्राप्त Recognized in Statement of Profit & Loss & OCI	समायोजन Adjustments	31 मार्च, 2025 तक शेष राशि Balance as at 31st March, 2025
विलम्बित टैक्स देयता / Deferred Tax Liability				
i) संयंत्र, संपत्ति और उपकरण, निवेश संपत्ति और अमूर्त परिसंपत्ति i) Plant, Property and Equipment, Investment Property & Intangible Assets	553.91	(21.12)	-	532.79
ii) आयकर वापसी पर ब्याज ii) Interest on Income tax refund	23.27	-	-	23.27
उप-योग / Sub-Total	577.18	(21.12)	-	556.06
आस्थगित कर परिसंपत्तियां / Deferred Tax Assets				
i) अग्रेषित हानि और मूल्यह्रास i) Carried Forwarded Losses and Depreciation	874.99	(333.08)	-	541.91
ii) भुगतान के आधार पर स्वीकार्य व्यय ii) Expenses Allowable on Payment Basis	3,086.03	44.38	-	3,130.41
iii) संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान iii) Provision for Doubtful Debts and Advances	367.90	(2.13)	-	365.77
iv) निवेश मूल्य में कमी के लिए प्रावधान iv) Provision for Diminution in Value of Investment	1.26	-	-	1.26
उप-योग / Sub-Total	4,330.18	(290.83)	-	4,039.35
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध) Deferred Tax Assets (Net)	3,753.00	(269.71)	-	3,483.29

नोट 11 – अन्य गैर–चालू परिसंपत्ति / Note 11 - Other Non-Current Assets

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at 31st March, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at 31st March, 2025
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम Advances other than Capital Advances		
- सुरक्षा जमा - Security Deposits	219.85	203.08
- बिक्री कर / वेट / जीएसटी प्राधिकारीयों के पास जमा राशि* - Deposits with Sales Tax/VAT/GST Authorities*	111.11	139.97
अन्य पुनर्प्राप्त करने योग्य / Others recoverable		
- बिक्री कर/वैट ऋण प्राप्य - Sales Tax/VAT Credit Receivable	57.51	57.51
- अन्य प्राप्य / Other Receivable	7.56	7.56
घटाएँ: क्षति हानि भत्ते Less : Impairment Loss Allowances	(7.56)	(7.56)
कुल / Total	388.47	400.56

* नोट: बिक्री कर/वैट प्राधिकरण द्वारा उठाई गई मांग के विरुद्ध अग्रिम/ जमा राशि को दर्शाता है।

* Note: Represents advance/deposits made against the demand raised by the Sales Tax/VAT Authority.

हानि क्षति भत्ते में परिवर्तन / Movement in impairment loss allowances

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च,2026 तक As at 31st March, 2026	31 मार्च,2025 तक As at 31st March, 2025
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि Balance at the beginning of the year	7.56	7.56
मान्यता प्राप्त वर्ष के दौरान हानि हानि/प्रावधान Impairment losses/ provision during the year recognized	-	-
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि Amounts recovered during the year	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि Balance at the end of the year	7.56	7.56

नोट –12 : मालसूची / Note 12 - Inventories

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च,2026 तक 31st March, 2026	31 मार्च, 2025 तक 31st March, 2025
कच्चा माल / Raw Materials	1,793.26	34,808.68
व्यापार में स्टोक (तैयार गांठे) / Stock in Trade (Ready Bales)	-	27.92
तैयार माल / Finished Goods	-	-
- रुई / - Lint	28,70,533.12	29,13,555.89
- बिनौला / - Cotton Seed	40,660.39	44,438.68
- येलो पीकिंग/ रोलर पीकिंग/ नमूना/ विविध गाँठें - Yellow Picking/Roller Picking/Sample/Misc. Bales	10.30	59.70
पैकिंग सामग्री / Packing Materials	-	-
कुल / Total	**29,12,997.07**	**29,92,890.87**

नोटः

(क) लिंट के इन्वेंट्री मूल्यांकन में 8,09,856.40 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2,62,107.63 लाख रुपये) की इन्वेंट्री शामिल है, जिसका शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य है। तदनुसार, लाभ-हानि विवरण में 1,13,584.99 लाख रुपये (पिछले वर्ष 31,960.03 लाख रुपये) की हानि दर्ज की गई है।

(ख) बिनौला और येलो पीकिंग/ रोलर पीकिंग/ नमूना/ विविध गांठों का मूल्य शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य है।

(ग) आग में नष्ट हुई 6,866.60 लाख रुपये (पिछले वर्ष 4,361.46 लाख रुपये) की इन्वेंट्री को बट्टे खाते में डाल दिया गया है और नोट संख्या 33 और 35 के तहत लाभ-हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

(घ) सभी इन्वेंट्री को ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए बैंकों के संघ के पास बंधक रखा गया है।

(ङ) इन्वेंट्री की लागत को व्यय के रूप में लाभ-हानि विवरण 42,72,023.47 लाख रुपये (पिछले वर्ष 17,31,338.58 लाख रुपये) में मान्यता दी गई है।

Note : (a) Inventory valuation of Lint includes inventories of Rs.8,09,856.40 lakh (previous year 2,62,107.63 lakhs) valued at Net Realizable Value. Accordingly, loss of Rs.1,13,584.99 lakh (previous year Rs.31,960.03 lakh) have been recognised in the Statement of Profit & Loss.

(b) Cotton Seed and Yellow Picking/Roller Picking/Sample/Misc. Bales valued at Net Realizable Value.

(c) Inventory lost in fire/theft amounting to Rs.6,866.60 lakh (previous year Rs.4,361.46 lakh) written off and recognized as expense in the Statement of Profit and Loss under note no.33 and 35.

(d) All Inventories are hypothecated to consortium of Banks for availing credit facilities.

(e) Cost of inventory recognised as an expense in Statement of Profit and Loss Rs.42,72,023.47 lakhs (previous year Rs.17,31,338.58 lakhs).

नोट 13 – व्यापार प्राप्य / Note 13 - Trade Receivables

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च,2026 तक As at 31st March, 2026	31 मार्च,2025 तक As at 31st March, 2025
संबंधित पार्टियों से व्यापार प्राप्य Trade Receivables from related parties		
सुरक्षित, शोध्य माने गए Secured, considered Good	-	-
असुरक्षित, शोध्य माने गए * Unsecured, considered good*	3,787.66	3,926.66
संदिग्ध / Doubtful	-	-
घटाएँ: क्षति हानि भत्ते Less : Impairment Loss Allowances	-	-
उप-योग / Sub-Total	3,787.66	3,926.66
अन्य व्यापार प्राप्य Other Trade Receivables	-	-
क)सुरक्षित, शोध्य माने गए a) Secured, considered Good	-	-
ख)असुरक्षित, शोध्य माने गए * b) Unsecured, considered good	3,415.03	2,778.91
ग) क्रेडिट इम्पेअर्ड / c) Credit Impaired	1,422.63	1,453.36
घटाएँ: क्षति हानि भत्ते Less : Impairment Loss Allowances	(1,422.63)	(1,453.36)
उप-योग / Sub-Total	3,415.03	2,778.91
कुल / Total	7,202.69	6,705.57

नोट:

* कंपनी अपने तैयार उत्पाद नकद और कैरी आधार पर बेचती है, सिवाय नेशनल टेक्सटाइल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीसी) को बिक्री और ऋण पत्र के आधार पर डिलीवरी को छोड़कर। एनटीसी को डिलीवरी सीसीआई और एनटीसी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार की जा रही है, जो एक ही प्रशासनिक मंत्रालय के अधीन है। इसके अलावा, इस समझौता ज्ञापन की गारंटी वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गई है। इसलिए, एनटीसी से बकाया ₹3,787.66 लाख (पिछले वर्ष ₹3,926.66 लाख) को उचित और वसूली योग्य माना जाता है।

Note:

* Company sells it finished products on cash and carry basis except in case of sale to National Textiles Corporation Ltd. (NTC) and deliveries against Letter of Credit. Deliveries to NTC are being made as per the MoU signed between CCI and NTC which is under the same administrative Ministry. Further, this MoU is guaranteed by Ministry of Textiles, Government of India. Therefore, Rs.3,787.66 lakh (previous year Rs.3,926.66 lakh) dues from NTC are considered good and recoverable.

हानि क्षति भत्ते में परिवर्तन / Movement in impairment loss allowances :

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 तक As at 31st March, 2026	31 मार्च,2025 तक As at 31st March, 2025
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि Balance at the beginning of the year	1,453.36	1,461.81
मान्यता प्राप्त वर्ष के दौरान इंपेयरमेंट हानि/प्रावधान Impairment losses/provision during the year recognized	-	-
वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि Amount written off during the year	30.73	5.82
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि Amounts recovered during the year	-	2.63
वर्ष के अंत में शेष राशि Balance at the end of the year	1,422.63	1,453.36

31 मार्च 2026 तक व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची

Trade Receivables ageing schedule as at 31st March 2026

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया Outstanding for following periods from due date of payment					कुल Total
	6 माह से कम Less than 6 Month	6 माह -1 वर्ष 6 Month - 1 year	1-2 वर्ष 1-2 years	2-3 वर्ष 2-3 years	3 वर्ष से अधिक More than 3 years	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - शोध्य माने गये (i) Undisputed Trade receivables - considered good	3,411.50	-	-	1.22	3,789.97	7,202.69
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है (ii) Undisputed Trade Receivables - which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण क्षीण (iii) Undisputed Trade Receivables - credit impaired	-	-	-	-	116.71	116.71
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - शोध्य माने गये (iv) Disputed Trade Receivables - considered good	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है (v) Disputed Trade Receivables - which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण हानि (vi) Disputed Trade Receivables - credit impaired	-	-	-	-	1,305.92	1,305.92
घटाएँ: क्षति हानि भत्ते Less: Impairment Allowances	-	-	-	-	(1,422.63)	(1,422.63)
कुल / Total	3,411.50	-	-	1.22	3,789.97	7,202.69

31 मार्च 2025 तक व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची

Trade Receivables ageing schedule as at 31st March 2025

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया Outstanding for following periods from due date of payment					कुल Total
	6 माह से कम Less than 6 Month	6 माह -1 वर्ष 6 Month - 1 year	1-2 वर्ष 1-2 years	2-3 वर्ष 2-3 years	3 वर्ष से अधिक More than 3 years	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - शोध्य माने गये (i) Undisputed Trade receivables - considered good	2,775.38	-	1.22	2.31	3,926.66	6,705.57
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है (ii) Undisputed Trade Receivables - which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण क्षीण (iii) Undisputed Trade Receivables - credit impaired	-	-	-	-	116.71	116.71
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - शोध्य माने गये (iv) Disputed Trade Receivables - considered good	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है (v) Disputed Trade Receivables - which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण हानि (vi) Disputed Trade Receivables - credit impaired	-	-	-	24.48	1,312.17	1,336.65
घटाएँ: क्षति हानि भत्ते Less: Impairment Allowances	-	-	-	(24.48)	(1,428.88)	(1,453.36)
कुल / Total	2,775.38	-	1.22	2.31	3,926.66	6,705.57

नोट - 14 : नकद तथा नकद समतुल्य / Note 14 - Cash and Cash Equivalent

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च,2026 तक As on 31st March, 2026	31 मार्च, 2025 तक As on 31st March, 2025
शेष रोकड़ / Cash on Hand	0.01	-
बैंक में उपलब्ध शेष / Balances with Banks		
(ए) चालू खाते में / (a) in Current Account *	2,344.78	5,861.07
बी) कैश क्रेडिट खाते में / (b) in Cash Credit Account	-	10,814.47
सावधिक जमा राशि में जिनकी मूल परिपक्वता 3 महीने तक की है In term deposit with original maturity upto 3 months	-	-
कुल / Total	2,344.79	16,675.54
* ग्रहणाधिकार के अंतर्गत (नोट संख्या 43.1.1 (3) देखें)/ * Under Lien (refer note no. 43.1.1 (3))	0.12	0.12

नोट – 15 : नकद एवं नकद समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष
Note 15 - Bank Balances other than Cash & Cash Equivalent

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च,2026 तक As on 31st March, 2026	31 मार्च, 2025 तक As on 31st March, 2025
सावधिक जमा में जिनकी मूल परिपक्वता 3 महीने से अधिक परंतु 12 महीने से कम है * In term deposit with original maturity more than 3 months but less than 12 months *	72.03	67.47
योग / Total	72.03	67.47
* ग्रहणाधिकार के अंतर्गत (नोट संख्या 43.1.1(3) देखे / * Under Lien (refer note no. 43.1.1(3)	72.03	67.47

नोट 16 – ऋण – चालू / Note 16 - Loans - Current

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च,2026 को As at 31st March, 2026	31 मार्च,2025 को As at 31st March, 2025
क) सुरक्षित (शोध्य माने गए) (a) Secured (considered good)		
कर्मचारियों को ऋण / Loans to Employees	29.31	36.22
उप-योग(क) / Sub- Total (a)	29.31	36.22
(ख) असुरक्षित (शोध्य माने गए) (b) Unsecured (considered good)		
कर्मचारियों को ऋण / Loans to Employees	79.22	75.99
उप-योग (ख) / Sub- Total (b)	79.22	75.99
(ग) गैर-जमानती (खराब क्रेडिट) (c)Unsecured (credit impaired)		
कर्मचारियों को दिए गए ऋण / Loans to Employees	-	-
अन्य ऋण और अग्रिम Others Loans and Advance	-	-
घटाएँ: क्षति हानि भत्ते Less: Impairment Loss Allowances	-	-
उप-योग (ग) / Sub- Total (c)	-	-
कुल (क+ख+ग) / Total (a+b+c)	108.53	112.21

नोट:
मुख्य प्रबंधन कार्मिकों से प्राप्य ऋण/ अग्रिम का खुलासा नोट संख्या 51.2.4 में किया गया है।

Note:
Loans/advances receivable from key management personnel are disclosed at note no. 51.2.4

नोट 17 : अन्य वित्तीय परिसंपत्ति – चालू / Note 17 - Other Financial Assets - Current

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च,2026 तक As at 31st March, 2026	31 मार्च,2025 तक As at 31st March, 2025
भारत सरकार से कपास पर प्राप्य सब्सिडी/मूल्य समर्थन Subsidy/Price Support on Cotton Receivable from Government of India	8,04,108.14	2,57,774.69
व्यापार प्राप्य के अतिरिक्त अन्य प्राप्य * Receivables Other than Trade Receivables*	5,264.55	4,110.55
प्राप्य बीमा प्रीमियम रिफंड Insurance Premium Refund Receivable	56.77	29.33
प्राप्य बीमा दावा Insurance Claims Receivable	4,296.75	159.05
अर्जित ब्याज / Interest accrued on :		
कर्मचारियों को ऋण / Loans to Employees	17.37	16.24
कुल / Total	8,13,743.58	2,62,089.86

नोट :

* व्यापार प्राप्तियों के अलावा अन्य प्राप्तियों में एनटीसी से 4,444.91 लाख रुपये (पिछले वर्ष 3,599.88 लाख रुपये) की प्राप्तियां शामिल हैं, जो सीसीआई और एनटीसी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार अतिदेय राशि पर ब्याज के रूप में हैं, जो एक ही प्रशासनिक मंत्रालय के अधीन है। इसके अलावा, इस समझौता ज्ञापन की गारंटी भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा दी गई है। इसलिए, एनटीसी से 4,444.91 लाख रुपये (पिछले वर्ष 3,599.88 लाख रुपये) की बकाया राशि अच्छी और वसूली योग्य मानी जाती है।

Note:

* Receivables Other than Trade Receivables includes Rs.4,444.91 Lakh (previous year Rs.3,599.88 Lakh) receivables from NTC towards interest on overdue amount charged as per terms of MoU signed between CCI and NTC which is under the same administrative Ministry. Further, this MoU is guaranteed by Ministry of Textiles, Government of India. Therefore, Rs.4,444.91 lakh (previous year Rs.3,599.88 Lakh) dues from NTC are considered good and recoverable.

नोट –18 अन्य चालू परिसंपत्तियां / Note 18 - Other Current Assets

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च,2026 तक As at 31st March, 2026	31 मार्च, 2025 तक As at 31st March, 2025
पूंजीगत अग्रिमों / Capital Advances	32.77	-
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम Advances other than Capital Advances		
- सुरक्षा जमा / -Security Deposits	-	-
अन्य परिसंपत्तियाँ / Others Assets		
सीसीआई ग्रेच्युटी ट्रस्ट / सीएसएस ट्रस्ट से प्राप्य - Receivable from CCI Gratuity Trust / CSS Trust	253.50	72.84
सीसीआई भविष्य निधि ट्रस्ट से प्राप्य - Receivable from CCI Provident Fund Trust	1,334.88	749.90
- बिक्री कर/वैट क्रेडिट प्राप्य - Sales Tax/VAT Credit Receivable	-	-
- जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट / - GST Input Tax Credit	1,40,894.07	1,58,686.53
- बीमा पोलिसीयों के लिए अग्रिम / Advance for Insurance Policies	288.70	177.88
- पूर्व भुगतान व्यय/पूर्व भुगतान / Prepaid Expenses/Prepayment	2,466.58	1,906.31
- आयकर रिफंड पर प्राप्त होने वाला व्याज - Interest Receivable On Income Tax Refund	-	112.51
- निर्यात प्रोत्साहन प्राप्य / Export Incentives Receivables		
- अन्य चालू परिसंपत्तियां / - Other Current Assets	254.75	34.66
कुल / Total	**1,45,525.25**	**1,61,740.63**

नोट –19 : चालू कर परिसंपत्तियां (शुद्ध) / Note 19 - Current Tax Assets (Net)

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च,2026 तक As at 31st March, 2026	31 मार्च,2025 तक As at 31st March, 2025
क) चालू कर परिसंपत्तियाँ / a) Current Tax Assets	5,682.32	3,379.69
ख) चालू कर देयताएं / b) Current Tax Liabilities	460.00	363.00
कुल / Total	5,222.32	3,016.69

नोट : वर्तमान आयकर परिसंपत्तियों में अग्रिम कर, स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर संग्रहित कर शामिल हैं।

Note: Current Income Tax Assets includes Advance Tax, Tax Deducted at Source.

कर व्यय और लेखांकन लाभ का मिलान लागू कर दर से गुणा करके:
Reconciliation of tax expense and the accounting profit multiplied by applicable tax rate:

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च,2026 को As at 31st March, 2026	31 मार्च,2025 को As at 31st March, 2025
लाभ और हानि विवरण के अनुसार कर से पहले का लाभ Profit Before Tax as per Statement of Profit & Loss	4,592.28	3,837.32
भारत में लागू कर दरें (अधिभार और उपकर सहित) Enacted tax rates in India (including Surcharge and Cess)	25.168	25.168
अपेक्षित आयकर व्यय / (लाभ) Expected income tax expense / (benefit)	1,155.79	965.78
अन्य शीर्षों के अंतर्गत प्रभार्य आय के कारण प्रभाव Impact due to Income Chargable under other heads	(139.54)	(130.84)
कर उद्देश्यों के लिए कटौती योग्य नहीं व्यय/ हानि Expenses/Losses not deductible for tax purposes	3.05	2.15
जोड़ें / (घटाएँ): पिछली अवधि के कर समायोजन Add / (Less): Tax adjustments of previous period	54.85	35.07
जोड़ें / (घटाएँ): अन्य / Add / (Less): Others	2.65	0.08
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय Income Tax Expense recognised in Statement of Profit and Loss	1,076.80	872.24

नोट – 20 : इक्विटी शेयर पूँजी / Note 20 - Equity Share Capital

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च,2026 तक As at 31st March, 2026	31 मार्च,2025 तक As at 31st March, 2025
प्राधिकृत / Authorized		
प्रत्येक 100/- रू. के 75,00,000 इक्विटी शेयर्स 75,00,000 Equity Shares of Rupees 100/- each	7,500.00	7,500.00
	7,500.00	7,500.00
निर्गमित, खरीदे गए तथा पूर्ण प्रदत्त Issued, subscribed and fully paid-up		
प्रत्येक 100/- रू. के 25,00,000 इक्विटी शेयर्स पूर्ण प्रदत्त 25,00,000 Equity Shares of Rupees 100/- each fully paid-up	2,500.00	2,500.00
कुल / Total	2,500.00	2,500.00

इक्विटी शेयरों से संबंधित शर्तें/ अधिकार

कंपनी के पास केवल एक ही प्रकार के इक्विटी शेयर हैं जिनका प्रति शेयर 100 रुपये के बराबर मूल्य का है।

निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश, यदि कोई हो, आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

नए शेयर जारी करना, शेयरों का हस्तांतरण, पूँजी का पुनर्भुगतान, सब-डिवीजन और शेयर का समेकन आदि भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन के अधीन हैं।

Terms / rights attached to equity shares

The Company has only one class of equity shares having a par value of Rs. 100 per share.

Dividend proposed, if any, by Board of Directors is subject to the approval of the shareholders in the ensuing Annual General Meeting.

Issue of new shares, transfer of shares, repayment of Capital, sub division and consolidation of share etc. are subject to approval of the President of India.

शेयरों की संख्या का समाधान: / Reconciliation of number of shares:

विवरण Particulars	31 मार्च,2026 तक As at 31st March, 2026	31 मार्च,2025 तक As at 31st March, 2025
आरंभिक ईक्विटी शेयर / Opening Equity shares	25,00,000	25,00,000
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी/सब्सक्राइब किए गए शेयरों की संख्या, शेयर पूंजी Add: No. of shares, Share Capital issued/subscribed during the year	-	-
घटाइये कटौती / Less: Deduction	-	-
अंतिम शेष / Closing balance	25,00,000	25,00,000

वर्ष के अंत में प्रमोटरों की शेयरधारिता और 5 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले शेयरधारकों के कंपनी में शेयरों की संख्या

Shareholding of Promoters and No. of shares in the company held by shareholders holding more than 5 percent at the end of year

शेयर होल्डर का नाम Name of the shareholder	31 मार्च,2026 तक As at 31st March, 2026		31 मार्च,2025 तक As at 31st March, 2025		वर्ष के दौरान % परिवर्तन % Change during the year
	शेयरों की संख्या No of Shares	%होल्डिंग % holding	शेयरों की संख्या No of Shares	%होल्डिंग % holding	
भारत के राष्ट्रपति President of India	25,00,000	100	25,00,000	100	0.00

नोट:

(क) भारत के राष्ट्रपति के नामित शेयरधारकों द्वारा धारित 3 शेयर (पिछले वर्ष 3 शेयर) जो लाभकारी शेयरधारक हैं।

(ख) पिछले 5 वर्षों में नकद भुगतान प्राप्त किए बिना अनुबंध के अनुसार कोई बायबैक/बोनस शेयर या शेयर जारी नहीं किए गए थे।

Note:

(a) 3 Shares (previous year 3 shares) held by nominee shareholders of the President of India being the beneficial shareholder.

(b)There were no buyback/bonus shares or issue of shares pursuant to contract without payment being received in cash in previous 5 years.

नोट -21 : अन्य इक्विटी / Note 21 - Other Equity

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च,2026 तक As at 31st March, 2026	31 मार्च,2025 तक As at 31st March, 2025
(I) सामान्य आरक्षित निधि / General Reserve	2,798.86	2,798.86
(ii) प्रतिधारण अर्जन / Retained Earnings	32,368.44	29,742.49
(iii) अन्य व्यापक आय / Other Comprehensive Income	(1,089.07)	(1,440.56)
कुल अन्य इक्विटी / Total Other Equity	**34,078.23**	**31,100.79**

नोट:

सामान्य आरक्षित निधि

कंपनी ने लाभांश घोषित करने से पहले कंपनी अधिनियम, 1956 के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार, अपने शुद्ध लाभ का एक हिस्सा सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित कर दिया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सामान्य आरक्षित निधि में अनिवार्य स्थानांतरण आवश्यक नहीं है। इसके अलावा, यह किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए निर्धारित नहीं है।

प्रतिधारित आय

प्रतिधारित आय में सभी वर्तमान और पूर्व अवधि के प्रतिधारित लाभ शामिल हैं। प्रतिधारित आय वह लाभ है जो कंपनी ने अब तक अर्जित किया है, जिसमें सामान्य रिजर्व, लाभांश या शेयरधारकों को अन्य वितरण को कम किया गया है।

पूंजी प्रबंधन

पूंजी के प्रबंधन में कंपनी का उद्देश्य एक चालू चिंता के रूप में जारी रहने की अपनी क्षमता की रक्षा करना है, साथ ही एक ऑप्टिमल पूंजी संरचना बनाए रखना है ताकि अपने व्यावसायिक कार्यों का समर्थन किया जा सके, भारत सरकार के उद्यम के रूप में अपने जनादेश को पूरा किया जा सके और हितधारक मूल्य को अधिकतम किया जा सके।

पूंजी प्रबंधन के प्रयोजन के लिए, कंपनी अपनी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी, आरक्षित और अधिशेष को पूंजी के रूप में मानती है। कंपनी ने कोई दीर्घकालिक उधार नहीं लिया है। कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना के तहत कपास की खरीद और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों से उत्पन्न परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है।

कंपनी पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है और इसकी इक्विटी पूंजी भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से रखी जाती है। कंपनी की पूंजी आवश्यकताएं मुख्य रूप से भारत सरकार से इक्विटी समर्थन, आंतरिक रूप से उत्पन्न धन और बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त अल्पकालिक कार्यशील पूंजी उधार के माध्यम से पूरी की जाती हैं। कपास खरीद कार्यों की मौसमी और चक्रीय प्रकृति के कारण, खरीद और विपणन गतिविधियों के आधार पर वर्ष के दौरान उधार की मात्रा काफी भिन्न हो सकती है।

कंपनी अपनी पूंजी संरचना की निगरानी अपनी निवल संपत्ति, कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं और लागू सरकारी निर्देशों के अनुपालन के आधार पर करती है। कंपनी की नीति एक मजबूत पूंजी आधार बनाए रखना है ताकि संचालन की निरंतरता सुनिश्चित हो सके और जब भी दायित्वों का भुगतान करना हो, उन्हें पूरा किया जा सके। वर्ष के दौरान, पूंजी के प्रबंधन के लिए कंपनी के उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं हुआ।

Note:

General Reserve

The Company has transferred a portion of the net profit of the Company before declaring dividend to General Reserve pursuant to the earlier provisions of Companies Act, 1956. Mandatory transfer to General Reserve is not required under the Companies Act, 2013. Further, it is not earmarked for any specific purpose.

Retained Earnings

Retained Earnings include all current and prior period retained profits. Retained earnings are the profits that the company has earned till date less any transfers to General Reserve, dividends or other distributions to shareholders.

Capital Management

The Company's objective in managing capital is to safeguard its ability to continue as a going concern while maintaining an optimal capital structure so as to support its business operations, fulfil its mandate as a Government of India enterprise and maximise stakeholder value.

For the purpose of capital management, the Company considers its paid-up equity share capital, reserves and surplus as capital.The Company has not availed any long-term borrowings. The Company manages its capital structure in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013, directions issued by the Government of India from time to time and the operational requirements arising from procurement of cotton under the Minimum Support Price (MSP) Scheme and other commercial activities.

The Company is wholly owned by the Government of India and its equity capital is held through the President of India. The capital requirements of the Company are primarily met through equity support from the Government of India, internally generated funds and short-term working capital borrowings obtained from banks and financial institutions. Due to the seasonal and cyclical nature of cotton procurement operations, the level of borrowings may vary significantly during the year depending upon procurement and marketing activities.

The Company monitors its capital structure on the basis of its net worth, working capital requirements and compliance with applicable Government directives. The Company's policy is to maintain a strong capital base so as to ensure continuity of operations and meet its obligations as and when they fall due. During the year, there were no changes in the Company's objectives, policies or processes for managing capital.

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	(i) सामान्य आरक्षित निधि General Reserve	(ii) प्रतिधारण अर्जन Retained Earnings	(ii) प्रतिधारण अर्जन Other Comprehensive Income
01.04.2025 को प्रारंभिक शेष / Opening Balance as on 01.04.2025	2,798.86	29,742.49	(1,440.56)
वर्ष को दौरान शुद्ध लाभ / Net Profit for the year	-	3,515.48	-
प्रतिधारित अर्जन में सीधे व्यापक आय पहचान की अन्य मदें Items of other comprehensive income recognize directly in Retained Earnings	-	-	-
कर प्रभाव के बाद परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन Re-measurements of the defined benefit plans net of tax effect	-	-	351.49
लीज होल्ड भूमि से फ्री होल्ड भूमि में पुनः वर्गीकरण के कारण मूल्यह्रास के लिए समायोजन Adjustment for Depreciation due to re-classification from lease hold land to free hold land	-	-	-
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वर्ष के दौरान भुगतान किया गया लाभांश Dividend paid during the year for the F.Y. 2024-25	-	(889.53)	-
सामान्य आरक्षित निधि और अन्य रिज़र्व में स्थानांतरित Transferred to General Reserve and Other Reserves	-	-	
31.03.2026 तक अंतिम शेष Closing Balance as on 31.03.2026	2,798.86	32,368.44	(1,089.07)

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	(i) सामान्य आरक्षित निधि General Reserve	(ii) प्रतिधारण अर्जन Retained Earnings	(ii) प्रतिधारण अर्जन Other Comprehensive Income
01.04.2024 को प्रारंभिक शेष / Opening Balance as on 01.04.2024	2,798.86	27,944.79	(572.23)
वर्ष को दौरान शुद्ध लाभ / Net Profit for the year	-	2,965.08	-
प्रतिधारित अर्जन में सीधे व्यापक आय पहचान की अन्य मदें Items of other comprehensive income recognize directly in Retained Earnings	-	-	-
कर प्रभाव के बाद परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन Re-measurements of the defined benefit plans net of tax effect	-	-	(868.33)
पूर्व अवधि की मदों के कारण अन्य समायोजन Other adjustment due to prior period items	-	-	-
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वर्ष के दौरान भुगतान किया गया लाभांश Dividend paid during the year for the F.Y. 2023-24	-	(1,167.38)	-
सामान्य आरक्षित निधि और अन्य रिज़र्व में स्थानांतरित Transferred to General Reserve and Other Reserves	-	-	
31.03.2025 तक अंतिम शेष Closing Balance as on 31.03.2025	2,798.86	29,742.49	(1,440.56)

नोट –22 : पट्टा देयता / Note 22 - Lease Liability

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च,2026 तक As at 31st March, 2026		31 मार्च,2025 तक As at 31st March, 2025	
	चालू Current	गैर-चालू Non-Current	चालू Current	गैर-चालू Non-Current
पट्टा देयता / Lease Liability	100.04	311.78	59.77	163.19
कुल / Total	100.04	311.78	59.77	163.19

पट्टा देयताएँ का संचलन / Movement of Lease Liabilities

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	राशि Amount	विवरण Particulars	राशि Amount
1 अप्रैल 2025 को प्रारंभिक पट्टा देयताएँ Opening Lease Liabilities as at 1st April 2025	222.96	1 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक पट्टा देयताएँ Opening Lease Liabilities as at 1st April 2024	266.82
नए पट्टे मान्य किए गए New Leases recognized	279.49	नए पट्टे मान्य किए गए New Leases recognized	50.64
घटायें :-पुनः मापन और निकासी Less : Re-measurements and withdrawals	0.49	घटायें :-पुनः मापन और निकासी Less : Re-measurements and withdrawals	19.92
जोडें: पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय Add: Interest expense on Lease Liabilities	20.72	जोडें: पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय Add: Interest expense on Lease Liabilities	13.21
घटायें: पट्टा देयताओं का भुगतान Less: Payment of Lease Liabilities	110.86	घटायें: पट्टा देयताओं का भुगतान Less: Payment of Lease Liabilities	87.79
31 मार्च 2026 तक समापन पट्टा देयताएं Closing Lease Liabilities as at 31st March 2026	411.82	31 मार्च 2025 तक समापन पट्टा देयताएं Closing Lease Liabilities as at 31st March 2025	222.96

नोट – 23 अन्य वित्तीय देयताएं – गैर–चालू / Note 23 - Other Financial Liabilities - Non-Current

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च,2026 तक As at 31st March, 2026	31 मार्च,2025 तक As at 31st March, 2025
किरायेदारों से प्रतिभूति जमा Security Deposits from Tenants	464.20	435.50
उप-योग (क) / Sub total (A)	464.20	435.50

नोट 24 : प्रावधान – गैर–चालू / Note 24 - Provisions - Non-Current

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च,2026 तक As at 31st March, 2026	31 मार्च,2025 तक As at 31st March, 2025
कर्मचारी लाभ के लिए / For Employee benefits		
क) छुट्टी नकदीकरण / a) Leave Encashment	2,201.75	2,270.93
ख) मौद्रिक क्षतिपूर्ति योजना देयता के लिए प्रावधान b) Provision for Monetary Compensation Scheme Liability	1,285.15	1,310.74
ग) सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ c) Post Retirement medical benefit	1,749.97	1,623.21
उप-योग (क) / Sub total (A)	5,236.87	5,204.88
अन्य के लिए / For Others		
पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के लिए प्रावधान* Provision for Punjab Infrastructure Cess*	4,303.69	4,303.69
उप-योग(ख) / Sub total (B)	4,303.69	4,303.69
कुल (क+ख) / Total (A+B)	**9,540.56**	**9,508.57**

नोट: * यह पंजाब अवसंरचना (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 02.02.2014 तक उपकर के लिए प्रावधान को दर्शाता है। इसके संबंध में भविष्य में नकदी प्रवाह का निर्धारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित निर्णय/निर्णय की प्राप्ति पर ही किया जा सकेगा। कानूनी राय के आधार पर, कंपनी ने उपकर राशि पर ब्याज के लिए प्रावधान पर विचार नहीं किया है।

Note: * Represents provision towards cess upto 02.02.2014 under Punjab Infrastructure (Development and Regulation) Act, 2002. Future cash outflows in respect of the same is determinable only on receipt of judgment/decision pending before the Hon'ble Supreme Court. Based on legal opinion, the Company has not considered provision towards interest on cess amount.

प्रावधानों में बदलाव (कर्मचारी लाभ के अलावा)

Movement in Provisions (other than Employee benefit)

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च,2026 तक As at 31st March, 2026	31 मार्च,2025 तक As at 31st March, 2025
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि Balance at the beginning of the year	4,303.69	4,303.69
मान्यता प्राप्त वर्ष के दौरान प्रावधान Provision during the year recognized	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि Balance at the end of the year	4,303.69	4,303.69

नोट: इंड एस-19 के अनुसार कर्मचारी लाभ के प्रावधानों में बदलाव, नोट संख्या 48 देखें।

Note: Movement in provisions towards Employee Benefit as per IND AS -19, refer note no.48.

नोट 25 – अन्य गैर चालू देयताएं / Note 25 - Other Non Current Liabilities

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च,2026 तक As at 31st March, 2026	31 मार्च,2025 को As at 31st March, 2025
अन्य देय / Other Payable*	720.96	570.69
आस्थगित किराया आय Deferred Rent Income	91.65	42.22
कुल / total	812.61	612.91

*नोट : इसमें वर्ष 1976-77 और 1977-78 के दौरान भारत सरकार की ओर से आयातित कपास की पुनर्बिक्री पर अनुबंधित गांठों को उठाने में विफल रहने के कारण विभिन्न मिलों से वसूले गए 570.17 लाख रुपये (पिछले वर्ष 398.89 लाख रुपये) शामिल हैं। (नोट संख्या 47 देखें)।

* Note: Includes Rs.570.17 lakh (previous year Rs.398.89 lakh) recovered from various mills for their failure to lift the contracted bales on resale of cotton imported on behalf of Government of India during the year 1976-77 and 1977-78. (refer to note no. 47).

नोट 26 – चालू उधार / Note 26 - Current Borrowings

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च,2026 तक As at 31st March, 2026	31 मार्च,2025 तक As at 31st March, 2025
मांग पर पुनः भुगतान योग्य सुरक्षित प्रतिदेय Secured Repayable on demand		
बैंकों से / From Banks	30,96,751.65	28,31,500.00
असुरक्षित देय तिथि पर पुनर्भुगतान योग्य Unsecured Repayable on Due date		
बैंकों से / From Banks	3,00,000.00	-
वाणिज्यिक पत्र / Commercial Papers	-	3,69,696.02
कुल / total	33,96,751.65	32,01,196.02

नोटः अल्पकालिक उधारियाँ 9 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कंसोर्टियम {बैंक ऑफ बड़ौदा (अग्रणी बैंक), बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, आईडीबीआई बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र} से ऋण समझौते के अनुसार मांग पर देय हैं, जो कंपनी की संपूर्ण वर्तमान परिसंपत्तियों जैसे कच्चा माल (कपास), प्रक्रिया में स्टॉक, अर्ध-तैयार माल (लिंट) और तैयार माल (एफपी गांठें और कपास बीज), बुक ऋण, बकाया धन प्राप्य, दावों और कंपनी के वर्तमान और भविष्य के बिल प्राप्य पर परि-पासु शुल्क द्वारा सुरक्षित है।
कंपनी के उधार मुख्य रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संचालन के तहत कपास की खरीद से उत्पन्न कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जाते हैं, जिसमें वित्तपोषण सूची, परिचालन व्यय और अन्य व्यावसायिक आवश्यकताएं शामिल हैं। उधार स्वीकृत शर्तों के अनुसार उपयोग किया जाता है।

Note: Short Term Borrowings are payable on demand as per loan agreement from Consortium of 9 Public Sector Banks {Bank of Baroda (Lead Bank), Bank of India, Central Bank of India, Punjab National Bank, State Bank of India, Indian Bank, IDBI Bank, Union Bank of India and Bank of Maharashtra}, which is secured by pari-passu charge on Hypothecation of entire current assets such as raw material (Kapas), stock in process, semi-finished goods (lint) and finished goods (FP bales and cotton seed), book debts, outstanding money receivables, claims and bills receivables of the company both present and future.
The Company's borrowings are primarily availed to meet the working capital requirements arising from procurement of cotton under the Minimum Support Price (MSP) Operations, including financing inventory, operational expenses and other business requirements. The borrowings are utilised in accordance with the sanctioned terms.

नोट 27 – व्यापार देयताएं / Note 27 - Trade Payables

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च,2026 31st March, 2026	31 मार्च,2025 31st March, 2025
सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया राशि Total Outstanding dues of Micro and Small Enterprises	16,773.36	24,142.50
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य कुल बकाया राशि Total Outstanding dues other than Micro and Small Enterprises	26,648.47	44,641.22
कुल / Total	43,421.83	68,783.72

31 मार्च 2026 तक व्यापार देयताएँ की अवधि अनुसूची

Trade Payables ageing schedule as at 31st March 2026

विवरण Particulars	भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया Outstanding for following periods from due date of payment				योग Total
	1 वर्ष से कम Less than 1 year	1-2 वर्ष 1-2 years	2-3 वर्ष 2-3 years	3 वर्ष से अधिक More than 3 years	
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (i) Micro and Small Enterprises	16,773.36	-	-	-	16,773.36
(ii) अन्य (ii) Others	24,612.73	313.95	168.04	1,553.75	26,648.47
(iii) विवादित बकाया - सूक्ष्म और लघु उद्यम (iii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय - अन्य (iv) Disputed dues - Others	-	-	-	-	-

नोट : सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय 45 दिनों से कम का है ।

Note: Payable to Micro and Small Enterprises are less than 45 days.

31 मार्च 2025 तक व्यापार देयताएँ की अवधि अनुसूची

Trade Payables ageing schedule as at 31st March 2025

विवरण Particulars	भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया Outstanding for following periods from due date of payment				योग Total
	1 वर्ष से कम Less than 1 year	1-2 वर्ष 1-2 years	2-3 वर्ष 2-3 years	3 वर्ष से अधिक More than 3 years	
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (i) Micro and Small Enterprises	24,142.50	-	-	-	24,142.50
(ii) अन्य (ii) Others	42,439.91	86.23	1,345.73	769.36	44,641.22
(iii) विवादित बकाया - सूक्ष्म और लघु उद्यम (iii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय - अन्य (iv) Disputed dues - Others	-	-	-	-	-

नोट : सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय 45 दिनों से कम का है ।

Note: Payable to Micro and Small Enterprises are less than 45 days.

नोट 28 – अन्य वित्तीय देयताएं – चालू / Note 28 - Other Financial Liabilities - Current

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च,2026 तक As at 31st March, 2026	31 मार्च,2025 तक As at 31st March, 2025
देय - व्यापार देय के अतिरिक्त Payables - Other than Trade Payables	3,895.72	1,370.60
ग्राहकों को देय ब्याज Interest Payable to Customers	195.99	79.05
विक्रेताओं से सुरक्षा जमा/ईएमडी/प्रतिधारण राशि Security Deposit/EMD/Retention Money from Vendors	17,271.60	18,614.12
ई-नीलामी के लिए ग्राहकों से सुरक्षा जमा Security Deposit from Customers for E-auction	4,528.82	3,494.47
कुल / Total	25,892.13	23,558.24

नोट 29 – प्रावधान – चालू / Note 29 - Provisions - Current

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च,2026 तक As at 31st March, 2026	31 मार्च,2025 तक As at 31st March, 2025
क. कर्मचारी लाभ के लिए / A. For Employee benefits		
क) छुट्टी नकदीकरण / a) Leave Encashment	1,155.85	1,009.08
ख) मौद्रिक क्षतिपूर्ति योजना देयता के लिए प्रावधान b) Provision for Monetary Compensation Scheme Liability	123.77	140.39
ग) अंशदायी सेवा निवृत्ती योजना निधि c) Contributory Superannuation scheme fund	-	342.16
घ) उपदान / d) Gratuity	89.13	310.47
ड) बोनस / e) Bonus	286.71	181.13
च) सेवानिवृति के पश्चात चिकित्सा लाभ योजना f) Post Retirement Medical Benefit Scheme	133.44	110.67
छ) कर्मचारी से संबंधित अन्य प्रावधान* g) Others Staff Related Provisions*	19.15	19.38
कुल (क) / Total (A)	1,808.05	2,113.28
ख. अन्य के लिए / B. For Others		
व्यय के लिए प्रावधान / Provision for Expenses	8,588.95	485.46
देय पट्टा किराये पर ब्याज का प्रावधान Provision for Interest on Lease Rent Payable	25.16	23.29
कुल (ख) / Total (B)	8,614.11	508.75
कुल (क+ख) / Total (A+B)	10,422.16	2,622.03

अन्य कर्मचारी संबंधी प्रावधानों में बदलाव / Movement in other employee related provisions

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	01.04.2025 तक शेष Balance as at 01.04.2025	वर्ष के दौरान प्रावधान को दी गई मान्यता Provision during the year recognized	वर्ष के दौरान किया गया भुगतान Payment made during the Year	वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि Amount written back during the year	31 मार्च, 2026 तक शेष Balance as at 31.03.2026
अंशदायी अधिवर्षिता योजना निधि Contributory Superannuation Scheme Fund	342.16	461.94	804.10	-	-
बोनस / Bonus	181.13	284.82	178.43	0.81	286.71
कर्मचारी से संबंधित अन्य प्रावधान Other Staff related provisions	19.38	-	0.23	-	19.15

विवरण Particulars	01.04.2024 तक शेष Balance as at 01.04.2024	वर्ष के दौरान प्रावधान को दी गई मान्यता Provision during the year recognized	वर्ष के दौरान किया गया भुगतान Payment made during the Year	वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि Amount written back during the year	31 मार्च, 2025 को शेष Balance as at 31.03.2025
अंशदायी अधिवर्षिता योजना निधि Contributory Superannuation Scheme Fund	190.17	902.15	750.16	-	342.16
बोनस / Bonus	77.72	178.90	70.73	4.76	181.13
कर्मचारी से संबंधित अन्य प्रावधान Other Staff related provisions	20.45	447.70	448.77	-	19.38

अन्य प्रावधानों में संचालन / Movement in Other Provisions

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	01.04.2025 तक शेष Balance as at 01.04.2025	वर्ष के दौरान प्रावधान को दी गई मान्यता Provision during the year recognized	वर्ष के दौरान किया गया भुगतान Payment made during the Year	वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि Amount written back during the year	31 मार्च, 2026 तक शेष Balance as at 31.03.2026
व्यय का प्रावधान Provision for Expenses	485.46	8,583.97	440.60	39.88	8,588.95
देय पट्टा किराये पर ब्याज के लिए प्रावधान Provision for Interest on Lease Rent Payable	23.29	1.87	-	-	25.16

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	01.04.2024 तक शेष Balance as at 01.04.2024	वर्ष के दौरान प्रावधान को दी गई मान्यता Provision during the year recognized	वर्ष के दौरान किया गया भुगतान Payment made during the Year	वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि Amount written back during the year	31 मार्च, 2025 तक शेष Balance as at 31.03.2025
व्यय का प्रावधान Provision for Expenses	127.87	465.00	70.96	36.45	485.46
देय पट्टा किराये पर ब्याज का प्रावधान Provision for Interest on Lease Rent Payable	21.49	1.80	-	-	23.29

नोट –30 : अन्य चालू देयताएं / Note 31 - Other Current Liabilities

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च,2026 तक As at 31st March, 2026	31 मार्च,2025 तक As at 31st March, 2025
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम* / Advance Received from customers*	3,53,011.74	87,034.94
अग्रिम प्राप्त आय (लॉक इन प्रभार Income Received in Advance (Lock in Charges)	-	-
सांविधिक देय बकाया / Statutory dues payable	18,121.68	24,678.83
कर्मचारी देय लाभ / Employee benefits payable	330.51	251.23
आस्थगित किराया आय / Deferred Rent Income	14.07	23.54
अन्य चालू देयताएं / Others Current Liabilities	77.67	77.06
कुल / Total	3,71,555.67	1,12,065.60

नोटः

कंपनी अपने तैयार उत्पाद कैश एंड कैरी आधार पर बेचती है। ग्राहक आमतौर पर माल की आपूर्ति के समायोजन के लिए अग्रिम राशि जमा करते हैं। ऐसे अग्रिम राशियों का उपयोग अनुबंध अवधि के भीतर माल की आपूर्ति के विरुद्ध किया जाता है। ये खाते ग्राहकों के चालू खाते होते हैं और ग्राहक के खाते में जमा शेष राशि का उपयोग या तो भविष्य के लेन-देन के समायोजन के लिए किया जाता है या ग्राहक के अनुरोध पर उसे वापस कर दिया जाता है।

* ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि में एनटीसी को देय 0.11 लाख रुपये (पिछले वर्ष 0.11 लाख रुपये) शामिल हैं।

Note:

Company sells it finished products on cash and carry basis. Customers are normally depositing advance for adjusting against the supply of goods. Such advances are appropriated against supply of goods within the contract period. These account are running accounts of customers and credit balance lying in customer's account either used to adjust against future transactions or refunded to customer on their request.

* Advance Received from Customers includes Rs.0.11 Lakh (previous year Rs.0.11 Lakh) payable to NTC.

नोट –31 : परिचालन से राजस्व / Note 31 - Revenue from Operations

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2025
(क) उत्पादों की बिक्री / (a) Sale of products		
पूर्णतः दबाये गये गांठों, कपास के बीज, लिंट और विविध वस्तुओं जैसे सैंपल, काउडी, रोलर/पीली पिकिंग गांठों आदि की बिक्री। Sale of Fully Pressed Bales, Cotton Seed, Lint and Miscellaneous Items such as Sample, Cowdy, Roller/Yellow Picking Bales etc.	39,57,704.64	17,71,366.66
कुल (क) / Total (a)	39,57,704.64	17,71,366.66
(ख) सेवाओं की बिक्री / (b) Sale of Services	-	-
कुल (ख) / Total (b)	-	-
(ग) अन्य परिचालन राजस्व / (c) Other Operating Revenues		
रखरखाव प्रभार और देर से उठाये जाने का प्रभार Carrying Charges & Late Lifting Charges	12,267.50	5,762.15
ग्राहको से प्राप्त ब्याज / Interest received from Customers	604.45	68.37
अनुबंध रद्द करने पर मुआवजा / Compensation For Cancellation of Contracts	1,610.03	1,612.03
निर्यात प्रोत्साहन Export Incentive	1.04	1.91
न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन पर नुकसान की प्रतिपूर्ति Reimbursement of Losses on Minimum Support Price Operations	7,18,189.46	2,22,088.41
कुल (ग) / Total (c)	7,32,672.48	2,29,532.87
कुल (क+ख+ग) / Total (a+b+c)	46,90,377.12	20,00,899.53

नोट –32 : अन्य आय / Note 32 - Other Income

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2025
किराये से आय / Rental Income	2,169.75	2,089.75
बैंक जमा पर प्राप्त ब्याज / Interest Received on Bank Deposits	105.27	6.46
अन्य ब्याज आय / Other Interest Income	800.73	685.89
बीमा दावे / Insurance Claims	4,534.32	2,359.35
विदेशी मुद्रा लाभ (शुद्ध) / Foreign Exchange Gain (Net)	6.75	-
प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है / Provisions no longer required	92.22	45.30
अन्य विविध आय व राईट बैक्स / Other Miscellaneous Income & Write Backs	449.46	1,303.03
कुल / Total	8,158.50	6,489.78

नोट: पूर्ववर्ती अवधियों में दर्ज दावों के संबंध में रिपोर्टिंग अवधि के बाद 4,296.75 लाख रुपये (पिछले वर्ष 159.05 लाख रुपये) की बीमा राशि प्राप्त हुई थी। संबंधित आय को रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार मौजूदा जानकारी और शर्तों के आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई है।

Insurance claims amounting to Rs. 4,296.75 lakh (previous year Rs.159.05 lakh) were received after the reporting period in respect of claims lodged in earlier periods. The related income has been recognised in the financial statements based on the information and conditions existing as at the reporting date.

नोट 33 – उपभोग की गई सामग्री की लागत / Note 34 - Cost of Material Consumed

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2025
कच्चा माल / Raw Material	42,25,034.33	37,42,879.54
कपास की अग्नि में हानि / Kapas lost in Fire*	110.75	145.41
कुल / Total	42,25,145.08	37,43,024.95

नोट: वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 1,471.15 क्विंटल कपास का मूल्य 110.75 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1,967.35 क्विंटल कपास का मूल्य 145.41 लाख रुपये) था, जो आग में जल गया, जिसके खिलाफ बीमा दावा दर्ज किया गया है।

* Note: During the F.Y. 2025-26, 1,471.15 quintals kapas valuing Rs.110.75 lakh (previous year 1,967.35 quintal kapas valuing Rs.145.41 lakh) lost in fire against which Insurance claim has been lodged.

नोट 34 – व्यापार में स्टोक की खरीदी
Note 34 - Purchase of Stock in Trade

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2025
मिल्कवीड की खरीद/तैयार गाँठ / Purchase of Milkweeds/Ready Bales	19.07	-
कुल / Total	19.07	-

नोट 35 – तैयार माल और व्यापारगत स्टॉक की मालसूची में परिवर्तन
Note 35 - Changes in Inventories of Finished Goods and Stock in Trade

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2025
तैयार माल / Finished Goods		
क) आरंभिक स्टॉक / A) Opening Stock	29,58,054.28	9,44,902.27
घटाइये : अंतिम स्टॉक / Less: Closing Stock	29,17,959.66	29,62,270.32
कम : आग में नष्ट हुई इन्वेंटरी* / Less : Inventory Lost in Fire*	6,755.85	4,216.05
ख) शुद्ध अंतिम स्टॉक / B) Net Closing Stock	29,11,203.81	29,58,054.27
ग) मालसूची में कमी/(वृद्धि) (ग=क-ख) / C) Decrease/(Increase) in Inventories (C=A-B)	46,850.47	(20,13,152.00)
व्यापार में स्टॉक (तैयार गांठे) / Stock in Trade (Ready Bales)		
घ) आरंभिक स्टॉक / Opening Stock	27.92	1,493.55
ड) घटाइये : अंतिम स्टॉक / Less: Closing Stock	-	27.92
च) इन्वेंटरी में कमी / वृद्धि (च = घ-ड) F) Decrease/(Increase) in Inventories (F = D - E)	27.92	1,465.63
छ) तैयार माल और व्यापार में स्टॉक की सूची में परिवर्तन (ग+च) G) Changes in Inventories of Finished Goods & Stock in Trade (C + F)	46,878.39	(20,11,686.37)

* नोट: (क) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, 21,500 एफपी गांठों का मूल्य 6,671.11 लाख रुपये (पिछले वर्ष 16,135 एफपी गांठों का मूल्य 4,216.05 लाख रुपये) था, जो आग में जल गई, जिसके विरूद्ध बीमा दावा दर्ज किया गया है।
(ख) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, 306 एफपी गाँठ मूल्य 84.74 लाख रुपये के गोदाम से गायब पाए गए और तदनुसार इन्वेंट्री से बाहर कर दिए गए। रिपोर्टिंग की तारीख पर मामले की जांच की जा रही है (नोट संख्या 49 देखें)।

* Note: (a) During the F.Y.2025-26, 21,500 FP bales valuing Rs.6,671.11 lakh (previous year 16,135 FP bales valuing Rs.4,216.05 Lakh) lost in fire against which Insurance claim has been lodged.
(b) During the F.Y. 2025-26, 306 FP bales valued at Rs.84.74 lakh were found missing from the godown and have accordingly been excluded from inventory. The matter is under investigation on reporting date (refer note no. 49).

नोट –36 कर्मचारी लाभ व्यय / Note 36 - Employee Benefits Expense

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2025
वेतन, भत्ते तथा अन्य प्रोत्साहन / Salaries, Allowances & Other incentives	10,080.44	8,695.32
बोनस तथा निष्पादन संबंधित वेतन / Bonus & Performance Related Pay	653.77	946.09
भविष्य निधि तथा पेंशन निधि में अंशदान Contribution to Provident Fund & Pension Fund	1,527.43	1,120.76
उपदान निधि में अंशदान / Contribution to Gratuity Fund	690.19	156.01
अधिवर्षिता निधि में अंशदान / Contribution to Super Annuation Fund	461.93	902.15
सेवा निवृत्ति के बाद की लाभ योजना / Post Retirement Benefit Scheme	164.11	116.89
छुट्टी नकदीकरण के लिए भुगतान / Payment for Leave encashment	554.72	794.22
मौद्रिक क्षतिपूर्ति योजना के लिए प्रावधान Provision for Monetary Compensation Scheme	11.78	182.11
कर्मचारी कल्याण व्यय / Staff Welfare Expenses	628.31	539.84
कुल / Total	14,772.68	13,453.39

नोट – 37 वित्तीय लागत / Note 37 - Finance cost

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2025
बैंक उधार पर / On Bank Borrowings	1,41,698.68	88,352.10
वाणिज्यिक पत्रों पर / on Commercial Papers	5,303.98	1,594.54
सुरक्षा जमा पर / on Security Deposit	27.11	27.34
ग्राहक से प्राप्त इएमडी और जमा राशी पर On EMD and Deposit received from Customers	2,655.54	586.15
पट्टा देयता पर ब्याज / Interest on Lease Liability	20.72	13.66
कुल / Total	1,49,706.03	90,573.79

नोट – 38 मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय / Note 38 - Depreciation and Amortization Expenses

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2025
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण / Property, Plant and Equipment	448.35	370.39
निवेश संपत्तियां / Investment Properties	63.94	60.65
संपत्ति के उपयोग का अधिकार / Right of Use Assets	96.96	74.69
अमूर्त परिसंपत्तियाँ / Intangible Assets	23.89	10.49
कुल / Total	633.14	516.22

नोट – 39 अन्य व्यय / Note 39 - Other Expenses

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2025
(क) जिनिंग एवं प्रेसिंग व्यय / (a) Ginning and Processing Expenses		
जिनिंग एवं प्रेसिंग प्रभार / Ginning and Pressing Charges	1,31,990.69	1,19,349.18
श्रम और अन्य प्रोसेसिंग प्रभार / Labour and Other Processing Charges	21,591.01	17,939.18
कुल(क) / Total (a)	1,53,581.70	1,37,288.36
(ख) अन्य परिचालन व्यय / (b) Other Operating Expenses		
गोदाम किराया / Godown Rent	44,606.84	23,821.20
बीमा / Insurance	6,234.65	3,497.94
बैंक प्रभार / Bank Charges	9.51	8.70
कुल(ख) / Total (b)	50,851.00	27,327.84
(ग) प्रशासनिक व्यय / (c) Administrative Expenses		
संपत्ति के उपयोग के अधिकार के अलावा अन्य पट्टा भुगतान* Lease Payments other than Right of Use Assets*	14.32	16.70
यात्रा व्यय : / Travelling Expenses of :		
- निदेशको हेतु / - Directors	51.20	59.46
- अन्य हेतु / Others	249.91	173.02
दरें एवं कर / Rates & Taxes	155.65	160.72
कानूनी और व्यावसायिक शुल्क / Legal & Professional Fees	548.09	389.40
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक / Remuneration To Auditors		
- सांविधिक लेखा परीक्षा के लिए - For Statutory Audit	47.00	43.00

- टैक्स लेखा परीक्षा के लिए / - For Tax Audit	13.00	12.00
- सीमित समीक्षा के लिए / - For Limited Review	24.00	8.00
- प्रमाणन के लिए / - For Certification	3.92	3.40
- व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए / - For Reimbursement of Expenses	4.06	2.13
मरम्मत एवं रखरखाव (भवन) / Repairs & Maintenance (Building)	141.63	194.40
मरम्मत एवं रखरखाव (कंप्यूटर) / Repairs & Maintenance (Computers)	928.06	575.01
मरम्मत एवं रखरखाव (अन्य) / Repairs & Maintenance (Others)	13.09	15.99
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी / Printing & Stationery	152.52	127.29
टेलीफोन / Telephone	22.80	21.29
पोस्टेज एवं कुरियर / Postage and Courier	19.35	18.87
विज्ञापन / Advertisement	129.21	19.45
संपत्ति, संयंत्रण और उपकरण की बिक्री पर हानि/(लाभ) Loss/(Gain) on sale of Property, Plant & Equipment	(3.24)	(10.39)
बिजली एवं जल प्रभार / जनरेटर प्रभार Electricity Water Charges / Generator Charges	228.89	224.33
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वों पर व्यय Expenditure on Corporate Social Responsibilities	10.61	10.96
अन्य प्रशासनिक व्यय / Other Administrative Expenses	209.13	237.73
कुल(ग) / Total (c)	2,963.20	2,302.76

नोट : * कंपनी ने विभिन्न केंद्रों पर कुछ कार्यालय परिसर 12 महीने से कम अवधि के लिए लिए हैं और इन लीज़ भुगतानों को इंड एस 116 'लीज़' में दी गई छूट के अनुसार लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

Note:
* Company has taken some office premises at various centres for period less than 12 month and these lease payments are recognised as expenses in Statement of Profit and Loss as per exemption given in IND AS 116 'Leases'.

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2025
(घ) **बिक्री, वितरण तथा अग्रेषित व्यय** / **(d) Selling, Distribution & Forwarding Expenditure**		
बिक्री, वितरण व्यय / Selling, Distribution Expenses**	49,391.18	749.25
कुल(घ) / Total (d)	49,391.18	749.25

नोट : ** इसमें 47,974.86 लाख रुपये (पिछला वर्ष: शून्य) शामिल हैं जो वित्त वर्ष 2024-25 और पहले के वर्षों से संबंधित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के उत्क्रमण का प्रतिनिधित्व करता है।

Note: ** Includes Rs. 47,974.86 lakh (Previous Year: Nil) representing reversal of Input Tax Credit (ITC) under the Goods and Services Tax (GST) Act pertaining to FY 2024-25 and earlier years."

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2025
(ड) प्रावधान और बट्टे खाते में डाले गए व्यय / (e) Provisions and Write Off Expenses		
संदिग्ध ऋण / अग्रिम के लिए प्रावधान / Provision For Doubtful Debts/ Advances	-	-
एमएसएमई को बकाया राशि पर ब्याज का प्रावधान Provision for Interest on Outstanding dues to MSME	-	-
देय पट्टा किराये पर ब्याज के लिए प्रावधान Provision for Interest on Lease Rent Payable	1.87	1.80
कुल(ड) / Total (e)	1.87	1.80
कुल व्यय (क+ख+ग+घ+ङ) / Total Expenses(a+b+c+d+e)	2,56,788.95	1,67,670.01

नोट 40 – परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन: मापन
Note 40 - Re-measurements of the Defined Benefit Plans

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2026	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2025
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन - ग्रेच्युटी Re-measurements of the Defined Benefit Plans - Gratuity	601.39	(154.14)
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन - सेवानिवृत्ति के बाद लाभ योजना Re-measurements of the Defined Benefit Plans - Post Retirement Benefit Scheme	(165.94)	(468.41)
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन - अंशदायी भविष्य निधि Re-measurements of the Defined Benefit Plans - Contributory Provident Fund	34.26	(537.83)
कुल / Total	469.71	(1,160.38)

वित्तीय विवरणियों के लिए नोट्स

41. हाल ही के घोषणा का अनुप्रयोग

41.1 दिनांक 21 नवंबर 2025 को, भारत सरकार ने वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-स्थितियां संहिता 2020 के प्रावधानों को अधिसूचित किया। ये कोड मौजूदा 29 श्रम कानूनों को मिलाकर कर्मचारियों के लाभ से जुड़े मामलों के लिए एक एकीकृत ढांचा बनाते हैं। कंपनी ने इन बदलावों के वित्तीय प्रभाव का आकलन किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि मौजूदा वित्तीय विवरणों में कोई अतिरिक्त देनदारी नहीं है। कंपनी श्रम कोड से जुड़े घटनाक्रमों पर नज़र रखना जारी रखेगी और कर्मचारियों के लाभ से जुड़ी देनदारी पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव का मूल्यांकन करेगी।

41.2 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (ठएमसीएठ) ने 13 अगस्त 2025 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 549(ई) के ज़रिए, इंड एस 1, इंड एस 7, इंड एस 10, इंड एस 28, इंड एस 32, इंड एस 101, इंड एस 107, इंड एस 108 और इंड एस 109 के कुछ प्रावधानों में बदलाव करके कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में संशोधन किया। ये संशोधन अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख, यानी 13 अगस्त 2025 से लागू हो गया। कंपनी को उम्मीद नहीं है कि इन संशोधनों को अपनाने से इन वित्तीय विवरणों में मदों की पहचान, माप, प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

42. कंपनी को राजस्व, मुख्य रूप से कपास की पूरी तरह से प्रेस की गई गांठों, तैयार गांठों, लिंट, बिनौला और विविध गांठों आदि की बिक्री से प्राप्त होता है। कंपनी अपने लाभ और हानि विवरण में अप्रत्यक्ष करों के बाद शुद्ध राजस्व प्रस्तुत करती है।

42.1 अनुबंधों से अलग-अलग राजस्वः 0

31 मार्च, 2026 और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए परिचालन से राजस्व निम्नानुसार हैः

Notes to the Financial Statements

41. Application of recent pronouncements

41.1 On 21st November 2025, The Government of India notified provisions of the Code on Wages 2019, the Industrial Relations Code 2020, the Code on Social Security 2020 and the Occupational Safety, Health and Working conditions Code 2020, which consolidates the existing 29 labour laws into a unified framework governing employee benefit. The Company has assessed the financial impact of these changes and concluded that there is no additional liability in the current Financial Statements. The Company continues to monitor the developments pertaining to labour codes and will evaluate the impact if any on the employee benefits related liability.

41.2 The Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), vide Notification No. G.S.R. 549(E) dated 13th August 2025, amended the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 by introducing changes to certain provisions of Ind AS 1, Ind AS 7, Ind AS 10, Ind AS 28, Ind AS 32, Ind AS 101, Ind AS 107, Ind AS 108 and Ind AS 109. These amendments became effective from the date of publication of the notification i.e. 13th August 2025. The Company does not expect the adoption of these amendments to have any impact on the recognition, measurement, presentation or disclosure of items in these financial statements.

42. The Company derives revenue primarily from sale of fully pressed bales of cotton, ready bales, sale of lint, cotton seeds and misc. bales etc. The Company presents revenue net of Indirect taxes in its Statement of Profit and Loss.

42.1 Disaggregated Revenue from Contracts: 0

Revenue from operations for the year ended 31st March, 2026 and 31st March, 2025 is as follows:

42.1.1 उत्पाद वार:

(रु. लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च,2026	समाप्त वर्ष 31 मार्च,2025
मुख्य उत्पाद:		
पूरी तरह से प्रेस गांठें	27,20,367.32	7,86,550.75
व्यापार में स्टॉक (तैयार गांठें)	27.67	1,354.35
मिल्कवीड	10.16	0.00
संयुक्त उत्पाद:		
कपास बिनौला	12,42,240.46	9,84,097.15
विविध वस्तुएँ	77.94	60.02
कुल	39,62,723.55	17,72,062.27

42.1.1 Product wise:

(Rs. in Lakh)

Particulars	Year ended 31st March, 2026	Year ended 31st March, 2025
Main Product:		
Fully Pressed Bales	27,20,367.32	7,86,550.75
Stock in Trade (Ready Bales)	27.67	1,354.35
Milkweed	10.16	0.00
Joint-Product:		
Cotton Seeds	12,42,240.46	9,84,097.15
Misc. Items	77.94	60.02
Total	39,62,723.55	17,72,062.27

42.1.2 स्वरूप के अनुसार:

(रु. लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2026	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2025
निर्यात बिक्री	233.56	0.00
कुल (क)	233.56	0.00
घरेलू बिक्री		
समझौता ज्ञापन के तहत		
राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड (एनटीसी)	0.00	0.00
नकद और वहन आधार पर	39,62,489.99	17,72,062.27
कुल (ख)	39,62,489.99	17,72,062.27
कुल (क+ख)	39,62,723.55	17,72,062.27

42.1.2 Nature wise:

(Rs. in Lakh)

Particulars	Year ended 31st March, 2026	Year ended 31st March, 2025
Export Sales	233.56	0.00
Total (A)	233.56	0.00
Domestic Sales		
Under MoU		
National Textiles Corporation Ltd. (NTC)	0.00	0.00
Cash and Carry Basis	39,62,489.99	17,72,062.27
Total (B)	39,62,489.99	17,72,062.27
Total (A+B)	39,62,723.55	17,72,062.27

42.2 लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राजस्व का अनुबंधित मूल्य के साथ मिलान

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
(क) अनुबंधित मूल्य		
(i) कपास की गांठें, तैयार गांठें और लिंट	27,20,394.99	7,87,905.10
(ii) कपास बिनौला	12,42,240.46	9,84,097.15
(iii) मिल्कवीड	10.16	0.00
(iv) विविध वस्तुएँ	77.94	60.02
कुल (क)	39,62,723.55	17,72,062.27
(ख) नकद छूट	5,018.91	695.61
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राजस्व (क-ख)	39,57,704.64	17,71,366.66

42.2 Reconciliation of Revenue recognized in Statement of Profit and Loss with contracted price:

(Rs. in Lakh)

Particulars	Year ended 31st March, 2026	Year ended 31st March, 2025
(A) Contracted Price		
(i) FP Bales, Ready Bales and Lint	27,20,394.99	7,87,905.10
(ii) Cotton Seed	12,42,240.46	9,84,097.15
(iii) Milkweed	10.16	0.00
(iv) Misc. Items	77.94	60.02
Total (A)	39,62,723.55	17,72,062.27
(B) Cash Discount	5,018.91	695.61
Revenue recognized in Statement of Profit and Loss (A-B)	39,57,704.64	17,71,366.66

43. आकस्मिक देयताएं / 43. Contingent Liabilities:

43.1. आकस्मिक देयताएं / 43.1. Contingent Liabilities

(Rs. in Lakh)

क्रम Sr. No.	संक्षिप्त विवरण Brief Description	31 मार्च 2025 तक As at 31st March 2025	वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	वर्ष के दौरान कटौती Deduction/ Adjustment during the year	31 मार्च 2026 तक As at 31st March 2026
(क) (a)	कंपनी के विरुद्ध कर्मचारियों और अन्य लोगों के दावे जिनकी राशि ज्ञात है, लेकिन ऋण के रूप में स्वीकार नहीं की गई है* (नोट संख्या 43.1.1 देखें) Claims of employees and others demands against the Company of which the amounts are ascertainable but not acknowledged as debts* (refer note no. 43.1.1)	2,034.14	413.40	64.24	2,383.30
(ख) (b)	बिक्री कर / वैट/ जीएसटी मांग (नोट नं. 43.1.2 को देखे) Sales Tax/VAT/GST demands (refer note no. 43.1.2)	831.67	435.08	305.75	961.00
(ग) (c)	आयकर/ टीडीएस की मांग (नोट संख्या 43.1.3 देखें) Income Tax / TDS demand (refer note no. 43.1.3)	1,532.01	0.00	0.00	1,532.01

(घ) (d)	माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, शुरू में बेची गई मात्रा के पुनर्विक्रय से उत्पन्न नुकसान के लिए चूककर्ता खरीददारों से वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त 511.93 लाख रुपये की राशि पर ब्याज देयता। Interest liability on amount of Rs.511.93 Lakh received during the FY 2015-16 from the defaulting buyers for losses arising out of resale of quantities initially sold to them as per the orders of Hon'ble Bombay High Court.	406.43	40.95	0.00	447.38
	कुल / TOTAL	4,804.25	889.43	369.99	5,323.69

* यदि कंपनी के विरुद्ध कानूनी मामलों का निर्णय होता है तो दावा की गई राशि पर ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है (राशि का पता नहीं लगाया जा सकता)।

* Interest on the claimed amount may have to be paid if legal cases are decided against the Company (amount not ascertainable).

43.1.1 – 43.1 (क) में दिए गए मामलों का विवरण / 43.1.1 - Detail of cases given at 43.1 (a)

(Rs. in Lakh)

क्रम Sr. No.	विवरण Particulars	संक्षिप्त विवरण Brief Description	31 मार्च 2026 तक As at 31st March 2026	31 मार्च 2025 तक As at 31st March 2025
1	सहायक श्रम अधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम Asst. Labour Officer Minimum Wage Act	चिलकलुरिपेट के सहायक श्रम अधिकारी द्वारा एम.डब्ल्यू. अधिनियम 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने के संबंध में कुल 14 मामले दर्ज किए गए, जो कंपनी द्वारा नियोजित बारह कारखानों से संबंधित हैं। 14 में से तीन मामलों में कंपनी के पक्ष में निर्णय दिया गया और अन्य मामलों में लंबे समय से सुनवाई नहीं हुई। Total 14 Cases filed by the Asst. Labour Officer. Chilakaluripet for non-payment of minimum wages under M.W. Act 1948 connected with twelve factories engaged by company. Three out of 14 Decreed in favour of company and other cases not come up for hearing since long.	9.43	9.43
2	श्री. पी. करीमुल्ला खान, पूर्व वरि. सीपीओ Shri. P. Karimulla Khan, Ex- Sr. CPO	श्री पी. करीमुल्ला खान, सेवानिवृत्त वरिष्ठ सीपीओ ने 22.08.2016 को कंपनी के खिलाफ प्रेस और डिलीवरी के वजन में अंतर के संबंध में मामला दायर किया है। कंपनी ने जवाबी हलफनामा दायर किया है।. Shri. P. Karimulla Khan, Retired Sr. CPO has filed case on 22.08.2016 against company with regard to difference in press to delivery weight. The company has filed Counter affidavit.	0.00	11.80
3	13 किसानों को कपास का भुगतान	कुल 13 किसानों ने फसल वर्ष 1998-99 के दौरान गुंटूर के बैंक ऑफ़ इंडिया (बीओ) में सीसीआई को बेचे गए कपास के भुगतान के लिए मामले दायर किए और उनके पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने आंध्रा बैंक, गुंटूर के चालू खाते में जमा सीसीआई के 38.91 लाख रुपये ज़ब्त कर लिए। कंपनी ने अदालती आदेश को रद्द करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की।	47.38	47.38

	Payment of Cotton to 13 farmers	Total 13 no. of farmers have filed cases for payment of cotton sold by them to CCI at BO Guntur during crop year 1998-99 and got decree in their favour and court attached Rs.38.91 lakh of CCI lying in current account with Andhra Bank, Guntur. Appeal filed by the company before Honorable High Court, to set aside the court order.		
4	मेसर्स राष्ट्र रयोथु संगम (एआईकेएफ) वारंगल M/s Rashtra Ryothu Sangam (AIKF) Warangal	वारंगल के वरराजुपल्ली निवासी श्री एम. चंद्र राव और राष्ट्र रयोथु संघम (किसान संघ) के अध्यक्ष ने 2012-13 के मौसम के दौरान वारंगल केंद्र पर खाली बैगों की लागत का भुगतान न किए जाने के संबंध में हैदराबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की (मांगी गई 25 रुपये प्रति बैग की दर से 19,42,328 बैग)। Shri M. Chandra Rao of Varrajupalli of Warangal & President of Rashtra Ryothu Sangham (farmers union) filed W.P in High Court, Hyderabad, for non-payment of cost of empty bags at Warangal centre during the season 2012-13 (19,42,328 bags at Rs.25/- per bag demanded).	485.58	485.58
5	मेसर्स यूपीआरएनएन लिमिटेड M/s UPRNN LTD.	मामला कलंबोली वेयरहाउस के निर्माण से संबंधित है। मध्यस्थ ने 17.07.2010 को कंपनी के विरुद्ध रु. 94.73 लाख का एक निर्णय पारित किया, जिसमें निर्णय की तिथि से भुगतान की तिथि तक 12% ब्याज की दर से दर तय की गई। कंपनी ने 30.11.2010 को जिला न्यायालय, ठाणे में निर्णय को रद्द करने के लिए आपत्ति याचिका दायर की। याचिका स्वीकार कर ली गई है। माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार, मध्यस्थ ने मध्यस्थता के अभिलेख और कार्यवाही प्रस्तुत की। Matter related to construction of Kalamboli Warehouse. The Arbitrator passed an award dated 17.07.2010 against the company for Rs.94.73 lakh with @ 12% p.a. interest from the date of award till date of payment. The company has filed objection petition on 30.11.2010, for setting aside the award before District Court, Thane. The petition has been admitted. As per the direction of the Hon'ble Court, the arbitrator submitted records and proceedings of the Arbitration.	178.56	167.19
6	मेसर्स कॉटसीड कॉर्पोरेशन M/s Cotseed Corporation	एफए क्रमांक 77/2014 में पारित आदेश के अनुसार कंपनी द्वारा अदालत में जमा की गई धनराशि प्राप्त करने के लिए मामला दायर किया गया। The case filed to get the money deposited in court by the company as per order passed in FA No. 77/2014.	13.47	13.47
7	सम्यक कृषि उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड Samyak Krushi Utpadak Sahakari Sanstha Limited	वादी की जीएंडपी फैक्ट्री में आग लगने की घटना हुई, जिसमें कंपनी के स्टॉक भी नष्ट हुए। कंपनी को इस नुकसान के एवज में ओरिएंटल इंश्योरेंस से 59.96 लाख रुपये मिले हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी ने 2019-20 के कपास सीज़न के लिए वादी के जीएंडपी बिलों से 34.00 लाख रुपये, 2020-21 के बिलों से 12.72 लाख रुपये समायोजित किए और वादी ने विरोध के तहत कंपनी को 5.00 लाख रुपये का भुगतान किया। इस रकम की वसूली के लिए वादी ने वाणिज्यिक वाद दायर किया है। A fire incident happened at the G&P factory of the plaintiff wherein company's stock was also lost. Company has received Rs.59.96 Lakh from Oriental Insurance towards this loss. Further company adjusted Rs.34.00 Lakh from the G&P Bills of the plaintiff for the 2019-20 cotton season, Rs.12.72 Lakh from the 2020-21 bills and plaintiff paid Rs.5.00 Lakh to company under protest. To recover this amount the plaintiff has filed a commercial suit.	57.54	57.54

8	पनवेल नगर निगम Panvel Municipal Corporation	पनवेल नगर निगम (पीएमसी) ने प्रॉपर्टी टैक्स की मांग की है। भाकनि ने अपने खाता-बही में इस टैक्स देनदारी को दर्ज किया था। इसके अलावा, चूंकि यह मामला माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबित है, इसलिए पीएमसी द्वारा मांगी गई पेनल्टी को 'कंटिंजेंट लायबिलिटी' (संभावित देनदारी) माना जाता है। Demand raised by Panvel Municipal Corporation (PMC) towards property tax. CCI had provided the tax liability in the books of accounts. Further, the matter is pending before Hon'ble Bombay High Court, the penalty demanded by PMC is considered as contingent liability.	1195.30	861.97
9	पॉज़िटिव वेयरहाउसिंग एंड साइंटिफिक स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड Positive Warehousing & Scientific Storage Private Ltd	साल 2019-20 के दौरान, सीसीआई वारंगल और सीसीआई आदिलाबाद ने एक टेंडर प्रक्रिया के ज़रिए बाला नगर, मेडक में श्री जे. सत्य सरी रामबाबू के गोदाम किराए पर लिए। यह समझौता इस आधार पर किया गया था कि गोदामों पर सिर्फ़ उन्हीं का मालिकाना हक है, और किराए का सारा भुगतान भी उन्हीं को किया गया। बाद में, उनके भाई श्री जे.वी.आर. किशोर बाबू ने कानूनी नोटिस के ज़रिए गोदाम के किराए की मांग की और फिर सीडब्लयूसी हैदराबाद, सीसीआई वारंगल और सीसीआई आदिलाबाद के खिलाफ एमएसई फैसिलिटेशन काउंसिल में शिकायत दर्ज कराई। सीसीआई ने इस दावे का विरोध करते हुए कहा कि श्री जे.वी.आर. किशोर बाबू का इस मामले में कोई कानूनी या अनुबंध-संबंधी अधिकार नहीं था। During Crop Year 2019–20, CCI Warangal and CCI Adilabad hired the godowns of Shri J. Satya Sree Rambabu at Bala Nagar, Medak through a tender process, based on an MoU confirming his exclusive ownership of the godowns, and all rental payments were made to him. Subsequently, his brother, Shri J.V.R. Kishore Babu, claimed the godown rental charges through legal notices and later approached the MSE Facilitation Council against CWC Hyderabad, CCI Warangal, and CCI Adilabad. CCI contested the claim, stating that Shri J.V.R. Kishore Babu had no contractual or legal entitlement.	56.46	0.00
10	श्री के.एस.आर. नायडू, पूर्व-सीनियर सीओ Shri KSR Naidu, Ex-Sr CO	'प्रेस टू डिलीवर वेट वसूली' के तहत, पूर्व सीनियर सीपीओ श्री के.एस.आर. नायडू से रु. 9,68,472/- की राशि वसूल की जानी थी। शाखा ने यह राशि उनकी ग्रेच्युटी से वसूल कर ली। श्री नायडू ने पूरी ग्रेच्युटी के भुगतान की मांग करते हुए यह मामला एएलसी (सेंट्रल) और 'पेमेंट ऑफ़ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972' के तहत कंट्रोलिंग अथॉरिटी (पेड्डापल्ली ज़िला, तेलंगाना) के पास भेजा है। An amount of ₹9,68,472/- was recoverable from Shri K.S.R. Naidu, Ex-Sr. CPO under Press to Deliver Weight Recoveries. Branch recovered the said amount from his Gratuity. Shri Naidu has referred the matter to the ALC (Central) and Controlling Authority under the Payment of Gratuity Act, 1972, Peddapally District, Telangana, seeking payment of full Gratuity.	9.69	0.00
11	अन्य मामले Other Cases	प्रेस और डिलीवरी वजन में अंतर और अन्य कारणों से वसूली कार्यवाही के खिलाफ कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों द्वारा दायर अन्य मामले। Other cases filed by employees/ex-employees against recovery proceeding for difference in press and delivery weight and other reasons.	329.89	315.96
		कुल / TOTAL	**2,383.30**	**1970.32**

43.1.2 43.1 (ख) में दिए गए मामलों का विवरण / 43.1.2 - Detail of cases given at 43.1 (b)

(Rs. in Lakh)

क्रम Sr. No.	विवरण Particulars	संक्षिप्त विवरण Brief Description	31 मार्च 2026 तक As at 31st March 2026			31 मार्च 2025 तक As at 31st March 2025		
			सकल राशि Gross Amount	विरोध के तहत भुगतान Paid under Protest	शुद्ध राशि Net Amount	सकल राशि Gross Amount	विरोध के तहत भुगतान Paid under Protest	शुद्ध राशि Net Amount
1	आंध्र प्रदेश वैट और सीएसटी Andhra Pradesh VAT & CST	उच्च न्यायालय, हैदराबाद में अपील, वित्तीय वर्ष 2011-12 Appeal in High Court, Hyderabad, FY 2011-12	5.96	0.00	5.96	5.96	0.00	5.96
2	आंध्र प्रदेश वैट और सीएसटी Andhra Pradesh VAT & CST	उच्च न्यायालय, हैदराबाद में अपील, वित्तीय वर्ष 2013-14 Appeal in High Court, Hyderabad, FY 2013-14	15.58	0.00	15.58	15.58	0.00	15.58
3	गुजरात वैट और सीएसटी Gujrat VAT & CST	वित्तीय वर्ष 2012-13 में माननीय गुजरात वैट ट्रिब्यूनल, अहमदाबाद के समक्ष अपील Appeal Before H'ble Gujrat VAT Tribunal, Ahmedabad, FY 2012-13	5.19	0.00	5.19	5.19	0.00	5.19
4	गुजरात वैट और सीएसटी Gujrat VAT & CST	वित्तीय वर्ष 2014-15 में माननीय गुजरात वैट ट्रिब्यूनल, अहमदाबाद के समक्ष अपील, Appeal Before H'ble Gujrat VAT Tribunal, Ahmedabad, FY 2014-15	28.79	5.76	23.03	28.79	5.76	23.03
5	आंध्र प्रदेश वैट और सीएसटी Andhra Pradesh VAT & CST	वित्त वर्ष 1996-97 में अमरावती उच्च न्यायालय में अपील Appeal in High Court, Amravati, FY 1996-97	80.39	26.80	53.59	80.39	26.80	53.59
6	आंध्र प्रदेश वैट और सीएसटी Andhra Pradesh VAT & CST	वित्त वर्ष 2014-15 में तिरुपति के अपर उपायुक्त (सीटी) के समक्ष अपील Appeal before ADC (CT) Tirupathi, FY 2014-15	7.09	3.54	3.55	7.09	3.54	3.55
7	आंध्र प्रदेश वैट और सीएसटी Andhra Pradesh VAT & CST	वित्त वर्ष 2014-15 में विजयवाड़ा के अपर उपायुक्त (सीटी) के समक्ष दंडात्मक कार्यवाही हेतु अपील Appeal for penalty proceedings before ADC (CT) Vijaywada, FY 2014-15	7.09	3.55	3.54	7.09	3.55	3.54
8	आंध्र प्रदेश जीएसटी	सहायक आयुक्त (एसटी) के आदेश के विरुद्ध अपील Appeal against the order of Asstt. Commissioner (ST)	30.39	1.55	28.84	30.39	1.55	28.84

9	आंध्र प्रदेश जी.एस.टी Andhra Pradesh GST	सहायक आयुक्त (एसटी) के आदेश के विरुद्ध अपील Appeal against the order of Asstt. Commissioner (ST)	3.86	0.23	3.63	3.86	0.23	3.63
10	आंध्र प्रदेश जी.एस.टी Andhra Pradesh GST	सहायक आयुक्त (एसटी) के आदेश के विरुद्ध अपील Appeal against the order of Asstt. Commissioner (ST)	0.63	0.01	0.62	0.63	0.01	0.62
11	तेलंगाना जी.एस.टी Telengana VAT & CST	तेलंगाना वैट न्यायाधिकरण, हैदराबाद के समक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अपील Appeal before Telangana VAT Tribunal, Hyderabad FY 2017-18	5.25	1.33	3.92	5.25	1.33	3.92
12	तेलंगाना वैट और सीएसटी Telengana VAT & CST	तेलंगाना वैट ट्रिब्यूनल, हैदराबाद के समक्ष अपील वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2016-17 Appeal before Telangana VAT Tribunal, Hyderabad FY 2011-12 to 2016-17	1.69	0.42	1.27	1.69	0.42	1.27
13	तेलंगाना जी.एस.टी Telengana GST	वित्त वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की मांग के विरुद्ध अपील- अपील आदेश में सुधार हेतु अनुरोध आंशिक रूप से स्वीकृत। Appeal against demand for the F.Y.2017-18 to 2019-20- Partially allowed requested for rectification in appeal order.	0.00	0.00	0.00	40.94	39.96	0.98
14	तेलंगाना जी.एस.टी Telengana GST	वित्त वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की मांग के विरुद्ध अपील- अपील आदेश में सुधार हेतु अनुरोध आंशिक रूप से स्वीकृत। GST Audit demand for the FY 2017-18 to FY 2019-20 - Partially disallowed portion	39.96	3.62	36.34	0.00	0.00	0.00
15	उड़ीसा जी.एस.टी Orissa, GST	सहायक आयुक्त (जीएसटी), रायगडा के समक्ष अस्वीकृति के विरुद्ध अपील, वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 Appeal against disallowance before Asst. Commissioner. (GST), Rayagada FY 2017-18 to 2019-20	28.31	1.35	26.96	28.31	1.35	26.96
16	उड़ीसा जी.एस.टी Orissa, GST	वित्तीय वर्ष 2017-18 में सहायक आयुक्त (जीएसटी), रायगडा के समक्ष अपील Appeal before Asst. Commissioner(GST), Rayagada FY 2017-18	21.80	1.03	20.77	21.80	1.03	20.77

17	उड़ीसा जी.एस.टी Orissa, GST	वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 में सहायक आयुक्त (जीएसटी),रायगडा के समक्ष अस्वीकृति के विरुद्ध अपील Appeal against disallowance before Asst. Commissioner (GST), Rayagada FY 2017-18 & 2018-19	1.20	0.05	1.15	1.20	0.05	1.15
18	उड़ीसा जी.एस.टी Orissa, GST	वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रु. 2,36,34,184/- का बेमेल टर्नओवर Unreconciled turnover of Rs Rs.2,36,34,184/- for FY 2021-22	259.97	23.63	236.34	0.00	0.00	0.00
19	उड़ीसा जी.एस.टी Orissa, GST	वेयरहाउसिंग सेवाओं पर आईटीसी की नामंजूरी Disallowance of ITC on warehousing services	61.94	3.09	58.85	0.00	0.00	0.00
20	तमिलनाडु, जी.एस.टी Tamil Nadu, GST	वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज मांग के विरुद्ध उप आयुक्त (जीएसटी) के समक्ष अपील Appeal Before Dy. Commissioner (GST) against interest demand FY 2020-21	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.69
21	तमिलनाडु, जी.एस.टी Tamil Nadu, GST	ब्याज के लिए मांग आदेश Demand order for interest	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
22	महाराष्ट्र जी.एस.टी Maharashtra GST	वित्त वर्ष 2019-20 में जीएसटीआर-3बी देर से भरने पर की गई मांग के विरुद्ध संयुक्त आयुक्त, अमरावती के समक्ष अपील Appeal before Jt. Commissioner, Amravati, against demand towards Late filling of GSTR 3B. FY 2019-20	11.62	1.06	10.56	11.62	1.06	10.56
23	तेलंगाना जी.एस.टी Telengana GST	अतिरिक्त आयुक्त के समक्ष अपील वित्तीय वर्ष 2019-20 की मांग के विरुद्ध आयुक्त (एसटी) हैदराबाद Appeal before Addl. Commissioner (ST) Hyderabad against demand for F.Y. 2019-20	3.71	0.37	3.34	3.71	0.37	3.34
24	तेलंगाना जी.एस.टी Telengana GST	वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मांग के विरुद्ध सहायक आयुक्त (जीएसटी) के समक्ष अपील Appeal before Asst. Commissioner (GST) against demand for the F.Y. 2019-20	0.00	0.00	0.00	264.12	24.01	240.11

25	तेलंगाना जी.एस.टी Telengana GST	वित्त वर्ष 2019-20 में जीएसटी आईटीसी का दावा GST ITC claim F.Y. 2019-20	37.23	3.72	33.51	0.00	0.00	0.00
26	तेलंगाना जी.एस.टी Telengana GST	वित्त वर्ष 2022-23 में जीएसटी आईटीसी का दावा GST ITC claim F.Y. 2022-23	1.88	0.16	1.72	0.00	0.00	0.00
27	तेलंगाना जी.एस.टी Telengana GST	वित्त वर्ष 2021-22 में जीएसटी आईटीसी का दावा GST ITC claim F.Y. 2021-22	1.63	0.16	1.47	0.00	0.00	0.00
28	पंजाब जी.एस.टी Punjab GST	वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कुछ अस्वीकृतियों के लिए सहायक आयुक्त (एसटी) के समक्ष अपील Appeal before Asstt. Commissioner of ST (Appeal), for certain disallowances for FY 2019-20.	267.37	14.22	253.15	267.37	14.22	253.15
29	पंजाब जी.एस.टी Punjab GST	वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कुछ अस्वीकृतियों के लिए सहायक आयुक्त (एसटी) के समक्ष अपील GST ITC claim and RCM payment for F.Y. 2021-22.	30.30	1.91	28.39	0.00	0.00	0.00
		कुल / **TOTAL**	**961.00**	**97.56**	**863.44**	**831.67**	**125.24**	**706.43**

43.1.3 मामलों का विवरण 43.1 (सी) में दिया गया है / 43.1.3 Detail of cases given at 43.1 (c)

(Rs. in Lakh)

क्रम Sr. No.	विवरण Particulars	संक्षिप्त विवरण Brief Description	31 मार्च 2026 तक As at 31st March 2026			31 मार्च 2025 तक As at 31st March 2025		
			सकल राशि Gross Amount	विरोध के तहत भुगतान Paid under Protest	शुद्ध राशि Net Amount	सकल राशि Gross Amount	विरोध के तहत भुगतान Paid under Protest	शुद्ध राशि Net Amount
1	इनकम टैक्स की मांग Income Tax Demand	एएसवाई 2020-21 के लिए आयकर मांग के आदेश के खिलाफ सीआईटी (ए) के समक्ष अपील Appeal before CIT (A) against order of Income tax demand for ASY 2020-21	1532.01	0.00	1532.01	1532.01	0.00	1532.01
		कुल / **TOTAL**	**1532.01**	**0.00**	**1532.01**	**1532.01**	**0.00**	**1532.01**

कंपनी के लंबित मुकदमों में कंपनी के विरुद्ध दावे और कर/वैधानिक/सरकारी प्राधिकरणों के पास लंबित कार्यवाहियाँ शामिल हैं। कंपनी ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की है और जहाँ भी आवश्यक हो, पर्याप्त प्रावधान किए हैं और जहाँ भी लागू हो, अपने वित्तीय विवरणी में आकस्मिक देनदारियों का प्रदर्शित किया है।

कंपनी को इन कार्यवाहियों के परिणामों से अपनी वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है। उपरोक्त के संबंध में भविष्य में नकदी प्रवाह का निर्धारण विभिन्न मंचों/प्राधिकरणों के पास लंबित निर्णयों/ फैसलों की प्राप्ति के आधार पर ही किया जा सकेगा।

43.2 निष्पादित किए जाने हेतु शेष और प्रावधानित न किए गए पूंजी अनुबंधों की अनुमानित प्रतिबद्धता राशि 10.62 लाख रुपये है (पिछले वर्ष 56.00 लाख था)।

43.3. प्रावधानित न किए गए अन्य प्रतिबद्धताओं की अनुमानित राशि शून्य है (पिछले वर्ष शून्य)।

43.4. कंपनी की ओर से बैंक द्वारा दी गई गारंटी 5.00 लाख रुपये है (पिछले वर्ष 5.00 लाख रुपये)।

44. <u>आकस्मिक परिसंपत्तियां:</u>

44.1 अग्नि में क्षतिग्रस्त स्टॉक के लिए 11,435.59 लाख रुपये (पिछले वर्ष 10,001.62 लाख रुपये) के बीमा दावे विभिन्न बीमा कंपनियों के पास आग/स्टॉक के दुरुपयोग के 14 मामलें लंबित हैं। कंपनी बीमा कंपनियों के साथ इस मामले पर लगातार संपर्क बनाए हुए है। चूँकि बीमा कंपनी द्वारा 5,533.59 लाख रुपये (पिछले वर्ष 5533.59 लाख रुपये) मूल्य के 12 मामलों में दावों का निपटारा नहीं किया जा रहा था, इसलिए कंपनी ने इस मामले को मध्यस्थता या विभिन्न अपीलीय मंचों/प्राधिकरणों में उठाया है।

पिछले अनुभव के आधार पर, कंपनी का मानना है कि अनुकूल परिणाम की संभावना है। हालाँकि, इसके वित्तीय प्रभावों का अनुमान लगाना अव्यावहारिक है क्योंकि इसकी प्राप्ति निर्णयों के परिणामों और बीमा कंपनियों द्वारा उनके पास लंबित दावों पर लिए गए निर्णय पर निर्भर है।

44.2 प्रेस-टू-डिलीवरी वजन में स्वीकार्य सीमा से अधिक कमी के कुछ असामान्य मामले सामने आए हैं, जिनके लिए दोषी

The Company's pending litigations comprise claims against the Company and proceedings pending with Tax/ Statutory/Government Authorities. The Company has reviewed all its pending litigations and proceedings and has made adequate provisions, wherever, required and disclosed the contingent liabilities, wherever applicable, in its financial statements.

The Company does not expect the outcome of these proceedings to have a material impact on its financial position. Future cash outflows in respect of the above are determinable only on receipt of judgments/ decisions pending with various forums/ authorities.

43.2. Estimated amount of commitment of capital contracts remaining to be executed and not provided for is Rs.10.62 lakh (previous year Rs.56.00 lakh).

43.3. Estimated amount of other commitments not provided for is Nil (previous year Nil).

43.4. Guarantee given by the Bank on behalf of the company is Rs.5.00 Lakh (previous year Rs.5.00 Lakh).

44. <u>Contingent Assets:</u>

44.1 Insurance claims for stock damaged in fire amounting Rs.11,435.59 Lakh (previous year Rs.10,001.62 Lakh) are pending with various insurance companies in respect of 14 cases of fire/misappropriation in stock. The company has been following the same with the insurance companies. Since, claims were not being settled by the insurance company for 12 cases valuing to Rs.5,533.59 Lakh (previous year Rs.5,533.59 Lakh), the company has taken up the matter in arbitration or in various appellate forums/ authorities.

Based on the past experience, the company believes that there could be a favorable outcome is probable. However, it is impracticable to estimate the financial effects of the same as its receipt is dependent on the outcome of judgments and also the decision taken by the insurance companies for the claims pending with them.

44.2 There are some abnormal cases of press to delivery weight shortages more than allowable limit against which recoveries proceeding has

अधिकारियों के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही शुरू की गई है। प्रेस सुपुर्दगी वजन के संबंध में 31 मार्च 2026 तक वसूली योग्य कुल राशि रु.374.12 लाख (पिछले वर्ष रु. 388.82 लाख) है। चूँकि वसूली की कार्यवाही लंबित है, इसलिए कंपनी ने वसूली कार्यवाही में अनिश्चितता के कारण शेष राशि के लिए राजस्व की पहचान नहीं की है।

44.3. अन्य

कंपनी ने अनुबंध संबंधी दायित्वों का अनुपालन न करने के कारण चूककर्ता खरीददारों पर मूल्य अंतर, वहन शुल्क, ब्याज आदि के दावे दायर किए हैं। 31.03.2026 तक दायर दावों की राशि 30,219.94 लाख रुपये (पिछले वर्ष रु.27,432.09 लाख रुपये) है। पिछले अनुभव के आधार पर, कंपनी का मानना है कि शेष मामलों में अनुकूल परिणाम आने की संभावना है। हालाँकि, इसके वित्तीय प्रभावों का अनुमान लगाना अव्यावहारिक है क्योंकि इसकी प्राप्ति निर्णयों के परिणाम और उनके निष्पादन पर निर्भर है।

45. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) परिचालन में नुकसान की प्रतिपूर्ति।

45.1 वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से प्रतिपूर्ति योग्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) परिचालनों के कारण होने वाली हानि, यदि कोई हो, का लेखा उपार्जन आधार पर किया जाता है और परिचालन राजस्व के रूप में प्रकट किया जाता है क्योंकि ये परिचालन कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, भारत सरकार ने दिनांक 31.03.2025 तक मिलने वाले एमएसपी नुकसान के बदले 1,71,856.00 लाख रुपये (पिछले साल शून्य) का भुगतान किया। दिनांक 31.03.2026 को मिलने वाली राशि 8,04,108.14 लाख रुपये है (पिछले साल 2,57,774.69 लाख रुपये थी)।

45.2 न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संचालनों के कारण होने वाले 7,18,189.46 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2,22,088.41 लाख रुपये) के नुकसान की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान की जाएगी। इन खर्चों/नुकसानों में शामिल हैं:

45.2.1 वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रशासनिक, स्थापना व्यय और मूल्यह्रास, एमएसपी और सीपी परिचालनों के तहत वर्ष के दौरान की गई खरीद और बिक्री की मात्रा (गांठों की संख्या) के आधार

been initiated against the erring officials. Total Amount recoverable as at 31st March 2026 in respect of press to delivery weight is Rs.374.12 Lakh (previous year Rs.388.82 Lakh). Since, the recovery proceedings are pending, the Company has not recognized the revenue for balance amount due to uncertainty involved in the recovery proceedings.

44.3 Others:

The company has lodged the claims towards price difference, carrying charges, interest etc. on the defaulted buyers due to non-performance of their contractual obligations. The amount of claims lodged as on 31.03.2026 is Rs.30,219.94 Lakh (previous year Rs.27,432.09 Lakh). Based on the past experience, company believes that favorable outcome in the remaining cases is probable. However, it is impracticable to estimate the financial effects of the same as its receipt is dependent on the outcome of the judgments and their executions.

45. Reimbursement of losses in Minimum Support Price (MSP) Operation.

45.1 The losses if any, incurred on account of Minimum Support Price (MSP) Operations reimbursable from the Government of India, Ministry of Textiles are accounted on accrual basis and disclosed as Operating Revenue as these operations are related with the core business activities of the Company. During the financial year 2025-26, Government of India, reimbursed Rs.1,71,856.00 lakh (previous year Nil) against the MSP losses receivable upto 31.03.2025. The amount receivable as on 31.03.2026 is Rs. 8,04,108.14 (previous year Rs. 2,57,774.69 Lakh).

45.2 Losses amounting to Rs.7,18,189.46 Lakh (previous year Rs.2,22,088.41 Lakh) arising on account of Minimum Support Price (MSP) operations are reimbursable by the Government of India during the financial year 2025-26. These expenses/ losses include:

45.2.1 Administrative, Establishment expenses and Depreciation for the financial year 2025-26, apportioned on the basis of volume (number of bales) of purchase

पर विभाजित किया जाएगा।

45.2.2 निम्नलिखित अवधियों के लिए नियोजित निधियों पर ब्याज की गणना की जाएगी:-

क) गांठों के रूपांतरण के लिए प्रक्रिया चक्र अर्थात कपास की खरीद की तारीख से लेकर गांठों को प्रेसिंग की तारीख तक।

ख) बेची और लिफ्टेड गांठों के लिए - गांठों के प्रेस की तिथि से गांठों के लिफ्टिंग की तिथि तक।

ग) न बिकी गांठों और बेची गई लेकिन न उठाई गई गांठों के लिए, गांठों के प्रेस की तिथि से वर्ष के अंत तक अर्थात 31 मार्च 2026 तक।

घ) न बिकी गांठों और वर्ष के आरंभ में बेची गई लेकिन न उठाई गई गांठों के लिए, 1 अप्रैल से उठाने की तिथि तक।

ड) वर्ष के आरंभ में बकाया राशि पर, भुगतान प्राप्त होने तक ब्याज लिया जाता है।

45.2.3 कपास के क्रय मूल्य के आधार पर तिरपाल व्यय का आवंटन।

45.2.4 प्रेस गांठों की संख्या के आधार पर हेसियन/ग्रे कपड़े का व्यय का आवंटन।

45.2.5 वर्ष के दौरान खरीदे गए परीक्षण उपकरण, जैसे माइक्रोनेयर टेस्टर्स और नमी मीटर, का परिशोधन।

45.2.6 वास्तविक आधार पर विक्रय और वितरण व्यय।

46. <u>सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006</u>

कंपनी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006) के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं से पुष्टि प्राप्त कर ली है और कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का बकाया शेष 16,773.36 लाख रुपये (पिछले वर्ष 24,142.50 लाख रुपये) है।

and sales handled during the year under MSP and CP operations.

45.2.2 Interest on funds deployed, computed for the following periods:-

a) Process cycle for conversion of bales i.e. from the date of purchase of kapas up to the date of pressing of bales.

b) For bales sold and lifted - from the date of pressing of bales up to the date of lifting of bales.

c) For unsold bales and bales sold but unlifted from the date of pressing of bales till the end of the year i.e. 31st March 2026.

d) For unsold bales and bales sold but not lifted at the beginning of the year from 1st April to date of lifting.

e) For the amount outstanding in the beginning of the year, interest is charged till receipt of the payment.

45.2.3 Tarpaulins expenditure allocated on the basis of purchase value of cotton.

45.2.4 Hessian/grey cloth expenditure allocated on the basis of the number of bales pressed.

45.2.5 Amortization of testing equipment namely Micronaire Testers and Moisture Meters, purchased during the year.

45.2.6 Selling and Distribution expenses on actual basis.

46. <u>Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006</u>

The Company has obtained confirmations from suppliers and service providers who have registered themselves under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED Act, 2006) and based on the information available with the Company, balance due to Micro and Small Enterprises (MSEs) defined under the MSMED Act, 2006 is Rs.16,773.36 Lakh (previous year Rs.24,142.50 Lakh).

46.1. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को देय शेष राशि और उस पर अर्जित ब्याजः

(रु. लाख में)

इस तिथि को	मूल	ब्याज
31.03.2026	16,773.36	0.00
31.03.2025	24,142.50	0.00

46.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान की गई ब्याज राशि, प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान की राशि के साथ, शून्य है (पिछले वर्ष शून्य)।

46.3 भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे है) लेकिन इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना शून्य (पिछला वर्ष शून्य) है।

46.4 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए, आगामी वर्षों में भी, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज देय राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दी जाती, देय शेष ब्याज की राशि शून्य है (पिछले वर्ष शून्य)।

उपरोक्त जानकारी कंपनी के पास उपलब्ध सीमा तक दी गई है।

47. <u>विभिन्न मिलों से प्राप्त की जाने वाली परिसमाप्त की क्षतिपूर्ति</u>

अनुबंधित गांठों के लिफ्ट में विफल रहने के कारण विभिन्न मिलों से वसूल की जाने वाली परिसमापन की क्षतिपूर्ति के रूप में, वर्ष 1976-77 और 1977-78 के दौरान भारत सरकार की ओर से आयातित कपास की पुनःविक्रय पर 1,679.63 लाख रुपये की हानि बकाया थी। यह राशि कंपनी को भारत सरकार से पहले ही प्राप्त हो चुकी है। ऐसे चूककर्ताओं के विरुद्ध परिसमाप्त की क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हानियाँ माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय में बड़ी संख्या में लंबित हैं। ऐसे मामलों के लंबित रहने तक, चूककर्ता खरीददारों से एकत्रित राशि का हिसाब ऐसे मामलों के निपटारे के समय लगाया जाएगा और वर्तमान में इसे भारत

46.1 The principal amount and the interest accrued and due thereon remaining unpaid to any supplier as at the end of each financial year:

(Rs. in Lakh)

As at	Principal	Interest
31.03.2026	16,773.36	0.00
31.03.2025	24,142.50	0.00

46.2 The amount of interest paid by the Company in terms of section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, along with amount of payment made to the suppliers beyond the appointed day during each accounting year is Nil (Previous year Nil).

46.3 The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under this Act is Nil (Previous year Nil).

46.4 The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under Section 23 of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 is Nil (previous year Nil).

The above information is given to the extent available with the Company.

47. <u>Liquidated damages recoverable from various mills</u>

On account of liquidated damages recoverable from various mills for their failure to lift the contracted bales an amount of loss of Rs. 1,679.63 Lakh on resale of cotton imported on behalf of Government of India during the year 1976-77 and 1977-78 were outstanding. The same has already been received by the Company from the Government of India. The losses recoverable towards liquidated damages against such defaulters are pending in large number of cases before Honorable Bombay High Court. The amount collected from the defaulted buyers, pending such cases, shall be accounted for on settlement of such cases and are currently shown

सरकार को देय गैर-वर्तमान देनदारियों के शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है (नोट संख्या 25 देखें)।

48. कर्मचारी लाभ

भारतीय लेखा मानक 19-"कर्मचारी लाभ" के अनुसार कर्मचारी लाभों का विवरण इस प्रकार है:

48.1. परिभाषित योगदान योजनाएं:

अधिवर्षिता निधि

कंपनी, योग्य कर्मचारियों के संबंध में, कर्मचारी वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत के रूप में निर्धारित अंशदान, अधिवर्षिता निधि में करती है, जो परिभाषित अंशदान योजनाएँ हैं। निर्दिष्ट अंशदान करने के अलावा कंपनी का कोई अन्य दायित्व नहीं है। अंशदानों को लाभ-हानि विवरण में उनके उपार्जित होने पर दर्शाया जाता है।

कंपनी ने सभी नियमित कर्मचारियों के लिए 01.11.1995 से 'कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी अधिवर्षिता निधि' लागू की है। कंपनी एक अलग ट्रस्ट (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी अधिवर्षिता निधि ट्रस्ट) में पात्र राशि का अंशदान करती है, जो इस राशि को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करता है। कंपनी अधिवर्षिता निधि योजना में देय अंशदान को व्यय के रूप में मान्यता देती है।

कंपनी ने लाभ-हानि विवरण में अधिवर्षिता निधि में अंशदान के लिए 461.93 लाख रुपए (पिछले वर्ष 902.15 लाख रुपए) की पहचान की है (नोट 36 देखें)।

48.2 परिभाषित लाभ योजनाएं

48.2.1 भविष्य निधि

प्रोविडेंट फंड का लॉन्ग-टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट एक अलग ट्रस्ट के ज़रिए प्रबंधन किया जाता है, जिसे 'द एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट, 1952' के तहत इसी मकसद से बनाया गया है। प्रोविडेंट फंड में कॉर्पोरेशन का योगदान इस ट्रस्ट (``भारतीय कपास निगम लिमिटेड, अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट'') को भेजा जाता है। यह योगदान पात्र कर्मचारी की सैलरी के एक तय प्रतिशत के आधार पर होता है और इसे 'लाभ और हानि का विवरण' में चार्ज किया जाता है। वित्तीय वर्ष

under the head of Non-Current liabilities being payable to the Government of India (Refer Note No. 25).

48. Employee Benefits

Details of Employee Benefits as required by the Ind AS 19– "Employee Benefits" are as follows:

48.1 Defined Contribution Plans:

Superannuation Fund

The Company makes contributions, determined as a specified percentage of employee salaries, in respect of qualifying employees towards Super-annution Fund which are defined contribution plans. The Company has no obligation other than to make the specified contributions. The contributions are charged to the statement of profit and loss as they accrue.

The Company has implemented 'The Cotton Corporation of India Ltd Employees Contributory Superannuation Fund' w.e.f. 01.11.1995 for all regular employees. The Company contributes eligible amount to a separate trust (The Cotton Corporation of India Ltd Employees' Contributory Superannuation Fund Trust) which invests the funds in permitted securities. The company recognizes contribution payable to the superannuation fund scheme as expenditure.

The Company has recognized Rs.461.93 lakh (previous year Rs.902.15 lakh) in the Statement of Profit and Loss towards Contribution to Superannuation Fund (Refer note 36).

48.2 Defined Benefit Plans –

48.2.1 Provident Fund

The long term employee benefit of Provident Fund is administered through a separate Trust, established for this purpose in accordance with The Employee Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952. The Corporation's contribution to the Provident Fund is remitted to this trust (The Cotton Corporation of India Ltd Employees' Contributory Provident Fund Trust) based on a fixed percentage of the eligible employee's salary and charged to Statement of

2023-24 से, भविष्य निधि योजना को 'डिफ़ाइंड बेनिफ़िट प्लान' माना गया है। अगर सरकार द्वारा तय न्यूनतम रिटर्न रेट से कम रिटर्न मिलता है, तो उस कमी को कॉर्पोरेशन पूरा करेगा और इसे 'लाभ और हानि का विवरण' में चार्ज किया जाएगा।

इस वर्ष, निधि से मिला वास्तविक रिटर्न सरकार द्वारा तय किए गए कम से कम रिटर्न रेट से कम रहा है। समय के आखिर में जमा हुए सदस्यों के निधि की मौजूदा मूल्य रु.26,813.39 लाख है और बैलेंस शीट की तारीख पर प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट की परिसंपत्तियाँ की फेयर वैल्यू रु.26,233.90 लाख है, जो बेनिफिट ऑब्लिगेशन की मौजूदा मूल्य से ज़्यादा है। इसलिए, बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार निधि में रु.579.49 लाख की ब्याज की कमी को दर्ज किया गया है।

वर्ष के दौरान, निगम ने लाभ-हानि विवरण में भविष्य निधि और पेंशन निधि में नियोक्ता के अंशदान के रूप में 1,527.43 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1,120.76 लाख रुपये) की रकम दर्ज की है।

वर्तमान अवधि (वित्त वर्ष 2025-26) के लिए भविष्य निधि प्रकटीकरण विवरण

विवरण	चालू अवधि	पिछली अवधि
देश	भारत	भारत
रिपोर्टिंग मुद्रा	भारतीय रुपये	भारतीय रुपये
रिपोर्टिंग मानक	भारतीय लेखा मानक 19 (इंडिया एएस 19)	भारतीय लेखा मानक 19 (इंडिया एएस 19)
वित्त पोषण स्थिति	वित्त पोषित	वित्त पोषित
प्रारंभिक अवधि	01-अप्रैल-25	01-अप्रैल-24
रिपोर्टिंग तिथि	31-मार्च-26	31-मार्च-25
रिपोर्टिंग अवधि	12 महीने	12 महीने

Profit and Loss. From F.Y. 2023-24 onwards, the provident fund scheme has been considered as 'Defined Benefit Plan' and shortfall, if any, in matching the Government specified minimum rate of return, will be made good by the Corporation and charged to Statement of Profit and Loss.

During the current year, the actual return earned by the fund has been lower than the Government specified minimum rate of return. The present value of accumulated members corpus at period end is Rs.26,813.39 lakh and the fair value of the assets of Provident Fund Trust as of Balance Sheet date is Rs.26,233.90 lakh which is greater than the present value of benefit obligation. Therefore, interest shortfall of Rs.579.49 lakh in the fund has been recognized as per actuarial valuation.

During the year, the Corporation has recognized Rs.1,527.43 lakh (previous year Rs.1,120.76 lakh) as Employer's contribution to Provident Fund and pension fund in the Statement of Profit and Loss.

Provident Fund disclosure statement for the current period (F.Y. 2025-26).

Particulars	Current Period	Previous Period
Country	India	India
Reporting Currency	INR	INR
Reporting Standard	Indian Accounting Standard 19 (Ind AS 19)	Indian Accounting Standard 19 (Ind AS 19)
Funding Status	Funded	Funded
Starting Period	01-Apr-25	01-Apr-24
Date of Reporting	31-Mar-26	31-Mar-25
Period of Reporting	12 Months	12 Months

धारणाएँ

विवरण	वर्तमान अवधि	पिछली अवधि
छूट की दर	7.67%	6.82%
गारंटीकृत रिटर्न	8.25%	8.25%
कर्मचारी टर्नओवर की दर	2.00%	2.00%

Assumptions

Particulars	Current Period	Previous Period
Rate of Discounting	7.67%	6.82%
Guaranteed Return	8.25%	8.25%
Rate of Employee Turnover	2.00%	2.00%

परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका

Table Showing Change in the Present Value of Defined Benefit Obligation

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	वर्तनाम अवधि / Current Period			पिछली अवधि Previous Period
	पीएफ ब्याज की कमी PF Interest Shortfall	पीएफ संचित कोष PF Accumulated Corpus	कुल Total	
अवधि के प्रारंभ पर लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of Benefit Obligation at the beginning of the Period	537.83	23,287.80	23,825.63	20,673.03
ब्याज लागत / Interest Cost	36.68	1,792.01	1,828.69	1,767.95
वर्तमान सेवा लागत / Current Service Cost	39.24	1,301.52	1,340.76	983.71
कर्मचारी अंशदान / Employee Contribution	-	1,745.18	1,745.18	1,422.86
हस्तांतरित देयता इन / Liability Transferred In	-	4.22	4.22	0.57
(हस्तांतरित देयता आउट) / (Liability Transferred Out)	-	(42.85)	(42.85)	(0.92)
(लाभ किया गया भुगतान) / (Benefit Paid)	-	(2,169.94)	(2,169.94)	(1,559.38)
आय विवरण में मान्यता प्राप्त शेष राशि Balance not recognized in Income Statement	-	2.21	2.21	-
ऑब्लिगेशन पर बीमांकिक (लाभ)/हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations	(34.26)	-	(34.26)	537.83
अवधि के अंत में लाभ ऑब्लिगेशन का वर्तमान मूल्य Present Value of Benefit Obligation at the End of the Period	579.49	25,920.15	26,499.64	23,825.63

योजना परिसंपत्तियों के मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका - पीएफ संचित कोष

Table Showing Change in the Value of Plan Assets - PF Accumulated Corpus

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	वर्तनाम अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का मूल्य Value of plan assets at the beginning of the period	23,311.16	20,825.92
ब्याज आय / Interest Income	1,792.01	1,767.95
योगदान / Contributions	3,046.70	2,406.57
अन्य कंपनी से स्थानांतरण / Transfer from Other Company	4.22	0.56
(अन्य कंपनी को स्थानांतरण) / (Transfer to Other Company)	(42.85)	(0.93)
(भुगतान किया गया लाभ) / (Benefit Paid)	(2,169.94)	(1,559.38)
योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न, ब्याज आय को छोड़कर (मान्यता प्राप्त नहीं) Return on Plan Assets, Excluding Interest Income (Not Recognized)	21.14	(129.53)
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का मूल्य Value of Plan Assets at the End of the Period	25,920.15	23,311.16

मान्यता की तालिका / Table of Recognition

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	वर्तनाम अवधि / Current Period			पिछली अवधि Previous Period
	पीएफ ब्याज की कमी PF Interest Shortfall	पीएफ संचित कोष PF Accumulated Corpus	कुल Total	
ब्याज की कमी की मान्यता राशि (ओसीआई) Amount Recognition of Interest Shortfall (OCI)				
अवधि के लिए दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligation for the Period	(34.26)	-	(34.26)	537.83
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि Amount Recognized in the Balance Sheet				
अवधि के अंत में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त (कमी) (Shortfall) Recognized in the Balance Sheet at the End of the Period	579.49	-	579.49	537.83
वर्तमान अवधि के लिए आय विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय (पी एंड एल) Expense Recognized in the Income Statement for Current Period (P&L)				
वर्तमान सेवा लागत / Current Service Cost	39.24	1,301.52	1,340.76	983.71
ब्याज लागत / Interest Cost	36.68	1,792.01	1,828.69	1,767.95
ब्याज आय / Interest Income	-	(1,792.01)	(1,792.01)	(1,767.95)
आय विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय Expense Recognized in the Income Statement	75.92	1,301.52	1,377.44	983.71

बैलेंस शीट मिलान
Balance Sheet Reconciliation

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	वर्तनाम अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
अवधि की शुरुआत में कमी Shortfall at the Beginning of the Period	537.83	-
उपर्युक्त व्यय (पी एंड एल) / Expense as Above (P&L)	1,377.44	983.71
उपर्युक्त व्यय (ओसीआई) / Expense as Above (OCI)	(34.26)	537.83
शुद्ध अंतरण आवक / Net Transfer In	-	-
(शुद्ध अंतरण जावक) / (Net Transfer Out)	--	-
(नियोक्ता का अंशदान) / (Employer's Contribution)	(1,301.52)	(983.71)
अवधि के अंत में बैलेंस शीट में दर्ज कमी Shortfall Recognized in the Balance Sheet at the End of the Period	579.49	537.83

परिसंपत्तियों की श्रेणी / Category of Assets

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	वर्तनाम अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
भारत सरकार की संपत्तियाँ / Government of India Assets	3,008.28	2,969.79
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ / State Government Securities	8,802.06	7,256.31
विशेष जमा योजना / Special Deposits Scheme	1,830.73	1,830.73
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई / Public Sector Unit	9,388.00	7,967.21
इक्विटी/बीमाकर्ता प्रबंधित निधियाँ / Equity/Insurer Managed Funds	2,333.25	2,220.17
नकद और नकद समकक्ष / Cash And Cash Equivalents	0.14	0.61
अन्य / Other	557.69	1,066.34
कुल / Total	25,920.15	23,311.16

अनुभव के आधार पर समायोजन / Experience Adjustment

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	वर्तनाम अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
योजना देनदारियों पर (लाभ)/हानि / On plan liability (Gain)/ Losses	1,035.73	-

अन्य विवरण / Other Details

विवरण / Particulars	वर्तनाम अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
सेवा में सदस्यों की संख्या / Number of Members in service	10,110	10,084
संचित कोष / Accumulated Corpus (Rs. in Lakh)	25,920.15	23,287.80

लाभ भुगतान का परिपक्वता विश्लेषण
Maturity Analysis of the Benefit Payments

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	वर्तनाम अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
रिपोर्टिंग की तिथि से भविष्य के वर्षों में देय परिभाषित लाभ Defined Benefits Payable in Future Years from the Date of Reporting		
1ला वर्ष / 1st Following Year	4,175.51	3,881.42
2रा वर्ष / 2nd Following Year	3,052.97	2,484.39
3रा वर्ष / 3rd Following Year	2,885.18	2,663.25
4था वर्ष / 4th Following Year	2,324.90	2,490.37
5वाँ वर्ष / 5th Following Year	2,719.28	2,002.50
6 से 10 वर्ष का योग / Sum of Years 6 To 10	10,762.77	9,560.57

48.2.2 परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना (वित्तपोषित)

कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना बनाई है, जिसके लिए एक अलग से प्रशासित निधि (भारतीय कपास निगम लिमिटेड कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि) में अंशदान करना आवश्यक है। यह ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 द्वारा शासित है। इस अधिनियम के तहत, पाँच वर्ष की सेवा पूरी करने वाला कर्मचारी विशिष्ट लाभ का हकदार होता है। प्रदान किए जाने वाले लाभों का स्तर सदस्य की सेवा अवधि और सेवानिवृत्ति की आयु पर वेतन पर निर्भर करता है। यह निधि एक ट्रस्ट के रूप में है और इसका संचालन न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है। न्यासी बोर्ड भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार निधियों के निवेश सहित योजना की परिसंपत्तियों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।

योजना परिसंपत्तियों का नवीनतम बीमांकिक मूल्यांकन और परिभाषित दायित्व का वर्तमान मूल्य 31 मार्च, 2026 तक किया गया। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागत को अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके मापा गया।

निम्नलिखित तालिकाएँ लाभ या हानि/ओसीआई विवरण में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ व्यय के घटकों और संबंधित योजनाओं के लिए बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त वित्तपोषित स्थिति और राशियों का सारांश प्रस्तुत करती हैं:

48.2.2 Defined Benefit Gratuity plan (Funded)

The company has defined benefit gratuity plan for its employees, which requires contributions to be made to a separately administered fund (The Cotton Corporation of India Ltd Employees' Gratuity Fund). It is governed by the Payment of Gratuity Act, 1972. Under the Act, employee who has completed five years of service is entitled to specific benefit. The level of benefits provided depends on the member's length of service and salary at retirement age. The fund has the form of a trust and it is governed by the Board of Trustees. The Board of Trustees is responsible for the administration of the plan assets including investment of the funds in accordance with norms prescribed by the Government of India.

The most recent actuarial valuation of the plan assets and the present value of defined obligation were carried out as at 31st March, 2026. The present value of the defined benefit obligation and the related current service cost were measured using the projected unit credit method.

The following tables summarize the components of defined benefit expense recognized in the statement of Profit or loss/OCI and the funded status and amounts recognized in the Balance sheet for the respective plans:

ग्रेच्युटी प्रकटीकरण विवरण

01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए

विवरण	चालू अवधि	पिछली अवधि
लाभ का प्रकार	उपदान	उपदान
देश	भारत	भारत
रिपोर्टिंग मुद्रा	भारतीय रुपये	भारतीय रुपये
रिपोर्टिंग मानक	भारतीय लेखा मानक 19 (इंडएएस 19)	भारतीय लेखा मानक 19 (इंडएएस 19)
वित्त पोषण की स्थिति	वित्त पोषित	वित्त पोषित
प्रारंभिक अवधि	01-अप्रैल-25	01-अप्रैल-24
रिपोर्टिंग की तिथि	31-मार्च-26	31-मार्च-25
रिपोर्टिंग अवधि	12 महीने	12 महीने

Gratuity Disclosure Statement

For The Period 01st April 2025 to 31st March 2026

Particulars	Current Period	Previous Period
Type of Benefit	Gratuity	Gratuity
Country	India	India
Reporting Currency	INR	INR
Reporting Standard	Indian Accounting Standard 19 (Ind AS 19)	Indian Accounting Standard 19 (Ind AS 19)
Funding Status	Funded	Funded
Starting Period	01-Apr-25	01-Apr-24
Date of Reporting	31-Mar-26	31-Mar-25
Period of Reporting	12 Months	12 Months

धारणाएँ (गत अवधि)

योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	6.82%	7.22%
डिस्काऊंटिंग की दर	6.82%	7.22%
वेतन में वृद्धि की दर	7.00%	7.00%
कर्मचारी टर्नओवर की दर	2.00%	2.00%
रोजगार के दौरान मॉर्टेलिटी दर	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2012-14) शहरी	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2012-14) शहरी

Assumptions (Previous Period)

Expected Return on Plan Assets	6.82%	7.22%
Rate of Discounting	6.82%	7.22%
Rate of Salary Increase	7.00%	7.00%
Rate of Employee Turnover	2.00%	2.00%
Mortality Rate During Employment	Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Urban	Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Urban

धारणाएँ (चालू अवधि)

योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	7.67%	6.82%
डिस्काऊंटिंग की दर	7.67%	6.82%
वेतन में वृद्धि की दर	7.00%	7.00%
कर्मचारी टर्नओवर की दर	2.00%	2.00%
रोजगार के दौरान मॉर्टेलिटी दर	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2012-14) शहरी	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2012-14) शहरी

Assumptions (Current Period)

Expected Return on Plan Assets	7.67%	6.82%
Rate of Discounting	7.67%	6.82%
Rate of Salary Increase	7.00%	7.00%
Rate of Employee Turnover	2.00%	2.00%
Mortality Rate During Employment	Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Urban	Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Urban

अनुमानित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को दर्शाने वाली तालिका
Table Showing Change in the Present Value of Projected Benefit Obligation

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
अवधि के प्रारंभ पर लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of Benefit Obligation at the beginning of the Period	5,251.09	4,849.73
ब्याज लागत / Interest Cost	358.12	350.15
चालू सेवा लागत / Current Service Cost	198.13	158.07
पूर्व सेवा लागत Past Service Cost	471.22	-
हस्तांतरित देयता/ अधिग्रहण / Liability Transferred In/ Acquisitions	0.33	0.31
(हस्तांतरित देयता/ विनिवेश) / (Liability Transferred Out/ Divestments)	-	-
कटौती पर (लाभ) / हानि / (Gains)/ Losses on Curtailment	-	-
(निपटान पर समाप्त देयताएँ) / (Liabilities Extinguished on Settlement)	-	-
(नियोक्ता द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ)/(Benefit Paid Directly by the Employer)	-	-
(निधि से भुगतान किया गया लाभ) / (Benefit Paid From the Fund)	(353.16)	(254.05)
विदेशी मुद्रा दरों में हुए परिवर्तनों के प्रभाव The effect of changes in Foreign Exchange Rates	-	-
जनसांख्यिकीय धारणाओं में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि पर दायित्व Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Change in Demographic Assumptions	-	-

वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन के कारण दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि पर दायित्व Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Change in Financial Assumptions	(364.90)	155.99
अनुभव के कारण धारणाओं में परिवर्तन के कारण बीमांकिक लाभ / हानि पर दायित्व Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Experience	(7.28)	(9.11)
अवधि की समाप्ति पर लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of Benefit Obligation at the End of the Period	5,553.54	5,251.09

योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाने वाली तालिका

Table Showing Change in the Fair Value of Plan Assets

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य Fair Value of plan assets at the beginning of the period	4,940.62	4,873.94
ब्याज आय / Interest Income	336.95	351.90
नियोक्ता द्वारा अंशदान / Contributions by the Employer	310.46	(24.21)
कर्मचारी द्वारा अपेक्षित अंशदान / Expected Contributions by the Employees	-	-
परिसंपत्तियाँ अंतरण में / धारण / Assets Transferred In/Acquisitions	0.33	0.31
(परिसंपत्तियाँ अंतरण के बाहर / विनिवेश) / (Assets Transferred Out/Disinvestments)	-	-
(निधि से भुगतान किया गया लाभ) / (Benefit Paid from the Fund)	(353.16)	(254.05)
(निपटान पर वितरित परिसंपत्तियाँ) / (Assets Distributed on Settlements)	-	-
परिसंपत्ति सीलिंग के प्रभाव / Effects of Asset Ceiling	-	-
विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव The Effect Of Changes In Foreign Exchange Rates	-	-
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न Return on Plan Assets, Excluding Interest Income	229.21	(7.27)
अवधि की समाप्ति पर योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets at the End of the Period	5,464.41	4,940.62

तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त राशी / Amount Recognized in the Balance Sheet

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
(अवधि की समाप्ति में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य) (Present Value of Benefit Obligation at the end of the period)	(5,553.54)	(5,251.09)
अवधि की समाप्ति पर योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets at the end of the period	5,464.42	4,940.62
वित्त पोषित स्थिति (अधिशेष /(घाटा)) / Funded Status (Surplus/(Deficit))	(89.13)	(310.46)
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता / परिसंपत्ति Net(Liability)/Asset Recognized in the Balance Sheet	(89.13)	(310.46)

चालू अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत / Net Interest Cost for Current Period

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
अवधि के आरंभ में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of Benefit Obligation at the Beginning of the period	5,251.09	4,849.73
(अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य) (Fair Value of Plan Assets at the Beginning of the period)	(4,940.62)	(4,873.94)
आरंभ में शुद्ध(देयताएँ) / परिसंपत्ति / Net Liability/(Asset) at the Beginning	310.46	(24.21)
ब्याज लागत / Interest Cost	358.12	350.15
(ब्याज आय) / (Interest Income)	(336.95)	(351.90)
चालू अवधि में शुद्ध ब्याज लागत / Net Interest Cost for Current Period	21.17	(1.75)

चालू अवधि के लिए लाभ अथवा हानि की विवरणी में मान्यता प्राप्त व्यय
Expenses Recognized in the Statement of Profit or Loss for Current Period

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
चालू सेवा लागत / Current Service Cost	198.13	158.07
शुद्ध ब्याज लागत / Net Interest Cost	21.17	(1.75)
गत सेवा लागत / Past Service Cost	471.22	-
(कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान) / (Expected Contributions by the Employees)	-	-
कटौती और निपटान पर (लाभ) / हानि (Gains)/Losses on Curtailments And Settlements	-	-
विदेशी मुद्रा दरों में हुए परिवर्तनों का शुद्ध प्रभाव Net Effect of Changes in Foreign Exchange Rates	-	-
मान्यता प्राप्त व्यय Expenses Recognized	690.52	156.32

चालू अवधि के लिए अन्य व्यापक आय (ओसीआय) में मान्यता प्राप्त व्यय
Expenses Recognized in the Other Comprehensive Income (OCI) for Current Period

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
अवधि के लिए दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligation For the Period	(372.18)	146.87
व्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न Return on Plan Assets, Excluding Interest Income	(229.21)	7.27
परिसंपत्तियों की सीलिंग में परिवर्तन / Change in Asset Ceiling	-	-
ओसीआय अवधि में मान्यता प्राप्त शुद्ध (आय) / व्यय Net (Income)/Expense For the Period Recognized in OCI	(601.39)	154.14

तुलन पत्र समाधान / Balance Sheet Reconciliation

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
आरंभिक शुद्ध देयताएँ / Opening Net Liability	310.46	(24.21)
लाभ अथवा हानि की विवरणी में मान्यता प्राप्त व्यय Expense Recognized in Statement of Profit or Loss	690.52	156.32
ओसीआई में मान्यता प्राप्त व्यय / Expenses Recognized in OCI	(601.39)	154.14
अंतरण में शुद्ध देयताएँ / (परिसंपत्ति) / Net Liability/(Asset) Transfer In	-	-
अंतरण के बाहर शुद्ध देयताएँ / (परिसंपत्ति) / Net (Liability)/Asset Transfer Out	-	-
(नियोक्ता द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ)/(Benefit Paid Directly by the Employer)	-	-
(नियोक्ता का अंशदान) / (Employer's Contribution)	(310.46)	24.21
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयताएँ / परिसंपत्तियाँ Net Liability/(Asset) Recognized in the Balance Sheet	89.13	310.46

परिसंपत्तियों की श्रेणी / Category of Assets

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
भारत सरकार की परिसंपत्ति / Government of India Assets	607.39	607.39
राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ / State Government Securities	2,402.09	1,959.45
विशेष जमा योजना / Special Deposits Scheme	187.77	187.77
डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स / Debt Instruments	-	-
कॉर्पोरेट बॉन्डस /Corporate Bonds	-	-
नकद व नकद समतुल्य / Cash And Cash Equivalents	22.22	43.52
बीमा निधि / Insurance fund	-	-
सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्डस / Asset-Backed Securities	-	-
संरचित ऋण / Structured Debt	-	-
अन्य / Other	2,244.94	2,142.49
कुल / Total	5,464.41	4,940.62

अन्य जानकारियाँ / Other Details

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
सेवा में सदस्यों की संख्या / Number of Member in service	983	895
सेवा में सदस्यों के लिए प्रति माह वेतन (रु. लाख में) Per Month Salary for Member in service (Rs. in Lakh)	642.85	589.36
प्रक्षेपित लाभ दायित्व के दौरान भारित औसत Weighted Average Duration of the Projected Benefit Obligation	9	9
अपेक्षित भावी सेवा का औसत / Average Expected Future Service	16	15
परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) कुल Defined Benefit Obligation (DBO) - Total	5,553.54	5,251.09
परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) -देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया Defined Benefit Obligation (DBO) - Due but Not Paid	-	-
अगले वर्ष (12 महीने) के लिए निर्धारित अंशदान Expected Contribution in the Next Year (12 Months)	336.70	508.59

अगले वर्ष के लिए शुद्ध ब्याज लागत / Net Interest Cost for Next Period

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of Benefit Obligation at the End of the period	5,553.54	5,251.09
(अवधि अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य) (Fair Value of Plan Assets at the End of the period)	(5,464.42)	(4,940.62)
अवधि की समाप्ति पर शुद्ध देयताएँ / (परिसंपत्ति) Net Liability/(Asset) at the End of the Period	89.12	310.46
ब्याज लागत / Interest Cost	425.96	358.12
(ब्याज आय) / (Interest Income)	(419.12)	(336.95)
अगले वर्ष के लिए शुद्ध ब्याज लागत / Net Interest Cost for Next Year	6.84	21.17

अगले वर्ष के लिए लाभ अथवा हानि की विवरणी में मान्यता प्राप्त व्यय
Expenses Recognized in the Statement of Profit or Loss for Next Year

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
चालू सेवा लागत / Current Service Cost	247.58	198.13
शुद्ध ब्याज लागत / Net Interest Cost	6.84	21.17
(कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान) / (Expected Contributions by the Employees)	-	-
मान्यता प्राप्त व्यय / Expenses Recognized	254.42	219.30

लाभ भुगतान के परिपक्वता विश्लेषण: निधि से
Maturity Analysis of the Benefit Payments: From the Fund

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
रिपोर्टिंग की तारीख से भावी वर्षों में देय परिभाषित लाभ Defined Benefits Payable in Future Years From the Date of Reporting		
1ला वर्ष / 1st Following Year	548.70	441.36
2रा वर्ष / 2nd Following Year	386.37	351.55
3रा वर्ष / 3rd Following Year	538.45	503.29
4था वर्ष / 4th Following Year	483.72	490.31
5वाँ वर्ष / 5th Following Year	599.01	424.59
6 से 10 वे वर्ष तक कुल / Sum of Years 6 To 10	2,398.58	2,171.64
11 वे वर्ष से आगे तक कुल / Sum of Years 11 and above	6,438.31	5,605.99

संवेदनशील विश्लेषण / Sensitivity Analysis

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
चालू धारणाओं पर प्रक्षेपित लाभ दायित्व Defined Benefit Obligation on Current Assumptions	5,553.54	5,251.09
डिस्काऊंटिंग दर में डेल्टा प्रभाव का +1% परिवर्तन Delta Effect of +1% Change in Rate of Discounting	(379.59)	(374.93)
डिस्काऊंटिंग की दर में डेल्टा प्रभाव का -1% परिवर्तन Delta Effect of -1% Change in Rate of Discounting	433.82	429.34
वेतन वृद्धि की दर में डेल्टा प्रभाव का +1% परिवर्तन Delta Effect of +1% Change in Rate of Salary Increase	252.65	161.35
वेतन वृद्धि की दर में डेल्टा प्रभाव का -1% परिवर्तन Delta Effect of -1% Change in Rate of Salary Increase	(292.20)	(200.87)
कर्मचारी टर्नओवर की दर में डेल्टा प्रभाव का +1% परिवर्तन Delta Effect of +1% Change in Rate of Employee Turnover	46.67	47.71
कर्मचारी टर्नओवर की दर में डेल्टा प्रभाव का -1% परिवर्तन Delta Effect of -1% Change in Rate of Employee Turnover	(52.50)	(53.87)

- संवेदनशीलता विश्लेषण, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाले संबंधित मान्यताओं में यथोचित संभावित परिवर्तनों के आधार पर निर्धारित किया गया है, जबकि अन्य सभी मान्यताओं को स्थिर रखा गया है।

- ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है क्योंकि यह असंभव है कि मान्यताओं में परिवर्तन एक-दूसरे से अलग-अलग होंगे क्योंकि कुछ धारणाएँ परस्पर संबंधित हो सकती हैं।

- इसके अलावा, उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण प्रस्तुत करते समय, परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की गई है, जो कि बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ दायित्व की गणना में लागू की गई पद्धति के समान है।

- संवेदनशीलता विश्लेषण तैयार करने में प्रयुक्त विधियों और मान्यताओं में पिछले वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

- The sensitivity analysis has been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

- The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the Defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

- Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same method as applied in calculating the defined benefit obligation as recognized in the balance sheet.

- There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

गुणात्मक प्रकटीकरण

- अनुच्छेद 139 (क) परिभाषित लाभ योजना की विशेषताएँ

Qualitative Disclosures

- Para 139 (a) Characteristics of defined benefit plan

कंपनी के पास भारत में एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना (वित्त पोषित) है। कंपनी की परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना कर्मचारियों के लिए एक अंतिम वेतन योजना है, जिसके लिए एक अलग से प्रशासित निधि में अंशदान करना आवश्यक है।

इस निधि का प्रबंधन एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है जिसका संचालन न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है। न्यासी बोर्ड योजना की परिसंपत्तियों के प्रशासन और निवेश रणनीति के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है।

- पैरा 139 (बी) परिभाषित लाभ योजना से जुड़े जोखिम

ग्रेच्युटी एक परिभाषित लाभ योजना है और कंपनी को निम्नलिखित जोखिमों का सामना करना पडता है:

- o ब्याज दर जोखिम: सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़ी छूट दर में गिरावट से देयता का वर्तमान मूल्य बढ़ जाएगा जिसके लिए अधिक प्रावधान की आवश्यकता होगी। छूट दर में गिरावट से आम तौर पर परिसंपत्ति की अवधि के आधार पर परिसंपत्तियों का मार्क-टू-मार्केट मूल्य बढ़ जाता है।

- o वेतन जोखिम: परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य सदस्यों के भविष्य के वेतन के संदर्भ में गणना की जाती है। इस प्रकार, सदस्यों के वेतन में अनुमानित स्तर से अधिक वृद्धि से योजना की देयता बढ़ जाएगी।

- o निवेश जोखिम: परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य एक छूट दर का उपयोग करके गणना की जाती है, जो सरकारी बॉन्ड पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार रिटर्न के संदर्भ में निर्धारित होती है। यदि योजना परिसंपत्ति पर रिटर्न इस दर से कम है, तो यह योजना घाटा पैदा करेगा। वर्तमान में, भारत में इस योजना के लिए, सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य ऋण साधनों में निवेश का अपेक्षाकृत संतुलित मिश्रण है।

- o परिसंपत्ति देयता मिलान (एएलएम) जोखिम: इस योजना में नकदी प्रवाह के मिलान के संबंध में एएलएम जोखिम का सामना करना पड़ता है। चूँकि इस योजना में आयकर नियम, 1962 के नियम 101 के अनुसार निवेश किया जाता है, इसलिए यह आमतौर पर एएलएम जोखिम को कम करता है।

The Company has a defined benefit gratuity plan in India (funded). The company's defined benefit gratuity plan is a final salary plan for employees, which requires contributions to be made to a separately administered fund.

The fund is managed by a trust which is governed by the Board of Trustees. The Board of Trustees are responsible for the administration of the plan assets and for the definition of the investment strategy.

- Para 139 (b) Risks associated with defined benefit plan

Gratuity is a defined benefit plan and company is exposed to the following risks:

- o Interest rate risk: A fall in the discount rate which is linked to the Government Securities, rate will increase the present value of the liability requiring higher provision. A fall in the discount rate generally increases the mark to market value of the assets depending on the duration of asset.

- o Salary Risk: The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of members. As such, an increase in the salary of the members more than assumed level will increase the plan's liability.

- o Investment Risk: The present value of the defined benefit plan liability is calculated using a discount rate which is determined by reference to market yields at the end of the reporting period on government bonds. If the return on plan asset is below this rate, it will create a plan deficit. Currently, for the plan in India, it has a relatively balanced mix of investments in government securities, and other debt instruments.

- o Asset Liability Matching (ALM) Risk: The plan faces the ALM risk as to the matching cash flow. Since the plan is invested in lines of Rule 101 of Income Tax Rules, 1962, this generally reduces ALM risk.

- o मृत्यु जोखिमः चूँकि इस योजना के तहत लाभ जीवन भर के लिए देय नहीं हैं और केवल सेवानिवृत्ति की आयु तक देय हैं, इसलिए योजना में कोई दीर्घायु जोखिम नहीं है।

- अनुच्छेद 139 (ग) परिभाषित लाभ योजनाओं की विशेषताएँ

  वर्ष के दौरान, योजना में कोई संशोधन, कटौती या निपटान नहीं किया गया।

- अनुच्छेद 147 (क)

  ग्रेच्युटी योजना के प्रबंधन के लिए एक अलग ट्रस्ट फंड बनाया जाता है और ट्रस्ट फंड में योगदान आयकर नियम, 1962 के नियम 103 के अनुसार किया जाता है।

48.2.3 अवकाश अनिधिक (अनवित्तीय)

कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और अर्ध-वेतन अवकाश प्रदान करती है, जो क्रमशः 30 दिन और 20 दिन प्रतिवर्ष अर्जित होते हैं। सेवाकाल के दौरान अर्जित अवकाश (ईएल) का नकदीकरण किया जा सकता है। हालाँकि, सेवानिवृत्ति पर नकदीकरण की जा सकने वाली कुल छुट्टियों की संख्या 300 दिनों तक सीमित होगी और अर्ध-वेतन अवकाश का कोई विनिमय स्वीकार्य नहीं होगा। यह योजना अनवित्तीय है और इसके लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

वर्ष के दौरान, 554.72 लाख रुपये (पिछले वर्ष 794.22 लाख रुपये) का प्रावधान वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है और लाभ-हानि विवरण में जमा किया गया है।

भारतीय लेखा मानक 19 (इंड एएस 19) के अनुसार अवकाश नकदी प्रकटीकरण का विवरण

01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए

विवरण	चालू अवधि	पिछली अवधि
लाभ के प्रकार	छुट्टी नकदीकरण	छुट्टी नकदीकरण
रिपोर्टिंग मुद्रा	भारत	भारत
रिपोर्टिंग मुद्रा	आईएनआर	आईएनआर

- o Mortality risk: Since the benefits under the plan is not payable for life time and payable till retirement age only, plan does not have any longevity risk.

- Para 139 (c) Characteristics of defined benefit plans

  During the year, there were no plan amendments, curtailments and settlements.

- Para 147 (a)

  A separate trust fund is created to manage the Gratuity plan and the contribution towards the trust fund is done as guided by rule 103 of Income Tax Rules, 1962.

48.2.3 Leave Obligation (Unfunded)

The Company provides for earned leave benefit and half-pay leave to the employees of the Company which accrue annually at 30 days and 20 days respectively. Earned leave (EL) is en-cashable while in service. However, total number of leave that can be en-cashed on superannuation shall be restricted to 300 days and no commutation of half-pay leave shall be permissible. The scheme is unfunded and liability for the same is recognized on the basis of actuarial valuation.

During the year, provision amounting to Rs. 554.72 Lakh (Previous year Rs. 794.22 Lakh) is on the basis of actuarial valuation at the year end and credited to statement of profit and loss.

Leave Encashment Disclosure Statement as Per Indian Accounting Standard 19 (Ind AS 19)

For the period 01st April 2025 to 31st March 2026

Particulars	Current Period	Previous Period
Type of Benefit	Leave Encashment	Leave Encashment
Country	India	India
Reporting Currency	INR	INR

रिपोर्टिंग मानक	भारतीय लेखांकित मानक 19 (इंडएएस 19)	भारतीय लेखांकित मानक 19 (इंडएएस 19)
वित्त पोषित स्थिति	अनवित्तपोषित	अनवित्तपोषित
आरंभिक अवधि	01-अप्रैल-25	01-अप्रैल-24
रिपोर्टिंग की तारीख	31-मार्च-26	31-मार्च-25
रिपोर्टिंग की अवधि	12 महीने	12 महीने

Reporting Standard	Indian Accounting Standard 19 (Ind AS 19)	Indian Accounting Standard 19 (Ind AS 19)
Funding Status	Unfunded	Unfunded
Starting Period	01-Apr-25	01-Apr-24
Date of Reporting	31-Mar-26	31-Mar-25
Period of Reporting	12 Months	12 Months

धारणाएँ (आरंभिक अवधि)

विवरण	चालू अवधि	पिछली अवधि
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	ला.न.	ला.न.
डिस्काऊंटिंग की दर	6.82%	7.22%
वेतन में वृद्धि की दर	7.00%	7.00%
कर्मचारी टर्नओवर की दर	2.00%	2.00%
रोजगार के दौरान मॉरटैलिटी दर	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2012-14) शहरी	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2012-14) शहरी

Assumptions (Opening Period)

Particulars	Current Period	Previous Period
Expected Return on Plan Assets	N.A	N.A
Rate of Discounting	6.82%	7.22%
Rate of Salary Increase	7.00%	7.00%
Rate of Employee Turnover	2.00%	2.00%
Mortality Rate During Employment	Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Urban	Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Urban

धारणाएँ (समापन अवधि)

विवरण	चालू अवधि	पिछली अवधि
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	ला.न.	ला.न.
डिस्काऊंटिंग की दर	7.67%	6.82%
वेतन में वृद्धि की दर	7.00%	7.00%
कर्मचारी टर्नओवर की दर	2.00%	2.00%
रोजगार के दौरान मॉरटैलिटी दर	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2012-14) शहरी	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2012-14) शहरी

Assumptions (Closing Period)

Particulars	Current Period	Previous Period
Expected Return on Plan Assets	N.A	N.A
Rate of Discounting	7.67%	6.82%
Rate of Salary Increase	7.00%	7.00%
Rate of Employee Turnover	2.00%	2.00%
Mortality Rate During Employment	Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Urban	Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Urban

प्रक्षेपित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को दर्शाने वाली तालिका
Table Showing Change in the Present Value of Projected Benefit Obligation

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
अवधि के प्रारंभ पर लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of Benefit Obligation at the Beginning of the Period	3,280.01	2,795.93
ब्याज लागत / Interest Cost	223.70	201.87
चालू सेवा लागत / Current Service Cost	462.86	420.79
गत सेवा लागत - अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त गैर निहित लाभ Past Service Cost - Non-Vested Benefit Incurred During the Period	-	-
गत सेवा लागत - अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त निहित लाभ Past Service Cost - Vested Benefit Incurred During the Period	-	-
देयताएँ अंतरण / धारण / Liability Transferred In/ Acquisitions	-	-
देयताएँ बाहर अंतरण / विनिवेश / (Liability Transferred Out/ Divestments)	-	-
कटौती पर (लाभ)/हानि / (Gains)/ Losses on Curtailment	-	-
(निपटान पर समाप्त देयताएँ) / (Liabilities Extinguished on Settlement)	-	-
(नियोक्ता द्वारा सीधे लाभ भुगतान) / (Benefit Paid Directly by the Employer)	(477.61)	(310.60)
(निधि से लाभ भुगतान) / (Benefit Paid From the Fund)	-	-
विदेशी मुद्रा दरों में हुए परिवर्तनों के प्रभाव The Effect of changes in Foreign Exchange Rates	-	-
जनसांख्यिकीय धारणाओं में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानियाँ Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Change in Demographic Assumptions	-	-
वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन के कारण दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Change in Financial Assumptions	(213.88)	95.32
अनुभव के कारण दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Experience	82.52	76.70
अवधि की समाप्ति पर लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of Benefit Obligation at the End of the Period	3,357.60	3,280.01

योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शानेवाली तालिका
Table Showing Change in the Fair Value of Plan Assets

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
अवधि के आरंभ में लाभ दायित्व का उचित मूल्य Fair Value of plan assets at the beginning of the period	-	-
ब्याज आय / Interest Income	-	-
नियोक्ता द्वारा अंशदान / Contributions by the Employer	(0.48)	(0.47)
कर्मचारी द्वारा अपेक्षित अंशदान / Expected Contributions by the Employees	0.48	0.47
परिसंपत्तियाँ अंतरण में / धारण / Assets Transferred In/Acquisitions	-	-
(परिसंपत्तियाँ अंतरण के बाहर/ विनिवेश) / (Assets Transferred Out/ Divestments)	-	-
(निधि से भुगतान किया गया लाभ) / (Benefit Paid from the Fund)	-	-
(निपटान पर वितरित परिसंपत्तियाँ) / (Assets Distributed on Settlements)	-	-
परिसंपत्ति सीलिंग के प्रभाव / Effects of Asset Ceiling	-	-
विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव The Effect Of Changes In Foreign Exchange Rates	-	-
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न Return on Plan Assets, Excluding Interest Income	-	-
अवधि की समाप्ति पर योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets at the End of the Period	-	-

चालू अवधि के लिए लाभ व हानि की विवरणी में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानियां
Actuarial (Gains)/Losses Recognized in the Statement of Profit or Loss for Current Period

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
अवधि के लिए दायित्व पर बीमांकिक लाभ/हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligation For the Period	(131.36)	172.03
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसम्पतियों पर रिटर्न Return on Plan Assets, Excluding Interest Income	-	-
उप-योग / Subtotal	(131.36)	172.03
लाभ अथवा हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि Actuarial (Gains)/Losses Recognized in the Statement of Profit or Loss	(131.36)	172.03

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि
Amount Recognized in the Balance Sheet

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
(अवधि के समाप्ति पर लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य) (Present Value of Benefit Obligation at the end of the period)	(3,357.61)	(3,280.01)
अवधि के समाप्ति पर योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets at the end of the period	-	-
वित्तपोषित स्थिति /(अधिशेष / (घाटा)) / Funded Status (Surplus/(Deficit))	(3,357.61)	(3,280.01)
अवधि के समाप्ति पर गैर मान्यता प्राप्त गत सेवा लागत Unrecognized Past Service Cost at the end of the Period	-	-
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता / परिसंपत्ति Net(Liability)/Asset Recognized in the Balance Sheet	(3,357.61)	(3,280.01)

चालू अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत / Net Interest Cost for Current Period

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
अवधि के आरंभ में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of Benefit Obligation at the Beginning of the period	3,280.01	2,795.93
(अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य) (Fair Value of Plan Assets at the Beginning of the period)	-	-
आरंभ में शुद्ध देयताएँ /(परिसंपत्ति) / Net Liability/(Asset) at the Beginning	3,280.01	2,795.93
ब्याज लागत / Interest Cost	223.70	201.87
(ब्याज आय) / (Interest Income)	-	-
चालू अवधि में शुद्ध ब्याज लागत / Net Interest Cost for Current Period	223.70	201.87

चालू अवधि के लिए लाभ अथवा हानि की विवरणी में मान्यता प्राप्त व्यय
Expenses Recognized in the Statement of Profit or Loss for Current Period

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
चालू सेवा लागत / Current Service Cost	462.86	420.79
शुद्ध ब्याज लागत / Net Interest Cost	223.70	201.87
बीमांकिक (लाभ) /हानि / Actuarial (Gains)/Losses	(131.36)	172.03
गत सेवा लागत - अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त गैर निहित लाभ Past Service Cost - Non-Vested Benefit Recognized During the Period	-	-
गत सेवा लागत- अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त निहित लाभ Past Service Cost - Vested Benefit Recognized During the Period	-	-
(कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान) / (Expected Contributions by the Employees)	(0.48)	(0.47)
कटौती और निपटान पर (लाभ) / हानि (Gains)/Losses on Curtailments And Settlements	-	-
विदेशी मुद्रा दरों में हुए परिवर्तनों के शुद्ध प्रभाव Net Effect of Changes in Foreign Exchange Rates	-	-
परिसंपति सीमा में परिवर्तन / Change in Asset Ceiling	-	-
लाभ और हानि की विवरणी में मान्यता प्राप्त व्यय Expenses Recognized in the Statement of Profit or Loss	554.72	794.22

तुलन पत्र समाधान / Balance Sheet Reconciliation

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
आरंभिक शुद्ध देयताएँ / Opening Net Liability	3,280.01	2,795.93
लाभ अथवा हानि की विवरणी में मान्यता प्राप्त व्यय Expense Recognized in Statement of Profit or Loss	554.72	794.22
अंतरण में शुद्ध देयताएँ / (परिसंपत्ति) / Net Liability/(Asset) Transfer Inss	-	-
अंतरण के बाहर शुद्ध (देयताएँ) / परिसंपत्ति / Net (Liability)/Asset Transfer Out	-	-
(नियोक्ता द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ)/(Benefit Paid Directly by the Employer)	(477.61)	(310.60)
(नियोक्ता का अंशदान) / (Employer's Contribution)	0.48	0.47
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयताएँ / (परिसंपत्तियाँ) Net Liability/(Asset) Recognized in the Balance Sheet	3,357.60	3,280.01

परिसंपत्तियों की श्रेणी / Category of Assets

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
भारत सरकार की परिसंपत्ति / Government of India Assets	Nil	Nil
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ / State Government Securities		
विशेष जमा योजना / Special Deposits Scheme		
डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स / Debt Instruments		
कॉर्पोरेट बॉन्डस /Corporate Bonds		
नकद व नकद समतुल्य / Cash And Cash Equivalents		
बीमा निधि / Insurance fund		
एसेट्स बैक्ड प्रतिभूतियाँ / Asset-Backed Securities		
संरचित ऋण / Structured Debt		
अन्य / Other		

अन्य जानकारियाँ / Other Details

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
सेवारत सदस्यों की संख्या / Number of Members in Service	983	895
सक्रिय सदस्यों के लिए प्रति माह वेतन (रुपये लाख में) Per Month Salary For Active Members (Rs. in Lakh)	642.85	589.36
परिभाषित लाभ दायित्व (पीबीओ) (रुपये लाख में) Defined Benefit Obligation (PBO) (Rs. in Lakh)	3,357.61	3,280.01
परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) - देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया Defined Benefit Obligation (DBO) - Due but Not Paid	-	-
अगले वर्ष में अपेक्षित अंशदान Expected Contribution in the Next Year	-	-

अनुभव समायोजन / Experience Adjustment

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
अनुभव के कारण - दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) /हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Experience	82.52	76.71
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल Return on Plan Assets, Excluding Interest Income	-	-

48.2.4 सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना

कंपनी कुछ निर्दिष्ट कर्मचारियों के लिए एक परिभाषित सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ योजना संचालित करती है और यह योजना कर्मचारी द्वारा कुछ शर्तों को पूरा करने पर देय होती है।

परिभाषित लाभ योजनाओं की मान्यता और मापन:

परिभाषित लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण अनुमानित इकाई ऋण पद्धति का उपयोग करके किया जाता है, जिसमें प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ दायित्व, परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य को दर्शाते हैं, जिसे योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से घटाया जाता है, यदि लागू हो।

किसी भी परिभाषित लाभ परिसंपत्ति (इस गणना से उत्पन्न नकारात्मक परिभाषित लाभ दायित्व) को योजना में उपलब्ध रिफंड और भविष्य के योगदान में कटौती के वर्तमान मूल्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए मान्यता दी जाती है।

वर्तमान सेवा लागत, पिछली सेवा लागत, यदि कोई हो, तथा परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज द्वारा दर्शाए गए सभी व्ययों को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) के पुनर्मापन, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानियाँ और योजनागत परिसंपत्तियों पर रिटर्न (शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / परिसंपत्ति पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर) शामिल हैं, को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है। ऐसे पुनर्मापनों को आगामी अवधियों में लाभ-हानि विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है। कंपनी स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, बैलेंस शीट में उपरोक्त देयता/(परिसंपत्ति) को चालू और गैर-चालू के रूप में प्रस्तुत करती है।

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना (अनवित्तपोषित)

कंपनी कुछ निर्दिष्ट कर्मचारियों के लिए एक परिभाषित सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ योजना संचालित करती है, जो कर्मचारी द्वारा कुछ शर्तों को पूरा करने पर देय होती है।

48.2.4 Post-Retirement Medical Benefit Plan

The Company operates a defined post-retirement medical benefit plan for certain specified employees and is payable upon the employee satisfying certain conditions.

Recognition and measurement of Defined Benefit plans:

The cost of providing defined benefits is determined using the Projected Unit Credit method with actuarial valuations being carried out at each reporting date. The defined benefit obligations recognized in the Balance sheet represent the present value of the defined benefit obligations as reduced by the fair value of plan assets, if applicable.

Any defined benefit asset (negative defined benefit obligations resulting from this calculation) is recognized representing the present value of available refunds and reductions in future contributions to the plan.

All expenses represented by current service cost, past service cost, if any, and net interest on the defined benefit liability/(asset) are recognized in the statement of Profit and Loss.

Re-measurements of the net defined benefit liability/(asset) comprising actuarial gains and losses and the return on the plan assets (excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability/asset), are recognized in Other comprehensive Income. Such re-measurements are not reclassified to the Statement of Profit and Loss in the subsequent periods. The Company presents the above liability/(asset) as current and non-current in the Balance sheet as per actuarial valuation by the independent actuary.

Post-Retirement Medical Benefit Plan (Unfunded)

The Company operates a defined post-retirement medical benefit plan for certain specified employees and payable upon the employee satisfying certain conditions.

उपर्युक्त रोजगार-पश्चात लाभ योजनाएं आम तौर पर कंपनी को निम्नलिखित बीमांकिक जोखिमों के प्रति उजागर करती हैं:

निवेश जोखिम:

परिभाषित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य की गणना छूट दर का उपयोग करके की जाती है, जो सरकारी बांड पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार रिटर्न के संदर्भ में निर्धारित की जाती है।

ब्याज जोखिम:

बांड ब्याज दर में कमी से योजना की देनदारी बढ़ जाएगी; हालांकि, योजना के निवेश पर रिटर्न में वृद्धि से इसकी आंशिक भरपाई हो जाएगी।

दीर्घावधि जोखिम:

परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य, योजना प्रतिभागियों की रोजगार के दौरान और उसके बाद मॉरटैलिटी के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर गणना की जाती है। योजना प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से योजना की देयता में भी वृद्धि होगी।

वेतन जोखिम:

परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य योजना प्रतिभागियों के भविष्य के वेतन के आधार पर गणना किया जाता है। इस प्रकार, योजना प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता भी बढ़ जाएगी।

योजनागत परिसंपत्तियों और परिभाषित दायित्व के वर्तमान मूल्य का नवीनतम बीमांकिक मूल्यांकन 31.03.2026 को किया गया। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागत का मापन अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके किया गया।

निम्नलिखित तालिका लाभ या हानि/ओसीआई विवरण में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ व्यय के घटकों और बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशियों का सारांश प्रस्तुत करती है:

Aforesaid post-employment benefit plans typically expose the Company to actuarial risks such as:

Investment risk:

The present value of the defined benefit liability is calculated using a discount rate which is determined by reference to market yields at the end of the reporting period on government bonds.

Interest Risk:

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's investments.

Longevity Risk:

The present value of the defined benefit liability is calculated by reference to the best estimate of the mortality of plan participants both during and after their employment. An increase in the life expectancy of the plan participants will increase the plan's liability.

Salary Risk:

The present value of the defined benefit liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in salary of the plan participants will increase the plan's liability.

The most recent actuarial valuation of the plan assets and the present value of defined obligation were carried out as on 31.03.2026. The present value of the defined benefit obligation and related current service cost were measured using the projected unit credit method.

The following table's summaries the components of defined benefit expense recognized in the statement of Profit or Loss/OCI and the amounts recognized in the Balance Sheet:

सेवानिवृत्ती पश्चात चिकित्सा योजना प्रकटीकरण विवरण

1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 की अवधि के लिए

विवरणी	चालू अवधि	पिछली अवधि
लाभ के प्रकार	चिकित्सा	चिकित्सा
देश	भारत	भारत
रिपोर्टिंग मुद्रा	आईएनआर	आईएनआर
रिपोर्टिंग मानक	भारतीय लेखांकन मानक 19 (इंडएएस 19)	भारतीय लेखांकन मानक 19 (इंडएएस 19)
वित्त पोषित स्थिति	अनवित्तपोषित	अनवित्तपोषित
आरंभिक अवधि	01-अप्रैल-25	01-अप्रैल-24
रिपोर्टिंग की तारीख	31-मार्च-26	31-मार्च-25
रिपोर्टिंग की अवधि	12 महीने	12 महीने

Post Retirement Medical Scheme Disclosure Statement

For The Period 01st April 2025 to 31st March 2026

Particulars	Current Period	Previous Period
Type of Benefit	Medical	Medical
Country	India	India
Reporting Currency	INR	INR
Reporting Standard	Indian Accounting Standard 19 (Ind AS 19)	Indian Accounting Standard 19 (Ind AS 19)
Funding Status	Unfunded	Unfunded
Starting Period	01-Apr-25	01-Apr-24
Date of Reporting	31-Mar-26	31-Mar-25
Period of Reporting	12 Months	12 Months

धारणाएँ (गत अवधि)

विवरणी	चालू अवधि	पिछली अवधि
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	ला.न.	ला.न.
डिस्काऊंटिंग की दर	7.05%	7.24%
चिकित्सा व्यय में मुद्रास्फीति	3.00%	3.00%
कर्मचारी टर्नओवर की दर	2.00%	2.00%
रोजगार के दौरान मॉरटैलिटी दर	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2012-14) शहरी	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2012-14) शहरी
रोजगार के पश्चात मॉरटैलिटी दर	भारतीय व्यक्तिगत एएमटी (2012-15)	भारतीय व्यक्तिगत एएमटी (2012-15)

Assumptions (Previous Period)

Particulars	Current Period	Previous Period
Expected Return on Plan Assets	N.A	N.A
Rate of Discounting	7.05%	7.24%
Medical Cost of Inflation	3.00%	3.00%
Rate of Employee Turnover	2.00%	2.00%
Mortality Rate During Employment	Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Urban	Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Urban
Mortality Rate After Employment	Indian Individual AMT (2012-15)	Indian Individual AMT (2012-15)

धारणाएँ (चालू अवधि)

विवरणी	चालू अवधि	पिछली अवधि
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	ला.न.	ला.न.
डिस्काऊंटिंग की दर	7.87%	7.05%
चिकित्सा व्यय में मुद्रास्फीति	3.00%	3.00%
कर्मचारी टर्नओवर की दर	2.00%	2.00%
रोजगार के दौरान मॉरटैलिटी दर	भारतीय आश्वासन जीवन मॉरटैलिटी (2012-14)(शहर)	भारतीय आश्वासन जीवन मॉरटैलिटी (2012-14)(शहर)
रोजगार के पश्चात मॉरटैलिटी दर	भारतीय व्यक्तिक एएमटी (2012-15)	भारतीय व्यक्तिक एएमटी (2012-15)

Assumptions (Current Period)

Particulars	Current Period	Previous Period
Expected Return on Plan Assets	N.A	N.A
Rate of Discounting	7.87%	7.05%
Medical Cost of Inflation	3.00%	3.00%
Rate of Employee Turnover	2.00%	2.00%
Mortality Rate During Employment	Indian Assured Lives Mortality (2012-14) (Urban)	Indian Assured Lives Mortality (2012-14) (Urban)
Mortality Rate After Employment	Indian Individual AMT (2012-15)	Indian Individual AMT (2012-15)

प्रक्षेपित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को दर्शाने वाली तालिका

Table Showing Change in the Present Value of Defined Benefit Obligation

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
अवधि के प्रारंभ पर लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of Benefit Obligation at the Beginning of the Period	1,733.89	1,337.36
ब्याज लागत / Interest Cost	122.24	96.83
चालू सेवा लागत / Current Service Cost	46.15	23.66
गत सेवा लागत / Past Service Cost	-	-
देयताएँ अंतरण / अधिग्रहण / Liability Transferred In/ Acquisitions	-	-
देयताएँ बाहर अंतरण / विनिवेश / (Liability Transferred Out/ Divestments)	-	-
कटौती पर (लाभ)/हानि / (Gains)/ Losses on Curtailment	-	-
(निपटान पर देयताएँ निकाली गई) / (Liabilities Extinguished on Settlement)	-	-
(नियोक्ता द्वारा सीधे लाभ भुगतान) / (Benefit Paid Directly by the Employer)	(184.82)	(192.37)
(निधि से लाभ भुगतान) / (Benefit Paid From the Fund)	-	-
विदेशी मुद्रा दरों में हुए परिवर्तनों के प्रभाव The Effect of changes in Foreign Exchange Rates	-	-

जनसांख्यिकीय धारणाओं में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Change in Demographic Assumptions	-	-
वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन के कारण दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) /हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Change in Financial Assumptions	(181.88)	37.91
अनुभव के कारण दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) /हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Experience	347.82	430.50
अवधि की समाप्ति पर लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of Benefit Obligation at the End of the Period	1,883.40	1,733.89

योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाने वाली तालिका

Table Showing Change in the Fair Value of Plan Assets

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair Value of plan assets at the beginning of the period	-	-
ब्याज आय / Interest Income	-	-
नियोक्ता द्वारा अंशदान / Contributions by the Employer	(4.28)	(3.60)
कर्मचारी द्वारा अपेक्षित अंशदान / Expected Contributions by the Employees	4.28	3.60
परिसंपत्तियाँ अंतरण में / अधिग्रहण / Assets Transferred In/Acquisitions	-	-
(परिसंपत्तियाँ अंतरण के बाहर / विनिवेश) / (Assets Transferred Out/ Divestments)	-	-
(निधि से भुगतान किया गया लाभ) / (Benefit Paid from the Fund)	-	-
(निपटान पर वितरित परिसंपत्तियाँ) / (Assets Distributed on Settlements)	-	-
परिसंपत्ति सीमा के प्रभाव / Effects of Asset Ceiling	-	-
विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव The Effect Of Changes In Foreign Exchange Rates	-	-
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल Return on Plan Assets, Excluding Interest Income	-	-
अवधि की समाप्ति पर योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets at the End of the Period	-	-

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि
Amount Recognized in the Balance Sheet

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
अवधि की समाप्ति पर लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य (Present Value of Benefit Obligation at the end of the period)	(1,883.40)	(1,733.89)
अवधि की समाप्ति पर योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets at the end of the period	-	-
वित्तपोषण की स्थिति (अधिशेष/(घाटा)) / Funded Status (Surplus/(Deficit))	(1,883.40)	(1,733.89)
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध (देयता) / परिसंपत्ति Net(Liability)/Asset Recognized in the Balance Sheet	(1,883.40)	(1,733.89)

चालू अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत / Net Interest Cost for Current Period

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
अवधि के आरंभ में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of Benefit Obligation at the Beginning of the period	1,733.89	1,337.36
(अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य) (Fair Value of Plan Assets at the Beginning of the period)	-	-
आरंभ में शुद्ध(देयताएँ) / परिसंपत्ति / Net Liability/(Asset) at the Beginning	1,733.89	1,337.36
ब्याज लागत / Interest Cost	122.24	96.83
(ब्याज आय) / (Interest Income)	-	-
चालू अवधि में शुद्ध ब्याज लागत / Net Interest Cost for Current Period	122.24	96.83

चालू अवधि के लिए लाभ अथवा हानि की विवरणी में मान्यता प्राप्त व्यय
Expenses Recognized in the Statement of Profit or Loss for Current Period

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
चालू सेवा लागत / Current Service Cost	46.15	23.66
शुद्ध ब्याज लागत / Net Interest Cost	122.24	96.83
गत सेवा लागत / Past Service Cost	-	-
(कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान) (Expected Contributions by the Employees)	(4.28)	(3.60)
कटौती और निपटान पर (लाभ) / हानि (Gains)/Losses on Curtailments And Settlements	-	-
विदेशी मुद्रा दरों में हुए परिवर्तनों के शुद्ध प्रभाव Net Effect of Changes in Foreign Exchange Rates	-	-
मान्यता प्राप्त व्यय / Expenses Recognized	164.11	116.89

चालू अवधि के लिए अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त व्यय
Expenses Recognized in the Other Comprehensive Income (OCI) for Current Period

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
अवधि के लिए दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligation For the Period	165.94	468.41
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल Return on Plan Assets, Excluding Interest Income	-	-
परिसंपत्तियों की सीमा में परिवर्तन / Change in Asset Ceiling	-	-
ओसीआइ में अवधि के लिए मान्यताप्राप्त शुद्ध (आय) / व्यय Net (Income)/Expense For the Period Recognized in OCI	165.94	468.41

तुलन पत्र समाधान / Balance Sheet Reconciliation

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
आरंभिक शुद्ध देयताएँ / Opening Net Liability	1,733.89	1,337.36
लाभ अथवा हानि की विवरणी में मान्यता प्राप्त व्यय Expense Recognized in Statement of Profit or Loss	164.11	116.89
ओसीआई में मान्यता प्राप्त व्यय / Expenses Recognized in OCI	165.94	468.41
अंतरण में शुद्ध देयताएँ / (परिसंपत्ति) / Net Liability/(Asset) Transfer In	-	-
शुद्ध (देयताएँ) / अंतरण के बाहर परिसंपत्ति / Net (Liability)/Asset Transfer Out	-	-
(नियोक्ता द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ)/(Benefit Paid Directly by the Employer)	(184.82)	(192.37)
(नियोक्ता का अंशदान) / (Employer's Contribution)	4.28	3.60
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयताएँ / (परिसंपत्ति) Net Liability/(Asset) Recognized in the Balance Sheet	1,883.40	1,733.89

परिसंपत्तियों की श्रेणी / Category of Assets

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
भारत सरकार की परिसंपत्ति / Government of India Assets	Nil	Nil
राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ / State Government Securities		
विशेष जमा योजना / Special Deposits Scheme		
डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स / Debt Instruments		
कॉर्पोरेट बॉन्डस /Corporate Bonds		
नकद व नकद समतुल्य / Cash And Cash Equivalents		
बीमा निधि / Insurance fund		
एसेट्स बैक्ड प्रतिभूतियाँ / Asset-Backed Securities		
संरचित ऋण / Structured Debt		
अन्य / Other		
योग / Total		

अन्य जानकारियाँ / Other Details

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
सक्रिय सदस्यों की संख्या / No of Active Members	983	895
सक्रिय सदस्यों के लिए प्रति माह वेतन / Per Month Salary For Active Members	600	580
कवर किए गए व्यक्तियों की संख्या / No Of Persons Covered	1,059	1,024
प्रक्षेपित लाभ दायित्व के दौरान भारित औसत Weighted Average Duration of the Projected Benefit Obligation	14	13
भावी सेवा का औसत / Average Future Term	30	30
परिभाषित लाभ दायित्व (पीबीओं) (रू. लाख में) Defined Benefit Obligation (PBO)(Rs in lakh)	1,883.40	1,733.89
परिभाषित लाब दायित्व (डीबीओ) - देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया Defined Benefit Obligation (DBO) - due but not paid	-	-
अगले वर्ष अपेक्षित योगदान expected contribution in the next year	-	-

अगले वर्ष के लिए शुद्ध ब्याज लागत / Net Interest Cost for Next Year

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
अवधि के आरंभ में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of Benefit Obligation at the Beginning of the period	1,883.40	1,733.89
(अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य) (Fair Value of Plan Assets at the Beginning of the period)	-	-
अवधि की समाप्ति पर शुद्ध देयताएँ / (परिसंपत्ति) Net Liability/(Asset) at the End of the Period	1,883.40	1,733.89
ब्याज लागत / Interest Cost	148.22	122.24
(ब्याज आय) / (Interest Income)	-	-
अगले वर्ष के लिए शुद्ध ब्याज लागत / Net Interest Cost for Next Year	148.22	122.24

अगले वर्ष के लिए लाभ अथवा हानि की विवरणी में मान्यता प्राप्त व्यय
Expenses Recognized in the Statement of Profit or Loss for Next Year

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
चालू सेवा लागत / Current Service Cost	51.59	46.15
शुद्ध ब्याज लागत / Net Interest Cost	148.22	122.24
(कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान) / (Expected Contributions by the Employees)	-	-
मान्यता प्राप्त व्यय / Expenses Recognized	199.82	168.39

लाभ भुगतान का परिपक्वता विश्लेषण
Maturity Analysis of Benefit Payments

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
रिपोर्टिंग की तारीख से अगले वर्ष में देय परिभाषित लाभ Defined Benefit Payable in further year from the date of reporting		
1ला वर्ष / 1st Following Year	165.18	139.61
2रा वर्ष / 2nd Following Year	182.03	150.71
3रा वर्ष / 3rd Following Year	178.66	154.48
4था वर्ष / 4th Following Year	167.36	147.79
5वाँ वर्ष / 5th Following Year	174.10	138.87
6 से 10 वे वर्ष तक कुल /Sum of Years 6 To 10	262.57	236.98

संवेदनशील विश्लेषण / Sensitivity Analysis

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	चालू अवधि Current Period	पिछली अवधि Previous Period
चालू धारणाओं पर परिभाषित लाभ दायित्व Defined Benefit Obligation on Current Assumptions	1,883.40	1,733.89
डिस्काऊंटिंग दर में डेल्टा प्रभाव का +1% परिवर्तन Delta Effect of +1% Change in Rate of Discounting	(185.94)	(184.37)
डिस्काऊंटिंग की दर में डेल्टा प्रभाव का -1% परिवर्तन Delta Effect of -1% Change in Rate of Discounting	226.04	226.27
कर्मचारी टर्नओवर की दर में डेल्टा प्रभाव का +1% परिवर्तन Delta Effect of +1% Change in Rate of Employee Turnover	228.25	(46.16)
कर्मचारी टर्नओवर की दर में डेल्टा प्रभाव का -1% परिवर्तन Delta Effect of -1% Change in Rate of Employee Turnover	(187.94)	53.80
चिकित्सा लागत मुद्रास्फीति में डेल्टा प्रभाव का +1% परिवर्तन Delta Effect of +1% Change in Medical Cost Inflation	(46.20)	(46.16)
चिकित्सा लागत मुद्रास्फीति में डेल्टा प्रभाव का -1% परिवर्तन Delta Effect of -1% Change in Medical Cost Inflation	53.87	53.80

- संवेदनशीलता विश्लेषण का निर्धारण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली संबंधित धारणाओं में यथोचित संभावित परिवर्तनों के आधार पर किया गया है, जबकि अन्य सभी धारणाओं को स्थिर रखा गया है।
- ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि धारणाओं में परिवर्तन एक दूसरे से अलग होकर होगा क्योंकि कुछ धारणाएं सहसंबद्ध हो सकती हैं।
- इसके अलावा, उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण प्रस्तुत करने में, परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की गई है, जो कि वही पद्धति है जो बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ दायित्व की गणना में लागू होती है।
- संवेदनशीलता विश्लेषण तैयार करने में प्रयुक्त विधियों और धारणाओं में पिछले वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

- The sensitivity analysis have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.
- The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.
- Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same method as applied in calculating the defined benefit obligation as recognized in the balance sheet.
- There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

48.2.5 मुद्रा क्षतिपूर्ति योजना (अनवित्तपोषित)

सेवाकाल के दौरान मृत्यु के कारण कंपनी की सेवाओं से किसी कर्मचारी के अलग होने पर, स्वर्गीय कर्मचारी की

48.2.5 Monetary Compensation Scheme (Unfunded)

On separation of an employee from the services of the company on account of death during service period, the compensation will be paid to

सामान्य काल्पनिक सेवानिवृत्ति तिथि तक या दस वर्ष, जो भी पहले हो, लाभार्थी को मासिक आधार पर मुआवज़ा दिया जाएगा। मुआवज़ा राशि कर्मचारी के अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर होगी।

निम्नलिखित तालिका लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ व्यय के घटकों और बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशियों का सारांश प्रस्तुत करती है:

the beneficiary on monthly basis till the normal notional date of superannuation of the deceased employee or ten years whichever is earlier. The compensation amount will be equivalent to the employees last drawn Basic Pay plus DA.

The following table's summaries the components of defined benefit expense recognized in the statement of Profit or Loss and the amounts recognized in the Balance Sheet:

डेटा सारांश:-

मूल्यांकन की तिथि	31.03.2026	31.03.2025
मूल्यांकन की विधि	प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट विधि	प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट विधि
सक्रिय कर्मचारियों की संख्या	845	768
वास्तविक मृत्यु के मामले	6	6
लाभार्थियों को प्रति माह भुगतान (रुपये लाख में)	4.95	4.85
औसत उम्र	38.51 वर्ष	39.50 वर्ष
औसत गत सेवा	11.92 वर्ष	12.86 वर्ष
कूल मासिक वेतन (रुपये लाख में)	531.48	484.95
औसत वेतन (रुपये लाख में)	0.63	0.63

Data Summary:-

Date of Valuation	31.03.2026	31.03.2025
Method of Valuation	Projected Unit Credit Method	Projected Unit Credit Method
Number of Active Employees	845	768
Actual Deaths	6	6
Payout per month to beneficiaries (Rs. in Lakh)	4.95	4.85
Average Age	38.51 Years	39.50 Years
Average Past Service	11.92 Years	12.86 Years
Total Monthly Salary (Rs. in Lakh)	531.48	484.95
Average Salary (Rs. in Lakh)	0.63	0.63

मूल्यांकन परिणाम:-

(रु. लाख में)

विवरण	चालू अवधि	विगत अवधि
वास्तविक मृत्यु के मामलों के लिए गया प्रावधान	234.86	249.73
बकाया भुगतान के लिए प्रावधान	0	16.61
अपेक्षित मृत्यु के मामलों के लिए प्रावधान	1,174.07	1,184.77
कुल परिभाषित लाभ दायित्व	1,408.92	1,451.12
चालू देयता	123.77	140.38
गैर-चालू देयता	1,285.15	1,310.74

Valuation Results:-

(Rs. in Lakh)

Particulars	Current Period	Previous Period
Provision for Actual Deaths	234.86	249.73
Provision for Due Payments	0	16.61
Provision for Expected Deaths	1,174.07	1,184.77
Total Defined Benefit Obligation	1,408.92	1,451.12
Current Liability	123.77	140.38
Non-Current Liability	1,285.15	1,310.74

मूल्यांकन धारणाएं :-

(i) वित्तीय धारणाएं

विवरण	चालू अवधि	विगत अवधि
वेतन वृद्धि दर	7.00% P.A.	7.00% P.A.
डिस्काऊंटिंग की दर	7.67% P.A.	6.82% P.A.

(I) जनसांख्यिकीय धारणाएं

विवरण	चालू अवधि	विगत अवधि
मृत्यु दर	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर 2012-14 (शहरी)	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर 2012-14 (शहरी)
संघर्षण दर	2.00% प्रति वर्ष	2.00% प्रति वर्ष
सेवानिवृत्ति उम्र	60 वर्ष	60 वर्ष

49. धोखाधड़ी और दुरुपयोग

49.1 मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान चोरी का मामला दर्ज किया गया:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, अहमदाबाद शाखा के तहत खेड़ा के अखलोल में सीडब्ल्यूसी द्वारा प्रबंध किए जाने वाले गोदाम में कुल 21,700 गांठें अलग-अलग चरणों में रखी गई थीं। इनमें से 21,300 गांठें सामान्य कामकाज के दौरान बेच दी गईं और उनकी सुपुर्दगी कर दी गई, जबकि बोडेली केंद्र से जुड़ी 400 गांठें 18 नवंबर 2025 तक गोदाम में ही रखी रहीं। उस तारीख को, गोदाम प्रबंधन के साथ विवाद के कारण सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ने गोदाम को सील कर दिया और उसके बाद बैंक ने अपने सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए। सीडब्ल्यूसी और सीसीआई ने गोदाम तक दोबारा पहुँच पाने के लिए लगातार कोशिशें कीं और यह मामला गुजरात उच्च न्यायालय तक पहुँचाया गया। कोर्ट के आदेशों के बाद, 25 मार्च 2026 को सीसीआई और सीडब्ल्यूसी के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में गोदाम खोला गया। फिजिकल वेरिफिकेशन (मौके पर जांच) करने पर सिर्फ़ 94 गांठें मिलीं, जबकि 306 गांठें लापता पाई गईं, जिससे गोदाम तक पहुँच सीमित होने के दौरान चोरी होने का शक पैदा होता है। इस नुकसान का अनुमानित आर्थिक असर लगभग 84.74 लाख रुपये है और मामले की जांच चल रही है।

Valuation Assumptions:-

(i) Financial Assumptions

Particulars	Current Period	Previous Period
Salary Escalation Rate	7.00% P.A.	7.00% P.A.
Rate of Discounting	7.67% P.A.	6.82% P.A.

(ii) Demographic Assumptions

Particulars	Current Period	Previous Period
Mortality Rate	Indian Assured Lives Mortality 2012-14 (Urban)	Indian Assured Lives Mortality 2012-14 (Urban)
Attrition Rate	2.00% P.A.	2.00% P.A.
Retirement Age	60 years	60 years

49. Fraud and Misappropriation

49.1 Theft case reported during current financial year:-

During the financial year 2024–25, a total of 21,700 bales were stored in phases at the CWC-managed godown at Akhlol, Kheda under the Ahmedabad branch. Out of these, 21,300 bales were sold and delivered in the normal course of operations, while 400 bales pertaining to the Bodeli centre remained in storage as on 18th November 2025. On that date, the godown was sealed by Central Bank of India due to a dispute with the godown management, following which the bank deployed its own security personnel. Continuous efforts were made by CWC and CCI to regain access and the matter was escalated to the Hon'ble High Court of Gujrat. Pursuant to the Court's directions, the godown was opened on 25th March 2026 in the presence of representatives of CCI and CWC. Upon physical verification, only 94 bales were found, while 306 bales reported missing, indicating suspected theft during the period of restricted access. The estimated financial impact of the loss is approximately Rs.84.74 lakh and the matter is currently under investigation. approximately Rs.84.74 lakh and the matter is currently under investigation.

49.2 ऊपर बताए गए मामले के अलावा, चालू वर्ष के दौरान कंपनी के साथ या कंपनी द्वारा किसी धोखाधड़ी/ग़बन की सूचना नहीं मिली है। पहले बताए गए मामलों का विवरण इस प्रकार है:-

(क) अकोला शाखा में पुसद केंद्र स्थित एमएसडब्लूसी गोदाम में 1,212 एफपी गांठों का गबन दिनांक 06 मई 2010 को पाया गया। आरोपियों के विरुद्ध पुसद पुलिस स्टेशन में दिनांक 8 मई 2010 को प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) संख्या 117/10 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया। उक्त 1212 एफपी गांठों का मूल्य लगभग 150.63 लाख रुपये है। संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा उक्त मामले की अभी भी जाँच की जा रही है।

जांच के दौरान, पुलिस ने 900 एफपी गांठें बरामद कीं और मामला बंद कर दिया। इसके अलावा, आरोपियों से 300 एफपी गांठों का मूल्य 37.49 लाख रुपये बरामद किया गया है और जांच कार्यालय एल.सी.बी. यवतमाल में जमा किया गया है। शेष 12 एफपी गांठों के लिए पुलिस जांच जारी है। वर्तमान में मामले की जांच सीआईडी, अमरावती द्वारा की जा रही है। स्टॉक के मूल्यांकन में उपरोक्त पर विचार नहीं किया गया है। माननीय सत्र न्यायालय, पुसद के अनुमोदन के बाद 900 गांठों को ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से बेच दिया गया है और आगे की कार्यवाही तक 179 लाख रुपये की बिक्री आय अदालत में जमा कर दी गई है। इस खाते पर किसी भी वसूली का हिसाब एल.सी.बी. यवतमाल और अदालत से प्राप्त होने पर किया जाएगा। वर्तमान में मामला विचाराधीन है।

(ख) गुंटूर शाखा में, वर्ष 2007-08 के दौरान, 233 कपास गांठों और 28882 मीटर ग्रे कपड़े के स्टॉक का दुरुपयोग देखा गया था और इसे मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए समापन स्टॉक के रूप में नहीं माना गया था। मामला अब ट्रायल कोर्ट में है। जांच के दौरान पुलिस ने 100 कपास गांठें बरामद कीं, जिन्हें पुलिस ने कंपनी को सौंप दिया। उक्त 100 कपास गांठें माननीय न्यायालय, चिलकलुरिपेट के आदेश के अनुसार 2010-11 के दौरान बेची गई और उनसे 20.81 लाख रुपये की राशि वसूल की गई। 0.83 लाख रुपये की गांठों के निपटान पर खर्च घटाने के बाद 19.98 लाख रुपये की राशि 19 अप्रैल 2011 को अदालत में जमा कर दी गई है। मामले का निपटारा होने पर इसका हिसाब लगाया जाएगा। वर्तमान में मामला विचाराधीन है।

(ग) एक बिनौला खरीददार ने शिकायत की है कि उन्होंने फसल

49.2 Apart from above case, no fraud/misappropriation on company and by the company reported during the current year. The details of previous reported cases are as under:-

(a) In Akola branch a misappropriation of 1,212 FP bales at MSWC godown, Pusad Centre was noticed on 6th May 2010. A Criminal case was registered against the accused at police station Pusad vide First Information Report (FIR) no. 117/10 dated 8th May 2010. The value of the said 1212 FP Bales is approx Rs.150.63 Lakh. The said case is still under investigation by the concerned police authorities.

During the investigation, Police recovered 900 FP Bales and ceased. Further, value of 300 FP bales amounting to Rs.37.49 Lakh has been recovered from the accused and deposited with the Investigating office L.C.B. Yeotmal. For balance 12 FP bales police investigation is in progress. Currently the case is being investigated by CID, Amravati. The above is not considered in the valuation of the stock. After the approval of Hon'ble session court, Pusad the 900 bales has been sold through online e-auction and deposited the sale proceeds of Rs.179 Lakh in Court till further proceedings. Any realization on this account will be accounted for as and when received from L.C.B Yeotmal and Court. Presently matter is sub-judice.

(b) In Guntur branch, during the year 2007-08, misappropriation of stock of 233 cotton bales and 28882 meters of Grey Cloth was observed and the same was not considered as Closing Stock for valuation purpose. The matter is now under Trial Court. During investigation Police recovered 100 cotton bales, which were handed over by the police to the Company. The said 100 cotton bales were sold during 2010-11 as per order of the Honorable Court, Chilakaluripet and an amount of Rs. 20.81 Lakh was realized thereof. The amount of Rs. 19.98 Lakh after deducting expenses on disposal of bales of Rs. 0.83 Lakh has been deposited with the court on 19th April 2011. The same will be accounted as and when the case is settled. Presently matter is sub-judice.

(c) A cotton seed buyer complained that neither they

वर्ष 2014-15 के लिए वारंगल शाखा के 57.65 लाख सदाशिवपेठ केंद्र से एक अनुबंध संख्या के अंतर्गत लाख रूपये मूल्य का कोई बिनौला न तो खरीदा है न ही उठाया है जो पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत है। आंतरिक जाँच के बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है। यह मामला हैदराबाद स्थित सीबीआई मामलों की माननीय विशेष अदालत के समक्ष विचाराधीन है।

have purchased nor lifted any cotton seed valuing Rs. 57.65 Lakh from Sadashivpeth centre of Warangal branch pertaining to crop year 2014-15 under one contract number which is totally false and fabricated. After internal investigation the matter has been referred to CBI. There is no financial impact on the financial statements of the company. The matter is sub-judice before the honorable special court for CBI cases, Hyderabad.

(घ) कपास सीजन 2017-18 के दौरान, अहमदाबाद शाखा के कलेडिया, नसवाड़ी और पालेज के एक केंद्र प्रभारी ने निर्धारित गुणवत्ता मानकों से कम गुणवत्ता वाले कपास खरीदे। इसके अलावा, उसने कलेडिया केंद्र से खरीदे गए कपास में से 122.00 लाख रुपये मूल्य के 697 कपास की गांठों और 30.00 लाख रुपये मूल्य के 1600 क्विंटल बिनौला के बराबर कपास का गबन किया। केंद्र प्रभारी के खिलाफ 22 जून 2018 को नसवाड़ी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। वर्तमान में यह मामला माननीय नसवाड़ी न्यायालय में विचाराधीन है।

(d) During the cotton season 2017-18, a centre in-charge of Kaledia, Naswadi and Palej of Ahmadabad branch purchase the kapas of below prescribed quality parameter. Further, he misappropriated kapas equivalents to 697 FP bales valuing to Rs.122.00 Lakh and 1600 quintals of cotton seed valuing to Rs.30.00 Lakh out of the kapas purchased by him at Kaledia centre. FIR has been lodged against the centre in-charge on 22nd June 2018 at Naswadi Police Station. Presently the matter is sub-judice in Hon'ble Bodeli Court and Naswadi Court.

(ड) कपास सीजन 2019-20 के दौरान, शाखा कार्यालय सिरसा में केंद्र प्रभारी और लाइन प्रभारी के रूप में तैनात एक सहायक प्रबंधक ने इंफेरियर गुणवत्ता वाले कपास की खरीद के लिए आरोप लगाया (29 अक्टूबर 2020 के आरोप पत्र का ज्ञापन) और कपास की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाने में भी विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप आग लगने की घटना हुई। वह आग के आवश्यक सबूत भी देने में विफल रहे और अग्नि से हुए नुकसान का गलत आकलन किया। उन पर 9 जुलाई 2021 के आदेश से ठसेवा से हटानेठ का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, बीमा दावे के गलत आकलन के कारण कंपनी को पहले ही हुए नुकसान के लिए 15.65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और यह उनके टर्मिनल लाभ से वसूला जाना है। उन्होंने कंपनी द्वारा लगाए गए जुर्माने के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में मामला दायर किया है और मामला विचाराधीन है। आग से प्रभावित गांठों/विविध गांठों सहित इंफेरियर गुणवत्ता की बिक्री के बाद सापेक्ष नुकसान के संबंध में वसूली के लिए पत्र भी उन्हें भेजा गया है। एच.पी.एस. गोयल, पूर्व ए.एम./सेंटर इंचार्ज ने कंपनी द्वारा लगाए गए जुर्माने के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में मामला दायर किया और मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(e) During cotton season 2019-20, an Assistant Manager posted as Centre In-charge and Line in-charge at branch office Sirsa charged for (Memo of Charge Sheet dated 29th October 2020) procurement of inferior quality cotton and also failed to take adequate steps for safety of kapas resulting in a fire incidence. He also failed to provide necessary evidences of fire and wrongly assessed losses due to fire. He has been imposed a penalty of "Removal from Service" w.e.f. order date 9th July 2021. Further, for loss already suffered by the company, due to wrong assessment of Insurance claim, a penalty of Rs.15.65 Lakh imposed and to be recovered from his terminal benefit. He has filed the case before Hon'ble High Court, Chandigarh, against penalty imposed by the Company and the matter is sub-judice. Letter for recovery has also been sent to him in respect of the relative loss after sale of inferior quality including fire affected bales/miscellaneous bales. Sh. H.P.S Goyal, Ex A.M. / Centre Incharge filed the case before honorable high court against penalty imposed by company and the matter is sub-judice.

50. सेगमेंट रिपोर्टिंग:

कंपनी मुख्य रूप से प्रसंस्करण के बाद कपास के व्यापार में लगी हुई है और यह एकमात्र रिपोर्ट योग्य व्यावसायिक खंड है जिसकी समीक्षा कंपनी के मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता द्वारा की जाती है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बाहरी/ विदेशी ग्राहकों से प्राप्त राजस्व भारतीय लेखा मानक 108- 'परिचालन खंड' के अनुसार मात्रात्मक सीमा से अधिक नहीं है, इसलिए कंपनी को खंड संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रमुख ग्राहक के बारे में जानकारी:

चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान किसी भी ग्राहक ने कंपनी के कुल राजस्व में 10% से अधिक का योगदान नहीं दिया।

51. संबंधित पार्टी का प्रकटीकरण

51.1. संबंधित पार्टियों की सूची:

क. सरकार से संबंधित इकाई:

यह कंपनी वस्त्र मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है। कंपनी का नियंत्रण भारत सरकार (जीओआई) के पास है, जो भारत के राष्ट्रपति के नाम पर 100% इक्विटी शेयर रखती है। इंड एएस 24 के पैरा 25 और 26 के अनुसार, जिन संस्थाओं पर एक ही सरकार का नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, उन्हें और रिपोर्टिंग संस्था को 'संबंधित पार्टियों' माना जाता है। कंपनी ने सरकारी संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट का लाभ उठाया है और वित्तीय विवरणों में सीमित जानकारी का खुलासा किया है।

क्र. सं.	संबंधित पार्टी का नाम	संबंध
1	राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड	वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन (दोनों कंपनियों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण)

कंपनी ने सरकार से जुड़ी अन्य संस्थाओं (केंद्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के साथ गोदाम का किराया, बीमा, टेलीफ़ोन व्यय, प्रोसेसिंग शुल्क, हवाई यात्रा, समाशोधन एवं अग्रेषण और तकनीकी शुल्क, किराए से होने वाली आय जैसे दूसरे लेन-देन भी किए हैं। सरकार से जुड़ी संस्थाओं के साथ ये लेन-देन उसी तरह की शर्तों पर किए गए, जो आम तौर पर स्वतंत्र पार्टियों के बीच होने वाले लेन-देन आर्म्स-लेंथ ट्रांज़ैक्शन में होती हैं। ये लेनदेन व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वहीन हैं और इसलिए भारतीय लेखा मानक 24 - 'संबंधित पक्ष प्रकटीकरण' के अनुसार इनका खुलासा नहीं किया गया है।

50. Segment Reporting:

The Company is predominantly engaged in the trading of cotton after processing and this is the only reportable business segment which is reviewed by the company's chief operating decision maker. Further, revenues from external / foreign customers does not exceed quantitative threshold limit as per Ind AS 108- 'Operating Segments' during the financial year 2025-26, hence the company is not required to present segment information.

Information about major customer:

No customer contributed more than 10% of total revenue of the company during current year and previous year.

51. Related Party Disclosure

51.1 List of Related Parties:

A) Government Related Entity:

The Company is a Central Public Sector Enterprise (CPSE) under the Ministry of Textiles. The Company is controlled by Government of India (GOI), by holding 100% of equity shares in the name of President of India. Pursuant to Para 25 and 26 of Ind AS 24, entities over which the same government has control or joint control of, or significant influence, then the reporting entity and other entities shall be regarded as related parties. The Company has applied the exemption available for government related entities and have made limited disclosures in the financial statements.

Sr. No.	Name of Related Party	Relation
1	National Textiles Corporation Ltd.	Under Ministry of Textiles, Government of India (Significant Control over both the Companies).

The Company has also entered into other transactions such as godown rent, insurance, telephone expenses, professional fees, air travel, clearing & forwarding and technical fees, rental income etc. with other various government related entities (Central and State PSUs). The transitions with government related entities were made on terms equivalent to those that prevail in arm's length transactions. These transactions are insignificant individually and collectively and hence not disclosed as per Ind AS 24 – 'Related Party Disclosures'.

ख) ट्रस्ट (सेवानिवृत्तित्तर कर्मचारी लाभ ट्रस्ट सहित) जिसमें नियंत्रण रखनेवाली कंपनी

i. भारतीय कपास निगम लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि।

ii. भारतीय कपास निगम लिमिटेड अंशदायी अधिवषता निधि।

iii. भारतीय कपास निगम लिमिटेड कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि।

ग) प्रमुख प्रबंधन अधिकारी

ग .1 पूर्णकालिक निदेशक

i. श्री ललित कुमार गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ii. श्री विजय कुरडगि, निदेशक (विपणन)

iii. श्री राजेंद्र कुमार गुप्ता, निदेशक (वित्त)

ग .2 कंपनी सचिव

i. श्री राहुल ठक्कर, कंपनी सचिव

ग .3 सरकार द्वारा नामित निदेशक

i. सुश्री पद्मिनी सिंगला (आईएएस), संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, 22 अप्रैल 2025 से

ग .4 स्वतंत्र निदेशक

i. डॉ. प्रशांत वी. पाटिल, 25 अप्रैल 2025 से 24 अप्रैल 2026 तक।

B) Trusts (including post retirement employee benefit trust) wherein the company having control

i. The Cotton Corporation of India Limited Employee Contributory Provident Fund.

ii. The Cotton Corporation of India Limited Contributory Superannuation Fund.

iii. The Cotton Corporation of India Limited Employees Gratuity Fund.

C) Key Management Personnel

C.1 Whole Time Director

i. Shri Lalit Kumar Gupta, Chairman-cum-Managing Director

ii. Shri Vijay Kurdagi, Director (Marketing)

iii. Shri Rajendra Kumar Gupta, Director (Finance)

C.2 Company Secretary

i. Shri Rahul Thakkar, Company Secretary

C.3 Government Nominee Director

i. Ms. Padmini Singla (IAS), Joint Secretary, Ministry of Textiles w.e.f. 22th April 2025.

C.4 Independent Director

i. Dr. Prashant V. Patil, w.e.f. 25th April 2025 and till 24th April 2026.

51.2 लेन-देन का विवरण:

51.2.1. सरकार संबंधित इकाई के साथ लेन-देन

(रु. लाख में)

संबंधित पार्टी के नाम	लेनेदेन की प्रवृत्ति	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
नेशनल टेक्सटाइल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	पूर्णबंधित गांठे की बिक्री	0.00	0.00
	अतिदेय राशि पर ब्याज	706.03	642.89
	कुल	706.03	642.89

51.2 Details of Transactions:

51.2.1. Transaction with Government Related Entity

(Rs. in Lakh)

Name of Related Party	Nature of Transaction	Year ended 31st March 2026	Year ended 31st March 2025
National Textiles Corporation Ltd.	Sale of FP Bales	0.00	0.00
	Interest on overdue amount	706.03	642.89
	Total	706.03	642.89

51.2.2. सरकार संबंधित इकाई के साथ बकाया राशि

(रु. लाख में)

संबंधित पार्टी के नाम	लेनेदेन की प्रवृत्ति	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड	व्यापार प्राप्य	3,787.66	3,926.66
	व्यापार प्राप्य के अतिरिक्त अन्य प्राप्य	4,444.91	3,599.88
	ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	0.11	0.11

51.2.2. Outstanding Balance with Government Related Entity

(Rs. in Lakh)

Name of Related Party	Nature of Transaction	As at 31st March 2026	As at 31st March 2025
National Textiles Corporation Ltd.	Trade Receivable	3,787.66	3,926.66
	Receivables Other than Trade Receivables	4,444.91	3,599.88
	Advance Received from Customers	0.11	0.11

51.2.3 मुख्य प्रबंधन अधिकारी को पारिश्रमिक भुगतान

51.2.3 Remuneration paid to Key Management Personnel.

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

मुख्य प्रबंधन अधिकारी Key Management Personnel	अल्पावधि कर्मचारी लाभ Short Term Employee Benefit		सेवा-निवृत्ति के बाद का लाभ Post-Employment Benefit	
	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2025	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2025
श्री ललित कुमार गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Shri Lalit Kumar Gupta, Chairman-cum-Managing Director	73.01	64.01	56.40	48.00
श्री विजय कुरडगि, निदेशक (विपणन) Shri Vijay Kuradagi, Director (Marketing)	54.17	47.15	45.99	40.83
श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता निदेशक(वित्त) Shri Rajendra Kumar Gupta, Director (Finance)	64.67	56.27	46.83	40.49
श्री राहुल ठक्कर, कंपनी सचिव Shri Rahul Thakkar, Company Secretary	11.62	10.73	2.40	3.52

1. वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि में मुख्य प्रबंधन अधिकारीयों को अन्य दीर्घकालिक लाभ, सेवांत लाभ और शेयर आधारित भुगतान शून्य (गत वर्ष शून्य) है ।

2. प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 197 के प्रावधान कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा दिनांक 05 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई), कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।

1. Other long term benefit, termination benefit and share based payment to Key Management Personnel in the current reporting period is Nil (previous year Nil).

2. The provisions of Section 197 of the Companies Act, 2013 in respect of Managerial Remuneration are not applicable to the Company vide notification no. GSR 463(E) dated 05th June 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs (Government of India).

मुख्य प्रबंधन अधिकारी के सेवानिवृत्ति के बाद का लाभ
Breakup of Post-Employment Benefit to Key Management Personnel

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

मुख्य प्रबंधन अधिकारी Key Management Personnel	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2026					31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2025				
	उपदान Gratuity	छुट्टी Leave	सेवा निवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ योजना Post Retirement Medical Benefit Scheme	मौद्रिक क्षतिपूर्ति योजना Monetary Compe-nsation Scheme	कुल Total	उपदान Gratuity	छुट्टी Leave	सेवा निवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ योजना Post Retirement Medical Benefit Scheme	मौद्रिक क्षतिपूर्ति योजना Monetary Compe-nsation Scheme	कुल Total
श्री ललित कुमार गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Shri Lalit Kumar Gupta, Chairman-cum-Managing Director	22.34	30.65	2.13	1.28	56.40	17.08	26.90	1.79	2.23	48.00
श्री विजय कुरडगि, निदेशक (विपणन) Shri Vijay Kuradagi, Director (Marketing)	17.02	26.15	2.39	0.43	45.99	15.13	23.65	2.06	0.00	40.84
श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता निदेशक(वित्त) (19 जुलाई 2024 से प्रभावी) Shri Rajendra Kumar Gupta, Director (Finance) (w.e.f. 19th July 2024)	25.00	19.44	2.39	0.00	46.83	18.14	19.17	2.06	1.12	40.49
श्री राहुल ठक्कर, कंपनी सचिव (20 मई 2024 से प्रभावी) Shri Rahul Thakkar, Company Secretary (w.e.f. 20th May 2024)	0.78	1.50	0.12	0.00	2.40	0.43	0.95	0.13	2.02	3.53

51.2.4. मुख्य प्रबंधन अधिकारी के साथ बकाया राशि–शून्य
51.2.4. Outstanding Balance with Key Management Personnel - Nil

51.2.5 न्यास के साथ लेनदेन (कर्मचारी लाभ योजना)
51.2.5 Transaction with Trust (Employee Benefit Plan)

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

संबंधित पार्टी का नाम Name of Related Party	लेनदेन की प्रवृत्ति Nature of Transaction	वित्तीय वर्ष 2025-26 F.Y. 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25 F.Y. 2024-25
सीसीआई कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि CCI Employee Contributory Provident Fund	अंशदान Contribution	1,376.65	982.96
सीसीआई अंशदायी अधिवर्षिता निधि CCI Contributory Superannuation Fund.	अंशदान Contribution	461.93	902.15
सीसीआई कर्मचारी उपदान निधि CCI Employees Gratuity Fund.	अंशदान / (धनवापसी) Contribution (Refund)	89.13	(24.21)

51.2.6 न्यासों से बकाया राशि / 51.2.6 Outstanding balance with Trusts

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

संबंधित पार्टी का नाम Name of Related Party	लेनदेन की प्रवृत्ति Nature of Transaction	31 मार्च 2026 को As at 31st March 2026	31 मार्च 2025 को As at 31st March 2025
सीसीआई कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि CCI Employee Contributory Provident Fund	ट्रस्टों की ओर से कर्मचारियों को किए गए भुगतान के विरूद्ध ट्रस्ट से प्राप्य Receivable from trust against payment made to employees on behalf of trust	1,120.83	749.90
सीसीआई अंशदायी अधिवर्षिता निधि CCI Contributory Superannuation Fund.		214.06	0.00
सीसीआई कर्मचारी उपदान निधि CCI Employees Gratuity Fund.		253.50	72.84
सीसीआई अंशदायी अधिवर्षिता निधि CCI Contributory Superannuation Fund. क) कर्मचारी का अंशदान (a) Employee's Contribution	अंशदान के प्रति ट्रस्ट को देय Payable to trust towards contribution	15.37	15.00
ख) नियोक्ता का अंशदान (b) Employer's Contribution			342.16
सीसीआई कर्मचारी उपदान निधि CCI Employees Gratuity Fund.		89.13	310.47
सीसीआई कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि CCI Employee Contributory Provident Fund क) नियोक्ता का अंशदान (a) Employer's Contribution		0.00	0.00
(ख) ब्याज की कमी के लिए अंशदान (b) Contribution towards Interest Shortfall		579.49	537.83

52. वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, कंपनी ने एमएसपी ऑपरेशन्स के तहत 105.09 लाख गांठों की खरीद की जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा 100.17 लाख गांठ था और 107.86 लाख गांठें बेचीं जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 29.78 लाख गांठ था।

52. During the financial year 2025-26, the company has procured 105.09 lakh bales under MSP operations as against 100.17 lakh bales and sold 107.86 lakh bales as compared to 29.78 Lakh bales during the previous year.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रारंभिक स्टॉक, खरीद, बिक्री और अंतिम स्टॉक का विवरण।

Breakup of opening stock, purchases, sales and Closing Stock during F.Y. 2025-26

विवरण Description	एफपी गांठें (संख्या लाखों में) FP Bales (No. in lakhs)		बिनौला (क्विंटल लाख में) Cotton Seed (Quintals in lakh)	
	वित्तीय वर्ष 2025-26 F.Y. 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25 F.Y. 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26 F.Y. 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25 F.Y. 2024-25
प्रारंभिक स्टॉक / Opening Stock	103.33	32.95	12.84	0.66
कपास के प्रसंस्करण से प्राप्त/खरीदा गया Purchase/Obtained from processing of Kapas	105.09	100.17	337.38	310.13
विक्रय / Sales	107.86	29.78	340.69	297.95
अंतिम स्टॉक / Closing Stock	100.57	103.33	9.53	12.84

नोटः सीसीआई ने सीधे किसानों से कच्ची कॉटन (कपास) खरीदी, जिसे प्रोसेस करके बिनौला अलग किए गए और लिंट की पूर्ण बंधित गांठें (एफपी गांठें) बनाई गईं। इस तरह, खरीद में कपास की प्रोसेसिंग से मिली एफपी गांठें और बिनौला शामिल हैं।

Note: CCI procured Raw Cotton (Kapas) directly from farmers which is processed into lint fully pressed bales by segregating cotton seed. Thus, purchase represents the FP bales and cotton seed obtained from the processing of Kapas.

53. दीर्घवधि अनुबंधों के बारे में प्रकटीकरण

कंपनी के पास कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है, जिसमें डेरिवेटिव अनुबंध भी शामिल हैं, जिनके कारण कोई भी भौतिक दूरदर्शी नुकसान हो सकती है।

53. Disclosures about long-term contracts

The company does not have any long–term contracts including derivatives contracts for which there could be any material foreseeable losses.

54. निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि

ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।

54. Investor Education and Protection Fund

There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

55. पट्टाः-

55.1 ऑपरेटिंग पट्टे

कंपनी ने 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी इंड एएस 116 "पट्टों" को अपनाया है, जैसा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय

55. Leases:-

55.1 Operating Leases

The Company has adopted Ind AS 116 "Leases" effective 1st April 2019, as notified by the Ministry

(एमसीए) द्वारा कंपनी (भारतीय लेखा मानक), संशोधन नियम, 2019 द्वारा संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का उपयोग करके अधिसूचित किया गया है। इस सरलीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत, कंपनी ने संक्रमण तिथि पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और पट्टा देयता की समान राशि को मान्यता दी, जिसे संक्रमण तिथि पर तुलन पत्र में दर्शाए गए ऐसे पट्टों से संबंधित पूर्व भुगतानों की राशि से समायोजित किया गया। भारतीय लेखा मानक 116 के संक्रमण प्रावधानों के अंतर्गत अनुमत पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक अनुप्रयोग पर अनुमत निम्नलिखित व्यावहारिक उपायों को कंपनी द्वारा लागू किया गया है:

- कंपनी ने अल्पकालिक पट्टों (एक वर्ष से कम) और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के लिए पट्टों के लिए प्रदान की गई छूट का उपयोग किया है।
- कंपनी ने उन अनुबंधों में पट्टे की अवधि बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प शामिल होने पर पट्टे की शर्तों के निर्धारण में विवेक का प्रयोग किया है।
- प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के मापन से प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों को बाहर रखा गया है।
- प्रारंभिक आवेदन की तिथि, अर्थात् 1 अप्रैल 2019 को, पट्टा देनदारियों पर लागू कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का वेटेज्ड औसत 7.51% था। हालाँकि, चालू वर्ष के दौरान शुरू की गई पट्टा देनदारियों पर लागू औसत ब्याज दर 8.15% है।

तदनुसार, कंपनी ने प्रारंभिक आवेदन पर (अर्थात 01 अप्रैल 2019 तक) 174.76 लाख रुपये की राशि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के रूप में और 174.76 लाख रुपये की राशि पट्टा देनदारियों के रूप में मान्यता दी। नकदी प्रवाह विवरण पर प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

of Corporate Affairs (MCA) vide Companies (Indian Accounting Standards), Amendment Rules, 2019, using the modified retrospective method. Under this simplified approach, the Company recognized equal amount of right of use asset and lease liability on the transition date, adjusted by the amount of prepayments pertaining to such leases, carried in the Balance Sheet on such transition date. Figures for previous year have not been restated as permitted under the transition provisions in Ind AS 116. Further, following practical expedients permitted on initial application have been applied by the Company:

- The Company has utilized the exemptions provided for short-term leases (less than a year) and leases for low value assets.
- The Company has used judgment in determining the lease terms where contracts contained options to extend or terminate the lease.
- Initial direct costs are excluded from the measurement of right-of-use assets at the date of initial application.
- The weighted average of Company's incremental borrowing rate applied to lease liabilities at the date of initial application i.e. as on 1st April 2019 was 7.51%. However, average interest rate 8.15% applied to lease liabilities commenced during the current year.

Accordingly, the Company recognized an amount of Rs.174.76 Lakh as Right of Use Assets and Rs.174.76 Lakh as Lease Liabilities on initial application (i.e. as on 01st April 2019). Impact on cash flow statement is not material.

55.2 उपयोग के अधिकार की परिसंपत्तियों और पट्टा देयता का विवरण निम्नानुसार है:-

55.2 Details of Right of Use Assets and Lease liability is as under:-

(1) संपत्ति के उपयोग का अधिकार / (1) Right of Use Assets

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण / Particulars	राशि Amount	विवरण / Particulars	राशि Amount
01.04.2025 को सकल वहन मूल्य Gross Carrying value as on 01.04.2025	480.61	01.04.2024 को सकल वहन मूल्य Gross Carrying value as on 01.04.2024	501.30
अतिरिक्त / Additions	279.49	अतिरिक्त / Additions	50.64
निपटान/समायोजन / Disposals/Adjustment	158.49	निपटान/समायोजन / Disposals/Adjustment	71.33
31.03.2026 को सकल वहन मूल्य Gross Carrying value as on 31.03.2026	601.61	31.03.2025 को सकल वहन मूल्य Gross Carrying value as on 31.03.2025	480.61
01.04.2025 पर संचित मूल्यह्रास Accumulated depreciation as at 01.04.2025	280.85	01.04.2024 पर संचित मूल्यह्रास Accumulated depreciation as at 01.04.2024	265.86
अतिरिक्त / Additions	95.13	अतिरिक्त / Additions	72.86
निपटान/समायोजन / Disposals/Adjustment	158.14	निपटान/समायोजन / Disposals/Adjustment	57.87
31.03.2026 पर संचित मूल्यह्रास Accumulated depreciation as at 31.03.2026	217.84	31.03.2025 पर संचित मूल्यह्रास Accumulated depreciation as at 31.03.2025	280.85
31.03.2026 का शुद्ध वहन मूल्य Net Carrying value as on 31.03.2026	383.77	31.03.2025 का शुद्ध वहन मूल्य Net Carrying value as on 31.03.2025	199.76

कंपनी को महबूबनगर शाखा में वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला कलेक्टर, महबूबनगर द्वारा जारी आदेश संख्या A/262/2017 के तहत कार्यालय स्थान आवंटित किया गया था। ऐसी संपत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यांकन व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है क्योंकि आवधिकता, किराया आदि के संबंध में स्पष्टीकरण जिला कलेक्टर, महबूबनगर के कार्यालय से मांगा जाता है। कंपनी किराया, आवधिकता आदि सहित शर्तों के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय के साथ समन्वय कर रही है। इसके अलावा, कार्यालय स्थान के आकार को देखते हुए, उपयोग के अधिकार पर प्रभाव नगण्य होगा और तदनुसार, सूचना/स्पष्टीकरण उपलब्ध होने पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाएगी।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी ने विभिन्न शाखाओं/केंद्रों में 12 महीने से कम अवधि के लिए कार्यालय परिसर लिए हैं, जिसके लिए रु.14.32 लाख (पिछले वर्ष रु.16.70 लाख) के पट्टा भुगतान को भारतीय लेखा मानक 116-`पट्टे' में दी गई छूट के अनुसार लाभ-हानि विवरण (नोट संख्या 39 (ग) देखें) में व्यय के रूप में मान्यता दी गई है। अभी शुरू होने वाले पट्टे के लिए भविष्य में कोई पट्टे प्रतिबद्ध नहीं है।

The Company was allotted office space in FY 2017-18 at Mahbubnagar Branch vide order no. A/262/2017 issued by District Collector, Mahbubnagar. The valuation for Right of Use of such asset is not practically possible as the clarification regarding the periodicity, rent, etc. is sought from the office of District Collector, Mahbubnagar. The company is under coordination with Office of District Collector for seeking clarification regarding the terms, which include the rent, periodicity, etc. Further, considering the size of the office space, impacts on the Right of Use will be immaterial and accordingly, Right of Use assets will be recognized upon the availability of information / clarification.

Apart from above, the Company has taken office premises at various branches/centres for less than 12 months for which lease payments of Rs.14.32 Lakh (previous year Rs.16.70 Lakh) has been recognized as expenses in Statement of Profit and Loss {refer note no. 39 (c)} as per exemption provided in Ind AS 116-'Leases'. There is no future lease commitment for lease yet to be commenced.

ii) पट्टा देयता / (ii) Lease Liabilities

(रु. लाख में) (Rs. in Lakh)

विवरण	31 मार्च, 2026 तक / As at 31st March, 2026		31 मार्च, 2025 तक / As at 31st March, 2025	
	चालू / Current	गैर-चालू / Non-Current	चालू / Current	गैर-चालू / Non-Current
पट्टा देयता Lease Liability	97.03	311.78	56.79	163.19

55.3 वर्ष के दौरान पट्टा देयता का संचलन / Movement of Lease Liabilities during the year

विवरण / Particulars	राशि Amount	विवरण / Particulars	राशि Amount
01.04.2025 को पट्टा देयताएं Lease Liabilities as on 01.04.2025	219.98	01.04.2024 को पट्टा देयताएं Lease Liabilities as on 01.04.2024	263.87
मान्यता प्राप्त नई पट्टा New Leases recognized	279.49	मान्यता प्राप्त नई पट्टा New Leases recognized	50.63
पुनः आकलन एवं आहरण Re-measurements and withdrawals	0.49	पुनः आकलन एवं आहरण Re-measurements and withdrawals	19.93
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय Interest expense on Lease Liabilities	20.49	पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय Interest expense on Lease Liabilities	12.98
पट्टा किराये का भुगतान Payment of Lease Rental	110.66	पट्टा किराये का भुगतान Payment of Lease Rental	87.57
31.03.2026 को अंतिम पट्टा देयताएं Lease Liabilities as on 31.03.2026	408.81	31.03.2025 को अंतिम पट्टा देयताएं Lease Liabilities as on 31.03.2025	219.98

पट्टे की देनदारियों का परिपक्वता विश्लेषण / Maturity analysis of lease liabilities

परिपक्वता Name of Related Party	अनुबंध के तहत बिना बट्टा-कटौती वाले नकद बहिःप्रवाह Contractual undiscounted cash outflows	
	वित्तीय वर्ष 2025-26 F.Y. 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25 F.Y. 2024-25
एक वर्ष से अधिक नहीं Not later than one year	121.70	65.37
एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से अधिक नहीं Later than one year and not later than three years	192.36	82.87
तीन वर्ष से अधिक / Later than three years	157.81	98.95
कुल / Total	471.87	247.19
घटाएँ: पट्टा पर भविष्य के वित्तीय शुल्क Less: Future finance charges on lease	63.06	27.20
पट्टा देनदारियों का वर्तमान मूल्य Present value of lease liabilities	408.81	219.98

55.4 वित्तीय पट्टा

55.4.1 पट्टेदार के रूप में

कंपनी के पास वित्त पट्टा व्यवस्था है, अर्थात श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, कलंबोली, नवी मुंबई में पट्टे पर ली गई भूमि और कोलकाता में कार्यालय परिसर पट्टे पर हैं। वित्तीय पट्टे के अंतर्गत अर्जित परिसंपत्तियों की पट्टे की अवधि 90 से 99 वर्षों में समाप्त हो जाती है। कंपनी ने पट्टे की अवधि के आरंभ में एकमुश्त पट्टा किराया चुका दिया है और पट्टे की अवधि के दौरान कोई आकस्मिक किराया देय नहीं है। पट्टे की अवधि पूरी होने पर, कंपनी के पास पट्टादाता द्वारा निर्धारित पट्टे का किराया चुकाकर पट्टे की अवधि को समान अवधि के लिए बढ़ाने का विकल्प है। पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों का वहन मूल्य उपयोग के अधिकार (उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियाँ) और निवेश परिसंपत्तियों में अलग से दर्शाया गया है। पट्टे के शर्तों के अनुसार, कंपनी पट्टे पर ली गई परिसंपत्ति का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए कर सकती है जिसके लिए उसने पट्टा लिया है और पट्टादाता द्वारा कोई अन्य प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

कोलकाता में पट्टे पर ली गई इमारत के लिए वार्षिक पट्टा किराया भुगतान 4.80 रुपये प्रति वर्ग फुट है, जिसे पट्टे की अवधि के दौरान प्रत्येक 10 वर्ष पूरे होने पर 10% बढ़ाया जाना है। भविष्य के न्यूनतम पट्टे का भुगतान और उनके वर्तमान मूल्य इस प्रकार हैं:-

क) कोलकाता में स्व-अर्जित संपत्ति, नोट 4 - परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार के अंतर्गत दर्शाई गया है

31 मार्च 2026 तक कंपनी का वित्तीय पट्टा दायित्व निम्नानुसार है:-

(रु. लाख में)

विवरण	भविष्य में न्यूनतम पट्टा भुगतान	ब्याज	वर्तमान मूल्य
एक वर्ष से अधिक नहीं	0.20	0.23	0.02
एक वर्ष के अधिक परंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	0.86	0.96	0.08
पांच वर्ष से अधिक	18.05	14.90	0.24
कुल	19.11	16.10	0.34

55.4 Finance Lease:

55.4.1 As Lessee

The company is having finance lease arrangements i.e. land taken on lease at Sriganganagar, Bhilwara, Kalamboli, Navi Mumbai and office premises in Kolkata which is taken on lease. The lease term in respect of assets acquired under finance lease expire within 90 to 99 years. The company has paid lease rents in lump sum at the beginning of lease term and there is no contingent rent payable during the lease term. At the completion of lease term, the company has option to extend lease for similar period by paying lease rent determined by lessor at the completion of lease term. The carrying value of the lease hold properties is separately disclosed in the Right of Use Assets and investment properties. As per the lease terms, the company can use leased property for the purpose it has taken for and there are no other restrictions imposed by the lessor.

Building taken on lease at Kolkata, yearly lease rent payment is Rs.4.80 per sq. foot per annum which is to be increased by 10% on completion of every 10 years during the lease period. The future minimum lease payments and their present values are as follows:-

(a) Self-Occupied property at Kolkata shown under Note 4 - Right of Use Assets

Finance lease obligation of the company as of 31st March 2026 is as follows:-

(Rs. in Lakh)

Particulars	Future minimum lease payments	Interest	Present Value
Not later than one year	0.20	0.24	0.02
Later than one year but not later than five years	0.86	0.96	0.08
Later than five year	18.05	14.90	0.24
Total	19.11	16.10	0.34

31 मार्च 2025 तक कंपनी का वित्तीय पट्टा दायित्व निम्नानुसार है:-

(रु. लाख में)

विवरण	भविष्य में न्यूनतम पट्टा भुगतान	ब्याज	वर्तमान मूल्य
एक वर्ष से अधिक नहीं	0.20	0.23	0.02
एक वर्ष के अधिक परंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	0.84	0.95	0.08
पांच वर्ष से अधिक	18.27	15.14	0.26
कुल	19.31	16.32	0.36

Finance lease obligation of the company as of 31st March 2025 is as follows:-

Particulars	Future minimum lease payments	Interest	Present Value
Not later than one year	0.20	0.23	0.02
Later than one year but not later than five years	0.84	0.95	0.08
Later than five year	18.27	15.14	0.26
Total	19.31	16.32	0.36

ख) नोट संख्या 5 के तहत कोलकाता में निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति

(b) Assets classifies as Investment Property at Kolkata under Note no. 5

31 मार्च 2026 तक कंपनी का वित्तीय पट्टा दायित्व निम्नानुसार है:-

(रु. लाख में)

विवरण	भविष्य में न्यूनतम पट्टा भुगतान	ब्याज	वर्तमान मूल्य
एक वर्ष से अधिक नहीं	0.17	0.19	0.02
एक वर्ष के अधिक परंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	0.70	0.78	0.06
पांच वर्ष से अधिक	14.71	12.15	0.20
कुल	15.58	13.12	0.28

Finance lease obligation of the company as of 31st March 2026 is as follows:-

(Rs. in Lakh)

Particulars	Future minimum lease payments	Interest	Present Value
Not later than one year	0.17	0.19	0.02
Later than one year but not later than five years	0.70	0.78	0.06
Later than five year	14.71	12.15	0.20
Total	15.58	13.12	0.28

31 मार्च 2025 तक कंपनी का वित्तीय पट्टा दायित्व निम्नानुसार है:-

(रु. लाख में)

विवरण	भविष्य में न्यूनतम पट्टा भुगतान	ब्याज	वर्तमान मूल्य
एक वर्ष से अधिक नहीं	0.17	0.19	0.02
एक वर्ष के अधिक परंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	0.68	0.78	0.06
पांच वर्ष से अधिक	14.89	12.34	0.21
कुल	15.74	13.31	0.29

Finance lease obligation of the company as of 31st March 2025 is as follows:-

(Rs. in Lakh)

Particulars	Future minimum lease payments	Interest	Present Value
Not later than one year	0.17	0.19	0.02
Later than one year but not later than five years	0.68	0.78	0.06
Later than five year	14.89	12.34	0.21
Total	15.74	13.31	0.29

55.4.2 पट्टेदार के रूप में

कंपनी ने अपनी निवेश संपत्तियों को 5 वर्ष तक की अवधि के लिए ऑपरेटिंग पट्टे पर दिया है। पट्टे के भुगतान मौजूदा बाजार स्थितियों के अनुरूप आवधिक वृद्धि के साथ संरचित हैं। कोई परिवर्तनशील पट्टा भुगतान नहीं हैं। ऐसे पट्टों से होने वाली आय का विवरण नोट 3 - निवेश संपत्तियाँ के अंतर्गत प्रकट किया गया है। व्यावसायिक आवश्यकताओं और अन्य विकल्पों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी को पट्टे की समाप्ति पर निवेश संपत्ति के अवशिष्ट मूल्य की वसूली से संबंधित कोई जोखिम नहीं है। शेष अवधि के लिए वार्षिक आधार पर प्राप्त होने वाले बिना छूट वाले न्यूनतम पट्टा भुगतान इस प्रकार हैं।:-

दिसंबर 2021 से 55 महीने की अवधि के लिए इंदौर शाखा में मेसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिए गए कार्यालय परिसर को छोड़कर, ये पट्टा व्यवस्था पट्टादाता/पट्टेदार के विकल्प पर रद्द करने योग्य हैं। वार्षिक आधार पर शेष गैर-रद्द करने योग्य अवधि में प्राप्त होने वाले बिना छूट वाले न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैं:

55.4.2 As a Lessor

The Company has leased out its investment properties under operating lease for periods ranging upto 5 years. Lease payments are structured with periodic escalations consistent with the prevailing market conditions. There are no variable lease payments. The details of income from such leases are disclosed under Note 3 - Investment Properties. The Company does not have any risk relating to recovery of residual value of investment property at the end of leases considering the business requirements and other alternatives. The undiscounted minimum lease payments to be received over the remaining term on an annual basis are as follows:-

These lease arrangements are cancelable at the options of lessor/lessee except office premise given to M/s Hindustan Petroleum Corporation Limited at Indore branch for period of 55 months from December 2021. The undiscounted minimum lease payments to be received over the remaining non-cancellable term on an annual basis are as follows:

(रु. लाख में)

विवरण	रकम
एक वर्ष से अधिक नहीं	8.78
एक वर्ष के अधिक परंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	0.00
पांच वर्ष से अधिक	0.00
कुल	8.78

(Rs. in Lakh)

Particulars	Amount
Not Later than one year	8.78
Later than one year but not later than five years	0.00
Later than five year	0.00
Total	8.78

56 प्रति शेयर आय की गणना

(रु. लाख में)

विवरण	31.03.2026 तक	31.03.2025 तक
क) विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ / हानि (लाख रूपये में)	3,515.48	2,965.08
ख) ईक्विटी शेयर्स की भारित औसत संख्या	25,00,000	25,00,000
ग) प्रति ईक्विटी शेयर नाममात्र मूल्य	100.00	100.00
घ) मूल और तनुकृत आय प्रति शेयर (रू.) (क/ख)	140.62	118.60

चूंकि कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक ही श्रेणी है और कोई संभावित इक्विटी शेयर बकाया नहीं हैं, इसलिए प्रति शेयर मूल और डाइल्यूटेड आय समान है।

56 Calculation of Earnings per Share

(Rs. in Lakh)

Particulars	As at 31st March 2026	As at 31st March 2025
A) Profit Available for Appropriation (Rs. in Lakh)	3,515.48	2,965.08
B) Weighted Average No. of Equity Shares (No's)	25,00,000	25,00,000
C) Nominal Value Per Equity Share (in Rs.)	100.00	100.00
D) Basic and Diluted Earnings per share (in Rs.) (A/B)	140.62	118.60

Since the Company has only one class of equity shares and there are no potential equity shares outstanding, the basic and diluted earnings per share are the same.

57. वित्तीय उपकरण

57.1 उचित मूल्य

57.1.1 31 मार्च, 2026 तक श्रेणियों के अनुसार वित्तीय साधनों का वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार हैं ।

57 Financial Instruments

57.1 Fair Value

57.1.1 The carrying value and fair value of financial instruments by categories as of 31st March, 2026 are as follows:

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	पीएंडएल के माध्यम से उचित मूल्य Fair value through P&L	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य Fair value through OCI	परिशोधित लागत Amortized cost	कुल वहन और उचित मूल्य Total carrying and Fair value	लेवल 3 पर मान्यता प्राप्त Recognized at Level 3
वित्तीय परिसंपत्तियाँ / Financial Assets					
गैर-चालू / Non-Current					
निवेश / Investment	-	-	0.01	0.01	0.01
ऋण / Loan	-	-	214.46	214.46	214.46
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ Other Financial Assets	-	-	140.17	140.17	140.17
चालू / Current					
व्यापार प्राप्य / Trade receivables	-	-	7,202.69	7,202.69	7,202.69
नकद और नकद समतुल्य Cash and cash equivalents	-	-	2,344.79	2,344.79	2,344.79
नकद और नकद समकक्ष के अलावा बैंक शेष Bank Balances other than Cash and Cash equivalents	-	-	72.03	72.03	72.03
ब्याज / Loans	-	-	108.53	108.53	108.53
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ Other Financial Assets	-	-	8,13,743.58	8,13,743.58	8,13,743.58
कुल / Total	-	-	8,23,826.26	8,23,826.26	8,23,826.26
वित्तीय देनदारियाँ / Financial Liabilities					
गैर-चालू / Non-Current					
अन्य वित्तीय देनदारियाँ Other Financial Liabilities	-	-	311.78	311.78	311.78
चालू / Current	-	-	464.20	464.20	464.20
उधार / Borrowings	-	-	33,96,751.65	33,96,751.65	33,96,751.65
पट्टा देयता / Lease Liability	-	-	100.04	100.04	100.04
व्यापार देय / Trade payables:					
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम - Micro & Small Enterprises	-	-	16,773.36	16,773.36	16,773.36
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के अलावा - Other than Micro and Small Enterprises	-	-	26,648.47	26,648.47	26,648.47
अन्य वित्तीय देनदारियाँ Other Financial Liabilities	-	-	25,892.13	25,892.13	25,892.13
कुल / Total	-	-	34,66,941.63	34,66,941.63	34,66,941.63

57.1.2 31 मार्च, 2025 तक श्रेणियों के अनुसार वित्तीय साधनों का वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार हैं ।

57.1.2 The carrying value and fair value of financial instruments by categories as of 31st March, 2025 are as follows:

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	पीएंडएल के माध्यम से उचित मूल्य Fair value through P&L	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य Fair value through OCI	परिशोधित लागत Amortized cost	कुल वहन और उचित मूल्य Total carrying and Fair value	लेवल 3 पर मान्यता प्राप्त Recognized at Level 3
वित्तीय परिसंपत्तियाँ / Financial Assets					
गैर-चालू / Non-Current					
निवेश / Investment	-	-	0.01	0.01	0.01
ऋण / Loan	-	-	286.00	286.00	286.00
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ Other Financial Assets	-	-	140.43	140.43	140.43
चालू / Current					
व्यापार प्राप्य / Trade receivables	-	-	6,705.57	6,705.57	6,705.57
नकद और नकद समतुल्य Cash and cash equivalents	-	-	16,675.54	16,675.54	16,675.54
नकद और नकद समकक्ष के अलावा बैंक शेष Bank Balances other than Cash and Cash equivalents	-	-	67.47	67.47	67.47
ब्याज / Loans	-	-	112.21	112.21	112.21
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ Other Financial Assets	-	-	2,62,089.86	2,62,089.86	2,62,089.86
कुल / Total	-	-	2,86,077.09	2,86,077.09	2,86,077.09
वित्तीय देनदारियाँ / Financial Liabilities					
गैर-चालू / Non-Current					
अन्य वित्तीय देनदारियाँ Other Financial Liabilities	-	-	163.19	163.19	163.19
चालू / Current	-	-	435.50	435.50	435.50
उधार / Borrowings	-	-	32,01,196.02	32,01,196.02	32,01,196.02
पट्टा देयता / Lease Liability	-	-	59.77	59.77	59.77
व्यापार देय / Trade payables:					
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम - Micro & Small Enterprises	-	-	24,142.50	24,142.50	24,142.50
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के अलावा - Other than Micro and Small Enterprises	-	-	44,641.22	44,641.22	44,641.22
अन्य वित्तीय देनदारियाँ Other Financial Liabilities	-	-	23,558.24	23,558.24	23,558.24
कुल / Total	-	-	32,94,196.44	32,94,196.44	32,94,196.44

नोट-

1. व्यापार प्राप्य मुख्य रुप से राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) से होता है ।

2. प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को दिए गए सुरक्षित ऋण और अग्रिम बाजार दर पर हैं, इसलिए ऐसे ऋणों और अग्रिमों की वहन राशि उनके उचित मूल्य के बराबर है। अन्य कर्मचारियों को दिए गए असुरक्षित ऋण पिछले जीएएपी मूल्य पर ही रखे जाते रहेंगे क्योंकि मापन प्रभाव महत्वहीन है।

3. ऋण और उस पर ब्याज के पुर्नभुगतान में चूक की कोई पूर्ववृत्त नहीं है, इसलिए अपेक्षित ऋण हानि को मान्यता नहीं दी गई है।

4. भारत सरकार से प्राप्त व्यापार प्राप्य और एमएसपी हानियों से नकदी प्रवाह की वसूली में कोई महत्वपूर्ण चूक नहीं हुई है, इसलिए अपेक्षित ऋण हानि को मान्यता नहीं दी गई है।

57.2 उचित मूल्य अनुक्रम

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे गए वित्तीय उपकरण शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी उपकरण और उद्धृत मूल्य वाले म्यूचुअल फंड शामिल हैं। स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार किए जाने वाले सभी इक्विटी उपकरणों का उचित मूल्य रिपोर्टिंग अवधि के समापन मूल्य का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। म्यूचुअल फंडों का मूल्यांकन समापन एनएवी का उपयोग करके किया जाता है और सूचीबद्ध इक्विटी उपकरणों का मूल्यांकन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के समापन मूल्यों पर किया जाता है।

स्तर 2: उन वित्तीय साधनों का उचित मूल्य, जिनका सक्रिय बाज़ार में कारोबार नहीं होता (उदाहरण के लिए, कारोबार किए जाने वाले बॉन्ड, ओवर-द-काउंटर डेरिवेटिव) उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो अवलोकनीय बाज़ार आँकड़ों का अधिकतम उपयोग करती हैं और इकाई-विशिष्ट अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करती हैं। यदि किसी साधन का उचित मूल्य निर्धारण करने के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय हैं, तो उस साधन को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो उपकरण को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। यह स्तर 3 में शामिल सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, आकस्मिक

Note -

1. Trade Receivable mainly comprises the due from National Textiles Corporation (NTC).

2. Secured loans and advances given to key management personnel and other employees are at market rate, therefore the carrying amount of such loans and advances are equal to their fair value. Unsecured loans to other employees continue to be carried at previous GAAP value as measurement impact is immaterial.

3. There is no history of default in repayment of loan and interest thereupon, hence, expected credit loss is not recognized.

4. There is no material default in realizing the cash flow from the Trade receivable and MSP losses receivables from Govt. of India, hence, expected credit loss is not recognized.

57.2 Fair Value Hierarchy

Level 1: Level 1 hierarchy includes financial instruments measured using quoted prices. This includes listed equity instruments and mutual funds that have quoted price. The fair value of all equity instruments which are traded in the stock exchanges is valued using the closing price as at the reporting period. The mutual funds are valued using the closing NAV and listed equity instruments are being valued at the closing prices on recognized stock exchange.

Level 2: The fair value of financial instruments that are not traded in an active market (for example, traded bonds, over-the counter derivatives) is determined using valuation techniques which maximize the use of observable market data and rely as little as possible on entity-specific estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in level 2.

Level 3: If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in level 3. This is the case for unlisted equity securities, contingent consideration and indemnification asset included

विचार और क्षतिपूर्ति परिसंपत्ति के मामले में है।

कंपनी की नीति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पदानुक्रम स्तरों में स्थानांतरण और उससे बाहर स्थानांतरण को मान्यता देने की है।

वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उचित मूल्य माप के स्तर पर कोई स्थानांतरण नहीं हुआ है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य पदानुक्रम स्तरों के लिए नोट संख्या 57.1 देखें।

in level 3.

The Company's policy is to recognize transfers into and transfers out of fair value hierarchy levels as at the end of the reporting period.

There is no transfer to level of fair value measurement during the financial year and previous financial year.

Refer note no. 57.1 for fair value hierarchy levels of Financial Assets and Liability.

57.3 वित्तीय देयताओं की परिपक्वताएँ

नीचे दी गई तालिकाओं में वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण उनकी संविदात्मक परिपक्वता समूहों की पुनरावृत्ति में किया गया है :-

57.3 Maturities of financial liabilities

The tables below analyze the company's financial liabilities into relevant maturity groupings based on their contractual maturities:-

57.3.1 31 मार्च, 2026 तक वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता

57.3.1 Contractual maturities of financial liabilities as at 31st March 2026

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	कुल वहन मूल्य Total Carrying Value	एक वर्ष के भीतर On due within 1 year	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक Over 1 year Within 3 years	3 वर्ष से अधिक Over 3 year
गैर चालू अन्य वित्तीय देयताएँ Non-Current Other Financial Liabilities	464.20	-	39.14	425.06
उधार / Borrowings	33,96,751.65	3396751.65		
व्यापार देय / Trade Payables				
सूक्ष्म और लघु उद्यमों का बकाया - Dues of Micro and Small Enterprises	16,773.36	16,773.36	-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य बकाया - Dues other than Micro and Small Enterprises	26,648.47	26,648.47	-	-
पट्टा देयता / Lease Liability	411.82	97.03	242.57	72.22
चालू - अन्य वित्तीय देयताएँ Current- Other Financial Liabilities	25,892.13	25,892.13		
कुल / Total	34,66,941.63	34,66,183.51	242.57	515.55

57.3.2 31 मार्च, 2025 तक वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता

57.3.2 Contractual maturities of financial liabilities as at March 31, 2025

(रु. लाख में) / (Rs. in Lakh)

विवरण Particulars	कुल वहन मूल्य Total Carrying Value	एक वर्ष के भीतर On due within 1 year	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक Over 1 year Within 3 years	3 वर्ष से अधिक Over 3 year
गैर चालू अन्य वित्तीय देयताएँ Non-Current Other Financial Liabilities	435.50	-	181.65	253.85
उधार / Borrowings	32,01,196.02	32,01,196.02	-	-
व्यापार देय / Trade Payables				
सूक्ष्म और लघु उद्यमों का बकाया - Dues of Micro and Small Enterprises	24,142.50	24,142.50	-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य बकाया - Dues other than Micro and Small Enterprises	45,893.82	45,893.82	-	-
पट्टा देयता / Lease Liability	222.96	59.77	71.12	95.05
चालू - अन्य वित्तीय देयताएँ Current- Other Financial Liabilities	22,305.64	22,305.64	-	-
कुल / Total	32,94,196.44	32,93,779.40	324.97	348.90

58. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने 'जोखिम प्रबंधन योजना' को अपनाया है जिसे निदेशक मंडल द्वारा 23 फरवरी 2018 को आयोजित उनकी बैठक में विधिवत अनुमोदित किया गया है।

वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी की गतिविधियाँ उसे कई तरह के वित्तीय जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाती हैं: क्रेडिट जोखिम, वित्तीय रिपोर्टिंग जोखिम, तरलता जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम। कंपनी का मुख्य ध्यान व्यापार में अप्रत्याशितता का पूर्वानुमान लगाना और अपने वित्तीय प्रदर्शन पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है।

क) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम का तात्पर्य खरीददारों द्वारा अपने दायित्वों का पालन न करने के जोखिम से है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि होती है। जोखिम न्यूनीकरण के उपाय: बिक्री अनुबंध की शर्तें, जो पीछे हटने के जोखिमों को कवर करती हैं, शिकायतों और पुनर्विक्रय पर होने वाले नुकसान को नियंत्रित करती हैं। पिछले लेन-देन और उनकी प्रतिबंधित व प्रतिबंधित श्रेणी के आधार पर खरीददारों की क्रेडिट पात्रता का आकलन करने के लिए एक प्रणाली

58. Financial risk management

The Company has adopted 'Risk Management Plan' which is duly approved by the Board of Directors in their meeting held on 23rd February 2018.

Financial risk factors

The company's activities expose it to a variety of financial risks: credit risk, financial reporting risk, liquidity risk and foreign exchange risk. The company's primary focus is to foresee the unpredictability in trade and seek to minimize potential adverse effects on its financial performance.

a) Credit Risk

Credit risk refers to the risk of default on its obligation by the buyers resulting in a financial loss. Risk mitigation measures: Sales contract terms to cover risks of backing out, to handle complaints and loss on resale. System put in place for assessment of credit worthiness of buyers on the basis of past dealings and their restricted and banned category. Appropriate

स्थापित की गई है। जहाँ तक संभव हो, उचित वसूली प्रबंधन, अनुवर्ती कार्रवाई और सौहार्दपूर्ण समझौता किया जाता है। कंपनी ने विभिन्न प्रबंधन सूचना प्रणालियाँ स्थापित की हैं, जो प्रबंधन को समय पर उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाती हैं।

recovery management, follow up and amicable settlement wherever possible. The Company has in place various Management Information system, which enables management to take proper decision, in time.

ख) वित्तीय रिपोर्टिंग जोखिम

वित्तीय रिपोर्टिंग जोखिम से तात्पर्य (i) डेटा निकालने, एकत्र करने, समेकित करने और उसका विश्लेषण करने के लिए ज़िम्मेदार विभिन्न लोगों; (ii) इन डेटा को प्राप्त करने और रिपोर्ट करने की प्रक्रियाओं और समय-सीमाओं; (iii) वित्तीय जानकारी बनाने और उसे सार्थक रूप देने वाली प्रणालियों से होने वाले जोखिम से है। लेखांकन, कॉर्पोरेट प्रशासन और सार्वजनिक प्रकटीकरण आदि से संबंधित बदलते कानून, नियम और मानक कंपनी के लिए अनिश्चितता पैदा करते हैं। कंपनी कॉर्पोरेट प्रशासन और सार्वजनिक प्रकटीकरण के उच्च मानकों को बनाए रखने और बदलते कानूनों, नियमों और मानकों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

b) Financial Reporting Risk

Financial reporting risks refers to the risk due to (i) A variety of people responsible for extracting, assembling, aggregating, and analyzing data; (ii) the processes and timelines by which this data is obtained and report; (iii) the systems that makes financial information and process it into meaningful form. Changing laws, regulations and standards relating to accounting, corporate governance and public disclosure, etc. creates uncertainty for the company. The Company is committed to maintaining high standards of corporate governance and public disclosure and to comply with evolving laws, regulations and standards.

ग) लिक्विडिटी जोखिम

इसमें नकदी प्रबंधन जोखिम शामिल है। जोखिम न्यूनीकरण उपायः संगठन के भीतर उचित स्तरों पर विस्तृत वार्षिक व्यावसायिक योजनाओं पर चर्चा के साथ उचित वित्तीय नियोजन किया जाता है। वार्षिक और त्रैमासिक बजट तैयार किए जाते हैं और प्रबंधन के समक्ष विस्तृत चर्चा, धारणाओं की प्रकृति और गुणवत्ता, मापदंडों आदि के विश्लेषण के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। विचलन विश्लेषण वाले ये बजट बेहतर वित्तीय नियोजन और विचलनों को जन्म देने वाले कारकों के अध्ययन के लिए तैयार किए जाते हैं। निधि आवश्यकताओं का आकलन करने और निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ स्तरों पर दैनिक और मासिक नकदी प्रवाह तैयार और निगरानी की जाती है। निधियों का कुशल संग्रह और उपयोग सुनिश्चित करने के लिए बैंकों के संघ से नकदी प्रबंधन सेवाएँ ली जाती हैं।

c) Liquidity Risk

This includes cash management risk. Risk mitigation measures: proper financial planning is in place with detailed annual business plans discussed at appropriate levels within the organization. Annual and quarterly budgets are prepared and put up to management for detailed discussion an analysis of the nature and quality of the assumption, parameters etc. These budgets with variance analysis are prepared to have better financial planning and study of factors giving rise to variances. Daily and monthly cash flows are prepared and monitored at senior levels to access the fund requirements and ensure utilization of funds in an effective manner. Cash management services are availed from consortium of banks to ensure efficient collection and utilization of funds.

घ) विदेशी मुद्रा जोखिम

अन्य देशों को कपास की गांठों के निर्यात की किसी भी स्थिति में, भारतीय रुपए की तुलना में विदेशी मुद्रा विनिमय में प्रतिकूल अस्थिरता के कारण जोखिम बना रहता है। जोखिम न्यूनीकरण उपायः कपास गांठों के निर्यात के लिए जब भी आवश्यकता होती है, कंपनी

d) Foreign exchange risk

In case of any eventuality of export of cotton bales to other countries, there is the risk due to adverse volatility in foreign currency exchange vis-a-vis Indian rupee. Risk mitigation measures: As & when required for export of cotton bales, the Corporation minimizes risk arising from

अधिक पूर्वानुमान और स्थिरता प्राप्त करने के लिए जोखिम को कम करके विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव की अनिश्चितता और अस्थिरता का प्रबंधन करके प्रतिकूल मुद्रा आंदोलनों से उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करती है। विदेशी मुद्रा जोखिम को निर्यात अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने के समय से तथा विदेशी क्रेताओं द्वारा ऋण पत्र खोले जाने से पूर्व संविदागत परिपक्वता के अनुसार मान्यता दी जाती है। मुद्रा लेनदेन से निपटने के अनिश्चित पहलू को शामिल किए बगैर निगम प्रतिरक्षा के साथ भविष्य में उतार-चढ़ाव को कवर करता है।

ङ) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर का जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाज़ार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण किसी वित्तीय इंस्ट्रूमेंट की उचित कीमत या भविष्य के कैश फ़्लो में उतार-चढ़ाव आ सकता है। कंपनी को मुख्य रूप से उन कर्ज़ों के मामले में ब्याज दर का जोखिम होता है जिन पर फ्लोटिंग ब्याज दरें लागू होती हैं। हालाँकि, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से जुड़े कामों के लिए गए कर्ज़ों पर ब्याज दरों में बदलाव का असर उन कामों में हुए नुकसान का हिस्सा होता है, जिसकी भरपाई भारत सरकार करती है।

59. अतिरिक्त नियामक सूचना

59.1 कंपनी अधिनियम की धारा 135 के तहत सीएसआर गतिविधियों के संबंध में प्रकटीकरण:-

(रु. लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
(i) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि,	10.61	10.95
(ii) व्यय की गई राशि,	10.61	10.96
(iii) वर्ष के अंत में कमी	0.00	0.00
(iv) पिछले वर्षों की कुल कमी	0.00	0.00
(v) कमी का कारण,	लागू नहीं	लागू नहीं

adverse currency movements by managing the uncertainty and volatility of foreign exchange fluctuations by hedging the risk to achieve greater predictability and stability. Foreign currency exposures are recognized from the time an export contract is signed and as per contractual maturity prior to opening of Letters of Credit by foreign buyers. Without venturing into the speculative aspect of dealing in currency derivatives, Corporation aim to cover foreseeable fluctuations with a hedge.

e) Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company is exposed to interest rate risk primarily in respect of its borrowings carrying floating rates of interest. However, the impact of changes in interest rates on borrowings attributable to Minimum Support Price (MSP) operations forms part of the losses incurred on such operations, which are reimbursable by the Government of India.

59 Additional Regulatory Information

59.1 Disclosure with regard to CSR activities under section 135 of the Companies Act:-

(Rs. in Lakh)

Particulars	F.Y. 2025-26	F.Y. 2024-25
(i) amount required to be spent by the company during the year,	10.61	10.95
(ii) amount of expenditure incurred,	10.61	10.96
(iii) shortfall at the end of the year	0.00	0.00
(iv) total of previous years shortfall	0.00	0.00
(v) reason for shortfall,	Not Applicable	Not Applicable

(vi) सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति,

कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर गतिविधि के क्षेत्रों की पहचान की, जिसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल, स्वच्छता, शिक्षा/साक्षरता वृद्धि, सामुदायिक विकास, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल हैं।

वास्तविक सीएसआर व्यय की प्रकृति इस प्रकार है:

(रु. लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
1	किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-
2	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य के लिए	10.61	10.96
	कुल	10.61	10.96

(vii) कंपनी ने सीएसआर व्यय के संबंध में संबंधित पार्टियों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया है या कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट को कोई योगदान नहीं दिया है।

(viii) सीएसआर व्यय के लिए संविदात्मक दायित्व में प्रवेश करने से उत्पन्न देयता के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

59.2 <u>कंपनी के नाम पर न रखी गई अचल संपत्ति के स्वामित्व विलेख</u>

लीज होल्ड संपत्तियों को छोड़कर सभी अचल संपत्तियां कंपनी के नाम पर हैं।

59.3 <u>बेनामी संपत्ति का विवरण:-</u>

कंपनी के पास बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के तहत कोई बेनामी संपत्ति नहीं है और उक्त अधिनियम के तहत कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

59.4 <u>क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का विवरण:-</u>

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

(vi) Nature of CSR activities,

Company identified the areas of CSR activity as per provisions of schedule VII of Companies Act 2013, which include health & medical care, sanitation, education/literacy enhancement, community development, rural development, environment protection, conservation of natural resources, and infrastructure development.

The nature of actual CSR expenditure incurred is as follows:

(Rs. in Lakh)

Sr.	Nature	Year ended 31st March 2026	Year ended 31st March 2025
1	Construction/Acquisition of any assets	-	-
2	On purpose other than above	10.61	10.96
	Total	10.61	10.96

(vii) The Company has not made any transaction with related parties or made any contribution to trust controlled by the Company in relation to CSR expenditure.

(viii) No provision is made with respect to a liability incurred by entering into a contractual obligation for CSR expenditure.

59.2 <u>Title deeds of Immovable Property not held in the name of the Company</u>

All immovable properties are held in the name of the Company except lease hold properties.

59.3. <u>Details of Benami Property held:-</u>

The Company does not hold any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 and no proceedings have been initiated or pending against the company under the said Act.

59.4 <u>Details of Crypto Currency or Virtual Currency:-</u>

The Company has not traded or invested in Crypto currency or Virtual Currency during the financial year.

59.5 प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित) को अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया जाता है, जो कि: (क) मांग पर चुकाने योग्य हो; या (ख) बिना किसी शर्त या पुनर्भुगतान की अवधि निर्दिष्ट किए।

59.6 कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है, इसलिए कंपनी (लेयर्स की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ अधिनियम की धारा 2 का खंड (87) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

59.7 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी व्यवस्था योजना को मंजूरी नहीं दी गई है।

59.8 <u>उधार ली गई निधि और शेयर प्रीमियम का उपयोग</u>

कंपनी ने एमएसपी परिचालन के लिए बैंकों से उधार ली गई निधि का उपयोग किया है।

कंपनी ने किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं (निधिकरण पक्ष) भी शामिल हैं, कोई निधि प्राप्त नहीं की है, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कि कंपनी (ग) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निधिकरण पक्ष (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या (ग्ग) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करेगी।

59.9 कंपनी के पास ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न किया गया हो और जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो। इसके अलावा, पहले से कोई अलिखित आय और संबंधित परिसंपत्तियां नहीं थीं जिन्हें वर्ष के दौरान लेखा पुस्तकों में उचित रूप से दर्ज किया जाना आवश्यक था।

59.10 कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

59.11 कंसोर्टियम बैंकों की अंतर-सीमा में संशोधन को छोड़कर, वैधानिक अवधि के बाद आरओसी के साथ कोई शुल्क या संतुष्टि पंजीकृत नहीं की जानी है।.

59.5 There are no Loans or Advances in the nature of loans are granted to promoters, directors, KMPs and the related parties (as defined under Companies Act, 2013), either severally or jointly with any other person, that are:(a) repayable on demand; or(b) without specifying any terms or period of repayment.

59.6 The company does not have any subsidiaries, hence clause (87) of section 2 of the Act read with the Companies (Restriction on number of Layers) Rules, 2017 is not applicable to the Company.

59.7 No Scheme of Arrangements has been approved by the Competent Authority in terms of sections 230 to 237 of the Companies Act, 2013.

59.8 <u>Utilization of Borrowed funds and share premium</u>

The Company has utilized the borrowed fund from the banks for undertaking MSP operations.

The company has not received any fund from any person(s) or entity (ies), including foreign entities (Funding Party) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the company shall (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries) or (ii) provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

59.9 The Company does not have any transaction not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961. Further, there were no previously unrecorded income and related assets which were required to be properly recorded in the books of account during the year.

59.10 The company has not been declared as wilful defaulter by any bank or financial Institution or other lender.

59.11 No charges or satisfaction are yet to be registered with ROC beyond the statutory period except the modification in the inter-se-limit of the consortium banks.

59.12 बंद हुए कंपनियों के साथ संबंध:

कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत रद्द की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं है।

59.12 Relationship with Struck off Companies:

The Company does not have any transactions with companies struck off under section 248 of the Companies Act, 2013 or section 560 of Companies Act, 1956.

59.13 मुख्य अनुपात: / 59.13 Key Ratios:

31 मार्च, 2026 और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात निम्नलिखित हैं:-
The following are analytical ratios for the year ended 31st March 2026 and 31st March 2025:-

विवरण Particulars	अंश Numerator	विभाजक Denominator	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	%परिवर्तन %age Change	टिप्पणी Remark
क) चालू अनुपात (समय में) (a) Current Ratio (in times)	चालू परिसंपत्ति Current Assets	चालू देयताएं Current Liabilities	1.01	1.01	-	-
ख) ऋण-इक्विटी अनुपात (समय में) b) Debt-Equity Ratio (in times)	दीर्घावधि ऋण Long Term Debts	शेयरधारकों की इक्विटी Shareholder's Equity	लागू नहीं Not Applicable	लागू नहीं Not Applicable	-	-
ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात (समय में) c) Debt Service Coverage Ratio (in times)	कर पश्चात् शुद्ध लाभ + गैर-नकद परिचालन व्यय जैसे मूल्यह्रास और अन्य परिशोधन + ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि आदि Net Profit after taxes + Non-cash operating expenses like depreciation and other amortizations + Interest + other adjustments like loss on sale of Fixed assets etc.	ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन चुकौती) Interest & Lease Payments + Principal Repayments	1.03	1.04	-0.96%	-

विवरण Particulars	अंश Numerator	हर Denominator	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	%परिवर्तन %age Change	टिप्पणी Remark
(घ) इक्विटी अनुपात पर रिटर्न, (समय में) (d) Return on Equity Ratio, (in times)	कर पश्चात शुद्ध लाभ से अधिमान लाभांश घटाकर (यदि कोई हो) Net Profits after taxes less Preference Dividend (if any)	औसत शेयरधारक इक्विटी Average Shareholder's Equity	0.10	0.09	11.11%	-
(ङ) इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (समय में) (e) Inventory turnover ratio (in times)	शुद्ध बिक्री Net Sales	औसत मालसूची Average Inventory	1.34	0.90	48.89%	इस सुधार का मुख्य कारण साल के दौरान बिक्री की मात्रा में हुई भारी बढ़ोतरी है। कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में 29.78 लाख गांठों की तुलना में, मौजूदा वित्तीय वर्ष में 107.86 लाख गांठें बेचीं। Improvement is primarily attributable to the significant rise in sales volume during the year. The Company sold 107.86 lakh bales during the current financial year as compared to 29.78 lakh bales in the previous financial year.
(च) व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय में) (f) Trade Receivables turnover ratio (in times)	परिचालन से राजस्व Revenue from operations	औसत व्यापार प्राप्य Average Trade receivables	569.12	316.01	80.10%	पिछले वर्ष की तुलना में टर्नओवर में वृद्धि के कारण। Due to increase in turnover as compared to previous year.

विवरण Particulars	अंश Numerator	हर Denominator	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	%परिवर्तन %age Change	टिप्पणी Remark
(छ) व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (समय में) (g) Trade payables turnover ratio (in times)	कुल खरीद और परिचालन व्यय Total Purchase and Operating Expenditure	औसत व्यापार देय Average Trade Payables	78.96	90.35	-12.61%	-
(ज) शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात (समय में) (h) Net capital turnover ratio (in times)	शुद्ध बिक्री Net Sales	औसत कार्यशील पूंजी (अर्थात कुल चालू परिसंपत्तियां से कुल चालू देनदारियां घटाकर) Average working capital (i.e. Total current Assets less Total current liabilities)	101.29	50.59	100.22%	इस सुधार का मुख्य कारण वर्ष के दौरान बिक्री की मात्रा में हुई भारी बढ़ोतरी है। कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में 29.78 लाख गाँठे की तुलना में, मौजूदा वित्तीय वर्ष में 107.86 लाख गाँठे बेची। Improvement is primarily attributable to the significant rise in sales volume during the year. The Company sold 107.86 lakh bales during the current financial year as compared to 29.78 lakh bales in the previous financial year.
(झ) शुद्ध लाभ अनुपात (% में) (I) Net profit ratio (in %)	शुद्ध लाभ (कर पश्चात्) Net Profit (After Tax)	शुद्ध बिक्री Net Sales	0.09	0.17	-47.06%	एमएसपी स्टॉक की बिक्री के कारण टर्नओवर में काफी बढ़ोतरी हुई; हालाँकि, एमएसपी संचालन का खर्च सरकार बिना मुनाफ़े के आधार पर वापस करती है, इसलिए शुद्ध लाभ अनुपात में गिरावट आई।

विवरण Particulars	अंश Numerator	हर Denominator	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	%परिवर्तन %age Change	टिप्पणी Remark
						Turnover increased significantly due to MSP stock sales; however, as MSP operations are reimbursed by the Government on a no-profit basis, the Net Profit Ratio declined.
(ञ) नियोजित पूंजी पर रिटर्न (% में) (j) Return on Capital employed (in%)	ब्याज और कर से पूर्व आय Earnings Before Interest and Taxes	नियोजित पूंजी Capital employed	421.83	280.98	50.13%	आरओसीई में बढ़ोतरी मुख्य रूप से ब्याज और कर से पहले की ज़्यादा कमाई (ईबीआईटी) की वजह से हुई है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से चालू वित्त वर्ष के दौरान 105.09 लाख गांठों की खरीद के लिए ली गई कर्ज़ पर ब्याज लागत में हुई वृद्धि के कारण है। ROCE increased primarily due to higher Earnings Before Interest and Taxes (EBIT), mainly on account of the increase in interest cost on borrowings availed for procurement of 105.09 lakh bales during the current financial year.
(ट) निवेश पर रिटर्न (% में) (k) Return on investment (in%)	निवेशित धन से अर्जित आय Income generated from invested funds	औसत निवेश Average investments	लागू नहीं Not Applicable	लागू नहीं Not Applicable	लागू नहीं Not Applicable	-

60. इन वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल ने 9 जुलाई 2026 को हुई अपनी बैठक में मंज़ूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कोई अंतरिम लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया है। 9 जुलाई 2026 की बैठक में निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कर के बाद मुनाफ़े का 30% लाभांश देने का प्रस्ताव रखा है। इसमें कुल 1,055.00 लाख रुपये की राशि शामिल है, जिसका भुगतान शेयरधारकों को आगामी वार्षिक आम बैठक में मंज़ूरी मिलने के बाद किया जाएगा।

कंपनी ने रिपोर्टिंग की तारीख के बाद से इन वित्तीय विवरणों को मंज़ूरी मिलने की तारीख तक हुई सभी घटनाओं और लेन-देन का मूल्यांकन किया है। इस मूल्यांकन के आधार पर, ऐसी कोई समायोजन या गैर-समायोजन घटना नहीं हुई है जिसके लिए इन वित्तीय विवरणों में किसी मान्यता या जानकारी देने की ज़रूरत हो, सिवाय इसके कि पिछली अवधि में किए गए दावों के संबंध में रिपोर्टिंग अवधि के बाद 4,296.75 लाख रुपये (पिछले सालः 159.05 लाख रुपये) के बीमा दावों को मान्यता दी गई है। संबंधित आय को रिपोर्टिंग की तारीख पर मौजूद जानकारी और शर्तों के आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई है।

61. मार्च 2025 में, कंपनी ने कमर्शियल पेपर्स के ज़रिए रु.3,75,000 लाख जुटाए, जो सेबी के नियमों के अनुसार एनएसई पर लिस्टेड हैं। इन कमर्शियल पेपर्स का भुगतान जून 2025 में कर दिया गया और उसके बाद चालू वित्त वर्ष में कोई नया कमर्शियल पेपर जारी नहीं किया गया।

62. तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरणों में कुछ पुनःसमूहन और पुनर्गठन किया गया है ताकि वर्तमान वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलनीयता बढ़ाई जा सके। बैलेंस शीट और लाभ और हानि के विवरण में पुनःसमूहन समायोजन का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः

60. These Financial Statements are approved by the Board of Directors in its meeting held on 9th July 2026. No interim dividend has been declared or paid during financial year 2025-26. The Board of Directors at the meeting dated 9th July 2026 have proposed dividend for financial year 2025-26 at 30% of profit after tax entailing sum of Rs.1,055.00 lakh to be released for payment to shareholders upon the approval of same by the forthcoming Annual General Meeting.

The Company has evaluated all events and transactions occurring after the reporting date up to the date of approval of these financial statements. Based on such evaluation, no adjusting or non-adjusting events have occurred that require recognition or disclosure in these financial statements except recognition of insurance claims amounting to Rs.4,296.75 lakh (previous year: Rs.159.05 lakh) were received after the reporting period in respect of claims lodged in earlier periods. The related income has been recognized in the financial statements based on the information and conditions existing as at the reporting date.

61. In March 2025, the company raised Rs.3,75,000 lakh through Commercial Papers which are listed on the NSE as per SEBI regulations. These commercial papers have been repaid in the month of June 2025 and thereafter no fresh commercial papers were issued in the current financial year.

62. Certain regrouping and recasting have been made to the comparative period's financial statements to enhance comparability with the current year's financials. Brief details of Restatement / Regrouping adjustments in Balance Sheet and Statement of Profit and Loss are as under :-

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लेखा परीक्षित विवरणों के अनुसार As per Audited Financial Statements for F.Y. 2024-25	पुनः स्थापित आंकड़े Restated Figure	अंतर Difference	टिप्पणी Remark
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d)-(c)	(f)
(अ) तुलन पत्र / (A) Balance Sheet					
1	व्यापार देय - सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा कुल बकाया राशि Trade Payable - Total Outstanding dues other than Micro and Small Enterprises	45,893.82	44,641.22	(1,252.60)	पनवेल नगर निगम कर का पुनर्वर्गीकरण व्यापार देय से अन्य व्यापार देय में। Reclassification of Panvel Municipal Tax from Trade Payables to Other Trade Payables.
2	अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं Other Current Financial Liabilities	22,305.64	23,558.24	1,252.60	पनवेल नगर निगम कर का पुनर्वर्गीकरण व्यापार देय से अन्य व्यापार देय में। Reclassification of Panvel Municipal Tax from Trade Payables to Other Trade Payables.
(ब) लाभ और हानि का विवरण (B) Statement of Profit & Loss					
शून्य / NIL					

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on Behalf of Board of Directors

हस्ता/- Sd/-	हस्ता/- Sd/-	हस्ता/- Sd/-	हस्ता/- Sd/-
(ललित कुमार गुप्ता)	(विजय कुरडगि)	(राजेन्द्र कुमार गुप्ता)	(राहुल ठक्कर)
(Lalit Kumar Gupta)	(Vijay Kuradagi)	(Rajendra Kumar Gupta)	(Rahul Thakkar)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक (विपणन)	निदेशक (वित्त)	कंपनी सचिव
Chairman-cum-Managing Director	Director (Marketing)	Director (Finance)	Company Secretary
DIN: 08740593	DIN: 09719867	DIN: 10711691	M. No. F14107

दिनांक / Date: 09/07/2026
स्थान / Place : नई दिल्ली / New Delhi

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In terms of our Report of even date Annexed.

कृते जे. सी. भल्ला एंड कं.
For J C Bhalla & Co.

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 001111एन)
(Firm Registration No: 001111N)
हस्ता/- Sd/-
(अंशुमन मलिक)
(Anshuman Mallick)
भागीदार / Partner
सदस्यता क्र. : 547705
Membership No. : 547705
स्थान / Place : नई दिल्ली / New Delhi
दिनांक / Date: 09/07/2026

कृते ग्रैंडमार्क एंड एसोसिएट्स
For GRANDMARK & Associates

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
Chartered Accountants
(फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर: 011317N)
(Firm Registration No.: 011317N)
हस्ता/- Sd/-
(सुशील कुमार शर्मा)
(Sushil Kumar Sharma)
भागीदार / Partner
सदस्यता क्र.: 074380
Membership No.: 074380
स्थान / Place : नई दिल्ली / New Delhi
दिनांक / Date: 09/07/2026

बैंकों की सूची (कन्सॉर्शीअम)
LIST OF BANKS (CONSORTIUM)

बैंक ऑफ बड़ौदा	BANK OF BARODA
बैंक ऑफ इंडिया	BANK OF INDIA
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	BANK OF MAHARASHTRA
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	CENTRAL BANK OF INDIA
इंडियन बैंक	INDIAN BANK
पंजाब नैशनल बैंक	PUNJAB NATIONAL BANK
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	STATE BANK OF INDIA
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	UNION BANK OF INDIA
आय डी बी आय बैंक	IDBI BANK

फार्म नं. एमजीटी – 11
FORM NO. MGT - 11

प्रॉक्सी फार्म
PROXY FORM

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) के अनुसरण में कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 19(3) के साथ पढ़ा जाये।)

{Pursuant to Section 105(6) of the Companies Act, 2013 read with Rule 19(3) of the Companies (Management and administration) Rules, 2014}

सीआईएन नंबर / CIN Number	:	U51490MH1970GOI014733
कंपनी का नाम / Name of Company	:	THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED
पंजीकृत कार्यालय / Registered Office	:	'KAPAS BHAVAN', PLOT NO 3A, SECTOR - 10, CBD BELAPUR, NAVI MUMBAI - 400 614
सदस्यों के नाम / Names of Member	:	
पंजीकृत पता / Regd. Address	:	
ई मेल आई डी / E-mail ID	:	
फोलियो नं. / Folio Number	:	

मैं उपरोक्त कंपनी के_____ शेयर सदस्य होने के नाते एतद् द्वारा सोमवार दिनांक 17 सितंबर, 2026 दोपहर 12.00 बजे ``कपास भवन'', प्लॉट नं. 3ए, सेक्टर-10, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400 614. को आयोजित कंपनी की 56वीं वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित रहने व मेरे लिए व मेरी ओर से तथा वार्षिक सामान्य बैठक के नोटिस में दिए अनुसार ऐसे संकल्प के बारे में किसी प्रकार के स्थगन पर वोट करने के लिए मेरी प्रॉक्सी के लिए श्री/ श्रीमती _____ को नियुक्त करता हूँ ।

I, being the member (s) _____Shares of the above named Company, hereby appoint Shri/Smt._____ _____ as my proxy to attend and vote (on a poll) for me & on my behalf at the 56th Annual General Meeting of the Company to be held on Monday 17th September 2026 at 12:00 noon at Kapas Bhavan, Plot No. 3/A, Sector-10, CBD Belapur, Navi Mumbai - 400614. and at any adjournment thereof in respect of such resolution as given in Notice of AGM.

हस्ताक्षर की तारीख / Signed this _____

हस्ताक्षर / Signature : _____

(नाम / Name : _____)

COMMITMENT OF CCI

NO CHILD LABOUR



Created by : Sanjay Printers - 9819614475 / 9820154918